अष्टम माला, खंड 16, अंक 39

गुरुवार, 24 अप्रैल, 1986
4 बैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 16 पांचवां सत्र 1986/1908 (शक)

अंक 39, गुरुवार, 24 अप्रैल, 1986/ 4 वैशाख, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 783 से 788, 791, 793 और 795	...	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 782, 789, 790, 792, 794 और 796 से 802	...	24-41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7445 से 7596 और 7598 से 7675	...	41-218
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	225-227
राज्य सभा से सन्देश	...	227-228
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 1986 राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में	...	228
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 18वां प्रतिवेदन	...	228
प्राक्कलन समिति 32 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	...	228
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति चौथा प्रतिवेदन	...	228
रेल विधेयक	...	229-232

* किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले ... 233-235

(एक) मध्य प्रदेश में "वनवासी सेवा मण्डल" के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ देने की मांग

श्री एम० एल० झिकराम ... 233

(दो) गोंदिया, भंडारा और तुमसर टेलीफोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री केशव राव पारधी ... 233-234

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के विद्यमान रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी ... 234

(चार) पश्चिम बंगाल में कालना उप-मण्डल के मोंटेश्वर, पूर्वस्थली और नन्दाघाट खंडों में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को अपेक्षित राहत देने की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी ... 234

(पांच) राजस्थान में चित्तौड़गढ़ को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ... 235

(छः) रबी फसल की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 10 क्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री उमाकांत मिश्र ... 235

वित्त विधेयक, 1986 ... 236-330

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ... 236-241

श्री जी०एम० बनातवाला ... 241-242

श्री सी०माधव रेड्डी ... 242-249

श्री वीरेन्द्र पाटिल ... 249-261

प्रो० मधु दण्डवते ... 261-272

विषय		पृष्ठ

श्री वी० ई० एस० महाजन	...	272-275
श्रीमती कृष्णा साही	...	275-279
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	279-285
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	...	286-290
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	290-293
श्री ए० सी० षण्मुखम	...	293-297
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	297-301
श्री अनादि चरण दास	...	301-306
श्री एन० वी० एन० सोमू	...	306-309
श्री पी० नामग्याल	...	309-311
श्री मूलचन्द डागा	...	311-316
डा० दत्ता सामन्त	...	316-321
श्री शांताराम नायक	...	321-324
श्री बनवारी लाल पुरोहित	...	324-327
श्री संतोष मोहन देव	...	327-330

लोक-सभा

गुरुवार, 24 अप्रैल, 1986/4 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : कार्य सूची में निधन सम्बन्धी उल्लेख की मद नहीं है। कल बहुत से मन्त्रालयों का गला घोंट दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसीलिए अनुपस्थित थे कि आप इसके साक्षी नहीं बनना चाहते थे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

फिल्म सेंसरशिप नियमों में संशोधन

*783. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्मों के कलात्मक महत्व को कम किये बिना फिल्मों में अधिक यथार्थवाद लाने के उद्देश्य से फिल्म सेंसरशिप नियमों/मार्गनिर्देशों में संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जी, नहीं। विद्यमान फिल्म प्रमाणन नियम काफी व्यापक है और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

श्री के० कुन्जम्बु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में बनायी जाने वाली बहुत-सी फिल्मों में अस्वाभाविक और घोर हिंसा और सैक्स की भरमार होती है। यह सब व्यापक सेंसर नियमों के बावजूद होता है। फिल्मों की इस प्रवृत्ति से युवाओं के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सारे मामले की नये सिरे से पुनरीक्षा करेगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी हां, कई बार इस प्रकार की फिल्में आ जाती हैं और उनमें

से कुछ का युवाओं के मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत जो कुछ सुरक्षोपाय और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन नितांत आवश्यक है। द्विभाजन केवल यही है कि प्रमाणीकरण सेंसर बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो हमारे अधीन है किन्तु उसके प्रवर्तन और दण्ड सम्बन्धी खण्ड राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं। केन्द्रीय बोर्ड एक फिल्म को प्रमाणित तो करता है लेकिन उसके प्रदर्शन सम्बधी शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। शायद इसीलिए जो भाग काट दिए जाते हैं और जो प्रमाणित नहीं किए जाते, वे भी प्रदर्शित कर दिए जाते हैं क्योंकि वह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में पड़ते हैं। यह मामला एक से अधिक बार उठाया गया है। इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देश वास्तव में पर्याप्त हैं किन्तु वास्तव में प्रदर्शन और प्रवर्तन स्तर पर, जो राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

श्री के० कुन्जम्बु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय सेंसरशिप बोर्ड का कार्यालय स्थापित करने की मांग की गयी है, यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास अनुपूरक प्रश्नों के लिखित उत्तर हैं।

श्री के० कुन्जम्बु : जी हां, उनके पास लिखित उत्तर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से सोचा हुआ है या योजनाबद्ध है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि हां, तो कृपया इसे सभा पटल पर रखें।

अध्यक्ष महोदय : यही बेहतर रहेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, क्या उत्तर सभा पटल पर रखे जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि मुझे कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे मैं सभी लिखित अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह इस प्रश्न का उत्तर पटल पर रख सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : बाद में कभी आप ऐसा कर सकते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, मैं यह कहूंगी कि त्रिवेन्द्रम में पहले ही एक क्षेत्रीय केन्द्र है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय केन्द्र हैं और हैदराबाद में एक केन्द्र शीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा।

श्री पी०कुलनवईवेलू : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से सेंसरशिप के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। जैसाकि मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि प्रदर्शन करने के अधिकार राज्य सरकारों के पास हैं किन्तु फिल्मों को सेंसर करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास है। किन्तु इसके लिए उपयुक्त अधिकारी नहीं हैं। तमिलनाडु में भी हम प्रतिवर्ष अनेक फिल्मों का निर्माण करते हैं। हम सौ से अधिक फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं किन्तु सेंसर की समस्या है। प्रत्येक फिल्म निर्माता जिस तारीख को अपनी फिल्म प्रदर्शन के लिए जारी करना चाहता है वह उसे तब तक सेंसर नहीं करवा पाता है। यह एक समस्या है। यहां तक कि वहां कोई उपयुक्त अधिकारी भी नहीं है। सूचना और

प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनियुक्ति पर आया अधिकारी वहां तैनात है। वह प्रतिदिन केवल एक फिल्म देख पाता है। सैंकड़ों फिल्में ठीक प्रकार से सेंसर नहीं हो रही हैं। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे तत्काल कदम उठाए जायेंगे ताकि उस कार्यालय में उपयुक्त अधिकारी नियुक्त किया जा सके और फिल्में जल्द सेंसर हो सकें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि एक स्थान विशेष के लिए एक कार्यालय पर्याप्त है या नहीं। विलम्ब के बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने इस बात की जांच की है और पाया है कि लगभग 20 प्रतिशत फिल्मों के मामलों में कुछ विलम्ब हुआ है किन्तु यह केवल हमारी वजह से ही नहीं हुआ है और इसका अनुपात भी बहुत अधिक नहीं है। उन्होंने एक राज्य विशेष का उल्लेख किया है, मैं इसकी जांच करूंगी।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, नियमों और मार्ग निर्देशों के अलावा क्या सरकार की जानकारी में इस किस्म की कोई बात आयी है, जैसी कि प्रायः शिकायत की जाती है कि कुछ प्रभावशाली निर्माता अपनी 'ए' प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को 'यू' फिल्मों के रूप में पास करवा लेते हैं जबकि बहुत से निर्माताओं की फिल्में काट दी जाती हैं? उदाहरण के लिए राजकपूर की फिल्म **'राम तेरी गंगा मैली'** को 'यू' प्रमाण पत्र दिया गया जबकि इसमें कई नग्न दृश्य हैं। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि इस सदन के भीतर तथा बाहर इस मामले को कई बार उठाया गया है, इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या मैं सरकार से एक अन्य बात भी पूछ सकता हूं, जिसे मैंने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान भी उठाया था कि बच्चों की फिल्म के साथ 'ए' प्रमाण पत्र वाला ट्रेलर होता है और उसमें सभी नग्न दृश्य होते हैं। इसलिए, जब आप एक बच्चे को बाल फिल्म में ले जाते हैं, तो जहां तक फिल्म के भाग का सम्बन्ध है उसमें भले ही कुछ भी आपत्तिजनक नहीं हो फिर आप इसे बच्चे के साथ नहीं देख सकते। अत: क्या सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु कुछ करेगी ताकि बाल फिल्में दिखाते समय 'ए' ट्रेलर नहीं दिखाये जायें?

प्रो० मधु दण्डवते : जब लोगों को फिल्म में भी कुछ देखने को नहीं मिलता, तो वे ऐसी फिल्मों के सम्बन्ध में शिकायत करते हैं।

मानव संसाधन मंत्री और गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध दिशानिर्देशों से है। अभी-अभी राज्य मंत्री ने बताया है कि दिशानिर्देश जैसे वे हैं, पर्याप्त हैं, उनमें अधिकांश स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिनकी कल्पना की जा सकती है। परन्तु किन्हीं भी दिशानिर्देशों में सभी स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, दिशा निर्देशों में सुधार करना पड़ेगा उनमें नए निर्देश जोड़े जायेंगे आदि। यही कारण है कि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसलिए हम वर्तमान स्थिति में दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। परन्तु यह वक्तव्य हमेशा के लिए नहीं है। यह तो तर्क की लड़ाई है जो चल रही है। वे कहते हैं कि हमें यथार्थवादी बनना चाहिए, हम कहते हैं कि यथार्थता और वास्तविकता में अन्तर है। आमतौर पर निर्माता इसे पसन्द नहीं करते, परन्तु हम उनसे पसन्द करवायेंगे। हम साहित्य के बारे में कुछ जानते हैं। हम यथार्थता आदर्शवाद के बारे में जानते हैं। हम कुछ

ऐतिहासिक और अन्य दृश्यों के बारे में जानते हैं जिनका चित्रण किया गया है। हम उसे यथार्थता से रहित नहीं कह सकते क्योंकि वे हमें किसी भिन्न युग में पहुंचाते हैं। अतः यथार्थवाद कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है कि बाहर जो कुछ भी होता है, उसे आप फिल्म पर दिखायें और उसे वास्तविकता कहें। अतः ये कुछ ऐसे मामले हैं, हमें जिन पर विचार करना है। फिल्म प्रमाणीकरण को हाल ही में इस मंत्रालय में केवल किसी फिल्म को दिखाए जाने से रोकने अथवा किसी फिल्म को इधर या उधर से काटने के नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं लाया गया है, परन्तु इस उद्देश्य से लाया गया है कि स्वस्थ फिल्में बनाने के सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उसे यहां लाने के पीछे यही विचार है। जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो यह एक निरन्तर प्रक्रिया बन जायेगी। हम निर्माताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने सेंसर बोर्ड के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श किया था और मेरे विचार में हम यह बातचीत जारी रखेंगे ताकि अन्ततोगत्वा हम जो बात वास्तव में चाहते हैं, वह है फिल्मों में सुधार करना और ऐसी फिल्में बनाना जो अति संवेदनशील बालकों और बालिकाओं के मन पर कुप्रभाव न डालें। हमें ऐसे मानदंड अपनाने हैं। हम इसे लागू करेंगे। परन्तु जब हम आगे बढ़ते जायेंगे, इसमें निरन्तर सुधार करना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि क्या बाल फिल्मों का प्रदर्शन करते समय वयस्कों की फिल्मों के ट्रेलर अथवा असीमित प्रमाण पत्र वाली फिल्में दिखाई जानी हैं अथवा नहीं दिखाई हैं जानी मैंने इस बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं किया है। मैं इस सुझाव को मानता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ऐसे अनेक उदाहरण हैं और शिकायतें भी हैं कि सेंसरशिप बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत होने के बाद निर्माता लोग फिल्मों में अश्लील दृश्य जोड़ देते हैं और फिल्मों के नाम भी बदल देते हैं और उन्हें भारत भर में सिनेमाओं में दिखाया जाता है। विशेष कर मलयालम की फिल्मों में ऐसा किया जाता है। जिन मलयालम फिल्मों को हम कहीं पारिवारिक फिल्मों के रूप में देखते हैं, उन्हें हिन्दी भाषी क्षेत्रों में लाकर उनके नाम बदल दिए जाते हैं अश्लील दृश्य जोड़ दिए जाते हैं और उन्हें देश भर में दिखाया जाता है, इस बारे में आन्दोलन किए जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाई गई है और यदि हां तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं माननीय सदस्य की चिंता से चिंतित हूं। यह मामला सरकार की जानकारी में लाया गया है और सरकार भी यह बात राज्य सरकार की जानकारी में अत्यन्त स्पष्ट रूप में आयी है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह राज्य सरकार का कार्य है और राज्य सरकार को इसे लागू करना चाहिए। प्रमाणीकरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि फिल्मों को उनके प्रमाणीकृत रूप में दिखाया जाए और निकाल दिये गए भाग को राज्यों में अथवा कहीं और नहीं दिखाया जाए। अब हमने इसे देख लिया है। भविष्य में कथाचित्र अथवा वीडियो फिल्म की एक प्रमाणीकृत प्रति बोर्ड के पास रखी जायेगी। इस बारे में एक लेख लाचिका दायर हुई है क्योंकि कुछ निर्माताओं ने इसके विरुद्ध मामला दर्ज किया। हम यह चाहते हैं और हम इस पर दृढ़ रहें, फिल्म की एक प्रमाणीकृत प्रति वहां पर रहनी चाहिए। आपने जिस प्रश्न के सम्बन्ध में पूछा है, हम उसके प्रति सजग हैं। हम समय-समय पर इसे ला रहे हैं। महिलाओं के कुछ संगठनों और अन्य

संगठनों ने भी इसके बारे में प्रदर्शन किए हैं । हम माननीय सदस्य और राज्य सरकार के साथ चलना चाहते हैं ताकि इन बातों को सही अर्थों में कार्यान्वित किया जा सके ।

रेल तंत्र में प्रौद्योगिकीय सुधार

*784 +**श्री संतोष मोहन देव :**

प्रो० के० के० तिवारी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल तंत्र में प्रौद्योगिकीय सुधार लाने के लिए कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इन योजनाओं के समन्वय और कार्यान्वियन की देख-रेख करने के लिए कोई विशेष अभिकरण स्थापित किया जा रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की योजना बनायी गयी हैं, उनमें चल स्टाक, सिगनल और दूरसंचार प्रणालियां तथा कारखाने शामिल हैं । इन योजनाओं के कार्यान्वियन का समन्वयन और पर्यवेक्षण रेलवे बोर्ड द्वारा अपने अधीनस्थ संगठनों की सहायता से, जिनमें कारखाना आधुनिकारण के लिए केन्द्रीय संगठन (काफमो) और परिचालन सूचना प्रणाली के लिए केन्द्रीय संगठन (कोफोइस) शामिल हैं, किया जा रहा है।

श्री संतोष मोहन देव : अधिकांश रेल-दुर्घटनायें तकनीकी खामियों के कारण हो रही हैं और इसलिए भी कि रेलवे में तकनीकी प्रणाली कुल मिलाकर पुरानी पड़ चुकी हैं । मैं इन नई योजनाओं को शुरू करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि सिगनल और संचार प्रणाली, जो रेलवे के कारगर कार्यचालन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण प्रणालियां, को आधुनिक बनाने के लिए कौन-सी मूलभूत योजनायें शुरू की जा रही हैं ? इन योजनाओं को किस तरह लागू किया जा रहा है ? इसके लिए बजट आबंटन कितना है ?

श्री बंसी लाल : महोदय, संचार प्रणाली में हम प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यह प्रौद्योगिकी भारत में ही उपलब्ध है। हम उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, क्या आप सन्तुष्ट हैं ? **(व्यवधान)** यदि आप सन्तुष्ट हैं तो महोदय मैं भी संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय : संतुष्ट तो आपको होना है ।

श्री संतोष महोन देव : ठीक है, महोदय, फिलहाल मैं संतुष्ट हूं । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रौद्योगिकी के सुधार में मंत्री महोदय ने चल स्टाक को भी शामिल किया है । अब, चल स्टाक की बड़ी शोचनीय स्थिति है। हमने कई बार यह सुना है कि धनराशि का अभाव है । अत: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस वित्तीय वर्ष के लिए कितना बजट आबंटन किया गया है और क्या इसे सभी प्रभागों में समुचित अनुपात में वितरित किया जाएगा अथवा विशेष रूप से कुछ प्रयोगों में ?

श्री बंसी लाल : महोदय, सभी बजट आबंटन बजट पत्रों में दिए गए हैं और ये माननीय सदस्य के पास उपलब्ध हैं। (**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह रेलों के पटरी से उतरने का मामला है।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारी भारतीय रेलों ने सिगनल और टेली-कम्युनिकेशन्स सुधारने में काफी प्रशंसनीय काम किया है पर जैसा कि आप भी जानते हैं और हमारे रेल मंत्री जी भी जानते हैं कि हमारे देश की भविष्य की आवश्यकता तेज रफ्तार से चलने वाली रेलों से ही पूरी हो सकती है और कुछ विकसित राष्ट्रों ने 350 और 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेलों के लिए नई टेक्नॉलोजी और नये सिस्टम का आविष्कार किया है। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से यह जनना चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह की तेज ट्रेनें हमारे देश में चलने के लिए किसी किस्म की टेक्नॉलोजी और सिस्टम विकसित करने के बारे में क्या सरकार कुछ कर रही है ?

श्री बंसी लाल : दिल्ली से आगरा और दिल्ली से कानपुर के बीच रेल की रफ्तार को और बढ़ा सकें, ऐसा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं।

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सच है कि एक तिहाई रेल की पटरियां अर्थात् 22,000 किलोमीटर रेल पटरियां पुरानी पड़ चुकी हैं और अधिकांश भाप के इंजन, जिनका उत्पादन काफी अरसे से बन्द कर दिया गया है, वे भी पुराने पड़ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुभवी हैं, महोदय।

श्री बसुदेव आचार्य : अत: क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उनका सभी पुरानी रेल पटरियों और सभी पुराने भाप के इन्जनों को बदलने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है। (**व्यवधान**)

श्री बंसी लाल : महोदय, रेल पटरियों का 10 वर्ष के चरणबद्ध कार्यक्रम में नवीकरण किया जायेगा और भाप के इन्जनों का उपयोग इस शताब्दी के अन्त तक बन्द कर दिया जायेगा।

तेलगु गंगा परियोजना सम्बन्धी आपत्तियां वापस लेने के लिए
कर्नाटक का प्रस्ताव

*785. +**श्री० एच० एन० नन्जे गौडा** :

श्री जी० एस० बसवराजु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी पर बनाई जा रही तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में कर्नाटक ने हाल ही में अपनी आपत्तियों को वापस लेने का प्रस्ताव इस शर्त पर रखा है कि आन्ध्र प्रदेश यह आश्वासन दे कि वह नदी के फालतू पानी के 25 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सौहार्दपूर्ण समझौता होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां, यदि पक्षकार सहमत हों।

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : महोदय, हो सकता है कि कर्नाटक सरकार आपत्तियों को वापस लेने के लिए सहमत हो गई हो क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में इस आशय की खबर छापी थी। मैंने इसलिए यह प्रश्न किया है।

बहरहाल, तेलगू गंगा परियोजना का काम इस दृष्टि से जटिल हो गया है कि इस परियोजना के लिए पानी प्राप्त करने हेतु मद्रास शहर और तमिलनाडु सरकार परियोजना की 60 प्रतिशत लागत वहन करने के लिए सहमत हो गई है। इस परियोजना को जिसके लिए तमिलनाडु सरकार की सहमति हो गई थी 1500 क्यूसेक केचैंनन के द्वारा श्री सेलम परियोजना से केवल 15 टी०एम०सी० फुट पानी लेना था। अब समूची परियोजना का क्षेत्र बदल गया है और यह एक बृहत परियोजना बन गई है। अब इसे 11,500 क्यूसेक पानी ले जाना है। यह स्वाभाविक है कि व्यय की सीमा भी बढ़ाई जायेगी। क्या भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इस बात की पुष्टि की है। कि क्या वह लागत में भी 60 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोत्तरी करेगी अथवा नहीं ? क्या आप इस परियोजना पर विचार करने से पहले उनसे बहस करना आवश्यक नहीं समझते ? मेरा कहना यह है कि परियोजना का क्षेत्र ही बदल गया है, इसका व्यय भी बढ़ाना होगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : हम खेती के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे बात न करें। बस, आप प्रश्न करें।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इस तथ्य की जांच कर ली है कि क्या तमिलनाडु सरकार बढ़े हुए व्यय का अपना हिस्सा दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह पहले ही सुन चुके हैं। यदि यह प्रश्न नहीं उठता है तो वे यह कह सकते हैं कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह इसके लिए बाध्य नहीं हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं इस सदन को यह जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री जब पिछली बार आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक गए तो आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से चर्चा हुई थी। इस विषय पर बंगलौर में भी बातचीत हुई और अब इस बात पर सहमति हुई है कि तीन राज्यों की अधिकारी स्तर की बैठक आयोजित की जानी चाहिए और हमने इस महीने की 28 तारीख को तीनों राज्यों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित, की है। हमने इस बैठक के लिए तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है और हमें आशा है कि हम इस संकट का समाधान निकाल लेंगे।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मेरी यह शंका है कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में शुरू से ही तदर्थ के और दबाव में झुकने की नीति अपनाई है।

मैंने अपनी जानकारी के अनुसार बहुत सोच विचार कर यह बात कही है। स्वाधीनता के बाद हमेशा से ही, जब भी कोई दबाव पड़ा तो वे इसके आगे झुक गए और परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी। अब महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यथावत् न्यायाधिकरण पंचाट में योजना क और योजना ख थीं।

मेरा यह प्रश्न है। विषय यह है। मुझे ये बातें कहनी हैं। तेलगु गंगा परियोजना न तो योजना क में है, न योजन ख में। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत जो परियोजनाएं हैं वे योजना ख के अन्तर्गत आती हैं। भारत सरकार तेलुगु गंगा परियोजना, जो कि इनमें से किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आती पर विचार करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है, जबकि उसने कर्नाटक की उन परियोजनाओं पर विचार नहीं किया है जो योजना ख के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं, उस तर्क के साथ कि······(व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : मद्रास शहर में पेय-जल की समस्या है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या वह कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना ख के अधीन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अब क्यों दोहरा रहे हैं ? आप पहले ही यह पूछ चुके हैं। अब इसे न दोहरायें। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कर्नाटक द्वारा योजना ख के अधीन प्रस्तुत परियोजनाओं को स्वीकृति देंगे और योजना ख के अधीन परियोजनाओं को अधिसूचित भी करेंगे।

श्री बी० शंकरा नन्द : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देता हूं यथावत् न्यायाधिकरण के अन्तिम पंचाट में योजना ख का जिक्र नहीं है। यदि योजना ख को चालू करना है तो एक नदी घाटी प्राधिकरण स्थापित करना होगा। उसके बिना योजना ख शुरू नहीं की जा सकती।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, तीन राज्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण समझौते के पूरा होने तक और यथावत् पंचाट के लागू होने तक क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना पर कोई धनराशि खर्च की गई है और यदि हां, तो कुल कितनी राशि खर्च की गई है। क्या यथावत पंचाट के नियमों के अनुसार इन कार्यों की जांच के लिए कोई पर्यवक्षेक निकाय स्थापित किया गया है ?

मैं मंत्री महोदय से दो उत्तर चाहती हूं···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब वे उत्तर देंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, सच तो यह है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैंने यह पूछा है कि उस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, मैं यही पूछ रही हूं। मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री सरफराज अहमद।

लाला राम स्वरूप टी० बी० अस्पताल, महरौली का कार्यकरण

*786. **श्री सरफराज अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लाला राम स्वरूप टी० बी० अस्पताल, महरौली, जो 1953 में स्थापित किया गया था, धन की कमी के कारण ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है क्योंकि स्थानीय निकायों आदि की भारी राशियां इसकी ओर बकाया हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने और जनता तथा सरकारी कर्मचारियों के सामान्य लाभ के लिए इसकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए इसको कोई विशेष वित्तीय सहायता देने या इसको सरकारी नियंत्रण में लेने का सरकार का विचार है।

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लाला रामस्वरूप क्षय रोग अस्पताल को वित्तीय सहायता वार्षिक रूप से मंजूर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये गये हैं :—

वर्ष	(रुपये लाखों में)
1983-84	14.60
1984-85	16.66
1985-86	19.50

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अस्पताल को अपने अधिकार में लेने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि इस अस्पताल की हालत काफी दयनीय है और फण्ड्स की कमी है। इसलिए अच्छी सर्विसेस देने के लिए सरकार इसको टेक-ओवर क्यों नहीं कर लेती ? लोगों को अच्छी सेवा मिल सके, इसके लिए क्या निकट भविष्य में सरकार इस अस्पताल को टेक-ओवर करने के बारे में विचार करेगी ?

[अनुवाद]

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : हम मुख्य प्रश्न में यह उत्तर दे चुके हैं कि इस संस्थान के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह अस्पताल टी० बी० एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है और इसे हर वर्ष केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होती है। इस अस्पताल को दिल्ली प्रशासन के अधिकार में लेने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर वर्ष 1983 में विचार किया गया था जिसे रद्द कर दिया गया था। हम घाटा पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एक नियन्त्रण बोर्ड बनाया गया है जिसमें भारत सरकार के सदस्य भी हैं। इस समय घाटा प्रतिवर्ष केवल एक लाख रु० है और कुलसंचित घाटा 5 लाख रु० है। हम यह महसूस करते हैं कि टी० बी० एसोसिएशन अस्पताल चला सकती है और इस समय इस अस्पताल को अपने अधिकार में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मध्य रेल, बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियां

*787. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेल, बम्बई में कितनी उपनगरीय रेलगाड़ियां चल रही हैं ; और

(ख) उक्त रेल में इस समय ई० एम० यू० रेकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितनों की मरम्मत की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) मध्य रेलवे पर चल रही उपनगरीय गाड़ियों की संख्या इस प्रकार है :

सप्ताह के दिनों में 913 प्रतिदिन

शनिवार को 871 प्रतिदिन

रविवार को 868 प्रतिदिन

(ख) बिजली गाड़ी रेकों की कुल संख्या 81 है। आवधिक ओवरहालिंग तथा विशेष अथवा शेड मरम्मत के अधीन रेकों की संख्या सामान्यत: 17 है।

श्री एस० जी० घोलप : 913 गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं। फिर भी गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ रहती है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि गाड़ियों में कितने यात्रियों को लाने ले जाने की क्षमता है और वास्तव में इन गाड़ियों से कितने यात्री यात्रा करते हैं और परिवहन में सुधार करने के लिए क्या योजना है।

श्री बंसी लाल : यात्रियों की ठीक संख्या के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता किन्तु इस समय केवल 913 गाड़ियां चल रही हैं। अगले दो वर्षों तक इससे अधिक नहीं चला सकते।

श्री एस० जी० घोलप : इस समय एक रेलगाड़ी में नौ कम्पार्टमेंट अथवा बोगियां होती हैं। एक रेलगाड़ी में 9 बोगियों की बजाय 12 बोगियां होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव की जांच की गई है और क्या सरकार ने उस पर कार्यवाही की है।

श्री बंसी लाल : इस प्रस्ताव की जांच करेंगे किन्तु अभी हमारे पास और बोगियां नहीं हैं।

डा० दत्ता सामन्त : मध्य रेलवे में 970 गाड़ियां हैं और 10 लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं और राज्य भर में लगभग 11 लाख यात्री पश्चिम रेलवे से प्रतिदिन यात्रा करते हैं। लगभग 5-6 लाख यात्रियों को दादर में ट्रेन बदलनी पड़ती है। यात्रियों को सुविधा देने और भीड़ भाड़ कम करने के लिए रेलवे इम्प्रूवमैंट बोर्ड ने दादर को टर्मिनल बनाने तथा वहां से दो गाड़ियां चलाने का सुझाव दिया था। इस पर लगभग 9-10 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और इससे यात्रियों की कठिनाइयां कम होंगी। रेलवे इम्प्रूवमैंट बोर्ड ने पश्चिम और मध्य रेलवे में कुरला और कन्दरा सेक्शनों को जोड़ने का भी सुझाव दिया था। यह सुझाव पांच या दस वर्ष पूर्व दिया गया था। यदि इस सुझाव को क्रियान्वित किया जाय या यदि इस सुझाव पर अमल किया जाए तो इस पर कम लागत आयेगी और इससे रेलवे प्राधिकारियों को सुविधा होगी और उनकी कठिनाइयां भी कम होंगी क्योंकि प्रतिदिन लगभग 22 लाख यात्री दोनों ओर की यात्रा करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं।

श्री बंसी लाल : यह एक सुझाव है और मैं इसकी जांच कराऊंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, आपको बम्बई की ट्रेन में चढ़ना है क्या।

श्री वी० तुलसीराम : बम्बई की ट्रेन में तो नहीं, आन्ध्रा की ट्रेन में चढ़ना है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे में कहां-कहां सबरबन ट्रेन चलायी जा रही हैं और कहां पर अच्छी तरह से सकसेस हो रही है, पर्टिकुलरली हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में क्या ऐसी ट्रेन चलाने की आपकी कोई योजना है। मेहरबानी करके सोचकर बोलिए। बंसी लाल जी, सोचकर बोलिए वरना आप झट से कह देते हैं कि मेरे पास फण्ड नहीं है। राजीव जी ने बड़े चुन-चुनकर इनको रखा है। लेकिन आप झट से कह देते हैं इसलिए जरा सोचकर कहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, आपको नया सवाल करना चाहिए जिससे कि पूरी इत्तिला आपको मिल जाए। इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। इनके पास इन्फार्मेशन नहीं होगी तो आप कह देंगे कि गलत कह दिया है।

श्री बंसी लाल : इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री वी० तुलसीराम : बम्बई से हैदराबाद भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, लेकिन आपको सवाल दोबारा करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

राजनैतिक दलों की बैठकों के आयोजन के लिए रेलवे संस्थानों का उपयोग

*788. **डा० सुधीर राय** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दलों द्वारा बैठकों के आयोजन के लिए रेलवे संस्थानों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या 23 मार्च, 1986 को एक बैठक आयोजित करने के लिए बर्दवान जिला कांग्रेस समिति द्वारा बर्दवान रेलवे संस्थान का उपयोग किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे कामगारों के अनेक संघों को भी, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, यह सुविधा नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक और सामाजिक गतिविधियों के लिये किसी रेल कर्मचारी, रेलवे संगठनों/एशोसिएशनों और बाहरी पार्टियों को रेलवे क्लबों, संस्थानों आदि में परिसर किराये पर देने के लिए महाप्रबन्धक, रेल प्रशासन की स्थानीय जरूरतों और स्थानिक अन्य परिस्थितियों के अनुरूप नियम बनाने में सक्षम हैं। इस सम्बन्ध में स्थानीय रेल प्राधिकारी प्रत्येक मामले के गुण-दोषों को मद्देनजर रखते हुए तद्नुसार निर्णय लेते हैं। तथापि, राजनीतिक प्रयोजनों के लिए रेलवे परिसर किराए पर नहीं दिये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार यह सुविधा सामान्यतया गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों को नहीं दी जाती है।

(घ) स्वस्थ औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए तथा श्रमिकों के बीच कटुता और प्रतिद्वन्द्विता से बचने के लिए तथा इस बात से बचने के लिए कि रेल कर्मचारी यह अर्थ न लगा लें कि रेल प्रशासन ऐसी यूनियनों/एशोसियेशनों को महत्व दे रहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय······

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता।

प्रो० के० के० तिवारी : इस प्रश्न को स्वीकार कैसे कर लिया गया ?······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

डा० सुधीर राय : 23 मार्च को कांग्रेस (आई) समिति की रेलवे इन्स्टीट्यूट में बैठक हुई थी······(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक बहुत ही शोचनीय पूर्वोदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय : यह जो हो। इस प्रश्न पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। आप प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हो और ना ही कोई मामला सचिवालय को भेज सकते हो। इतनी सीधी सी बात है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : ऐसा प्रश्न कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता······आप मुझसे बहस नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, वह अस्वीकार्य है, कोई प्रश्न नहीं···

(व्यवधान) .

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये······

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हम इसे पूर्वोदाहरण मानते हैं और इस···आधार पर भविष्य में। हम मांग करेंगे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं करेंगे। कृपया ऐसा न करें।

प्रो० के० के० तिवारी : यह पूर्वोदाहरण हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : भले ही यह पूर्वोदाहरण है, तो भी मैंने इसे स्वीकृत किया है······

(व्यवधान)

डा० सुधीर राय : मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय ने हमें सदन में सही जानकारी नहीं दी है। सभी समाचार पत्रों······(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हम इसे पूर्वोदाहरण मानते हैं और आप इसमें भेद नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे धमकी न दीजिए। मेरा कहना है कि जो कुछ उनपर लागू होता है, वह आप पर भी लागू होता है।

प्रो० के० के० तिवारी : हम आशा करते हैं कि आप अपने वचन का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदैव अपने वचन का पालन करता हूं। मैं अपने कहे को वापस नहीं लेता। मैं एक चट्टान की तरह अटल रहता हूं। कोई समस्या नहीं।······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सचिवालय के बारे में यहां कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आप इसका हवाला नहीं दे सकते। यह रिकार्ड से बाहर है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष पर है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप हमारी शिकायतों पर भी विचार करें कि सैकड़ों प्रश्न अकारण ही हर रोज अस्वीकार कर दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : और इसे देखेंगे, किन्तु कृपया आप इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसके प्रति मैं बहुत सावधान हूं। हमारी आपके पास पांच शिकायतें हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्वागत है। यही आपका कार्य है। आप इसे कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है।

प्रो० के० के० तिवारी : हमने वह कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : वे बिन ध्यान दिए नहीं रह सकती......

डा० सुधीर राय : महोदय, मंत्री महोदय ने हमें उचित और सही जानकारी नहीं दी है। 23 मार्च को वर्दवान जिला कांग्रेस समिति ने रेलवे इस्टीट्यूट के हाल में बैठक की थी और इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या स्पष्ट रूप से यह आदेश है कि रेलवे इंस्टीट्यूट में राजनीतिक बैठकें नहीं कर सकते।

यह स्टेटसमैन का समाचार है........

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न कीजिए। कोई व्यक्तव्य नहीं दिया जा सकता।

डा० सुधीर राय : मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई स्पष्ट रूप से आदेश है कि राजनीतिक दलों द्वारा रेलवे इंस्टीट्यूट का उपयोग करना वर्जित किया गया हो ?

श्री बंसी लाल : स्थानीय महा प्रबन्धकों द्वारा नियम बनाये जाते हैं। जहां तक इस इंस्टीट्यूट का सम्बन्ध है, तो यह बर्दवान जिला कांग्रेस को नहीं दिया गया था किन्तु इसे दक्षिण दामोदर परिवहन कर्मचारी संस्था को दिया गया था। **(व्यवधान)**

डा० सुधीर राय : कलकत्ता के सभी दैनिक समाचार पत्रों ने इस घटना का समाचार प्रकाशित किया है। **(व्यवधान)**

यह सूचना गलत है।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों में छपा देव वाक्य नहीं होता है। वे भी हमारे मित्र हैं। हमारे भाई हैं। यदि आप चाहें तो आप प्रश्न करिए, उत्तेजित न हों।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

राजस्थान जाने वाली मीटर गेज लाइन की रेलगाड़ियों के डिब्बे बदलना

*791. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान जाने वाली मीटर गेज लाइन रेलगाड़ियों के डिब्बे पुराने हो चुके हैं और "साकेटो" के अभाव में यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(ख) क्या उन्हें बदलने का सरकार का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवारी डिब्बों का बदलाव आयु-एवं हालत के आधार पर किया जाता है। तथापि, बदलाव की गति धन की उपलब्धता और मौजूदा निर्माण क्षमता पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब सुनकर मुझे बहुत अधिक दुःख हुआ। उन्होंने बताया कि डिब्बों की हालत खराब नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे साथ राजस्थान को जाने वाली मीटर गेज पर यात्रा करना पसन्द करेंगे तो आपको डिब्बों की हालत का पता लग सकेगा कि किस प्रकार की स्थिति है, दूसरा मेरा प्रश्न है······

अध्यक्ष महोदय : एक पूछ लीजिए, फिर दुबारा पूछ लेना।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : कोचेज वगैरह बहुत पुराने हैं। क्या मन्त्री जी इसके बारे में ध्यान देंगे और ऐसा कोई सर्वे करायेंगे जिससे सही स्थिति का पता लग सके।

श्री बंसी लाल : राजस्थान में नोर्दन और वेस्टर्न रेलवे आपरेट करती हैं। वेस्टर्न रेलवे के मीटर गेज के दो हजार बहत्तर कोच हैं······

श्री गिरधारी लाल व्यास : सब खराब हैं······

अध्यक्ष महोदय : बन्द करवा दें, क्योंकि नये आयेंगे नहीं, इसलिए बन्द करवा सकते हैं।

श्री बंसी लाल : जिसमें से दो सौ इक्यासी ओवर ऐज हैं। नोर्दर्न रेलवे के आठ सौ तीस कोच हैं जिसमें से 87 ओवर ऐज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ओवर ऐज की प्रतिशत करीब 11 प्रतिशत है। इसलिए हम 146 डिब्बे मीटर गेज के बनाने वाले हैं और उसमें से राजस्थान को भी समुचित हिस्सा मिलेगा।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। आपकी जो ट्रेन्स जाती हैं, मैं खासतौर से चेतक एक्सप्रेस के बारे में निवेदन करना चाहती हूं जो गुलाबी नगरी जयपुर, ख्वाजा जी की नगरी अजमेर, शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़ गढ़ तथा झीलों की नगरी उदयपुर को जोड़ती है, इसमें इतने ट्यूरिस्ट्स जाते हैं, परन्तु ए० सी० कोच आपने हटा लिया है। क्या पर्यटकों को सुविधा देने की दृष्टि से आप उस गाड़ी में ए० सी० स्लीपर लगाने पर विचार करेंगे।

श्री बंसी लाल : ए० सी० स्लीपर लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीन अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक दिन मैं दिल्ली से अजमेर जा रहा था तो मैं जिस डिब्बे में बैठा था, उस बोगी में आग लग गई क्योंकि वह बोगी बहुत पुरानी थी। उसमें एक नहीं, सारी की सारी बोगियां पुरानी और आउट-डेटिड हो चुकी हैं। क्या मंत्री जी चाहते हैं कि हम पार्लियामैंट के सदस्य इन बोगियों में सफर करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं, खत्म हो जाएं। क्या आप इनको रिप्लेस नहीं करायेंगे। वही स्थिति अजमेर से चित्तौड़ और खण्डवा तक जाने वाली गाड़ी की थी और उसके भी सब के सब डिब्बे पुराने और आउट-डेटिड हैं। किसी भी दिन उसमें एक्सीडेंट हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल तो कीजिए कुछ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा था क्योंकि अभी मंत्री जी ने कहा कि हम राजस्थान को पूरा परसेंटेज देंगे लेकिन आज तक इन्होंने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करना चाहते हैं या बन्द करूं आपको।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इतना ही नहीं, हमें कोई नई रेल लाइन नहीं दी और न वहां कोई जोन अब तक स्थापित किया, जिसका निर्णय इन्होंने बहुत पहले ले लिया था कि राजस्थान में रेलवे का जोन कायम किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है कि आपका सवाल कोई नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा सवाल यह है कि राजस्थान की विभिन्न गाड़ियों में जितने डिब्बे हैं, उनको आप कब तक बदलवा देंगे।

श्री बंसी लाल : जैसे जैसे डिब्बे बनते जाएंगे और हमारे पास साधन उपलब्ध होते जायेंगे, हम डिब्बे बदलते जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यास जी जब मैमोयर्स लिखेंगे तो उसमें यह भी लिखेंगे···**(व्यवधान)**··· पहले नहीं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का मीटर गेज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। मीटर गेज लाइनों पर जितनी गाड़ियां चलती हैं उन सब के डिब्बों की हालत बहुत खराब है, आप बता दीजिए कि कौन सा डिब्बा ऐसा है जो ओवर-ऐज नहीं हो गया है। सब की हालत खराब है, एक भी डिब्बा तो ठीक नहीं है। रानकपुर से अहमदाबाद जाने वाले सारे पैसेन्जर्स, गाड़ियां कम होने की वजह से, छतों पर बैठकर सफर करते हैं। इस ओर भी मंत्री जी का कोई ध्यान नहीं गया है। इसकी वजह से यात्रियों को भारी असुविधा और कष्ट होता है। डिब्बे इतने जर्जर और खस्ता हालत में हैं कि यदि उनको हाथ लगायें तो कील लग जाने या कपड़े फट जाने की संभावना बनी रहती है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सवाल करने की बात कर रहे थे।

श्री मूल चन्द डागा : क्या आप बतायेंगे कि राजस्थान के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों है।

श्री बंसी लाल : महोदय, जैसा मैंने पहले बताया, वेस्टर्न रेलवे में सिर्फ 281 डिब्बे तथा नौर्दर्न रेलवे में सिर्फ 87 डिब्बे ऐसे हैं जो ओवर-ऐज हो चुके हैं। उनको हम धीरे-धीरे बदल देंगे और मीटर गेज की तरफ हमारा पूरा ध्यान है।

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमन्, पूरा ध्यान कह देने से काम नहीं होगा।

[अनुवाद]

निर्यात और घरेलू प्रयोग के लिए औषधीय जड़ी-बूटियों सम्बन्धी अनुसंधान और विकास

*793 + डा० टी० कल्पना देवी :

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी कंपनी "मितसुबिशी" द्वारा मधुमेह निरोधी जड़ी-बूटियों का विदोहन किए जाने पर रोक लगाए जाने तथा उस पर नियन्त्रण किए जाने के बारे में दिए गए सुझावों की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि रक्त-चाप रोधी जड़ी-बूटी रावलाफिया सर्पटिना को भी स्विटरजरलैंड ले जाया गया था; और

(ग) क्या सरकार का औषधीय जड़ी-बूटियों सम्बन्धी अनुसंधान और विकास कार्य को तेज करने और निर्यात तथा स्थानीय रूप से प्रयोग करने के लिए इनका पूरा इस्तेमाल करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार ने मधुमेह रोधी गुणों वाली जड़ी-बूटी में एक जापानी फर्म की दिलचस्पी के बारे में एक प्रेस रिपोर्ट भेजी है।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आयात और निर्यात नीति अप्रैल, 1985-मार्च, 1588 खण्ड-2-निर्यात लाइसेंसिग की अनुसूची-1 के अनुसार सर्प गंधा (रौवाल्फिया सर्पेनटीना) एक ऐसा पदार्थ है, जिसके निर्यात की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सातवीं पंच वर्षीय योजनाविधि के दौरान औषधियों की मांग, उत्पादन और सप्लाई और जड़ी-बूटियों का उत्पादन एकत्रीकरण और उनका संरक्षण आदि के सम्बन्ध में कार्य-कलापों का तालमेल करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की मदद से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक कक्ष खोलने का विचार है। सातवीं योजनाविधि में इस प्रयोजन के लिए 20 लाख रुपए की रकम अलग से रखी है। नई योजनाओं अर्थात औषधीय पादपों का विकास के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि अनुमोदित की गयी है। चालू वर्ष में उपर्युक्त प्रत्येक योजना के लिए क्रमशः 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसंधान किया जा रहा है और यह परिषद औषधीय तथा सुगंधित पादपों में सुधार लाने ने लिए चौथी पंचवर्षीय योजना से एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चल रही है। छठी योजना के दौरान इस परियोजना में 9 केन्द्रों पर कार्य करना शुरू किया था जिनमें से दो केन्द्रीय संस्थान अर्थात् नेशनल ब्यूरो आफ प्लान्ट जेनेटिक

रिसोरसेज नई दिल्ली और इन्डियन इस्टीट्यूट आफ हार्लटीकल्चर रिसर्च, बंगलौर है, इनमें से शेष केन्द्र विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में किए जा रहे कार्य इसबगोल सेन्ना ओपियम पौपी, पाइरेथ्रम, राउलंपिया फाक्सग्लोब, लिकराइस और पेरीविन्कल नामक आठ औषधिय पादपों और चार सुगन्धित पादपों (जेरेनियम, पाल्मारोसा आयल ग्रास, वेटिवर और पचौली) की विभिन्न कृषि-जलवायु सम्बन्धी स्थितियों के लिए उपयुक्त बेहतर किस्म के पादपों का उत्पादन और पैकेज प्रैक्टिसिस विकास करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हैनवेन असगंध, अनीस, बेसिल आदि पर कृषि वानस्पतिक और रसायन मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन भी किए जा रहे हैं तथा गुग्गल, पीली पोस्त, लेवेन्डर, रोजमेरियम, वलारियम, आदि जैसी औषधियों को जेनेटिक स्टाक का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। इसी प्रकार टिशू कल्चर के जरिए माइक्रो प्रोपेगेशन पर भी कार्य किया जा रहा है। छठी योजना के दौरान 54,00 लाख रुपए खर्च किए गए जबकि सातवीं योजना के दौरान एक चल रही प्लान स्कीम के रूप में इस पर 80,00 लाख रुपए खर्च किए जायेंगे।

वैज्ञानिक एवं औद्योकिक अनुसंधान परिषद से मिली सूचना के अनुसार अनेक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं ने औषधीय और सुगन्धित पादपों के एग्रो-टेक्नालॉजिकल विकास और बढ़ोतरी तथा उनकी लाभकारी खेती करने और उनके सक्रीय तत्वों को अलग करने या निकालने के लिए काफी योगदान किया है। पेरीविन्कल, अम्मी माजस, एट्रोपा, सोलाबम कॉस्टस नामक अनेक पादपों की खेती बाड़ी करने के लिए उपयुक्त कृषि प्रोद्योगिकी का विकास किया गया हैं और उनसे महत्वपूर्ण रासायनिक स्थिरांक अलग किए गए हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रोयोगशालाओं विशेषकर उत्तर पूर्वी और जम्मू व कश्मीर के खेतों में सुगन्धित पादपों की खेती बाड़ी तथा इन पादपों की नई किस्मों के विकास और उनसे पेपावर, रोसा डैमासीना आदि जैसे उत्पाद तैयार करने का कार्य भी किया है। सी० आई० एम० ए० पी०, लखनऊ में जावा सिटरोनेल्ला और लेमन ग्रास में उत्पत्ति मूलक सुधार करने सम्बन्धी कार्य चल रहा है।

प्राकृतिक रूप से पार जाने वाले योगों की संरचना का पता लगाने के लिए आवश्यक तेलों का विश्लेषण करने हेतु विभिन्न वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिपद प्रयोगशालाओं में गैस करोमेटोग्राफ, एन० एम० आर० जैसी विशेष परीक्षण और विश्लेषण सुविधायें उपलब्ध है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं द्वारा किसानों को उनके खेतों का पर्यवेक्षण करने पादप सामग्री की सप्लाई करने, खेती करने और उनकी फसलों को लगाने सम्बन्धी कार्य में मदद करने के लिए विस्तार सेवायें भी प्रदान की जाती है। आर० आर० एल० जोरहाट विशेषकर उत्तर पूर्व क्षेत्र के जनजातीय वर्गों के लिए औषधीय और सुगन्धित पादपों की खेती और उनके आसवन सम्बन्धी अलाकालिक प्रशिक्षण कोर्स भी चलाती हैं।

डा० टी० कल्पना देवी : यह जड़ी-बूटी जो कि जापानी औद्योगिक संगठन 'मितसुबिशी, द्वारा एकत्रित की गई है, सिद्धान्ततः क्रियाशील पाई गई है जो मधुमेह के किशोर रोगियों और इन्सुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों के उपचार के लिए गुणकारी है। यह जड़ी-बूटी आन्ध्र प्रदेश,

तमिलनाडू, केरल और कर्नाटक के पर्वतीय वनों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से उच्च औषधीय महत्व की विभिन्न जड़ी-बूटीयों और वनस्पतियों, जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और जिनकी विदेशों को तस्करी किए जाने पर पाबंदी है, की उपलब्धि के स्थानों की खोज करने के लिए एक अनुसंधान और कार्यवाही स्कंध की स्थापना करेगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, प्रेस रिपोर्ट में बताई गई जिम्नेमा सिलवेस्ट्रे अथवा हिन्दी में गुरूमार के नाम से जानी जाने वाली विशेष औषधीय जड़ी-बूटी।

प्रो० मधु दण्डवते : यह जड़ी बूटी है अथवा किसी पशु का नाम है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : निर्यात नियंत्रक सूची में शामिल नहीं है, और न ही हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वह उन जड़ी-बूटियों में से भी नहीं हैं जिन पर विभिन्न आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान किया जा रहा है हालांकि आयुर्वेदिक विभाग ने बताया है कि इस जड़ी-बूटी विशेष का कुछ औषधियां तैयार करने में आंशिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की राय में यह मधुमेह के लिए बहुत लाभदायक औषधि नहीं है। यह पसन्द की औषधि नहीं है और यह उन आयुर्वेदिक अथवा औषधीय जड़ी बूटियों की सूची में नहीं है जिन पर अब वे अनुसंधान कर रहे हैं। अतः यह प्रश्न बिल्कुल अभी असामयिक है। यह रिपोर्ट एक डॉक्टर के वक्तव्य पर आधारित है जिसने स्वयं अपने प्रयोग किए हैं। जहां तक हमारे पास प्रमाणिक रिपोर्टों में उपलब्ध है, इस औषधि का विदेश के लोगों द्वारा विदोहन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यहां तक कि इस औषधी की अभी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई है।

डा० टी० कल्पना देवी : यह वक्तव्य एक वरिष्ठ डॉक्टर द्वारा दिया गया है......

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है कि यह एक डॉक्टर की रिपोर्ट है।

डा० टी० कल्पना देवी : महोदय, वे यह कैसे कह सकते है कि यह एक असामयिक रिपोर्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है कि यह एक डॉक्टर की रिपोर्ट है।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। यदि कोई उचित अनुसंधान किया ही नहीं गया है तो चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसकी क्षमता किस प्रकार आंक सकती है ? मंत्री महोदय को कम से कम यह आश्वासन देना चाहिए कि इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस पर स्वयं अनुसंधान करेगी और इसकी जांच करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो वे पहले ही कह चुके हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उन्होंने कहा है कि यह अनुसंधान-सूची में नहीं है और यह निर्यात-सूची में नहीं है। इससे कोई बात सिद्ध नहीं होती। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि इसके

औषधीय महत्व की जांच की जाएगी और यदि उपयोगी पाया गया, तो इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, इसे प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में रख दिया जाएगा। हम यह आश्वासन चाहते है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विभिन्न वनस्पतियों पर अनुसंधान किया है जिनमें यह भी शामिल है। किन्तु इसमें कतिपय विषाक्ता आदि होने के करण उन्होंने इस जड़ी-बूटी पर आगे और अनुसंधान नहीं किया। तथापि इस तरह के कार्य के सम्बन्ध में हमेशा पुनरीक्षा जारी रहती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक क्रिया विधि के द्वारा किसी भी नए अनुसंधान के निष्कर्षों का पता लगाती है वह इस सम्बन्ध में अग्रणी रहती है और अग्रेतर अनुसंधान करती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जैसे ही यह आवश्यक समझेगी डाक्टर के इस अनुसंधान के निष्कर्ष पर भी कार्यवाही कर सकती है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : एक सेरपेसिल नाम की औषधि है जिसे भारतीय बाजार में बेचा जा रहा है। मैं यह जानना चाहाता हूं कि क्या विभाग ने इसके बेचने की अनुमति वापस ले ली है अथवा इसे अनुपयोगी घोषित कर दिया है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं इस प्रश्न का तुरन्त उतर नहीं दे सकता।

फिल्म निर्माताओं को बाल-अपराध से निरुत्साहित करने के लिए मार्ग निर्देश

*795. +**श्री हुसैन दलवाई** :

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म उद्योग को फिल्म बनाते समय फिल्मों में नैतिकता बनाये रखने के बारे में कोई मार्ग निर्देश जारी करने का है, ताकि इनसे युवाओं को अपराध करने के लिए प्रोत्साहन न मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सार्वजमिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त फिल्मों पर रोक लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के वास्ते केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दी गई विद्यमान मार्गदर्शी रूपरेखायें आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि जो फिल्में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त पाई जाती हैं, उन्हें प्रमाणन देने से इन्कार किया जाता है।

श्री हुसैन दलवाई : प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री ने यह बताया है कि सेंसर बोर्ड को कुछ मार्ग निर्देश देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही तो स्पष्ट किया है।

श्री हुसैन दलवाई : परन्तु यहां इससे इन्कार किया गया है। अत: यह उत्तर असंगत है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत में जो समूची आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं वे फिल्मों की वजह से हैं जोकि बाल अपराध को प्रोत्साहन दे रही हैं और इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सेंसर बोर्ड उस ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जैसी कि हम आशा करते हैं। इसीलिए भारत में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी यह बताया था कि मौजूदा फिल्म प्रमाणीकरण नियम पर्याप्त रूप से विस्तृत है। इसलिए निश्चित मार्ग निर्देश कोई नहीं हैं। जैसाकि मैंने कहा मार्ग निर्देश केवल प्रदर्शन के मामले में हैं, जैसा कि मैंने स्वीकार किया है कभी-कभी प्रमाणीकरण और प्रदर्शन के बीच परस्पर फर्क होता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ऐसी कुछ फिल्में हैं; और समय-समय पर यदि हमें यह पता चलता है कि वे बाल अपराध को बढ़ावा दे रही हैं तो उनके सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगी कि हमारी दो श्रेणियां 'ए' और 'यू' हैं जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि वह वयस्कों के लिए है और वयस्यों के लिए नहीं सामान्य वर्ग के लिए है। खोसला समिति जिसने इस पर हाल ही में विचार किया था, ने एक सिफारिश की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है इसके अनुसार कुछ ऐसी फिल्में हैं जो पूर्णत: 'ए' अथवा पूर्णत: 'यू' नहीं हैं। अत: एक अलग श्रेणी 'यू ए' बनाई गई है जिसमें यह निर्णय अभिभावकों को पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने बच्चों को ऐसी फिल्में दिखायें अथवा नहीं। मैं यह महसूस करती हूं कि कभी-कभी इस नियम का उल्लंघन किया जाता है। परन्तु एक श्रेणी ऐसी बनाई गई है जिसमें यह निर्णय अभिभावकों पर छोड़ दिया गया है कि वे ऐसी फिल्में अपने बच्चों को देखने दें अथवा नहीं। एक अन्य श्रेणी 'एस' है जो केवल विशेषज्ञों और डाक्टरों के लिए है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि इन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे गैर-जमानती संज्ञेय अपराध माना जाता है और इसके लिए तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान हैं, यदि यह अपराध लगातार किया जाता है तो उस अवधि में जब यह फिल्म दिखाई जाती है जुर्माने को बढ़ाकर प्रति दिन 20,000 रु० कर दिया जाता है। ऐसा प्रावधान है किन्तु जुर्माना राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।

श्री हुसैन दलवाई : सेंसर बोर्ड के सदस्य नियुक्त करते समय क्या इसके लिए कोई मार्ग निर्देश अथवा योग्यताएं निर्धारित हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड के अधिकांश सदस्य जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं क्या उन्हें इन सब बातों की जानकारी रखना अपेक्षित नहीं है ? क्या सरकार इस दिशा में कोई मार्गनिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सेंसर बोर्ड के सलाहकार सदस्यों का पैनल बनाते समय सरकार शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित यथासंभव समस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों को शामिल करती है परन्तु व्यक्तिगत विचार भी तो अलग-अलग स्थानों, व्यक्तियों और समूहों के भिन्न

होते हैं। अत: एक व्यक्ति अथवा समूह जो किसी फिल्म को 'ए' वर्ग में रखना चाहता है तो दूसरे व्यक्ति का विचार उससे भिन्न हो सकता है। अत: सरकार भविष्य में इन बोर्डों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि सर्वाधिक मतैक्य सामने आयें और इन विभिन्न सेंसर बोर्ड के सदस्यों के मध्य अधिक तालमेल हो सके और वे किसी निष्कार्ष पर पहुंच सकें कि क्या ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप सेंसर बोर्ड में केवल अधिक आयु के लोगों को शामिल करते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या महिला मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूं कि वे फिल्मों के विज्ञापन वाले समाचार पत्रों के पृष्ठों को रोज पढ़ती होंगी। आप इन्हें कभी-कभार देखते होंगे। इनमें कई पृष्ठ मुख्यत: हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों के बारे में होते हैं और मैं नहीं जानता कि इन विज्ञापनों पर सेंसर का किसी किस्म का नियन्त्रण अथवा निरीक्षण कायम है। इनमें से कई तो बिल्कुल ही नग्न और भौंडे होते हैं। वे इनमें प्रदर्शित नग्नता अथवा भौंडेपन के आधार पर ही दर्शकों को इन फिल्मों को देखने के लिए आकर्षित करते हैं। इनके मार्ग निर्देशों के अनुसार किसके प्रदर्शन की अनुमति दी जाए और किसकी नहीं इसके बीच बहुत ही कम फर्क होता है। इन विज्ञापनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। समाचार पत्रों में रोज प्रकाशित ये विज्ञापन बड़े ही भौंडे और भद्दे होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : विज्ञापन में जो कुछ दिया जाता है वह फिल्म में नहीं होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोग इन विज्ञापनों को देखकर फिल्मों को देखने जाते हैं लेकिन वे निराश होकर लौटते हैं।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मुझे दु:ख है कि मैं विज्ञापनों के मामले में विशेषज्ञ नहीं बना हूं। कठिनाई यह है कि प्रमाणीकरण के नियम फिल्मों को तो लागू होते हैं किन्तु ये न तो जमाखोरियों को लागू होते हैं और न ही विज्ञापनों या पोस्टरों आदि के लिए बहरहाल, इन विज्ञापनों को नियन्त्रित करना या इन्हें वश में करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के भीतर है जिसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से सहमत हूं कि वे कभी-कभी उस रूप में नहीं होते जैसाकि उन्हें होना चाहिए अथवा ठीक-ठीक उन्हें जैसा नहीं होना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे प्राय: अश्लील साहित्य पर आधारित होते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वे आधारित नहीं होते। वे अश्लील साहित्य में शामिल किये जाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका अनुभव गहन है ······

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही कठिनाई है। हम इसे राज्य सरकारों की जानकारी में लाते रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, चाहे कोई दृश्य-विशेष फिल्म में हो या न हो, इसे निश्चित रूप से विज्ञापन में शामिल किया जाता है। इन बातों पर राज्य सरकारों द्वारा ही नियन्त्रण

स्थापित किया जा सकता है। इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ किये जाने की बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने के लिए हम प्रेस से अपील क्यों नहीं कर सकते ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : निश्चित रूप से; हम एक संकल्प पारित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम अपील कर सकते हैं, किन्तु वे इसे अस्वीकार भी तो कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली, भारत की राजधानी में स्थिति क्या है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं जिनमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं। वैधानिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार का दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई बात स्पष्ट रूप से इतनी बुरी है कि यह किसी अन्य राज्य से भी बुरी स्थिति में है, तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच कर सकते हैं।

श्री के० एस० राव : फिल्में देखने वाले केवल शहरी लोग ही नहीं होते बल्कि गांवों के लोग भी होते हैं। क्या मन्त्रालय ने ग्रामीण लोगों के विचारों को भी ध्यान में रखा है और फिल्म सेंसर बोर्ड में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। जैसाकि हम जानते हैं, भारतीय परम्पराओं का पालन शहरों से अधिक गांवों में ही किया जाता है। विभिन्न फिल्म सेंसर बोर्डों में ग्रामीण लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं समझती हूं कि यह एक प्रासंगिक बात है और मैं बाद में इसका उत्तर दूंगी किन्तु जब हम सदस्यों का स्थानापन्न करते हैं अथवा उन्हें बदलते हैं तो इस पर विचार किया जायेगा। किन्तु एक बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूं, वह यह है कि नकारात्मक उपादानों के अतिरिक्त हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की है क्योंकि हमने पाया है कि फिल्म उद्योग अधिकांशत: गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। निगम पर्याप्त अच्छी फिल्में विशेष रूप से बच्चों की फिल्में और इस श्रेणी से सम्बन्धित फिल्में बनाने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रह है, यही वह दिशा है जिस ओर केन्द्रीय सरकार इन फिल्मों को वित्त प्रदान कर रही है ताकि अच्छी कोटि की फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाये जिसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : जो फिल्में दिखाई जा रही हैं वे अश्लीलता और अशिष्टता से भरी होती हैं और इन फिल्मों से न केवल किशोर अपराध को बल्कि वयस्क अपराध को भी प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है और इन फिल्मों के निर्माण के विरुद्ध आवाज उठायी जाती रही है। हर जगह जनता के कड़े विरोध को देखते हुए कि फिल्मों में अशिष्टता बढ़ती जा रही है, क्या केन्द्रीय सरकार, संस्कृति और शिक्षा मन्त्रालय कोई नया मार्ग निर्देश जारी करने पर विचार कर रहे हैं ताकि अच्छी फिल्मों का निर्माण किया जाये और वे जनता की रुचि के विरुद्ध न हों।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : ये सब लोग ऐसा ही सिनेमा देखना चाहते हैं, लेकिन यहां सब ऐसा ही बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी, आपको अन्दर की बात कैसे पता लगी ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : स्पष्टतः वे अपने बारे में सोच रहे थे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : इनके साथ ये भी गये थे इण्डियन फिल्म फेस्टिवल में।

अध्यक्ष महोदय : कुछ तो एक्सेप्शन कर देना चाहिये।

श्री बाल कवि बैरागी : जिस देश में तुलसी की यह हालत हो, उस देश में औरों की क्या हालत होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह आज के तुलसी हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों को अपना निशाना राज्य सरकारों को बनाना चाहिए और उन्हें राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर देना चाहिए कि यह जनता की मांग है और मार्ग निर्देशों में जो बातें कहीं गई हैं, उन्हें उसी स्तर पर कड़ाई से और सही ढंग से लागू किया जाये। जन भावना की कद्र की जानी चाहिये। इसके साथ ही, इसे मार्ग निर्देशों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकारें वास्तव में इस पर ध्यान रखती है कि आर्थिक दंड दिया जाता है और मार्ग निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वायुदूत सेवा का विस्तार

* 782. **श्री बनवारी लाल बैरवा** :

श्री मोहनभाई पटेल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां तक वर्ष 1985-86 के दौरान वायुदूत सेवा का विस्तार किया गया है; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान किन-किन स्थानों तक वायुदूत सेवाएं बढ़ाये जाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) वर्ष 1985-86 में जिन स्टेशनों पर वायुदूत सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उन्हें दर्शाने वालो सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ख) वर्ष 1 86-87 के दौरान जिन स्टेशनों को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़े जाने का विचार है, उन्हें दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण I

अप्रैल, 1985 से मार्च, 1986 में जोड़े गए स्टेशन

1.	हैदराबाद	6-4-1985
2.	तिरुपति	6-4-1985
3.	कुडपा	6-4-1985
4.	राजमुन्दरी	6-4-1985
5.	वारंगल	15-10-1985
6.	लीलाबाड़ी	25-11-1985
7.	डिबरूगढ़ (रिस्टार्टेड)	23-12-1985
8.	जैरो	23-12-1985
9.	पासीघाट	23-12-1985
10.	पटना (रिस्ट्राटेडं)	26-11-1985
11.	बंगलौर	6-4-1985
12.	मैसूर	8-4-1985
13.	बेल्लारी	25-11-1985
14.	इन्दौर	2-8-1985
15.	गुना	11-11-1985
16.	ग्वालियर	11-11-1985
17.	पुणे	2-9-985
18.	जयपुर	11-5-1985
19	जोधपुर	11-5-1985
20.	कोटा	11-5-1985
21.	बीकानेर	11-5-1985
22.	जैसलमेर	2-12-1985
23.	कानपुर	1-6-1985
24.	आगरा	19-12-1985
25.	विशाखापट्टनम्	15-10-1985
26.	एजबल	5-12-1985
27.	हिसार	13-2-1986

विवरण II

वर्ष 1986-87 में वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित नए स्टेशनों की सूची

उत्तरी क्षेत्र	दक्षिण क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
1. पठानकोट	1. मंगलौर	1. गया	1. दमन
2 जम्मू	2. कालीकट	2. पूर्णिया	2. दीव
3. पुंच्छ	3. मद्रास	3. गोपालपुर	3. अहमदाबाद
4. राजौरी	4. तूतीकोरिन	4. जंपोर	4. कोल्हापुर
5. किस्तवार	5. रायपूर	5. अगरतल्ला	5. सोलापुर
6. भटिंडा	6. हुबली	6. कैलाशहर	6. जलगांव
7. पटियाला	7. तन्जाउर	7. दपारिजो	7. द्वारिका
8. भोपाल	8. चैतीनाद	8. अलोंग	8. अकोला
9. जलंधर	9. तिरुनेलवली	9. कमालपुर	9. चन्द्रापुर
10. अजमेर		10. भिलाई	
11. आबूरोड		11. झारसुगुडा	
12. शिमला			
13, फैजाबाद			
14. जगदलपुर			
15. बिलासपुर			

एयर बसों के लिए मार्ग का अध्ययन

***789. श्री मुरलीधर माने :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया के लिए कितनी एयर बसें ली गई हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन अतिरिक्त विमानों के लिए कोई मार्ग अध्ययन शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीलाल) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान एयर इंडिया कुल 541·90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 ए 310-300 एयरबस विमान प्राप्त करेगी जिसमें भारतीय मुद्रा में 52·80 करोड़ रुपये का व्यय भी सम्मिलित है।

(ख) और (ग) : इन विमानों को खरीदने का निर्णय लेने से पहले एयर इण्डिया ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें संभावित यातायात, उन मार्गों की साध्यता जिन पर ये प्रचालित किए जायेंगे, विमानों को सेवा में लेने तथा पुराने बोइंग-707 विमानों को सेवा से हटाने के कारणों का उल्लेख किया गया था।

परियोजना रिपोर्ट में एयर इंडिया द्वारा दिए गए आंकड़ों/जानकारियों के आधार पर सरकार ने ये विमान प्राप्त करने का अनुमोदन दिया था।

कुष्ठ रोगियों का बहु-औषधीय उपचार

***790. कुमारी पुष्पा देवी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में कुष्ठ रोगियों के लिए बहु-औषधीय उपचार शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपचार प्रणाली वर्ष 1986-87 से शुरू की जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी हां। बहु-औषध उपचार विधि 15 जिलों में पहले ही चल रही है। वर्ष 1986-87 के दौरान 20 और जिलों को बहु-औषध उपचार विधि के अन्तर्गत लाया जाना है। सम्पूर्ण देश को विभिन्न चरणों में कवर किया जाएगा।

(ग) इस बारे में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(1) जिलों का चयन कर लिया गया है।

(2) अपेक्षित आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए कार्यवाही की गयी है।

(3) सर्वेक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेज कर दिया गया है।

(4) औषधियों की खरीद की व्यवस्था की गयी है।

विद्यालयों में छात्रों और अध्यापकों का अनुपात

*792. **श्री वी॰ एस. विजयराघवन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे विद्यालयों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं, जहां छात्रों की तुलना में अध्यापकों का अनुपात बहुत कम है, और जहां पुस्तकालय और खेलकूद की सुविधाओं का अभाव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या दीर्घावधि कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए चुनिन्दा शैक्षणिक सांख्यिकी 1983-84 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अध्यापक छात्र अनुपात का अखिल भारतीय औसत 1 : 41 तथा मिडिल स्तर पर 1 : 35 है। इससे पूर्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित चौथे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण ने 30 सितम्बर, 1978 को संदर्भ तारीख के रूप में लेकर प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर अध्यापक-छात्र अनुपात के सम्बन्ध आंकड़े एकत्रित किये। इसके अनुसार, प्राइमरी स्तर पर 39 : 7 प्रतिशत सेक्शनों में अनुपात 1 : 40 से अधिक था। मिडिल स्तर पर 31.5 प्रतिशत सेक्शन का शिक्षक छात्र अनुपात 1 : 35 से अधिक था। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर 15·4 प्रतिशत स्कूलों तथा मिडिल स्तर पर 65 प्रतिशत स्कूलों में खेल सामग्री की सुविधाएं थीं। प्राथमिक स्तर पर 29·5 प्रतिशत स्कूलों तथा मिडिल स्तर पर 74·5 प्रतिशत स्कूलों में अपने-अपने पुस्तकालय थे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा अगले माह तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है। नीति तैयार किए जाने के संदर्भ में विचाराधीन विषयों में सभी स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था, पुस्तकालय तथा खेल सुविधाओं का प्रबन्ध करना शामिल है।

रेल मंत्रालय और अहमदपुर-कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड के बीच हुआ करार

*794. **श्री गदाधर साहा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और "अहमदपुर-कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड" के बीच हुए करार में उल्लिखित शर्तें और उपबंध क्या हैं,

(ख) कितने समय के अन्तराल के पश्चात करार को समाप्त करने/पुनरीक्षा करने के विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है,

(ग) अहमदपुर-कटवा रेलवे कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लेने के लिए क्या आधार है, और

(घ) क्या इस रेल लाइन के निर्धारित तारीख को या इससे पहले राष्ट्रीयकरण के लिए विकल्प का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) करार की प्रति (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रख दी गई है [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2569/86**]

(ख) करार में हर 10 वर्ष के अन्तराल पर सामान्य खरीद का निर्धारण इस तरह की खरीद के लिए 12 महीने पहले नोटिस देकर करने की व्यवस्था है। विकल्प देने की अगली तारीख 31-3-88 है जिसका अग्रिम नोटिस 31-3-87 को देना होगा, बशर्ते कि इस लाइन का अधिग्रहण करने का विनिश्चय किया जाये।

(ग) जनहित में राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

(घ) जी नहीं, इस लाइन की खरीद के लिए विकल्प देने की आगामी तारीख 31-3-88 है जिसके लिए 31-3-87 को नोटिस देना होगा अर्थात् अब से लगभग 11 महीने बाद। सभी संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद निर्णय लिया जाएगा। तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस लाइन का भारतीय रेलों द्वारा 1-7-67 से पहले ही संचालन किया जा रहा है।

औषधीय खुराक तरीकों के चयन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिशा निर्देश

*796. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औषधीय खुराक तरीकों के चयन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि खुराक तरीकों में अनुमति देते समय ऐसे दिशा निर्देशों की अवहेलना की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

औषधीय खुराक तरीकों के चयन के लिए दिशा निर्देश

मॉडल सूची में शामिल औषधियों की खुराक के तरीकों तथा शक्तियों के चयन का प्रयोजन उन देशों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो अपनी औषध सूचियों में योगों की संख्या को मानवीकृत

अथवा न्यूनतम करना चाहते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, औषधीय तरीके उनकी सामान्य उपयोगिता तथा उनकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक उपलब्धता के आधार पर चुने जाते हैं। अनेक बार, विशेषकर ठोस खुराक तरीकों के सम्बन्ध में योगों को चुनने का विकल्प दिया जाता है। सामान्यत: गोलियों पर कैपसूलों की अपेक्षा कम खर्च आता है लेकिन जहां कीमत को ध्यान में रखा जाना चाहिए वहां यह चयन भेषज बलगति की जैव-उपलब्धता, एम्बीयन्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अधीन स्थायित्व अनुद्रव्यों की उपलब्धता, तथा स्थापित स्थानीय पसन्द पर भी आधारित होना चाहिए।

कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए एसीटिलसैलिसिलिक एसिड तथा पैरासिटामोल के संबंध में खुराक शक्तियों की एक रेंज उपलब्ध की जाती है जिनमें से स्थानीय उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त शक्ति चुन ली जानी चाहिए। जब निश्चित खुराक देना अनिवार्य नहीं होता, तो कुछ मामलों में बच्चों को सुविधाजनक तरीके से खुराक देने के लिए यदि आवश्यक होता है तो खुराक को और अधिक लचीला बनाने के सरल तरीके के रूप में स्कोर्ड गोलियों के इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। विशिष्ट बात चिकित्सा खुराकें तथा योग सूची में तभी शामिल किए जाते हैं जब विशेष परिस्थितियां निर्दिष्ट की गई हों। अधिकांश मामलों में खुराक चुनिंदा लवण अथवा ईस्टर के रूप में निर्धारित की जाती है, लेकिन अन्य मामलों में उदाहरण के लिए क्लोरोक्वीन को लें, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार यह सक्रिय मोइटी के रूप में निर्धारित की जाती है।

(अनिवार्य औषधियों की विश्व स्वास्थ्य संगठन की माडल सूची (चौथा संशोधन) तकनीकी रिपोर्ट सीरीज सं० 1985 का 722)

कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग करने वाली विदेशी विमान कम्पनियां

*797. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं, जो इस समय कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग करती हैं;

(ख) क्या किसी अन्य विदेशी विमान कम्पनी ने कलकत्ता हवाई अड्डे का उपयोग करने का इरादा प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) एयरोफ्लोट, थाई एयरवेज, बंगलादेश विमान, रायल नेपाल एयरलाइन्स, ड्रुक एयर (भूटान) और बर्मा एयरवेज इस समय कलकत्ता विमान क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं।

(ख) केवल बालकन (बलगारियन एयरलाइन) लॉट (पोलिश एयरलाइन) और सिंगापुर एयरलाइन्स ने ही परिचालनों के लिए कलकत्ता को स्वीकार किया है। परन्तु इन एयरलाइनों ने

अभी कलकत्ता से होकर अपने परिचालन आरम्भ नहीं किये हैं।

(ग) सरकार उनके इरादों का स्वागत करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

*798. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में खेल-कूद के विजेताओं को नकद इनाम देने की योजना शुरू करके खेल-कूद को बढ़ावा देने का निर्णय किया है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या यह योजना देश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जाएगी ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) (क) जी, हाँ।

(ख) भारत के संविधान के अन्तर्गत खेल राज्य का विषय है। तदनुसार, खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यत: जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों सहित स्कूलों में खेलों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता देने को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में पुरस्कार राशि के जरिए स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर की है। योजना जिस पर कार्यान्वियन के लिए कार्यवाही की जा रही है, उनमें अलग-अलग से लड़के और लड़कियों के लिए एथलेटिक्स, हाकी, फुटवाल, बास्केटबाल और बालीवाल और फुटबाल जहां टूर्नामेंट केवल लड़कों के लिए होंगे, में होने वाले जिला स्तरीय टूर्नामेंटों में प्रत्येक विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्कूल को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने की परिकल्पना की गई है। स्कूलों को दिए गए नकद पुरस्कार की राशि स्कूल प्राधिकारियों द्वारा, वर्तमान खेल मैदानों में सुधार अथवा नए खेल मैदानों के निर्माण खेल उपकरणों आदि की खरीद करके स्कूलों में खेल कार्यकलापों को सीधे तौर पर बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। योजना ऐसे स्कूल जिन्हें ऐसे ग्रामीण स्कूलों से सहज ही अधिक लाभ है, की कुछ श्रेणियों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल कर, ग्रामीण स्कूलों को उपयुक्त अवसर प्रदान करती है और यह देश के सभी जिलों पर लागू है।

छोटे और मध्यम दर्जे के शिपयार्डों का सर्वेक्षण

*799. **श्री के. राममूर्ति :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किये गये देश में छोटे और मध्यम दर्जे के लगभग 55 शिपयार्डों के गहन सर्वेक्षणों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या भारतीय शिपयार्डों को वर्ष 1983 में मत्स्य-ग्रहण पोतों के लिए दिये गए 82 क्रयादेशों में से केवल 6 क्रयादेश ही निष्पादित होने बाकी हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सरकार द्वारा किए गए गहन सर्वेक्षण की मुख्य बातें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 1983-84 के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के निर्माण के लिए भारतीय शिपयार्डों को कोई प्रभावी आर्डर नहीं दिए गए थे, यद्यपि मछली पकड़ने के देशी जहाज खरीदने के लिए कृषि मंत्रालय की जांच समिति द्वारा 8 मामलों में स्वीकृति दे दी गई थी।

विवरण

सरकार द्वारा 1983 में परामर्शियों के माध्यम से कराए गए देश के छोटे और मंझोले शिपयार्डों के गहन सर्वेक्षण की उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं :

(i) देश में छोटे, मंझोले और बड़े आकार के लगभग 60 शिपयार्ड हैं। उपयुक्त 60 में से 12 छोटे यार्ड हैं जो केवल मरम्मत कार्य करने वाले शिपयार्ड हैं। बहुत बड़े और मझोले आकार के 7 सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड है और लगभग 30 छोटे शिपयार्ड निजी क्षेत्र में हैं जिनके पास विभिन्न प्रकार के छोटे नदी जहाजों, पतन जहाजों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज बनाने के लिए अपेक्षित क्षमता है। शेष शिपयार्ड वास्तव में छोटे बोट निर्माता हैं जिनके पास अन्य प्रकार के जहाज बनाने के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं अथवा पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।

(ii) सभी शिपयार्डों को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और वर्गीकृत किया जाए, तदनुसार उन्हें निर्माण की अनुमति प्रदान की जाए।

(iii) लागत और डिलीवरी की दृष्टि से किफायती निर्माण के लिए स्वीकृत डिजाइनों पर जहाजों का मानकीकरण किया जाए।

(iv) केन्द्रीय प्राधिकरण स्टील आवश्यकताओं की जांच करे और स्टाक यार्डों के माध्यम से आपूर्ति का प्रबन्ध करें।

(v) केंद्रीय प्राधिकरण मशीनरी और उपस्करों के अनुषंगी निर्माताओं को भी पंजीकृत करे और उन पर नियन्त्रण रखे ताकि उपस्करों की समय पर डिलीवरी और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो तथा अनावश्यक खर्च न हो और कोई विवाद न हो।

(vi) आयात को उदार बनाया जाए (जब तक कि देशी अनुषंगी उद्योग विकसित न हो जाएं) प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा सिंगल प्वाइंट स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जाए।

(vii) शिपयार्डों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करना कि उसे नियमित रूप से आर्डर दिए जाते रहें।

(viii) आगामी दस वर्षों के लिए भावी वास्तविक मांग का अनुमान लगाया जाए और तटीय, अन्तर्देशीय और रिवर सर्विसिज के लिए जल परिवहन को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएं। ऐसी योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन से नियमित आर्डर मिलना सुनिश्चित होगा।

(ix) फ्लेटिंग क्राफ्ट उद्योग को विशेष दर्जा दिया जाए और उसे रियायती दर पर ऋण दिए जाएं और करों में रियायत दी जाए।

(x) मानक संविदाएं तैयार की जायें जिनका सभी सरकारी एजेंसियों और पत्तन प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाए।

(xi) छोटे शिपयार्डों को आधुनिक बनाने के लिए विकासात्मक सहायता दी जाए।

(xii) प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

पुन: पैक करने वाले एककों द्वारा औषधियों की गुणवत्ता जांच

*800. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के पुन: पैक करने वाले प्रत्येक एकक के लिए औषध लाइसेंस लेना आवश्यक है;

(ख) क्या औषधियों को पुन: पैक करने वाले प्रत्येक एकक के लिए यह अनिवार्य है कि वह औषधियों को बड़े पैंकिग से छोटे यूनिटों में पुन: पैक करने से पहले उनकी जांच करे;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे अधिकांश एककों में जांच प्रयोगशालायें नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो पुन: पैक करने वाले एकक औषधियों की अपेक्षित गुणवत्ता किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पुन: पैक करने वाले एककों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उनकी अपनी जांच प्रयोगशालाएं हों।

(घ) वे अपने उत्पादों की जांच राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा लेखकों को स्वामित्व का भुगतान

*801. **डा० डी० एन० रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तकनीकी संसाधनों के भारतीय अध्यापकों को पाठ्य-

पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रकाशित तकनीकी पुस्तकों का विषयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में लेखकों को देय 15 प्रतिशत स्वामित्व का भुगतान एक वर्ष तक भी नहीं किया गया है, क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो मुद्रकों/प्रकाशकों और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के बारे में जांच कर रहा है, और

(ग) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास लेखकों के बीच समझौते/करार के अनुसार दो तिहाई स्वामित्व का भुगतान केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी होने से पूर्व ही पुस्तक के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात कर दिया जाना चाहिए क्योंकि जांच में लेखक अन्तर्ग्रस्त नहीं है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उचित मूल्यों पर स्वीकार्य स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना संचालित करता रहा है। इस योजना में तकनीकी पुस्तकें भी शामिल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान प्रकाशित तकनीकी पुस्तकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। तीन मामलों में सी०बी०आई० जांच के कारण रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) जांच करने वाले निकाय के अन्तिम निष्कर्षों का प्रभाव लेखक को देय रॉयल्टी की मात्रा पर पड़ सकता है, जिससे भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है।

विवरण

सामान्य सहायता योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों को दर्शाने वाला विवरण

अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985

क्रम सं०	शीर्षक और लेखक	प्रकाशक
	इंजीनियरी	
1.	पी० एस० ग्रोवर कृत प्रोग्रामिंग एण्ड कम्प्यूटरिंग विद फ़ोरटन IV	एलाईड प्रकाशक
2.	एस० पी० शर्मा एण्ड सी० मोहन कृत फ्युल्स एण्ड कम्बुस्टन	टाटा मैकग्राव हिल
3.	एम० मुखोपाध्याय कृत मैट्रिक्स फाईनाइट इलिमेंट: कम्प्यूटर एण्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस	आक्सफोर्ड एण्ड आई० बी० एच० प्रकाशन क०
4.	एम० एल० कपूर कृत केमिकल एण्ड मेटेलुरजिकल थरमोडायनामिक्स खंड-1	नेमचन्द एण्ड ब्रदर्स
5.	एम० एल० कपूर कृत केमिकल एण्ड मेटेलुजिकल थरमोडायनामिक्स खंड-2	नेमचन्द एण्ड ब्रदर्स

1	2	3
6.	एस० एल० शारदा कृत प्रोग्रामिंग इन बेसिक	पीताम्बर प्रकाशन कं०
7.	आर० घोष एण्ड एस० बी० सेन शर्मा कृत सरफेस वाटर रिसोर्सेज डवलपमैंट एण्ड डर्मस आफ इण्डिया	अनिल्ड-हेनिमैन
8.	एन० एस० काम्बू कृत मैथमैटिकल प्रोग्रामिंग टैक्निक्स	एफिलेटेड इस्ट वेस्ट प्रैस प्रा०लि
9.	एम० एन० शास्त्री कृत इन्ट्रोडक्शन टू न्यूक्लीयर साईंस	एफिलेटेड इस्ट-वेस्ट प्रेस प्रा०लि
10.	एन० के० मेहता कृत मशीन टूल डिजाइन	टाटा मेकग्रोव हिल प्र० क०
11.	एन० के० जैन और एम० एन० के० राव कृत फोरट्रान प्रोग्रामिंग	नेमचन्द एण्ड ब्रदर्स
12.	एस० पी० सुखात्मा कृत सोलर एनर्जी प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मल कोलेक्सन एण्ड सटोरेज	टाटा मेकग्राव हिल प्र० क०
13.	एन० एल० शारदा कृत कोबेल प्रोग्रामिंग विद विजनेस एपलिकेशन	पीताम्बर प्रकाशन क०
14.	बी० एल० पोरवाल, एन० के० गर्ग और के० सी० जैन कृत भारत में लोक उपक्रम (हिन्दी)	त्रिवेणी प्रकाशन
15.	के० एल० कुमार कृत इंजीनियरिंग फ्लूड मेकनिक्स	यूरेनिक्स प्रकाशन क०
16.	एम० वी० देशपाण्डे कृत इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम डिजाइन	टाटा मैकग्रोव हिल प्र० क०
17.	ए० के० घटक एण्ड एस० लोकनाथन कृत क्वान्टम मेकानिक्स थियोरी एंड एप्लीकेशंस	मैकमिलन इंडिया
18.	आर० पी० जैन कृत मार्डन डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स	टाटा मैकग्रोव हिल
19.	एस० आई० एडसन कृत माईक्रोप्रोसेसर एण्ड एप्लीकेशंन इन प्रोसेस कन्ट्रोल	टाटा मैकग्रोव हिल प्र० क०
20.	दीपन घोष और जी० वासवराज कृत मेकानिक्स एण्ड थरमोडायनमिक्स	टाटा मैकग्रोव हिल प्र० क०
21.	जे० सी० कूरियाकोस और जे० राजारमन कृत केमिस्ट्री इन इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी खण्ड-II	टाटा मैकग्रोव हिल प्र० क०
22.	सुबिरकर कृत ऐन इन्ट्रोडक्सन टू फ्लोडिक्स	आक्सफोर्ड एण्ड आई० बी० एच० प्रकाशन क०
23.	एस० रामाभद्रन कृत इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स मेयरमेन्टस एण्ड इनस्ट्रुमेन्टस	खन्ना प्रकाशक

1	2	3
24.	सी० पी० चुग कृत मैनुअल आफ ड्रिलिंग टेक्नोलोजी	ओक्सोनियन प्रैस प्रा० लि०
25.	एल० पी० श्रीनाथ, एम०आर० राघवन, के० लिनगहिया जी० गरगेशा, बी० पन्त और के० रामचन्द कृत एक्सपैरिमैन्टल सट्रैस एनेलिसिस	टाटा मैकग्राव-हिल प्रा० निगम
26.	बी० करुनीस कृत रूडिमेन्टस आफ मैकेनिक्स	ओक्सफोर्ड आई० बी० एच० प्राक० निगम
27.	एन० एल० सारदा कृत प्रोग्रामिंग इन पेसकल	पीताम्बर प्रकाशन क०
28.	के० सुब्रामनिया कृत इंजीनियरिंग हाइड्रोलोजी	टाटा मैकग्राव-हिल प्रकाशन कम्पनी
29.	जे० सी० कुरियाकोसी और जे० राजारमन कृत कैमस्ट्री इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी खंड-1	टाटा मैकग्रा-हिल
30.	शरदकान्त कृत ए० प्रैक्टीकल एप्रोच टू कोबल प्रोग्रामिंग	विलेय इस्टंन लि०
31.	रविन्द्रकुमार कृत फन्डामैन्टलस आफ हिस्टोरिकल जियोलोजी एण्ड स्टाटीग्राफी आफ इण्डिया	विलेय इस्टंन लि०
32.	टी० एस० के० वी० अय्यर कृत सरकिट थियोरी	टाटा मैकग्रा-हिल प्र० क०
33.	आई. जे. नागरथ और पी० कोठारी कृत इलैक्ट्रिक मशीन	टाटा मैकग्राव हिल प्रकाशन कम्पनी
34.	एम० सी० शाह, सी० एच० काले और एस० वाई० पातकी कृत बिल्डिंग ड्राइंग	टाटा मैकग्रा-हिल प्रकाशन कम्पनी
35.	एच० एस० राय आर० श्रीधर और के० पी० एब्राहम कृत एक्सट्रैक्शन आफ नान-फियरस मैटलस	एफिलियेटिड ईस्ट वेस्ट प्रा०लि०
36.	आर० एस० हेम और एस० पी० पुरी कृत मैकेनिक्स	टाटा मैकग्राव-हिल प्र० क०
37.	एच० एम० रघुनाथ कृत हाईड्रोलोजी	विलेय इस्टंन लि०
38.	आर० के० भास्कर राव कृत मोडंन पैट्रोलियम रिफाईनिंग प्रोसिस	ओक्सफोर्ड और आई० बी० एच० प्रकाशन कम्पनी
39.	एस० एन० बनर्जी कृत एन इन्ट्रोडक्शन टू साइंस आफ कोरोसिपन एण्ड इटस इनहैविटेशन	ओक्सोनियन प्रैस प्रा० लि०

क्रम सं०	शीर्षक और लेखक	प्रकाशक
	औषध	
1.	आर० के० मिश्रा कृत दि लिविंग स्टेट	विल्ले ईस्टर्न लि०
2.	वाई० एम० मेंडे और एस० जी० देवघरे कृत जनरल पैथालाजी	पापुलर प्रकाशन
3.	राजामल पी० देवदास और उन० जया कृत ए टेस्टबुक ऑफ चाइल्ड डवलपमेंन्ट	मैकमिलन इंडिया
	विज्ञान	
1.	ए० के० घटक और के० थयागाराजन कृत कन्टम्पोरेरी आप्टिक्स	मैकमिलन इंडिया
2.	ए० के० घटक और के० थयागाराजन कृत लैसर्स थियोरी एंड इट्स एप्लीकेशन्स	—वही—
3.	जे० सी० पाल कृत ए कोर्स आफ मैकेनिक्स	विकास पब्लिशिंग हाउस
4.	एस० सी० मलिक कृत मैथेमेटिकल अनालिसिस	विल्ले ईस्टर्न लि०
5.	एस० एम० पाटिल कृत एलीमेंट्स आफ माडर्न फिजिक्स	टाटा मैग्रा-हिल पब्लिशिंग कम्पनी
6.	वी० एन० नायक कृत टैक्सोनोमी आभ एन्गिओ सपर्म्स	मैकमिलन इंडिया
7.	एस० गंगोपाध्याय कृत क्लीनिकल प्लान्ट पैथोलोजी	कल्याणी पब्लिशर्स
8.	फूलनप्रसाद और रेणुका रविन्द्रन कृत पार्शल डिफ्रेन्शियल इक्वेशन्स	बिल्ले ईस्टर्न लि०
9.	एन० एस० गोपालाकृष्णन कृत कम्युटेटिव अज्जेबरा	ओक्सोनियन प्रैस प्रा० लि०
10.	के० एल० कपूर कृत ए टैक्स्टबुक आफ फिजिकल कैमिस्ट्री वाल्यूम-III	मैकमिलन इण्डिया
11.	सी० वी० एस० राजपूत और आर० श्रीहरिबेदी कृत साइट्रीकल्चर	कल्याणी पब्लिशर्स
12.	ओ० एस० निज्जर कृत न्यूट्रिशन आफ फ्रूट ट्रीज	कल्याणी पब्लिशर्स
13.	के० के० नन्दा और वी० के० कोच्चर कृत वैजिटेटिव प्रोपेगेशन आफ प्लान्ट्स	कल्याणी पब्लिशर्स

1	2	3
14.	आर० के० बन्सल कृत ए टैक्स्टबुक आफ आर्गनिक कैमिस्ट्री	विल्ले ईस्टर्न
15.	ए० एस० नेगी और ए० सी० आनन्द कृत ए टैक्स्ट बुक आफ फिजिकल कैमिस्ट्री	विल्ले ईस्टर्न

अप्रैल 1985 से मार्च 1986

क्र० सं०	शीर्षक और लेखक	प्रकाशक
	इंजीनियरी	
1.	सी० एस० पिचामुथु कृत आर्कियन जिओलोजी	आक्सफोर्ड एण्ड आई० बी० एच० पब्लिशिंग कं०
2.	एन० एन० विश्वास कृत फोर्ट्रान IV कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग	एफिलिएटिड ईस्ट-वैस्ट प्रैस प्रा० लि०
3.	ए० घोष और अशोककुमार मलिक कृत मन्युफैक्चरिंग साईन्स	—वही—
4.	वी० के० थन्कम्पन कृत क्वान्टम मैकेनिक्स	विल्ले ईस्टर्न लि०
5.	जे० एन० कपूर कृत मैथेमेटिकल माडल्स इन बायलाजी एण्ड मेडिसिन	एफिलिएटिड ईस्ट-वैस्ट प्रैस प्रा० लि०
6.	बी० वी० एन० मूर्ति कृत लैंड एण्ड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग	कल्याणी पब्लिशर्स
7.	एम० एन० फारूकी और एस० एन० मस्कारा कृत बेसिक इलेक्ट्रानिक्स	आक्सफोर्ड एण्ड आई० बी०एच० पब्लिशिंग कम्पनी
8.	के० बी० रैना, के० सी० सिंगल और वाई० के आनन्द कृत ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आफ इलैक्ट्रीकल पावर	टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कम्पनी
9.	एल० एस० श्रीनाथ कृत कन्सेप्ट्स इन रिलाइबिलिटी इंजीनियरिंग	एफीलिएटिड ईस्ट-वैस्ट प्रैस
10.	बी० सी० नाकरा और के० के० चौधरी कृत इन्स्ट्रुमेन्टेशन मेजरमेंट एण्ड अनालिसिस	टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कं०
11.	एस० एम० मुकर्जी और एस० पी० सिंह कृत रिएक्शन मैकेनिज्म इन आर्गनिक कैमिस्ट्री	मैकमिलन इंडिया लि०
12.	एस० पी० ब्रह्मा कृत फाउन्डेशन इंजीनियरिंग	टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कं०

1	2	3
13.	एस० के० गुप्ता कृत लिनियर प्रोग्रामिंग एण्ड नेटवर्क माडल्स	एफिलिएटिड ईस्ट-वैस्ट प्रैस प्रा० लि०
14.	पी० एल० कोहली कृत ओटोमेटिक बेसिस एण्ड वाडी	पेपीरस पब्लिशिंग हाऊस
15.	ई० वी० कृष्णामूर्ति और एस० के० सेन कृत न्यूमेरीकल एलगोरीथिम्स सम्प्यूटेशन्स इन साइंस एंड इन्जीनियरिंग	एफिलिएटिड ईस्ट-वेस्ट प्रैस प्रा० लि०
16.	एम० एन० मिश्रा कृत ए टेक्सटबुक आफ रेफरीजरेशन एंड एयर कन्डीशनिंग इंजीनियरिंग	विकास पब्लिशिंग हाऊस
17.	के० एल० कुमार कृत इन्जीनियरिंग मैकेनिक्स	टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कं०
18.	के० सुब्रामण्या कृत फ्लो इन ओपन चैनल्स	—वही—
19.	मोहिन्द्रसिंह कृत इन इन्ट्रोडक्शन टू डिजिटस इलेक्ट्रानिक्स	कल्याणी पब्लिशर्स
20.	एम० ए० वजेद मिहा कृत फन्डामेन्टल्स आफ इलैक्ट्रोमैगमेटिक्स	टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कं०
21.	के० वी० बशलानी कृत इरीगेशन प्रेक्टिक्स एंड डिजाईन खण्ड-II	आक्सफोर्ड एंड आई० बी० एच० पब्लिशिंग कम्पनी
	औषध	
1.	सी० के० पारेख कृत टेक्स्ट बुक आफ मेडिकल ज्युरिसपुडेंस एण्ड आक्सीकोलॉजी	मैडिकल प्रकाशन
2.	कारविता बी० अहलुवालिया कृत जेनेटिक्स	विल्ले इस्टर्न लिमिटेड
	विज्ञान	
1	एच० डी० कुमार कृत अलगल सेल बायोलॉजी	एफिलिएटेड इस्टर्न-वेस्ट प्रैस प्रा० लि०
2.	आर० एस० सिंह कृत डिजीजिस आफ वेजिटेबल क्राप्स	आक्सफोर्ड एंड आई० बी० एच० प्रकाशन कम्पनी
3.	सी० ए० गोपालाकृष्णनन और जी० एम० एम० लाल कृत लाइवस्टाक एण्ड पोलट्री इंटरप्राइजेज फॉर रूरल डवलपमेंट	विकास प्रकाशन हाऊस
4.	एम० एन० मजुमदार कृत टेक्स्ट बुक ऑफ वरटेब्रेट एम्ब्रोयोलॉजी	टाटा मैग्रा-हिल प्रकाशन कम्पनी

क० सं०	शीर्षक तथा लेखक	प्रकाशक
5.	आर० नागाभूषण और आर० सरोजनी कृत इनवरटेब्रेटे इब्रयोलॉजी	आक्सफोर्ड एंड आई० बी०एच० प्रकाशन कम्पनी
6.	बी० कृष्णामूर्ति कृत काम्पीनेटरीज	एफिलिएटिड ईस्ट-वैस्ट प्रैस प्रा० लि०
7.	एम०एस० श्रीरामुल्लु कृत केमस्ट्री ऑफ इन्सेक्टीसाइड्स एंड फंगीसाइड्	आक्सफोर्ड एंड आई० बी०एच० प्रकाशन कम्पनी
8.	अनंत राय कृत मेथड्स इन सेल कल्चर एण्ड बीरोलॉजी	एलीड प्रकाशक
9.	के० एल० कपूर कृत ए० टेक्स्ट बुक आफ फिज़िकल कैमेस्ट्री वालयूम-IV	मैकमिलन इण्डिया लि०
10.	आर० एस० गंभीर, एम० एस० दुर्गापाल और दीपक बनर्जी कृत प्रारम्भिक भौतिकी वाल्यूम-II	टाटा मेग्रा-हिल प्रकाशन कंमनी
11.	आर० एस० गंभीर, एम० एस० दुर्गापाल और दीपक बनर्जी कृत प्रारंभिक भौतिकी वाल्यूम-I	—वही—
12.	महेशचन्द, दुर्गापाल और दीपक बनर्जी कृत प्रारंभिक भौतिकी वाल्यूम-III	—वही—
13.	एस० एम० मुखर्जी, एस० पी० सिंह और आर० पी० कपूर कृत आरगेनिक कैमेस्टी वाल्यूम-I	बिल्ले इस्टर्न लिमिटेड
14.	एस० एम० मुखर्जी, एस० पी० सिंह और आर० पी० कपूर कृत आरगेनिक केमेस्ट्री वाल्यूम-II	—वही—
15.	एन० गिरी कृत ऐनालिसेस आफ वेरियन्स	साऊथ एशियन प्रकाशन
16.	एन० एस० सुब्बा रॉव कृत स्वाइल माइक्रो-आरगेनिज्म एण्ड प्लांट ग्रोथ	आक्सफोर्ड एंड आई० बी० एच० प्रकाशन कंपनी

ओखला रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर उपरि अथवा निचला पुल

*802. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क सुरक्षा समूह (1972) द्वारा उपरि/निचले पुलों के निर्माण सम्बन्धी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ओखला रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर एक ऐसा पुल बनाया जाना है, और

(ख) यदि हां, तो यह पुल कब तक बनाया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) ओखला रेलवे स्टेशन के निकट समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण रेलवे द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रेल/सड़क यातायात के आधार पर अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह कार्य रेलों तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा लागत में हिस्सेदारी के आधार पर संयुक्त रूप से किया जाना है। निर्माण कार्य में चार-पांच वर्ष लग जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एक व्यापक "बाल सुरक्षा विधान" बनाने का प्रस्ताव

7445. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित कम विकसित देशों में बचपन में लगी चोट को बच्चे की मौत और रुग्णता का कारण नहीं माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक " बाल सुरक्षा विधान" बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार बच्चों को अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों पर आधारित कार्यक्रमों की निसबत अन्य क्या कदम उठाने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) से (ग) सरकार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के डा० दिनेश मोहन द्वारा तैयार की गई "चाइल्डहुड इन्जरीज इन इंडिया" सम्बन्धी रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि कम विकसित देशों में बचपन में लगी चोटों को अभी तक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नहीं समझा गया है। एक "व्यापक बाल सुरक्षा कानून" तैयार करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। बच्चों को बचपन के रोगों से बचाने के लिए एक विशाल रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता को रोकने के लिए विटामिन "ए" की सप्लाई करना शामिल है।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों की कालाबाजारी

7446. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन रक्षक औषधियों की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों का विनियमन औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश (डी० पी० सी० ओ०) 1979 द्वारा किया जाता है, जिसका प्रवर्तन उद्योग मंत्रालय के अधीन रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय को जीवन रक्षक औषधियों की कालाबाजारी के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट)

7447. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) की स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कब स्वीकृति प्रदान की थी ;

(ग) क्या उक्त पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) ने कार्य शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जल प्रबन्ध बोर्डों की स्थापना

7448. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रयोग के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक राज्यों में जल प्रबन्ध बोर्ड स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे बोर्ड स्थापित किए हैं और इन बोर्डों को किस किस्म का काम सौंपा गया है ; और

(ग) क्या शेष राज्यों को भी इसी प्रकार के बोर्ड गठित करने के लिए कहा जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) किसी भी राज्य सरकार ने जल प्रबन्ध बोर्डों की स्थापना की सूचना नहीं दी है। तथापि, प्रचालकों और लाभार्थियों दोनों को, बेहतर जल प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने तथा सिंचाई परियोजनाओं के कार्य निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से दस राज्यों नामश: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जल तथा भूमि प्रबन्ध संस्थानों की स्थापना की गई है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के आदरा डिवीजन में सिग्नलों के प्रचालन हेतु अप्रचलित घोषित किये गये ट्रेडलों का प्रयोग

7449. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रेडलों का काम न करने का यह अभिप्राय है कि किसी रेलगाड़ी के गुजरने के बाद सिग्नल स्वत: लाल वाली स्थिति में नहीं आयेगा;

(ख) क्या भारी यातायात वाली मुख्य रेलवे लाइनों पर ट्रेडलों के प्रयोग को बहुत पहले ही अप्रचलित घोषित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे की आदरा डिवीजन की प्रमुख लाइनों में ट्रेडलों को अभी भी प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस अप्रचलित प्रणाली को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) इसे जारी रखा गया है क्योंकि यह संतोषजनक पाया गया है।

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों की पद्धति से उपचार को लोकप्रिय बनाने के उपाय

7450. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों से उपचार की प्रणाली दिन प्रति दिन लोकप्रिय होती जा रही है और यह सस्ती भी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रणालियों को देश में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोक प्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : इस मन्त्रालय ने भारतीय

चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की लोकप्रियता तथा इन पद्धतियों के उपचार के खर्च का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। वैसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के लिए 18 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस राशि को बढ़ाकर 30 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

इस समय देश भर में आयुर्वेद के 95 कालेज 1452 अस्पताल तथा 11,100 औषधालय तथा होम्योपैथी के 12 कालेज, 2,163 औषधालय तथा 121 अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा चिकित्सा की अन्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी ने उपर्युक्त पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का एक-एक चिकित्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किया है। राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथिक औषधालय भी चलाए जा रहे हैं। अन्य परिषदों के साथ-साथ आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के लिए अलग-अलग अनुसंधान परिषदें 1978 में स्थापित की गई थीं।

केन्द्रीय भारतीय परिषद् तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् क्रमश: आयुर्वेद तथा होम्योपैथी की शिक्षा तथा प्रैक्टिस के मानकों का विनियमित करती है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता आयुर्वेद तथा होम्योपैथी की उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।

औषधियों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में 2 फार्मुलेरीज तथा होम्योपैथिक फार्मोकोपिया के 4 वाल्यूम निकाले गए हैं। आयुर्वेद की एकल औषधियों की फार्माकोपियो को जिसमें 80 औषधियां हैं, अन्तिम रूप दे दिया गया है।

होम्योपैथिक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मानक निर्धारित करने के लिए गाजियाबाद में भेषज प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, आयुर्वेद के 9 स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना की गई।

बागनान स्टेशन (हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन) में पान के पत्तों की टोकरियों की बुकिंग

7451. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेल के हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन में बागनान स्टेशन पर पान के पत्तों की टोकरियों की बुकिंग की वर्तमान प्रणाली क्या है; और

(ख) इसमें सुधार करने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) पान के पत्तों की टोकरियों को उन

गाड़ियों के पहुंचने से लगभग 30 से 45 मिनट पहले लाना होता है जिनमें उनका लदान किया जाना है। बागनान पर बुकिंग के किए प्राप्त होने वाली पान की टोकरियों की संख्या के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। बागनान स्टेशन पर बुकिंग के लिए औसतन 70 से 75 क्विंटल पान के पत्तों का यातायात प्राप्त हो रहा है और बिना किसी कठिनाई के उसकी निकासी की जा रही है। अत: इस प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पारादीप पत्तन पर चढ़ाया-उतारा गया माल

7452. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान पृथक-पृथक पारादीप पत्तन पर कितने टन माल चढ़ाया-उतारा गया;

(ख) 1985-86 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में पारादीप पत्तन पर कुल कितने टन माल चढ़ाया-उतारा गया; और

(ग) चढ़ाये-उतारे गये माल का ब्योरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) परादीप पोर्ट में 1983-84 और 1984-85 में क्रमश: 1.59 मिलियन टन और 2.14 मिलियन टन ट्रैफिक हैंडल किया गया।

(ख) परादीप पोर्ट में 1985-86 में 3.79 मिलियन टन लक्ष्य की तुलना में 3.33 मिलियन टन ट्रैफिक किया गया।

(ग) परादीप पोर्ट में 1983-86 की अवधि में हैंडल किए गए कार्गो का अलग-अलग ब्योरा नीचे दिया गया है :—

000" टन

कार्गो की किस्म	1983-84	1984-85	1985-86
लौह अयस्क	929	1607	1868
अन्य अयस्क	98	236	166
कोयला	40	147	906
उर्वरक	47	37	135
मिश्रित कार्गो	472	110	256

ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर यात्री तथा माल सेवाओं में प्रगति

7453. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था के विकास पर 31 दिसम्बर, 1985 तक कुल कितना व्यय किया गया; और

(ख) ब्रह्मपुत्र नदी पर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में गंगा नदी पर यात्री तथा माल सेवाओं में क्या प्रगति हुई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानन उद्योग के विकास के लिए धनराशि निर्धारित करना

7454. **श्री हरिहर सोरन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में विमानन उद्योग के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) विमानन उद्योग की प्रगति के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 में विमानन उद्योग की प्रगति के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) नागर विमानन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए वार्षिक योजनागत परिव्यय 295·00 करोड़ रुपये है।

(ख) अभी हाल में विमानन उद्योग के विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :

(i) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के दुर्गम इलाकों और ऐसे इलाकों को जहां इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचालन नहीं किया जाता है, और जो व्यापार तथा वाणिज्य अथवा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जोड़ने के लिए तीसरी एयरलाइन, वायुदूत की स्थापना।

(ii) तेल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और दुर्गम तथा कठिन इलाकों को जोड़ने तथा अंत:शहर यातायात की व्यवस्था करने और पर्यटन चार्टरों का प्रचालन करने के लिए भारतीय हैलीकाप्टर निगम की स्थापना;

(iii) कंप्यूटर सुविधाओं में वृद्धि करना;

(iv) नए स्टेशनों को जोड़ना तथा अधिक उन्नत और श्रेष्ठ विमानों द्वारा विद्यमान विमानों का प्रतिस्थापन।

(v) विमान दिक्चालन तथा संचार सुविधाओं में सुधार और उनका उन्नयन।

(vi) हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना।

(ग) देश में विमानन उद्योग के विकास के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान किए जाने वाले मुख्य उपाय निम्न प्रकार हैं :

(i) अन्तर्देशीय विमान क्षेत्रों तथा सिविल एन्कलेवों के प्रबन्ध के लिये राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण की स्थापना।

(ii) देश में पायलेटों के प्रशिक्षण के लिये इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना।

(iii) अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा पट्टे पर विमानों को लिया जाना।

(iv) एयर इण्डिया द्वारा अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिये छ: एयरबस विमानों की प्राप्ति।

(v) वायुदूत वर्ष के दौरान पांच डोर्नियर विमान प्राप्त करेगी। उसकी वर्ष के दौरान 14 नये स्टेशनों को भी जोड़ने की योजनाएं हैं।

(vi) भारतीय हैलीकाप्टर निगम भी 19 हैलीकाप्टर प्राप्त करेगा और 1986 के अन्त तक अपनी उड़ान प्रचालनों को शुरू कर लेगा।

(vii) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली स्थित नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर चरण-I, बम्बई स्थित नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर चरण-II आदि को कार्यान्वित करेगा और अन्य निर्माण कार्यों के अलावा, बम्बई में नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल कम्प्लेक्स चरण-III, बम्बई में टनेल ज्वाइनिंग टर्मिनल चरण-II, कलकत्ता में नये अन्तर्देशीय टर्मिनल परिसर तथा मद्रास में नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर के निर्माण की नई परियोजनाएं शुरू की हैं।

आन्ध्र प्रदेश में वायुदूत सेवा

7455. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद-कुद्दपाह, हैदराबाद-चितूर, हैदराबाद-मदानापैले के बीच वायुदूत सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) कुडप्पा और हैदराबाद के बीच वायुदूत सेवाएं अस्थाई तौर पर रोक दी गई हैं क्योंकि कुडप्पा में धावनपथ की मरम्मत की जा रही है। चितूर और मदनपैले को विमान सेवा से जोड़ने की वायुदूत की कोई योजना नहीं है।

पुर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक संस्थानों की वित्तीय सहायता

7456. **श्री पराग चालिहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-84, 1983-84 और 1984-85 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सांस्कृतिक संस्थानों और/

अथवा संगठनों को वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और असम में ऐसे संस्थानों/संगठनों को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ?

शिक्षा और संस्कृतिक विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	असम
1982-83	9,18,800/-रु०	4,04,050/-रु०
1983-84	8,15,250/-रु०	3,45,250/-रु०
1984-85	9,40,053.50/-रु०	3,28,553,50/-रु०

पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तनों का योजना परिव्यय और व्यय

7457. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्रमशः बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तनों का कुल योजना परिव्यय क्या है और उन पर कितना व्यय हुआ है; और

(ख) इन योजना अवधियों के दौरान इन पत्तनों पर कुल कितने टन सामान की ढुलाई और लदान हुआ ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) (क) पांचवीं और छठी योजना के दौरान बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तनों का कुल योजनागत परिव्यय और खर्च दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरन इन पत्तनों पर हैंडल किया गया कुल टनेज निम्नलिखित था :—

(मिलियन टन)

पत्तन	पांचवीं योजना (1975-80)	छठी योजना (1980-85)
बम्बई	83.25	112.46
मद्रास	43.34	62.53
कलकत्ता	27.56	26.37
हल्दिया	12.25	29.91

विवरण

(करोड़ रुपए)

पत्तन का नाम	पांचवीं योजना 1974-78 परिव्यय	खर्च	वार्षिक योजना 1978-79 परिव्यय	खर्च	वार्षिक योजना 1979-80 परिव्यय	खर्च	छठी योजना 1980-85 योजनागत परिव्यय	खर्च
1. (क) कलकत्ता	5·04	2·23	1·13	0·18	0·85	1·35	35·94	19·88
(ख) हल्दिया गोदी	66·14	69·17	1042	4·01	11·73	4·05	18·28	13·18
(ग) हल्दिया चैनल	42·28	34·64	7·67	6·18	1·00	6·07	2·00	10·92
(घ) बी० एच० आर० टी० डब्ल्यू०*	14·97	12·51	2·40	1·74	1·22	2·26	15·50	13·44
2. बम्बई	23·98	8·07	7·54	8·46	8·37	1·18	120·39	72·45
3. मद्रास	29·57	20·70	3·28	1·04	2·16	2·28	100·15	82·13

*भगीरथी हुगली रिवर ड्रेनिंग वर्क्स

[हिन्दी]

रेलवे में विभागीय रेस्टोरेंट और कैन्टीन

7458. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री वसुदेव आचार्य : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कितने विभागीय रेस्टोरेंट और कैंटीनें हैं;

(ख) उनमें रेलवे-वार, कितने बैरे कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार उन्हें विभागीय कर्मचारी मानती है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कितने कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी के रूप में नियमित नहीं किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सहायता

7459. **श्री आर० एस० भाने** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार के लिए राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ख) महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता मंजूर की गई थी और कितनी दी गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) स्वास्थ्य केन्द्रों जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक केन्द्र आते हैं, के विस्तार के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती तथा इन पर होने वाला खर्च राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से वहन किया जाता है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बालेश्वर जिले (उड़ीसा) के निकट रन्धिया पर उपरि-पुल

7460. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के बालेश्वर जिले में बन्दपुर रेलवे स्टेशन के निकट रन्धिया पर एक उपरि-पुल निर्माण करने का है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है, और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाए गए हैं और

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पोषाहार कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि

7461. श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पोषाहार कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार, विश्व बैंक, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रति-वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और उसमें प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पांच राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम पर 337.69 लाख रुपए खर्च किए। बालवाड़ियों और लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की राज्यवार संख्या तालिका में दर्शाई गई है।

बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम

क्रम सं०	राज्य	बालवाड़ियां	लाभप्राप्तकर्ता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	309	11,667
2.	असम	322	12,755
3.	बिहार	167	5,840
4.	गुजरात	1209	44,481
5.	हरियाणा	193	6,920
6.	हिमाचल प्रदेश	50	1,708
7.	जम्बू और कश्मीर	31	1,067
8.	कर्नाटक	871	28,519
9.	केरल	174	6,285
10.	मध्य प्रदेश	276	9,847
11.	महाराष्ट्र	698	43,669
12.	मणिपुर	75	2.770
13.	मेघालय	50	1,960

1	2	3	4
14.	नागालेंड	27	980
15.	उड़ीसा	289	11,620
16.	पंजाब	185	5,510
17.	राजस्थान	208	5,768
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडू	194	6,741
20.	त्रिपुरा	98	4,085
21.	उत्तर प्रदेश	666	24,762
22.	पश्चिमी बगाल	277	11,030
	जोड़: राज्य.	6369	2,47,984
	केन्द्र शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	2987
3.	चण्डीगढ़	27	680
4.	दादर और नगर हवेली	—	—
5.	दिल्ली	238	9641
6.	गोवा, दमन और दीव	64	1630
7.	लक्षद्वीप	—	—
8.	मिजोरम	50	1370
9.	पांडिचेरी	8	230
जोड़ :	केन्द्रशासित प्रदेश	429	16538
जोड़ :	अखिल भारतीय	6798	264522

आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए 1-1-86 से नया केन्द्रीय प्रायोजित गेंहू आधारित पोषाहार, कार्यक्रम शुरू किया गया है। अतिरिक्त लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए राज्यों को मुफ्त गेंहूं और सहायक खर्च के लिए अनुदान उपलब्ध है। राज्य खर्च से चलाए जाने वाले कार्यक्रम में वर्तमान लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए रियायती दर पर गेहूं भी उपलब्ध किया जाता है। 1986 के दौरान राज्यों को अब तक निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं (भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई गेहूं सहायता या गेहूं की कीमत शामिल नहीं है)

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	दी गई धनराशि
1.	असम	17.45
2.	हरियणा	18.37
3.	हिमाचल प्रदेश	2.00
4.	जम्मू और कश्मीर	5.25
5.	मध्य प्रदेश	30.00
6.	मेघालय	0.20
7.	उड़ीसा	49.94
8.	राजस्थान	36.25
9.	पश्चिम बंगाल	40.04
10.	गोया दमन और दीव	0.50
11.	पांडिचेरी	2.50
	जोड़	202.50

खाद्य विभाग ने 1984-85 में अपने पोषाहार कार्यक्रमों पर 73.98 लाख रुपए की कुल धनराशि खर्च की।

1894-85 में तमिलनाडू समेकित पोषाहार परियोजना को विश्व बैंक द्वारा दी गई राशि 4.4 मिलियन यू० एस० डालर थी।

विदेश खाद्य सहायता मुख्यत: (डब्ल्यू एफ पी) विश्व खाद्य कार्यक्रम, केयर कोपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर) तथा सी आर एस (कैथोलिक रिलीफ सर्विस) से प्राप्त होती है।

1984-85 के लिए डब्ल्यू एफ पी केयर तथा सी आर एस खाद्य सहायता नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

1984-85 में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू ए फ पी) खाद्य सहायता का मूल्य :

राज्य	धनराशि (रुपयों मे)
पश्चिम बंगाल	14,830,253
उड़ीसा	13,338,605
बिहार	9,803,487
केरल	9,355,130
मध्य प्रदेश	8,820,557
गुजरात	7,760,016
राजस्थान	6,906,414
असम	6,751,214
उत्तर प्रदेश	4,969,697
महाराष्ट्र	2,440,094
जम्मू और कश्मीर	819,113
हरियाणा	776,002
जोड़ :	85,670,576

वर्ष 1984-85 के लिए केयर खाद्य सहायता के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ता।

राज्य	स्कूल बच्चे	स्कूल पूर्व बच्चे और माताएं
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	361000	295700
बिहार	—	100000
गुजरात	291000	622800
हरियाणा	293000	34900
कर्नाटक	762000	320000

1	2	3
केरल	1014000	929000
मध्य प्रदेश	336000	268000
महाराष्ट्र	—	500000
उड़ीसा	553000	743650
पंजाब	215000	16500
चंडीगढ़	22000	—
राजस्थान	245000	242200
तमिलनाडू	800000	160000
पांडिचेरी	400000	49700
उत्तर प्रदेश	581000	300000
पश्चिम बंगाल	345000	602000
जोड़ :	5858000	5184450

(1984-85 के दौरान केयर ने उपरोक्त लाभप्राप्तकर्ताओं के लिए 620 मिलियन रुपए के मूल्यों की 121229 मी० टन खाद्य सामग्री सप्लाई की)

पोषाहार कार्यक्रम के लिए सी० आर० एस० खाद्य सहायता (वर्ष 1984 के लिए)

राज्य	प्राप्तकर्ता	वर्ष 1984 मात्रा (कि० ग्रा०)	मूल्य
आन्ध्र प्रदेश	47422	22442792	1027536
असम	6020	314244	133644
बिहार	30708	1601748	681204
दिल्ली	—	—	—
गुजरात	7875	378216	160860
गोआ, दमन दीव	2350	101916	43344
हिमाचल प्रदेश	7902	60240	29460
हरियाणा	—	—	—
कर्नाटक	36608	1862580	780528

1	2	3	4
केरल	207871	10355956	4489404
मध्य प्रदेश	23150	1176864	500520
महाराष्ट्र	20700	976692	415404
मणिपुर	2850	148764	63276
मेघालय	9250	482844	205356
नागालैंड	1450	75696	32184
उड़ीसा	21174	1101324	468384
पंजाब, चंडीगढ़	750	46756	16140
राजस्थान	2800	146160	62160
तमिलनाडू	212599	10886232	4529940
उत्तर प्रदेश	21307	1091832	464340
पश्चिम बंगाल	34214	1780356	757161
जोड़	691000	35230212	14860848

अनधिकृत विक्रेताओं द्वारा लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में सामान बेचा जाना

7462. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनधिकृत विक्रेता लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अपना सामान बेचते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) किन-किन रेलवे डिवीजनों में यह बुराई अत्यधिक व्याप्त है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 120-ए के अन्तर्गत गाड़ियों में और रेल परिसर के अन्दर अनधिकृत रूप से सामान बेचना और फेरी लगाना अपराध है। अपराधियों को पकड़ने के लिए रेलें रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से अचानक जांच करती है। अपराधियों को और अधिक सख्त दण्ड देने के लिए भारतीय रेल अधिनियम के संबंधित उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन करके जुर्माने की राशि 250 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने तथा दण्ड की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव है।

(घ) अनधिकृत रूप से फेरी लगाने तथा सामान बेचने की बुराई पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली पूर्वोत्तर सीमा, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों के मंडलों में बहुत अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुस्तकालय अभियान

7463. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों, महिलाओं और किसानों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक शक्तिशाली पुस्तकालय अभियान का कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राज्य सरकारें जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तथापि, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता, जो कि संस्कृति विभाग द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित एक संगठन है, कई योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके लोगों के सभी वर्गों में पुस्तकालय सेवाएं बढ़ाने का कार्य करता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुस्तकालयों को सहायता देने के लिए राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा 1·40 करोड़ रुपये के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

जिला मुख्यालय अस्पतालों में दुर्लभ वर्ग का रक्त एकत्रित करना

7464. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारे देश में सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों में जरूरतमंद रोगियों के लिए दुर्लभ वर्ग का रक्त एकत्रित और संरक्षित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार दुर्लभ वर्गों का रक्त एकत्रित करने के लिये विशेष रक्त बैंक स्थापित करने और देश के सभी नगरों में ये रक्त बैंक खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस. कृष्णकुमार) : (क) से (ग) उन सभी रक्त बैंकों में किसी भी ग्रुप का रक्त रखा जा सकता है जहां भंडारण की अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जिला स्तर पर ब्लड बैंकिंग और रक्ताधान की सेवाओं के विकास और आधुनिकीकरण की योजना है जिसमें रक्त एकत्र करने, भंडारण और वितरण के सभी पहलू शामिल होंगे।

विजयवाड़ा, मछिली पटनम लाइन (आंध्र प्रदेश) पर गुडिवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास उपरि सड़क पुल

7465. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा, मछिलीपटनम रेल लाइन पर गुडिवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास उपरि सड़क पुल के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है और रेलवे तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पृथक-पृथक रूप से कितनी लागत वहन की जाएगी;

(ख) इस कार्य को कब मंजूरी दी गई थी और रेलवे द्वारा किये जाने वाले कार्य में कोई प्रगति न होने के क्या कारण हैं जबकि राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पहुंच मार्ग के निर्माण में प्रगति हो रही है, और

(ग) चालू वर्ष में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और रेलवे द्वारा कार्य किस तारीख तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कार्य की संशोधित अनुमानित लागत 1·87 करोड़ रुपये है, जिसे रेलवे और आंध्र प्रदेश सरकार को बराबर-बराबर भागीदारी के आधार पर वहन करना है।

(ख) राज्य सरकार को जुलाई, 1985 में प्रस्तुत संशोधित अनुमान पर उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा है। रेलवे के हिस्से के कामों के लिये निवदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1986-87 के रेलवे बजट में 37·08 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। रेलवे के हिस्से का काम अप्रैल 1987 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

दक्षिण मध्य रेलवे में नए रेलवे पुल

7466. श्री सी० सम्बु : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में दक्षिण मध्य रेलवे में कितने रेलवे पुलों का निर्माण किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल)। वर्ष 1986-87 में दक्षिण मध्य रेलवे में निर्माण के लिए 337 पुलों को हाथ में लिया जाएगा।

मधुपुर में डीलक्स एक्सप्रेस और टाटा-पटना एक्सप्रेस के रुकने की व्यवस्था करना

7467. श्री सलाउद्दीन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे पर मधपुर में 103 अप 104 डाउन डीलक्स एक्सप्रेस और टाटा-पटना सुपर फास्ट एक्सप्रेस को रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाल भवन

7468. **श्री अनादि चरण दास :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में कितने बाल भवन कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने बाल भवनों का केन्द्र द्वारा पूरा अथवा आंशिक वित्त पोषण किया जाता है, और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य में उनमें कुल कितने बच्चे प्रविष्ट थे ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) एक

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

देश में बाल भवनों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	बाल भवनों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
असम	4
बिहार	1
गुजरात	2
हरियाणा	7
जम्मू और कश्मीर	1
कर्नाटक	2
केरल	3
महाराष्ट्र	7
मणिपुर	1
मध्य प्रदेश	2
उड़ीसा	1
पंजाब	1

1	2
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	5
पश्चिम बंगाल	1
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	2
गोआ	1
पाण्डिचेरी	1
कुल	45

हवाई अड्डों पर अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था

7469. **श्री के० प्रधानी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों पर विशेषकर महानगरों में क्या प्रभावी और अभेद्य सुरक्षा उपाय किये जा रहे है; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर धातु की वस्तुओं का पता लगाने के विद्यमान उपकरणों में यांत्रिक खराबी आ जाने की स्थिति में तलाशी लेने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किये गये है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) इस समय सुरक्षा संबंधी उपायों में, विमान में सवार होने से पूर्व जांच, यात्रियों और उनके हाथ के सामान की छानबीन, टर्मिनल भवन और विमान के बीच यात्रियों की सुरक्षा, चारदीवारी और एप्रन कंट्रोल का संरक्षण तथा फोटो पहिचान पत्रों की व्यवस्था शामिल है। "डमी चेकों" और अचानक निरीक्षण करके इन उपायों के कार्यान्वियन की देख-रेख की जाती है। विशेष सतर्कता के समय; यात्रियों के साथ उनके पंजीकृत सामान के अनुरूप इन उपायों में वृद्धि की जाती है।

(ख) जी, हां। यांत्रिक खराबी के समय व्यक्तियों द्वारा शारीरिक जांच की जाती है।

आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, बालुस्सेरी कालीकट

7470. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय आदर्श पाठशाला योजना के अन्तर्गत कालीकट जिले में बालुस्सेरी में स्थापित किये गये आदर्श संस्कृत विद्यापीठ द्वारा ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाल सेवाओं के लिए सिक्किम को "यूनीसेफ" की सहायता

7471. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारत में बाल सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहायता ग्रामीण और सिक्किम जैसे पिछड़े क्षेत्रों को दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो सिक्किम राज्य को अब तक प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की सिक्किम को भी यह सहायता देने की योजना है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। सिक्किम को यूनिसेफ की सहायता समेकित बाल विकास सेवाओं, महिला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था के क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए है। 1984-85 के दौरान सिक्किम को लगभग 2,50,000 रुपये की यूनिसेफ सहायता दी गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के लिए विकास योजनाएं

7472. **श्री एम० महालिंगम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास और इसके साथ संबद्ध फार्मास्युटिकल्स फैक्टरी के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई योजना शुरू की जाएगी; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) योजना आयोग ने हाल ही में मेडिकल स्टोर संगठनों को मजबूत बनाने और उनका विस्तार करने की प्लान योजना को अनुमोदित कर दिया है। सातवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए मेडिकल स्टोर संगठन को 3 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है। वर्ष 1986-87 के लिए प्लान आबंटन 50 लाख रुपये है। ये योजनाएं हैं :

(1) डिपुओं में गुणवत्ता नियन्त्रण उपायों को मजबूत करने की योजना,

(2) मेडिकल स्टोर डिपुओं का सुदृढ़ीकरण,

(3) मुख्यालय (मेडिकल स्टोर संगठन) का सुदृढ़ीकरण,

(4) सब-डिपो, दिल्ली का विकास,

(5) डिपुओं में कम्प्यूटर-प्रणाली शुरू करना ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रसूति अस्पताल, रामकृष्णपुरम में कर्मचारियों तथा बिस्तरों की कमी

7473. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :**

श्री सी० पी० ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रसूति अस्पताल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में आने वाले रोगियों की संख्या को देखते हुये वहां पर कर्मचारियों और बिस्तरों की कमी की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख) रामकृष्ण-पुरम स्थित 30 पलंगों वाले प्रसूति अस्पताल का दर्जा बढ़ा कर उसे 60 पलंगों वाला अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है । अस्पताल में तैनात कर्मचारियों की संख्या 30 पलंगों वाले अस्पताल के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप है और दर्जा बढ़ा दिये जाने पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर दिये जायेंगे ।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में प्रवेश और निकासी द्वारों के पायदानों को नीचा करना

7474. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम की बसों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने, उसकी बसों के पायदानों को नीचा करने तथा प्रवेश व निकासी द्वारों के दरवाजों को, जिनके कारण अधिकांश घातक दुर्घटनायें हुई हैं, हटाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) फिलहाल, दिल्ली परिवहन निगम ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुरेन्द्र नगर स्टेशन पर नमक की ढुलाई के लिए
वैगनों की कम सप्लाई होना

7475. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हलवद, खाराघोड़ा, पटड़ी रेलवे स्टेशनों से कितने नमक की ढुलाई की गई है;

(ख) उसी अवधि के दौरान देश भर में कुल कितने नमक की ढलाई की गई है, और

(ग) यदि समूचे भारत में नमक की ढुलाई में वृद्धि हुई है, तो सुरेन्द्रनगर रेलवे स्टेशन पर वैगन की सुविधाओं में कमी होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) खाराघोड़ा, हलवद और पातड़ी में नमक का लदान इस प्रकार हुआ है :

वर्ष	मात्रा
1983-84	6·60 लाख टन
1984-85	6·45 लाख टन
1985-86	5·47 लाख टन

(ख) सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर नमक का लदान इस प्रकार हुआ है :

वर्ष	मात्रा
1983-84	27·02 लाख टन
1984-85	80·22 लाख टन
1985-86	32·21 लाख टन

(ग) यद्यपि, भारतीय रेलों पर 1983-84 की तुलना में 1984-85 में 11 प्रतिशत और 1984-85 की तुलना में 1985-86 में 6·6 प्रतिशत अधिक नमक का लदान हुआ। सुरेन्द्र नगर जिले में 1983-84 की तुलना में 1984-85 में 1·5 प्रतिशत अधिक लदान हुआ और 1984-85 की तुलना में 1985-86 में 3·8 प्रतिशत कम लदान हुआ जिसमें उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित तीन स्टेशनों के अतिरिक्त कुडा भी शामिल है जहां से नमक का लदान किया जाता है। इस क्षेत्र से नमक उद्योग के लिए मांग में गिरावट आने के कारण मुख्यत: लदान में कभी आयी है। नमक उद्योग के यातायात में 1983-84 की तुलना में 1984-85 में 17·4 प्रतिशय और 1984-85 की तुलना में 1985-86 में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है। तथापि, कमी की पूर्ति, इस क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 1985-86 में प्रायोजित नमक के लदान में 13 प्रतिशत की वृद्धि से कुछ हद तक हो गयी।

1/2 कालका मेल का दिल्ली के बजाय नई दिल्ली की ओर मार्ग परिवर्तन करना

7476. **श्री योगेश प्रसाद योगेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण दिल्ली में रहने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 1/2 कालका मेल का दिल्ली के बजाय नई दिल्ली की ओर मार्ग परिवर्तन करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) इसकी जांच की गई है लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

यूनियन कारबाइड के माध्यम से निरोध की बिक्री

7477. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कारबाइड उन कम्पनियों में से एक है जिनके माध्यम से "निरोध" की बिक्री की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कम्पनी को दिए जाने के क्या कारण हैं । ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां । पुरुषों के लिए गर्भ निरोधन की एक युक्ति निरोध का सामाजिक विपणन भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में 1968 में आरम्भ किया गया था । इसमें वितरण क्षेत्र के ख्याति प्राप्त 12 बड़े निजी और सरकारी उपभोक्ता सामग्री और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनिओं को शामिल किया गया था जिनमें यूनियन कार्बाइड भी एक है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की जीवनी को विद्यालय पाठ्यक्रमों में शामिल करना

7478. **श्री टी० बालगौड** : क्या मानव संसाधन विकाश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की जीवनी की उपलब्धियों और बलिदानों पर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हमारी युवा पीढ़ियों में देश भक्ति जाग्रत करने के लिए विद्यालय/महाविद्यालयों के पाठक्रमों में भूतपूर्व प्रधान मंत्री की जीवनी को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूली बच्चों द्वारा पूरक पठन सामग्री के रूप में उपयोग के लिए स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की जीवनी प्रकाशित कर रहा है ।

कॉलेजों द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा अपने आप ही निर्धारित किए जाते हैं। स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की जीवनी को संगत पाठ्यक्रमों के लिए पाठ/पठन सामग्री के रूप में निर्धारित करने के लिए कोई विश्वविद्यालय स्वतन्त्र है।

पेंशन भोगियों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का अंशदान लेने के लिए मानदण्ड

7479. **श्री के० बी० शंकर गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पेंशन भोगियों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का अंशदान अधिक दर से लिया जा रहा है;

(ख) पेंशन भोगियों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का अंशदान निर्धारित करने का मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ पेंशन भोगियों ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) पेंशन भोगियों से पेंशन/लिए गये अन्तिम वेतन के आधार पर नाममात्र अंशदान लिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुके ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भाषा अनुदान समिति/सैल

7480. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में भाषा अनुदान समिति/सैल है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति/सैल की संरचना क्या है और इसके कार्य क्या हैं?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग कुछ ऐसी योजनाओं का संचालन करता है जिनके अन्तर्गत भाषाओं के विकाश और प्रसार करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को

वित्तीय सहायता दी जाती है। ये योजनाएं सम्बन्धित भाषा डेस्कों द्वारा चलाई जाती हैं और वित्तीय सहायता के बारे में निर्णय विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित समितियों के तन्त्र (जिसमें विशेषज्ञ और कार्मिक ग्रुप शामिल होते हैं) द्वारा लिया जाता है। भाषा अनुदान सैल मंत्रालय के सचिवालय का एक भाग है।

औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड का कार्यकरण

7481. **श्री तारिक अनवर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के नाम और वर्तमान पदनाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ष इस बोर्ड की कितनी बैठकें बुलाई जाती हैं ; और

(ग) वर्ष 1985 के दौरान औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जब कभी तकनीकी मामलों पर औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सलाह लेना जरूरी समझा जाता है, इस बोर्ड की बैठकें बुलाई जाती हैं। साधारणतया इस बोर्ड की बैठक एक केलेन्डर वर्ष में एक बार होती है।

(ग) वर्ष 1985 में इस बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

विवरण

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 (2) में बोर्ड की संरचना दी गई है। सदस्यों के नाम और वर्तमान पदनाम निम्नलिखित हैं

धारा 5 (2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्

(i)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होंगे।	डा० एम० डी० सैगल
(ii)	औषध नियन्त्रक (भारत) पदेन	रिक्त स्थान
(iii)	निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता, पदेन	डा० एस० के० राय
(iv)	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, पदेन	डा० एस० एन० सक्सेना

(v) निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, पदेन	डा० बी० यू० राव
(vi) अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, पदेन	डा० ए० के० एन० सिन्हा
(vii) अध्यक्ष, भारतीय फार्मेसी परिषद, पदेन	श्री वी० सी० साने
(viii) निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, पदेन	डा० एम० एम० धर
(ix) राज्यों के औषध नियन्त्रण प्रभारी व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति	(i) श्री सी० गोपालकृष्णामूर्ति, निदेशक, औषध नियन्त्रण प्रशासन आंध्र प्रदेश
(x) राज्यों के औषध नियन्त्रण प्रभारी व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति	(ii) प्रो० जे० दास, निदेशक औषध नियंत्रण पश्चिम बंगाल तदैव
(xi) भारतीय विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध कालेज के स्टाफ में फार्मेसी अथवा फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री अथवा फार्माकोग्नोसी के अध्यापकों में से भारतीय फार्मेसी परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा चुना गया एक व्यक्ति।	प्रो० जे०एस० क्वादरी प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर हमदर्द फार्मेसी कालेज, नई दिल्ली
(xii) भारतीय विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध कालेज के स्टाफ में मेडिसन या थिरेपुटिक्स के अध्यापकों में से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा चुना गया एक व्यक्ति	डा० एस० आर० मेहता, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष आयुर्विज्ञान विभाग, एस० एम० जी० मेडिकल कालेज, जयपुर
(xiii) फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्री में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति	श्री वाई० एस० चारपूडे पूर्व प्रबन्ध निदेशक हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पूणे

(xiv) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की शासी निकाय द्वारा चुना जाने वाला एक फार्माकालोजिस्ट	डा० के० पी० भार्गव, निदेशक, प्रिंसिपल एवं अध्यक्ष फार्माकोलोजी विभाग, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ
(xv) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद संघ द्वारा चुना गया एक व्यक्ति	डा० एम०सी० गर्ग, अध्यक्ष इंण्डियन मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली
(xvi) इण्डियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन की परिषद द्वारा चुना गया एक व्यक्ति	डा० परविन्दरसिंह, प्रबन्ध निदेशक मैसर्ज रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड नई दिल्ली
(xvii) इस अधिनियम के अधीन सरकारी विश्लेषक के पद पर काम कर रहे दो व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित होंगे	(i) डा० ए० डी० नादकरनी, सरकारी विन्लेषक, महाराष्ट्र (ii) श्री आर० आनन्दराजशेखर, सरकारी विश्लेषक, कर्नाटक।

जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में वायुदूत सेवा

7482. **श्री जनकराज गुप्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और काश्मीर के जम्मू, रजौरी, पुंछ और किश्तवार जिलों में वायुदूत सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के शुरू करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का जम्मू और काश्मीर के इन जिलों में यह सेवा कब शुरू करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) रक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन राजौरी और पुंछ हवाई अड्डों से प्रचानन करने की अनुमति मिलने पर, और आधारभूत सुविधाओं का विकास होने पर, वायुदूत की वर्ष 1986-87 के दौरान इन स्थानों से हवाई सेवा प्रचालित करने का इरादा है।

आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस रेल गाड़ी में सप्लाई किए जाने वाले खाने की किस्म

7483. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 123-124 आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रियों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें खाना बहुत घटिया और मात्रा में कम तथा बहुत ऊंची दरों पर मिलता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1985 से फरवरी 1986 तक के छः महीनों के दौरान रेलों को 13 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से अधिकांशतः भोजन की किस्म के सम्बन्ध में थीं।

(ग) सेवा की किस्म सुधारने के लिए की गई कार्रवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई में जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई, अधिकारियों/पर्यवेक्षकों द्वारा पेन्ट्री कारों/आधार रसोईघरों का निरन्तर निरीक्षण, आधार रसोईघरों का आधुनिकीकरण, रसोईघरों के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद और संस्थापना, रसोइयों आदि का प्रशिक्षण शामिल हैं। जहां तक भोजन की मदों की दरों का सम्बन्ध है, उनका निर्धारण वर्तमान लागतों को ध्यान में रखकर किया गया है। की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, रेलों को अनेक प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

राज्यों को प्राथमिक शिक्षा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी जाने वाली सहायता

7484. **वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रत्येक राज्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान को अधिक प्राथमिक विद्यालय खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए विशेष सहायता देगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राज्यों को योजनागत सहायता के संवितरण के लिए सुव्यवस्थित प्रबन्ध के अन्तर्गत यह राज्यों को ब्लॉक अनुदान के रूप में दी जाती है, न कि किसी विशिष्ट योजना के लिए।

[अनुवाद]

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आग की घटना

7485. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :
श्री सी० माधव रेड्डी :
डा० वी० वेंकटेश :
श्री भट्टम श्री राममूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नयी दिल्ली के शेरसिंह प्रसूति ब्लाक में लगी भयानक आग के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने कुछ समय पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के क्या निष्कर्ष हैं, और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों से पता चलता है कि आग दुर्घटनावश नहीं लगी थी। सभी पारिस्थितिक प्रमाणों से इस कार्य के इरादतन और जानबूझकर किये जाने की सम्भावना का पता चलता है। जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इसके लिए जिम्मेदारी ठहरायी जाए, मामले की उचित तथा विस्तृत जांच की जाए और इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के पूर्वकृतान्त का पता लगाया जाए।

(ग) पुलिस ने मामले की जांच की है और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनका चालान कर दिया गया है।

खाद्य पदार्थ जन्य बीमारियों को रोकने के उपाय

7486. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि छोटे जलयान प्रतिष्ठानों, रास्ते में पड़ने वाले रेस्टोरेंटों और गलियों में फेरी वालों द्वारा खाद्य पदार्थों से किस सीमा तक बीमारियां फैलती हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उक्त समस्या का एक प्राथमिक स्वास्थ्य अनुरक्षण प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में विचार करते हुए, ऐसे खानपान प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य पदार्थ से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में शामिल की गई विनियमन व्यवस्थाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है :

1. फलों को पकाने में कार्बाइड गैस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

2. स्वाभाविक तौर पर मरे पशुओं अथवा मुर्गों के मांस को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

3. कीड़ों से खराब किये गये फलों की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है।

4. बिक्री की शर्तों में उन बर्तनों अथवा कंटेनरों के इस्तेमाल से सम्बन्धित विनियम शामिल हैं जो खाद्य पदार्थ तैयार करने और उनके भण्डारन के लिए निर्धारित किये गये हैं।

5. किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस के बिना ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जिसमें निर्मित भोजन अथवा परोसने के लिए तैयार भोजन शामिल है, निर्मित करने की अनुमति नहीं दी जाती।

दिल्ली में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को भविष्य निधि पर ब्याज की दर

7487. **श्री रामपाल सिंह :**

चौ० रहीम खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की भविष्य निधि पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत है;

(ख) क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भविष्य निधि पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दो श्रेणियों के अध्यापकों के लिये ब्याज की दरों में इस असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के अन्तर्गत निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, सहायता प्राप्त स्कूलों में भविष्य निधि में अंशदान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकखाने के बचत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार, इस प्रकार की जमा राशियों पर ब्याज की वही दर मिलती है जो बचत बैंक खाते पर अनुमत्य होती है। तथापि सरकारी कर्मचारियों के मामलों में वर्ष 1986-87 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत घोषित की गई है।

(घ) असमानता को ध्यान में रखते हुए सहायता प्राप्त स्कूलों में कर्मचारियों की जमा राशियों का 50 प्रतिशत आवधिक जमा में जमा कराने की अनुमति है जिससे कि ब्याज की ऊँची दर अर्जित की जा सके।

कर्नाटक में महिला मण्डलों को सहायता

7488. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कर्नाटक की विभिन्न योजनाओं के लिए महिला मंडलों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का राज्यों में विभिन्न निकायों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिये आवेदन पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बोर्ड क्षेत्रीय भाषाओं में आवेदन पत्र स्वीकार करेगा ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) (क) 1,61,470 रुपये ।

(ख) राज्य बोर्ड, अंग्रेजी तथा हिन्दी के अलावा पहले से ही क्षेत्रीय भाषाओं में फार्म जारी कर रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कुवानों पंप नहर की क्षमता को बढ़ावा

7489. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के उत्तर प्रदेश के वस्ती जिले में कुवानों पम्प नहर योजना की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने उक्त कार्य के पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कृष्णा रेलवे स्टेशन तथा विकराबाद रेलवे स्टेशन (आन्ध्र प्रदेश) के बीच बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण

7490. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में महबूब नगर जिले में कृष्णा रेलवे स्टेशन और रंगर रेड्डी जिले में विकराबाद रेलवे स्टेशन के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या इस योजना से हैदराबाद और बंगलौर के बीच लगभग 80 कि० मी० की दूरी कम हो जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना पर कार्य आरम्भ करने पर विचार करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) कृष्णा से विकाराबाद तक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिये प्राथमिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा होने वाला है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस योजना को सातवीं योजना अवधि के दौरान शुरू करने के प्रश्न की जांच की जायेगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी जाए।

रामसागर परियोजना

7491. **श्री एम० वेंकट रत्नम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राम सागर परियोजना के चरण-I और चरण-II के अन्तर्गत योजनाओं पर निर्भरता के बारे में विशेषज्ञ समिति की संशोधित योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1985 में केवल श्रीराम सागर चरण एक की आशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस परियोजना की तकनीकी जांच केन्द्रीय जल आयोग पूरा कर चुका है तथा इस पर सलाहकार समिति ने विचार कर लिया है। परियोजना पर पर्यावरण तथा वन संबंधी पहलुओं की स्वीकृति के साथ-साथ अभी कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त होने हैं।

उड़ीसा में ऐतिहासिक मन्दिरों का रखरखाव

7492. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी और अन्य स्थानों के अधिकांश मंदिरों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है;

(ख) क्या इन मन्दिरों का ऐतिहासिक महत्व है और ये उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है;

(ग) क्या सरकार अपने पुरातत्व विभाग के माध्यम से रखरखाव और संरक्षण के लिए इन मन्दिरों को अपने अधिकार में लेने पर विचार करेगी; और

(घ) इस राष्ट्रीय धरोहर के बचाव के लिए अन्य क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी और उड़ीसा में अन्य स्थानों में केन्द्र द्वारा संरक्षित मन्दिरों का परिरक्षण स्थिति अच्छी है और स्थिति बिगड़ नहीं रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा छियासठ स्मारकों और स्थलों को पहले ही संरक्षित किया गया गया है । इन स्मारकों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(घ) इन स्मारकों को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) अप्रैल 1985 से एक नए मंडल की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है;

(ii) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में पहरा और निगरानी स्टाफ को सुदृढ़ करना;

(iii) स्मारकों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नियमित निरीक्षण ।

(iv) संरक्षित स्मारकों का रखरखाव और मरम्मत;

(v) जगन्नाथ मन्दिर पुरी और कोणार्क में वृहत् संरक्षण परियोजनाएं;

(vi) उद्यान कृषि कार्यों को सुदृढ़ करके पर्यावरण का विकास;

(vii) जगन्नाथ पुरी और कोणार्क जैसे मंदिरों का रासायनिक परिरक्षण ।

(viii) इन संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण के लिए 1986-87 में और अधिक धन का आबटन ।

विवरण

उडीसा राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
		बोलंगीर जिला
1.	झारियल	तीन छोटे देवमंदिरों सहित चौसठी जोगिनी मन्दिर
		कटक जिला
2.	अग्रहट, बंदलस, चौदर, छत्तीसा, गोविन्द न्यू पटना, जाज भैरव, कपलेश्वर, केदारेश्वर और मुदाल	ध्वंस गढ़ी
3.	बन्द्रेश्वर	बौद्ध मन्दिरों और प्रतिमाओं के ध्वंसावशेष
4.	चान्दिया	बौद्ध कालीन अनेक बहुमूल्य मूर्तियों, प्रतिमाओं शिलालेखों वाली पहाड़ी। उसके शिखर पर महा काल का छोटा मंदिर है।
5.	कटक	बाराबटी गढ़ी के प्राचीन स्मारक और मसजद छोड़कर शेष सभी प्राचीन भवनों, प्रवेश द्वारों आदि के ध्वंसावशेष और अवशेष
6.	दाधापतन	चुनार गढ़ किले का स्थानीय नाम सारनगढ़ है। इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र शामिल नहीं है।
7.	जाजपुर	उपमंडल के अधिकारियों के मकानों के अहाते में चार विशाल प्रतिमायें हैं जिनके नाम हैं : 1. चामुंडा 2. इन्द्रानी 3. काली जगा 4. वाराही
8.	जाजपुर	तीन बौद्ध मूर्तियां
9.	ललितगिरि	बौद्ध मूर्तियों के खंडहर

1	2	3
10.	रतनगिरि	बहुत सी मूल्यवान मूर्तियों और प्रतिमाओं की पहाड़ी
11.	सीरियापुर	महरट्टा पुल का स्थानीय नाम अदरनुल्ला (अठारह महरावी पुल) औरतेनतुली मल पुल
12.	सीरियापुर	एक पत्थर का बना हुआ चन्देश्वर स्तम्भ
13.	सिंहानाथ पिथा मौजा गोपीनाथपुर	सिंहनाथ महादेव मन्दिर
14.	मगुरा धानमंडल	पांच पांडव मंदिर
15.	रामेश्वर	दुर्गा मंदिर
16.	पदमाल पाट्टन	बानेश्वरनासी में प्राचीन स्थल
		जिला धनकनाल
17.	बजकोट	भिंगेश्वर महादेव मन्दिर
18.	रसोल	पत्थर काटकर बनाया गया विष्णु
		जिला गंजाम
19.	कोट्टाकोल्ला	गंगाधर स्वामी मंदिर
20.	कोट्टाकोल्ला	जगदीश्वर स्वामी मन्दिर
21.	महेन्द्रगिरि	कुन्ती मन्दिर
22.	महेन्द्रगिरि	भीम मंदिर
23.	महेन्द्रगिरि	युधिष्ठिर मंदिर
24.	पंडया	जोगादा में अशोक शिलालेख
		जिला मयूरभंज
25.	बैंधपुरा	प्रागैतिहासिक स्थल
26.	हरीपुर	प्राचीन किले के खंडहर
27.	कुचई	प्रागैतिहासिक स्थल
28.	कुलियाना	प्रागैतिहासिक स्थल
		जिला क्योंझर
29.	सीताबिंजी	चट्टानों पर चित्रकला को स्थानीय रूप से रावण छाया और अन्य प्राचीन स्मारक तथा अवशेष के रूप में जाना जाता है।

1	2	3
		जिला कालाहांडी
30.	असुरगढ़	असुरगढ़ किले के प्राचीन स्थल
		जिला फूलबनी
31.	गंधाराधी	निलमदेव और सिद्धेश्वर के मंदिर
32.	बौद्ध नगर	पश्चिम सोमनाथ, भुवनेश्वर और कपिलेश्वर मंदिर
		जिला पुरी
33.	बारागढ़	भास्करेश्वर मंदिर
34.	बारागढ़	ब्रह्मेश्वर मंदिर और अहाता में इसके लघु मंदिर
35.	बारागढ़	नवाकेश्वर मंदिर
36.	बारागढ़	रामेश्वर मंदिर
37.	बेसुआघई	माधेश्वर मन्दिर और लघु मन्दिर
38.	भुवनेश्वर	अनन्त वसुदेव मंदिर
39.	भुवनेश्वर	बाकेश्वर मन्दिर
40.	भुवनेश्वर	बोईटल मंदिर
41.	भुवनेश्वर	चित्रकर्णी मंदिर
42.	भुवनेश्वर	जामेश्वर मंदिर और इसके लघु मंदिर
43.	भुवनेश्वर	लार्ड लिंगराज मंदिर जिसके अहाते में निम्नलिखित सभी मंदिर हैं, अर्थात् 1. अमानिया कुंआ 2. अष्टमूर्ति 3. चन्देश्वर देव 4. गोपालुनी मंदिर
44.	भुवनेश्वर	मईत्रेश्वर मंदिर जिसके अहाते में सभी लघु मंदिर हैं
45.	भुवनेश्वर	मकरेश्वर मंदिर और इसके लघु मंदिर
46.	भुवनेश्वर	मारकंडेश्वर मंदिर
47.	भुवनेश्वर	मुक्तेश्वर मंदिर तथा इसके लघु मंदिर परन्तु मुरीच कुंडा को छोड़कर

1	2	3
48.	भुवनेश्वर	परशुरामेश्वर मंदिर
49.	भुवनेश्वर	राजा रानी मंदिर
50.	भुवनेश्वर	सहस्रलिंग मंदिर
51.	भुवनेश्वर	सारी मंदिर नं० 1
52.	भुवनेश्वर	सिद्धेश्वर मंदिर
53.	चुरंगा भालुंका कृष्णानगर	चूरनगढ़ किला, राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र
54.	धौली	अशोक शासन का शिलालेख और हाथी की मूर्ति
55.	धौली	शैलकृत लघु कक्ष जिसके साथ एक ताक है और शांतिकारा का एक शिलालेख
56.	हीरापुर	चौसठ जोगिनी मंदिर जिसे महामाया मंदिर जाना जाता है
57.	जगमारा	सभी प्राचीन गुफाएं, संरचना और उदयगिरि तथा खंडगिरि पर्वतों पर स्थिति अन्य स्मारक अथवा अवशेष खडागिरि पर्वत की चोटी पर परसनाथ मंदिर और बाराभुजी के समक्ष के मंदिर और त्रिसुला गुफाओं को छोड़कर
58.	कोणार्क	(सूर्य मंदिर) ब्लेक पैगोडा के प्राचीन स्मारक और सभी प्राचीन इमारतों प्रतिमाओं, संरचनाओं, तहखानों, स्तंभों, नक्काश, दीवारों, तोरण आदि के खंडहर और अवशेष
59.	पुरी	मुधपर नाला के ऊपर अठाहर मुखों वाला पुल जिसे अठारह नाला पुल कहते हैं ।
60.	शिशुपालगढ़	परकोटा के अन्दर और बाहर प्राचीन अवशेष
61.	भुवनेश्वर	सिसीरेश्वर मंदिर
62.	रघुनाथपुर	दक्ष प्रजापति मंदिर
63.	चौरासी	बराही मंदिर
64.	पुरी	श्री जगन्नाथ मंदिर और उपमंदिर
65.	भुवनेश्वर	परमगुरू मंदिर
		जिला सम्बलपुर
66.	विक्रमखोल	विक्रमखोल शिलालेख

छिड़काव सिंचाई प्रणाली

7493. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि के लिए विशेषकर फलों के बागों, कपास, चाय आदि जैसी नकदी फसलों के लिये छिड़काव सिचाई प्रणाली की सिफारश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सिंचाई और पुनरोपण आदि के लिये दी जाने वाली राजसहायता, छिड़काव सिंचाई प्रणाली के उपयोग पर निर्भर करेगी;

(ग) क्या इस प्रणाली के फलस्वरूप पानी की अत्यधिक बचत होती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सिंचाई की छिड़काव प्रणालियों को जल के कुशल प्रयोग के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है जो रेतीली भूमि तथा लहरीदार भू-भागों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। जल संसाधन मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत सिंचाई की छिड़काव प्रणाली की प्रतिष्ठापना के लिए लघु तथा सीमान्त कृषकों को आई० आर० डी० पद्धति पर सब्सिडी उपलब्ध होती है।

ग्रीन कार्ड की सुविधा से वंचित लोगों में असंतोष

7494. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें ग्रीन कार्ड जारी किये गए हैं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई कि जिन लोगों ने इस योजना के लागू होने से पहले परिवार नियोजन आपरेशन कराये थे, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभ न मिलने के कारण उनमें असंतोष बढ़ रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ग्रीन कार्ड प्रदान करने की योजना दो बच्चों वाले लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ की गई थी और इसका अभिप्राय नसबंदी करा चुके व्यक्तियों को पुरस्कृत करना नहीं था।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर शेड

7495. श्री पी०एम० सईद : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ लम्बे प्लेटफार्म आंशिक रूप से खुले हैं,

(ख) क्या यात्रियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने से पूर्व वहां खड़ी आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस और के० के० एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों के अधिकांश सवारी डिब्बे प्लेटफार्म के उस भाग पर होते हैं जहां ऊपरी शेड नहीं होते और जिसके परिणाम-स्वरूप यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को सूर्य की तेज धूप और वर्षा में कठिनाई उठानी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर पूरे शेड बनाने की योजना है, और

(घ) यदि हां, तो यात्रियों की उल्लिखित शिकायतों को दूर करने में लगभग कितना समय लगेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आन्ध्र प्रदेश/केरल/कर्नाटक और राजधानी एक्सप्रेस आदि जैसी लम्बी गाड़ियां प्लेटफार्म संख्या 6-7 तथा 8-9 पर सम्भाली जाती हैं प्लेटफार्म संख्या 6-7 के आखिर के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी तरह सायबान से ढके हुए हैं। प्लेटफार्म संख्या 8-9 आंशिक रूप से ढके हैं अर्थात् 518 मी० की कुल लम्बाई में से केवल 231 मी० ढके हुए हैं। नयी दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 8 और 9 के शेष भाग को ढकने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं का अध्ययन

7496. **श्री शांताराम नायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है? और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गायब जहाजों के साथ लापता हुए कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा

7497. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० वी० नित्य राम और एम० वी० नित्य नानक नामक गायब हुए दो वाणिज्यिक जहाजों के साथ लापता हुए चालक दल के परिवारों को मुआवजे और बीमा के दावों की राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) नित्य नानक और नित्य राम के मालिकों ने श्रमिकों के निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए आयुक्त के पास कुल 42,53,143 रुपये जमा कराए हैं।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार मुआवजे की राशि जमा कराई गई है।

(ग) लागू नहीं होता।

विवरण

नित्य राम और नित्य नानक के कर्मी दल के निकट संबंधियों को देय मुआवजा

नाम	रैंक	राशि
नित्य नानक		
के० डी० पुरी	मास्टर	1,69,390 रुपये
एम० एस० भसीन	चीफ आफिसर	1,34,080 रुपये
एच० के० सेनापति	सेकेंड आफिसर	1,08,160 रुपये
विलियम पालोस	आर० आफिसर	1,07,200 रुपये
एस० मित्र	चीफ इंजिनियर	1,65,190 रुपये
राजीव शर्मा	सेकेंड इंजिनियर	1,18,570 रुपये
वाई० पी० जबेरी	थर्ड इंजिनियर	1,08,160 रुपये
एस० सी० डे	जूनियर इंजिनियर	83,340 रुपये
एस० एस० जसवाल	एल० आफिसर	82,710 रुपये
एल० सेल्वाराज	डी/सरंग	83,115 रुपये
मि० मेघनाथन	एस/एम/मैन	83,968 रुपये
मि० सुरेन्द्र प्रसाद	एस/एच/मैन	78,824 रुपये
मि० अब्दुल के० मम्मू	एस/एच/मैन	78,687 रुपये
मि० कांजी रनचोर	एस/एच/मैन	78,687 रुपये
मि० वेलायुधन	यू/हैंड	70,371 रुपये
मि० अब्दुल जी० एम०	भंडारी	83,192 रुपये
मि० सी० कन्दार	डी ग्रीजर	78,687 रुपये

1	2	3
मि० एस० ए० अब्दुल करीम	डी ग्रीजर	78,687 रुपये
मि० मोहम्मद हसन	डी ग्रीजर	78,687 रुपये
मि० माजिद खान धानी	डी ग्रीजर	78,687 रुपये
मि० एम० जे० बर्नेटो	जी ग्रीजर	75,824 रुपये
मि० जे० ए० परेरा	जी एस	74,454 रुपये
मि० ए० फर्नान्डीज	सी कुक	83,115 रुपये
मित्य राम		
कैप्टन जैड० के० शर्मा	मास्टर	1,69,390 रुपये
मि० बलवीरसिंह	चीफ आफिसर	1,21,300 रुपये
मि० ए० आई० सिंह	सेकेंड आफिसर	1,08,160 रुपये
मि० विश्वनाथ सरकार	आर आफिसर	1,08,160 रुपये
मि० ए० एस० कोनाल	चीफ इंजिनियर	1,65,190 रुपये
मि० आर० एस० करकेरिया	सेकेंड इंजिनियर	1,34,075 रुपये
मि० डी० बसु	थर्ड इंजिनियर	95,890 रुपये
मि० गुप्तेश्वर सिंह	जूनियर इंजिनियर	80,664 रुपये
मि० सी० के० दत्त	इले० आफिसर	75,780 रुपये
मि० रतन अरमोगस	डी० के० सिरंग	83,115 रुपये
मि० आर० एस० टंडेल	एस/एच मैन	78,687 रुपये
मि० आर० एम० टंडेल	एस/एच मैन	80,664 रुपये
मि० दयाभाई टंडेल	एस/एच मैन	78'687 रुपये
मि० जे० के० मरीजन	सी.एल. हैंड	70,371 रुपये
मि० एम० ए० रहमान	भंडारी	74,454 रुपये
मि० के० पो० गोपीनाथ	डी ग्रीजर	78,687 रुपये
मि० वाई० ए० इस्माइल	डी ग्रीजर	78,687 रुपये
मि० जे० वी० टन्डेल	डी ग्रीजर	78,687 रुपये
मि० एल० पी० बरेटो	जेन. स्टेवार्ड	74,454 रुपये
मि० सी० आर० करदोज	जेन. स्टेवार्ड	74,454 रुपये
मि० के० एम० रिबेलो	चीफ कुक	83,115 रुपये
मि० एल० फर्नान्डीज	डी ग्रीजर	78,687 रुपये

कोणार्क मन्दिर के पुरातत्व स्मारकों का संरक्षण

7498. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा कोणार्क मन्दिर के पुरातत्व के संरक्षण और रख रखाव के लिए किये जा रहे सुरक्षात्मक उपाय अपर्याप्त हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार इस समय किये जा रहे सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा करने और कुछ अन्य उपायों, जिनमें विस्तार से मन्दिर के रख-रखाव और संरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था हो, सम्बन्धी सुझाव देने के लिए कुछ विशेषज्ञों को मंदिर स्थल पर भेजेगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोणार्क मंदिर की सुरक्षा, परिरक्षण और अनुरक्षण करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है।

(ख) जी हां, जब कभी आवश्यक समझा जाएगा।

विदेशों में 'फेर्टाबोलिन', 'डोकाबोलिन' बोर्बोलिन पर प्रतिबन्ध परन्तु भारत में इनका प्रयोग

7499. **कुमारी डी० के० तारादेवी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में अनेक देशों में 'फेर्टाबोलिन', 'डोकाबोलिन', 'बोर्बोलिन' के प्रयोग पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे देश में इन उत्पादों को बेचा जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि ये उत्पाद बहुत हानिकारक सिद्ध हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस प्रकार की रिपोर्टें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। ड्यूराबोलिन तथा डेका-ड्यूराबोलिन टीके और ओरेवोलिन गोलियां तथा ड्राप्स देश में बेचे जाते हैं। फेर्टाबोलिन नहीं बेचा जाता है।

(ग) से (ङ) एनोबोलिक स्टेराइड्स के इस्तेमाल से लड़कियों में फिर से ठीक न हो सकने वाले पुरुषत्व प्रभाव तथा बच्चों में बढ़ोत्तरी रुक जाना जैसे गौण प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले

में जिन चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है वे बाजार में एनाबोलिक स्टेराइड्स की बिक्री जारी रखने के पक्ष में थे क्योंकि ये विशेष रूप से बूढ़े रोगियों में कमजोरी पैदा करने वाले पुराने रोगों को रोकने में विशिष्ट भूमिका अदा करते हैं, जिनके मामले में प्रोटीन चयापचय विकार को दूर करने के लिए कारणात्मक और आहार उपाय अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने अन्य दवाओं के साथ एनाबोलिन स्टेराइड्स के सम्मिश्रणों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है।

[हिन्दी]

7500. **श्री हरीश रावत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक सहायता के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है जिसमें (1) 3000 नलकूपों का निर्माण; (2) 600 पुराने नलकूपों का आधुनिकीकरण; (3) 900 पुराने नलकूपों को 208·11 करोड़ रुपये की लागत से एकनिष्ठ पोरषण लाइनों से जोड़ा जाना इत्यादि शामिल है। इस सम्बन्ध में जांच कार्य चल रहा है। इस बीच, इस परियोजना के एक भाग को, जिसमें (1) 750 नलकूपों का निर्माण (2) 125 नलकूपों का आधुनिकीकरण (3) राज्य के 200 पुराने नलकूपों को 52-795 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एकनिष्ठ पोरषण लाइनों से जोड़ना शामिल है, भारत-डच द्विपक्षीय सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में रेल उपरि पुलों का निर्माण

7501. **श्री अजय मुशरान :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में विशेषकर जबलपुर में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान रेल उपरिपुलों के निर्माण के लिए स्वीकृत प्राथमिकता सूची क्या है, और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाएं शुरू की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन एयरलाइन की विमान सेवाओं में विलम्ब पर निगरानी रखना

7502. **श्री डी० एस० जवेजा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं में विलम्ब पर प्रतिदिन निगरानी रखने के

लिये क्या कदम उठाये गये हैं; हवाई अड्डों पर यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे पर बेहतर संचार सेवाएं प्रदान करने तथा यात्रियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों पर समस्त कार्य भार की जिम्मेदारी सौंपने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) देरियों को कम करने के उद्देश्य से इंडियन एयर-लाइन्स प्रत्येक सुबह उड़ान परिचालनों की निगरानी करते हैं। बार-बार होने वाली त्रुटियों का पता लगाया जाता है और तुरन्त निवारक उपाय किए जाते हैं। 17 स्टेशनों पर संचार सुविधाओं में सुधार हुआ है। उड़ानगत सेवाओं, भू-कार्य, यात्री सुविधाओं, टिकट तथा आरक्षण कार्यालयों में शालीन व्यवहार तथा इण्डियन एयरलाइन्स के समय पर निष्पादन में सुधार करने के लिये निरंतर प्रयास किये जाते हैं।

(ख) इस विभाग के अधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स ने अपने परिचालनों की देख भाल के लिये विभिन्न विमान क्षेत्रों पर उपयुक्त वरिष्ठता वाले अधिकारी तैनात किये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों तथा मणिपुर में स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता

7503. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाती है;

(ख) मणिपुर को इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी सहायता स्वीकृति की गई और उसमें से कितनी सहायता का इस्तेमाल किया जा सका है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिये कितनी सहायता देने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आते हैं, के विस्तार के लिये कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। इन केन्द्रों पर होने वाला खर्च राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों से वहन किया जाता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के त्रिवेन्द्रम एकक का दर्जा बढ़ाया जाना

7504. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने मई, 1984 में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के त्रिवेन्द्रम एकक के कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर एक निदेशालय बनाने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन में विलंब होने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरावती एक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाना

7505. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर और गुंटकल के बीच अमरावती एक्सप्रेस में डीजल इन्जन लगाए जाने का विचार है ताकि इस रेल गाड़ी में भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा सकें, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) डीजल रेल इन्जन, जो माल यातायात की ढुलाई के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं, की कमी के कारण इस गाड़ी का डीजलीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लेह, लद्दाख में बौद्ध अध्ययन संस्थान भवनों के लिए धन का आबंटन

7506. **श्री पी० नामग्याल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बिताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह, लद्दाख के भवनों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त निर्माण कार्य को अब तक शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा और इस भवन के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 7 वीं पंचवर्षीय योजना में डेढ़ करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान की गई है । 1985-86 के दौरान संस्थान के भवन के निर्माण के लिए 25.00 लाख रुपये निर्धारित किए गये थे । इसमें से 22.00 लाख रुपये की राशि वर्ष 1986-87 के लिये ले जाई गई है । चालू वर्ष के बजट में से यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त राशि दी जाएगी ।

(ख) और (ग) निर्माण कार्य शुरू करने से पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और सीमा मार्ग संगठन के साथ परामर्श करके संस्थान द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं ।

दिल्ली में इलैक्ट्रिक ट्राली बसें और इलैक्ट्रिक वैन

7507. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में दिल्ली में परिवहन सेवाओं के लिए इलैक्ट्रिक ट्राली बसें और इलैक्ट्रिक वैन चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके लिए दिल्ली के मुख्य मार्गों पर कोई सर्वेक्षण शुरू किया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) शहरी परिवहन की वैकल्पिक प्रणालियों की सिफारिश करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है ये प्रणालियां उपलब्ध आधुनिक परिवहन टेकनोलाजी का उपयोग कर विकसित की जा सकेंगी और जो भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त होंगी। अध्ययन दल द्वारा जिस वैकल्पिक प्रणाली पर विचार किया जा रहा है उसमें दिल्ली सहित अन्य नगरों के लिये बिजली ट्राली बस प्रणाली भी शामिल है। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

जहां तक इलैक्ट्रा वाहनों/बैटरी बसों का सम्बन्ध है, वे पुरानी दिल्ली के निम्नलिखित रूटों पर पहले से ही चल रही हैं :

(i) लाल किला से फतेपुरी

(ii) हौज काजी के रास्ते जामा मस्जिद से अजमेरी गेट

(iii) शाहदरा से लोनी बार्डर

(iv) भजनपुरा से पुराना रेलवे पुल

(v) शाहदरा से चौंडा

[हिन्दी]

आजमगढ़ जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का खोला जाना

7508. श्री राज कुमार राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कोई औषधालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की सुविधा के लिए वहां पर ऐसा एक औषधालय खोलने का है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए वहां पर क्या सुविधा दी जा रही है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) से (ग) किसी नये शहर में सी० जी० एच० एस० की सुविधा प्रदान करने के लिये मूल आवश्यकता यह है कि वहां पर 7500 अथवा इससे अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हों। आजमगढ़ जिले में इस नार्म के पूरा होते ही सी० जी० एच० एस० सुविधाएं प्रदान कर दी जायेंगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

एम्बुलेंस ड्यूटी के लिए ट्रेक एमरजेंसी वेहीकल्स

7509. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वीडन में खराब मौसम में सड़क विहीन ऊबड़-खाबड़ स्थानों और अन्य मैदानी इलाकों में एम्बुलेंस ड्यूटी के लिए ट्रेक एमरजेंसी वेहीकल्स का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का एम्बुलेंस ड्यूटी के लिए ऐसी ट्रेक एमरजेंसी वेहीकल्स लेने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) एम्बुलेंस ड्यूटी के लिए स्वीडन में तैयार की गई ट्रेक एमरजेंसी वेहीकल्स के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) का विकास

7510. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन जिसकी वार्षिक आय 22 लाख रुपये है की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर प्लेटफार्म का विकास, शौचालयों का आधुनीकरण, प्रतीक्षालयों का निर्माण, स्टेशन भवन का नवीकरण, सीटों के आरक्षण आदि की व्यवस्था करके इस स्टेशन का विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन की हालत संतोषप्रद समझी जाती है।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जलमार्गों की लम्बाई

7511. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्तर्देशीय जल मार्गों की लम्बाई कुल कितने किलोमीटर है; और

(ख) केरल में नौगम्य अन्तर्देशीय जल मार्गों की लम्बाई कितने किलोमीटर है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) देश में अन्तर्देशीय जल मार्गों की कुल लम्बाई लगभग 14,500 कि० मी० है, जिसमें से केरल में नौगम्य जल मार्गों की लम्बाई लगभग 1,548 कि० मी० है।

[हिन्दी]

तिब्बत से लाई गई पाण्डुलिपियों की सुरक्षा

7512. **श्री कुंवर राम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महापण्डित राहुल सांस्कृत्यान द्वारा तिब्बत से लाई गई पाण्डुलिपियों की जो पटना संग्राहालय में रखी हुई हैं, सूची बनाई है और उनको श्रेणीबद्ध किया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ पाण्डुलिपियां ऐतहासिक, कार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं;

(ग) यदि हां, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रबन्ध व्यवस्था की गई है;

(घ) इनमें से उन पाण्डुलिपियों के नाम क्या हैं जिनको प्रकाशित करने का विचार है, और

(ङ) उन पाण्डुलिपियों के नाम क्या हैं जिनकी फिल्म तैयार की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। तिब्बत में महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लाई गई पांडुलिपियां बिहार अनुसंधान सोसाइटी, संग्राहालय भवन, पटना की सुरक्षा में हैं, जिसने इन्हें वर्गीकृत तथा सूचीबद्ध किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सोसाइटी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पांडुलिपियां संरक्षित तथा सुरक्षित हैं।

(घ) सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली प्रस्तावित पांडुलिपियों के नाम संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं।

(ङ) किसी भी पांडुलिपि की अभी तक माइक्रोफिल्म तैयार नहीं की गई है।

विवरण

1. चोस-हब्यून पदम-रगायास-पाही-नीन-बयेद
2. गा-इन-हडूस-चोस हब्यून
3. चोस-बहब्यून-चेन-मो
4. क्लो-सब्योन-स्कोर-कयी-बोद
5. ओ-बोही-रनाम-थार-रणयास-बतुस
6. लाम-रीम-क्ला-बएयूड-समद
7. बकाह-बाब्स-बडूने-गई-रनम-थार
8. देब-थेल-रजोत-लादन-गहोन-नूही-दगाह-स्टोन
9. सग्रोल-हाही-बस्कयेद-रीम
10. हजिग-बेद-रनाल-हबयोर
11. बला-माही-रनाल-बी० एच० हबयोर
12. तिब्बत संस्कृत शब्दकोष, महावियूतपत्ति पर आधारित

[अनुवाद]

नर्सों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना

7513. **श्री पी० कुलनवईवेलू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिणी भाग में नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नर्सों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न अन्य कौन-कौन से पाठ्यक्रम शुरू किए जायेंगे;

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक वर्ष में कितनी नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और

(घ) इस विश्वविद्यालय की स्थापना में लगभग कितना खर्चा आयेगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार की बिना अक्रियान्वित पड़ी सिंचाई योजनायें

7514. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार की सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूरी तरह संसाधित किया गया है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अक्रियान्वित पड़ी हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : 1680 लाख रुपये की अनुमानित लागत की नवम्बर, 1984 में अनुमोदित अजगैबीनाथ पम्प स्कीम संसाधनों की कमी के कारण सातवीं योजना में क्रियान्वित हेतु हाथ में नहीं ली गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

7515. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं;

(ख) क्या सरकार के विचार में ऐसे संस्थानों की संख्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(घ) नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का मानदण्ड क्या है;

(ङ) क्या केरल ने एक ऐसा संस्थान स्थापित करने की मांग की थी; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और बम्बई स्थित पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान क्रमश: दिल्ली उत्तर प्रदेश, पश्चिम, तमिलनाडू और महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय संस्थायें हैं और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा ये उच्च श्रेणी का अनुसंधान भी आयोजित

करते हैं अर्हक कर्मिकों को प्रौद्योगिकीय विकासों और अपेक्षाओं के साथ गति बनाए रखने के उद्देश्य से इन संस्थाओं में अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि की जाती है। एक अन्य भा० प्रौ० संस्थान के स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन पत्तन में ट्रांसफर क्रेन चालू करना

7516. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में 35.5 हिताची रबड़ ट्राईड ट्रांसफसर क्रेन लगाने और संचालन परीक्षण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या इस क्रेन को चालू करने में कोई विलम्ब है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस क्रेन के कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) भारत में निर्मित दूसरे ट्रांसफर क्रेन के कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हिताची रबड़ टायर्ड ट्रांसफर क्रेन को पत्तन में अक्टूबर, 1985 में चालू कर दिया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कोचीन पोर्ट में दूसरे स्वदेशी ट्रांसफर क्रेन के मई, 1986 में चालू होने की संभावना है।

वायुदूत को हुई हानि

7517. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत को अपनी सेवायें आरम्भ करने से अब तक कितनी हानि हुई है;

(ख) 1982 से अब तक वर्ष वार कितनी हानि हुई है ;

(ग) हानि होने के क्या कारण हैं और इसकी स्थापना से अब तक प्रत्येक मार्ग पर कितनी हानि हुई है, और

(घ) हानि को कम करने लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) वायुदूत के आरम्भ होने से उसका वित्तीय निष्पादन नियमानुसार रहा है :—

वर्ष	(लाख रुपए) निवल लाभ/हानि
1981-82	(—) 66.60
1982-83	(—) 109.27
1983-84	(+) 3.72
1984-85	(+) 12.57
1985-86 (अनुमानित)	(—) 78.46

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वायुदूत ने अपनी हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) उत्तरोत्तर विपणन।

(2) वैज्ञानिक मार्ग-आयोजन।

(3) विस्तृत प्रचार अभियान के सम्बन्ध में समन्वित तथा संगठित प्रयास।

(4) पैकेज भ्रमण प्रारम्भ करना।

(5) विमान क्षमता का इष्टतम उपयोग ; और

(6) कर्मचारियों द्वारा उच्चतर उत्पादिकता।

पारादीप पत्तन के विकास के लिए दक्षिणी कोरिया की शर्तें

7518. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया की मैसर्स हयुदंई कारपोरेशन कुछ शर्तों पर पारादीप पत्तन के विकास में सहायता करने के लिए तैयार है, और

(ख) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिहवन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) परादीप पत्तन पर 1,70,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के साइज के लोह अयस्क से लदे जहाज आ सकें इसके लिए पत्तन का डुबाव बढ़ा कर 17 मी० डुबाव करने के लिए दक्षिण कोरिया के मैसर्स हिउन्डै कापोरेशन ने एम० एम० टी० सी० के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है। इन सुविधाओं के विकास के लिए अपेक्षित निवेश मैसर्स हिउन्डै कापोरेशन द्वारा लोह अयस्क खरीदने के

लिए अग्रिम राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा और ऋण की अदायगी कोरियाई उपभोक्ताओं को 6 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री में से की जाएगी। अन्य कोई शर्तें नहीं है।

हरियाणा में अग्रोहा का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

7519. **डा० टी० कल्पना देवी :**

श्री शांति धारीवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में हिसार के निकट अग्रोहा को तक्षशिला और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं से पूर्णतः जुड़ा पाया गया है और उसके संरक्षण की आवश्यकता है;

(ख) क्या गत दस वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई खुदाई कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अवशेषों को लोक प्रदर्शनार्थ न रखे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अग्रोहा को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने और देशी तथा विदेशी दर्शकों के लिये विमान, सड़क और रेल परिवहन से जोड़ने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं यह स्थल पहले ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, राज्य पुरातत्व विभाग, हरियाणा ने पिछले 10 वर्षों के दौरान इस स्थल की खुदाई की है। उन्हें उत्खनित कलावस्तुओं को प्रदर्शित करने की सलाह दी जा रही है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोगों का इलाज करने के लिए "मैंग्नेटोथैरापी"

7520. **डा० जी० विजय रामा राव :**

श्री एच० ए० डोरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंग्नेटोथैरापी रोगों का इलाज करने के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए वरदान सिद्ध हुई है; और

(ख) क्या तत्सम्बन्धी दावों की पुष्टि करने के लिए बड़े पैमाने पर कोई स्वतन्त्र क्षेत्र परीक्षण किए गए हैं और यदि हां, तो इन परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) भारत सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना

7521. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना आरम्भ की गई हैं जिसके अन्तर्गत कोई नवयुवक 5000 रुपये का नगद पुरस्कार तथा स्वयं सेवी युवा संगठन एक लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष कोई पुरस्कार दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को चुनने का क्या तरीका है?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) सरकार द्वारा 1985-86 से राष्ट्रीय विकास और/अथवा समाज सेवा के लिए युवा व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक युवा संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के विचार से एक राष्ट्रीय युवा पूरुस्कार योजना शुरू की गई है। योजना के अन्तर्गत, समाज सेवा अथवा राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष, स्वैच्छिक युवा संगठनों को एक पुरस्कार सहित, 50 पुरस्कार दिये जायेंगे। उत्कृष्ट युवा कार्य हेतु राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुने हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक पदक, एक स्क्रोल और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कृत स्वैच्छिक युवा संगठन के मामले में नगद पुरस्कार की राशि 100,000 रुपये होगी। पुरस्कार के लिए युवा व्यक्तियों और स्वैच्छिक युवा संगठन के चयन की प्रक्रिया में जिला स्तरीय चयन समितियों द्वारा प्रारम्भिक सिफारिश, राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला स्तरीय चयन समितियों की सिफारिशों की छानबीन और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त नामांकन में से केन्द्रीय चयन समिति द्वारा चयन को अन्तिम रूप देना शामिल है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से नामांकन आमन्त्रित किए गए हैं। योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

बंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन को बदलने के लिए धनराशि का आबंटन

7522. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बंगलौर से मैसूर तक एक मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के लिए इस वर्ष कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है, और

(ग) सरकार का इस परियोजना को कब तक पूरा करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 1986-87 के लिए 49 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

(ख) 26.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से मार्च 1986 तक का प्रत्याशित खर्च लगभग 6·19 करोड़ रुपये है।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली-अहमदाबाद बरास्ता जयपुर और जोधपुर विमान सेवा

7523. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-अहमदाबाद बरास्ता जयपुर और जोधपुर सांकालीन विमान सेवा, सीधी विमान सेवा की तुलना में अधिक समय लेती है;

(ख) क्या जयपुर और जोधपुर के यात्रियों को स्थान देने के लिए दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के कोटे को कम किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को जनहित में दिल्ली से अहमदाबाद तक सीधी विमान सेवा शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है और दिल्ली और अहमदाबाद के बीच सीधी विमान सेवा कब शुरू की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय इन्डियन एयरलाइन्स दिल्ली और अहमदाबाद के बीच बोइंग-737 की प्रात: सीधी उड़ान प्रचालित करती है। इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में अतिरिक्त विमान क्षमता

शामिल किए जाने के बाद ही समिति आवृत्ति के आधार पर ऐसी ही सेवा शाम को प्रचालित करने पर विचार किया जा सकेगा।

वामनपुरम परियोजना

7524. **श्री टी० बशीर** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वामनपुरम परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य कबतक आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) इसके पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) से (ग) प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं तथा परियोजना के आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई आवश्यक औषधि की सूची

7525. **श्री विष्णु मोदी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई सूची में आवश्यक औषधियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आवश्यक औषधियों की सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड तैयार किए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने आवश्यक औषधियों की सूची तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उन औषधियो के नाम क्या हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 1985 की आवश्यक औषधियों की सूची में लगभग 285 मौलिक औषधियों और 375 एकल संघटक सूत्र सम्मिलित है।

(ख(जी, हां।

(ग) और (घ) जन स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों में -तथा जन स्वास्थ्य गाइडों दुवारा इस्तेमाल की जाने वाली आवश्यक औषधियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग के लिए अनुमोदित औषधों की सूची

क्र० सं०	औषध का नाम	क्या औषधि फर्मूलेशन होने वाली मूल औषध में पूर्णतया स्वदेशी है अथवा अंशत: स्वदेशी है अथवा पूर्णतया आयातित है ?	क्या औषधि का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/दर्जा बढ़ाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण अस्पताल/उप केन्द्र में स्टाक किया जाना ?
1	2	3	4
1.	संक्रमण—रोधी फार्टिफाइट बैन्जिल का इन्जेक्शन पैन्सिलिन पी० पी० (प्रोसेन-बैन्जिल पैन्सिलिन 300,000, यूनिट्स बैंजी पैन्सिलिन 100,000 यूनिट्स)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल//प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र
2.	स्क्रेमटोप्इसिन सल्फेट और पैन्सिलिन (प्रोसेन पैन्सिलिन 300,000 यूनिट्स और स्क्रेप्टो-माइसिन सल्फेट ½ ग्राम	(अंशत: स्वदेशी)	—तदैव—
3.	क्लोरेमफेनिकोल कैप्सूल्स (250 मि० ग्रा० 1/25 ग्राम)	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामोण अस्ताल/प्रा० स्वा० केन्द्र
4.	क्लोरेमफेनिकोल सस्पेंशन (125 मि० ग्रा०) मि० ली०	—तदैव—	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र

1	2	3	4
5.	टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स (250 मि० ग्रा०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
6.	सल्फेडिमिडाइन की गोलियों (0.5 जी०)	(स्वदेशी)	—तदैव—
7.	सल्फे फेजेजोल बी० पी० सी० की गोलियां (1500 मि० ग्रा०)	(अंशतः स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र
	क्षय रोग रोधी औषधियों (राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से)		
8.	थियासिटेजोन और आइसोनियाजिड़ गोलियाँ, प्रत्येक गोली में थियासिटेजोने 37.5 मि० ग्रा० बी० पी० सी० और इन्सोनियाजेड 75 मि० ग्रा० आई० पी०	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वाध्य केन्द्र
9.	सोडियम एमिनोसेलिट गोलियां (500 मि० ग्रा०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
10.	स्ट्रेप्टोमाइसिन का इन्जेक्शन एल० जी०	(अंशतः स्वदेशी)	—तदैव—
	कुष्ठ-रोधी औषधियां (राष्ट्रीय कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से)		
11.	डेप्सोन (100 मि० ग्रा० की गोलियां	(आयातित)	—तदैव—
	पीड़ानाशक स्वास्थ्य और शामक औषधियां		
12.	एसिड एमिटिल सेलोसाइक्लिक आई०	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य

1	2	3	4
	पी० 0.3 ग्रा० गोलियां		केन्द्र और उप केन्द्र
13.	शर्बत पेरासिटामोल 5 मि० ग्रा में 125 मि० ग्रा०	(स्वदेशी)	—तदैव—
14.	फेनोबाबी टोन (30 मि० ग्रा० 60 मि० ग्रा० 100 मि० ग्रा०	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र
	अमीबारोधी और गैस्ट्रो ऐमिटटोलोजिक औषधियां		
15.	केयोलिन वाइट-पाउडर	(स्वदेशी)	—तदैव—
16.	लोडीक्लोर-हाइड्रो क्सीक्वीनालाइन (025 ग्रा०) गोलियां	(अंशत स्वदेशी)	—तदैव—
17.	क्लोरोक्विन्स सल्फेट 0.2 ग्रा० अथवा क्लोरो-क्विन्स फास्फेट 0.25 ग्रा० गोली आई० पी०	(अंशत स्वदेशी)	—तदैव—
18.	एलैक्जेर पिपरामिन गिट्रेट आई० पी० (5 मि० लि० में 750 मि० ग्रा०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
19.	बेफेनियम हाइड्रोक्सि-नेफथोयेटग्रेन्यूल्स (5 ग्राम ग्रेन्यूस में 2.5 ग्राम)	(अंशत स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्रा० स्वा० के०
20.	सल्फेग्यूनेडाइन गोलियां	(स्वदेशी)	—तदैव—
21.	मेट्रोनिडेजोल गोलियां (200 मि० ग्रा०) (मेट्रोजिल)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्रा० स्वा० के०

1	2	3	4
	नेत्र और राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम के लिए औषधियां		
22-क	टेट्रासाइकलिन एच० सी० एल० आंयट-मेंट इन स्टराइल आंयटमेंट वेस	(अंशत स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र
22-ख	सल्फेसिटामाइन ड्राप्स (10 और 20 प्रति-शत)	(स्वदेशी)	—तदैव—
	अरक्ताता में इस्तेमाल की जाने वाले औषधियां (परिवार नियोजन के माध्यम से)		
23.	फैरस सल्फेट और फोलिक एसिड टेवलट्स (परिवार नियोजन विभान फारमूला)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र
24.	इन्जेक्शन आयरन आई० एम० (100 एम० जी) आयरन कार्बोहाइड्रेट कम्पलेस 2 मि० ली०	(तदैव)	—तदैव—
25.	लीवर इन्जेक्शन कूड आई० पी० प्रत्येक मि० ली० में सायनोकोवेलवेक्ट-रिस्टेटिक एजेंट के या । माइक्रोग्राम अथवा 2 माइक्रोग्राम के समतुल्य विटामिन बी 12 की एक्टिविटी होती है ।	(तदैव)	—तदैव—
	मलेरिया रोधी औषधियां (राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम) के माध्यम से		
26.	प्राइमाक्वीन डाइस्फे-फाट टेवलटस (2.5 ग्रा० आफ प्राइमाक्वीन वेस)	(आयातित)	ग्रामीण अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1	2	3	4
27.	प्राइरीमिथामाइन सल्फेट के टेबलटस, प्राइमरी मिथाइन के 25 मि० ग्रा० के समतुल्य	(स्वदेशी)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामीण अस्पताल
	फाइलेरिया-रोधी औषधियां (राष्ट्रीय फ्राइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से)		
28.	डायोथाइलकावेनिजाइल साइट्रेट टेवलटस 50 मि० ग्रा०	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	एंटएसिड		
29.	मेग्नेशियम ट्रिसिलिकेट कम्पांड (मेग्नेशियम टिसिलिकेट 0.3 जी एल्यूमिनियम हाईड्राक्साइड 0.3 जी ग्लैसरिन 60 मि० ग्रा०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र
30.	ग्राइप मिक्सचर फार इफेंट (5 एम० एल० मेडिल्लस आयल पी० पी० सी० 0.005 मि० लि० सोडियम वाइ-कार्वोनेट आइ० पी० 0.05 जी, डिहाइड्रेटिड अल्कोहल आई० पी० 0.0248 मि० ली० होता है (सिरप और प्रिजर्वेटिव)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र
	एंटि ट्यूसिव एंड एक्सपेक्टोरेंटस		
31.	डिफिनाइड्रेमाइन एक्स-पेक्टोरेंट सिरप (प्रत्येक 5 मि० ली० में डिफि-	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3	4
	नाइड्रेमाइन बी० सी० एल० 13.3 मि० ग्रा० मैंथोल 0.9 मि० ग्रा० सोडियम साइट्रेट 56.6 मि० ग्रा० फ्लेवर्ड सिरप में क्लोरोफार्म 0.22 मि० ली० होता है)		
	एंटि अस्थमैटिक ड्रगस		
32.	एंटि अस्थमैटिक टेबलट जिसमें एफराडाइन रेस्टीनेट 123 मि० ग्रा० 50 मि० ग्रा० एफराइडाइन एच० जी० एल०, थियोफाइलिन एच० सी० एल० थियोफाइलिन 65 मि० ग्रा० और फेनाबार्बिटोन 30 मि० ग्रा० हो	(अंशत: स्वदेशी)	—तदैव—
33.	इन्जेक्शन एमिनोफाइलिन (0.5 ग्राम/2 मि० लि०)		—तदैव—
	पोस्ट मार्टम उपचार		
34.	कुल अल्कालायडस के 0.4 मि० ग्रा० के समतुल्य आरगाट के अल्कालायडस, एरगेटोलाइन वाले टेबलटस	(अंशत स्वदेशी)	—तदैव—
35.	इन्जेक्शन मिथाइलरगोमेट्रीन 0.2 मि० ग्रा०	आयातित	—तदैव—

1	2	3	4
36.	इन्जेक्शन आक्सीटासिन (आक्सीटासिन 5 आई० यू०/मि० ली०)	—तदैव—	—तदैव—
	कार्डियक औषधियां		
37.	टेबलट डिगोक्सिन (0.25 मि० ग्रा०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
38:	टेबलट सारवाइड नाइट्रेड (20 मि० ग्रा०	आयातित	—तदैव—
	उच्च रक्तचाव-रोधी औषधियां		
39.	हाइड्रोक्लोरथियाजाइड युक्त रेसरपिन (रेसर पिन 0.1 मि० ग्रा० हाइड्रोक्लोरथियाजाइड 10 मि० ग्रा० प्रत्येक टेबलट	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र
40.	इन्जेक्शन फ्यूरोसामाइड (20 मि० ग्रा० 2 मि० ग्रा०)	(आयातित)	ग्रामीण अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	एंटि एमेटिक्स		
41.	इन्जेक्शन क्लोरप्रोमेनिन (1 प्रतिशत 2.5 प्रतिशत)	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ और प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र
42.	टेबलट क्लोर प्रोमेजाइन (10 मि० ग्रा०, 25 मि० ग्रा० 50 मि० ग्राम)	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र

1	2	3	4
	त्वचा पर असर डालने वाली औषधियां		
43.	बेंजाइल बेंजोएट एमल्सन (100 एम० एल० में बेंजाइल बेंजोएट 25 जी, एमल्सीफाइंग वाक्स 2 जी०, डेमिनिए रेलाइज्ड वाटर क्यू० एस०)	(आयातित)	—तदैव—
44.	व्हाइटफील्डस आयंटमेंट (बेंजोनिक एसिड 6 जी, सेलिसाइलिक एसिड 3 जी, 100 जी० तक अल्कोहल 70 70 प्रतिशत)	(आयातित)	—तदैव—
45.	नाइट्रोफ्यूरेजोन आयंटमेंट (नान ग्रीसी आयंटमेंट बेस में 0.2 प्रतिशत)	(आयातित)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
46.	पोटासियमपरमेंगानेट पैकेटस	(आयातित)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र
	सैप्टिक-रोधी डिटरजेंटस और ड्रेसिंग		
47.	क्लोरोक्साइलेनोल सोल्यूशन	(आयातित)	—तदैव—
48.	रॉ कैटगाट को निष्फल बनाने के लिए, लूप और लूप लगाने वालों के लिए आयोडीन सोल्यूशन (क्लाडियम सोल्यूशन) (आयोडीन 1 जी पोट० आयोडीन	(अंशत: स्वदेशी)	—तदैव—

1	2	3	4
	1.5 जी० डिस्टिल्ड वाटर 100 मि० ली० पैदा करने के लिए)		
49.	इन्जेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट (10 प्रतिशत —10 मि० ली०)	(आयातित)	—तदैव—
50. क	प्लास्टर आफ पेरिस बेंडेजिज	—तदैव—	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
50. ख	एडेसिव प्लास्टर	—तदैव—	—तदैव—
	सामान्य संवेदना हारी		
51.	इथाइल क्लोराइड (100 एम० एल० स्पेर)	—तदैव—	ग्रामीण अस्पताल/ और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	कान पर औषधियों का प्रभाव		
52.	वोरिक एसिड एल्कोहल, ड्रापस (वोरिक एसिड 1.5 प्रतिशत, ग्लीसरोल 3-3 प्रतिशत इन एल्कोहल 95 प्रतिशत 10 मि० ली०)	—तदैव—	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र
	विटामिन		
53.	विटामिन, ए० के कैप्सूल 6000 यूनिट तथा कल्सीफेरोल 1000 यूनिट	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र
54.	विटामिन, बी० 1 बी० 06, बी० 12 के इन्जेक्शन (न्यूरोक्रोपिक)	(अंशत: स्वदेसी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपकेन्द्र तथा दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य

1	2	3	4
55.	टेबलेट एस्कार्बिक एसिड (100 मि० ग्रा०)	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
56.	इन्जेक्शन एस्कार्बिक एसिड (0.1 मि० ग्रा०) 2 मि० लीटर) तथा 0.5 ग्रा० 5 मि० ली०	(अंशत स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
आपातकालीन औषधियाँ			
57.	नाइकथामाइड (आई० पी० के इन्जेक्शन	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
58.	एन्टी वीनम सीरम पोलीवेलेण्ट	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
59.	रेसिड्रेशन फ्लअड (हैज़ा रोग के इलाज के लिए)	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
60.	इन्जेक्शन प्रिड-नीसोलोन एसेटेट (20 मि० ग्रा०/मि० लीटर)	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र
61.	ग्लूकोज एम्पाडल (जिसमें 25 प्रतिशत डेक्सट्रोज है)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र
62.	एम्पाडल डिस्टिलड-वाटर (25 सी० सी०	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र

1	2	3	4
63.	इन्जेक्शन फिनो-करबिटोन सोडियम	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
64.	टेटनस एन्टीटाक्सिन (1,500 आई० यू०, 10,000 आई० यू०, 20,000 आई० यू415,0000 आई० यू०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल तथा दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
65.	एड्रेनालाइन हाई-ड्रोक्लोराइड के इन्जे-क्शन एक मि० लीटर में 1 मि० ग्राम०	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्ताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र
66.	ब्लीचिंग पाउडर	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
67.	फिनेल	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
68.	पौट साइडेस	(अंशत स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
69.	सोडाबाइकर्ब	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
70.	टी० आर० बेलाडोना	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य

1	2	3	4
			केन्द्र तथा उप-केन्द्र
71.	टी० आर० कोडं को०	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
72.	सोडा सेलिसाइलस	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
73.	एसिड बोरिक	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
74.	ग्लाइसिरन	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
75.	पराफिन मोलसफ्लेवम	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
76.	लिक्विड पराफिन	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
77.	मेनग्नेसियम सल्फेट पाउडर	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र
78.	फिनेल बुटाजोन टेबलेट (100 मि० ग्रा०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य

1	2	3	4
			केन्द्र तथा उप-केन्द्र
79.	इन्जेक्शन हाइड्रोक्सी-एथिल थियो फाइलिन (220 मि० ग्रा० मि० ली०)	(आयातित)	
	मधुमेह रोधी औषधि		
80.	इन्जेक्शन इन्स्युलिन प्लेन (40 यूनिट प्रति मि० लीटर)	(अंशतः स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल/प्राथमिक स्वाथ्स्य केन्द्र
	घरेलू उपचार		
81.	मिल्क आफ मेग्ने-सिया टेबलेट (100 मि० ग्रा०)	(स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द
82.	सोडा-बाइकारबोनेट 548 प्रतिशत (इनोफूट साल्ट) ट्राटेरिक एसिड 35-1 प्रतिशत का संयोजन)	(अंशत: स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल तथा · प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
83.	प्रत्येक ग्राम का संयो-जन जिसमें शाशिलदो सोडियम सल्फेट एक्सिड 20 मि० ग्रान सोडियम क्लोराइड 10 मि० ग्रा० पोट क्लोराइड 10 मि० ग्रा० पोट सल्फेट 55 मि० ग्रा० साइट्रिक एसिड 45 मि० ग्रा० मेग्नेशियम सल्फेट एक्सिड (क्रूशेन्स साल्ट)	(अंशत स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक

1	2	3	4
	गोलियां क्रमशः		
84	फेनल-डाइमैथल-आइसोप्रोपियल पैरा-ओलोन 0.155 ग्रा० एसिड-पी-फेनिटिडिन 0.25 ग्रा० डी-एथीलडि-योसर-टेटराहाइड्रो-पोपिरिडाइन 50 मि० ग्रा० टिमेथिल आइअक्सोप्पूराइन 50 मि० ग्रा० (सारिडन) होता है।	(अंशत स्वदेशी)	ग्रामीण अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	गोलियां जिसमें :		
85.	एक्सपाइरन 0.26 ग्रा० फेनेसिटिन 0.26 ग्रा० ग्रा० गोडेन 8 मि० (कोडोपाइरन) होता है।	(स्वदेशी)	—तदैव—
मरहम जिसमें :—			
86.	रिसबलाइमिड आयोडीन 4 प्रतिशत मिथिल सिलिसिलेट 5 प्रतिशत होता है।	(अंशत: स्वदेशी)	—तदैव—
महरम जिसमें :—			
87.	आयल इहक लिप्टस 8 प्रतिशत आयल क्लौव 1 प्रतिशत केम्फोर 5 प्रतिशत मेन्थोल 3 प्रतिशत थिमोल 2 प्रतिशत मिथिल सेलीसिलेट 5 प्रतिशत होता है।	(अंशत: स्वदेशी)	—तदैव—
बच्चों के लिए टोनिक :			
88.	हर पन्द्रह मि० लि०	(स्वदेशी)	—तदैव—

1	2	3	4
	में विटामिन "ए" 12,500 आई० यू० विटामिन डी-2, 2500 आई० यू, सकेरेटिड आयरन आक्साइड 1.77 ग्रा०, कैल्शियम, ग्लूकोनेट 0.2 ग्रा० विटामिन बी-11.5 मि० ग्रा० विटामिन बी-2 3 मि० ग्रा० नियासिनोमइड 20 मि० ग्रा० माल्ट एक्सटेशन (शार्को-फेरल)		
खांसी का शरबत			
89.	प्रत्येक 5 मि० लि० में एन्टीमोनी टोट टटेट 0.56 मि० ग्रा० टरपेन हाइड्रेट 11.12 मि० ग्रा० कोडीन फासफेट 11.12 मिलीग्राम मिन्थौन 3.75 मि० ग्रा० टोलूसिरप 1.25 मि० लि० सिरिप वोसाका 0.47 मि० लि० (ग्लाइकोडिन टर्प बसाका)	(स्वदेशी)	—तदैव—
गोली जिसमें :—			
90.	मैंथोल 1.36 मि० ग्रा० ओलियोरेसिन क्यू-	पी० आई०	ग्रामीण अस्पताल। एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1	2	3	4
	वेक्स 0.12 मि० (पी० आई०) ओलियो ओन्सी 5 मि० ग्रा०, एक्सटेंशन ग्लाईरिआ बी० 80 मि० ग्रा० ओलियोमेंन्था बी० पी० पी० 5 मि० ग्रा० बालसम टौली आई० पी० 12मि० ग्रा० ओलियोइकली पट्स आई० पी० 3,6 मि० ग्रा० कैपसिटी बी० पी० सी० 8 मि० ग्राम० एक्सटेंशन तुसीला-जिन लिक्विड (1:1) 2.08 मि० ग्राम सुगर-कम-वेस (पेप्स कफ लोजिनजिस)		

[हिन्दी]

बिलासपुर अथवा जबलपुर (मध्य प्रदेश) में नया रेलवे जोनल कार्यालय

7526. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बिलासपुर अथवा जबलपुर में रेलवे का एक जोनल कार्यालय स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) और (ख) : संसाधनों की भारी कमी को देखते हुए सरकार किसी अतिरिक्त रेलवे जोन के सृजन पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में उर्दू माध्यम के स्कूल

7527. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के उर्दू माध्यम के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे अन्य प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या क्या है जिनमें उर्दू सेक्शन है;

(ग) इन स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की स्वीकृति प्राप्त संख्या कितनी है; और

(घ) 31 दिसम्बर 1985 को इन पदों पर कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) : जैसा कि दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है, 64 उर्दू माध्यम प्राथमिक से माध्यमिक स्कूलों का संचालन/सहायता उनके द्वारा दी जा रही हैं ।

(ख) 69 स्कूलों में उर्दू सेक्शन हैं ।

(ग) इन स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के 128 पद और अन्य वर्गों के शिक्षकों के 1075 पद संस्वीकृत किए गए हैं ।

(घ) 31-12-1985 की स्थिति के अनुसार 128 उर्दू शिक्षक और अन्य वर्गों के 890 शिक्षक कार्यरत थे ।

सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन परियोजना

7528. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन संबंधी कार्यकारी दल ने उड़ीसा के लिए पांच परियोजनाओं की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सातवीं परियोजना में उड़ीसा में अंतर्देशीय जल परिवहन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी कार्य दल ने उड़ीसा के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की सिफारिश की थी :

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	योजनाओं का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3
(1)	धोलपुर से कटक तथा बारंग तक महानदी द्वारा नौचालन का	113.00

1	2	3
	सुधार।	
(II)	उड़ीसा कास्ट कैनाल का सुधार निकर्षण एवं लाकों की मरम्मत।	150.00
(III)	मचगांव और अस्ट्रांग के बीच देवी नदी में यात्री-सेवाओं की व्यवस्था।	15.00
(IV)	वाली मेला जलाशय में यात्री-सेवा की व्यवस्था।	23.00
(V)	चिल्का झील में यात्री-सेवाओं और अन्य आधार-संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था।	44.00
	कुल	345.00

(ग) और (घ) : केन्द्र प्रायोजित क्षेत्रक के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजनाओं में से कोई भी योजना सम्मिलित नहीं की गई है। तथापि, उड़ीसा में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए राज्य योजना के अंतर्गत सातवीं योजना में 153.00 लाख रु० के परिव्यय का प्रबन्ध किया गया है।

[हिन्दी]

विमान अनुरक्षण इंजीनियरी में डिप्लोमा

7529. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बिभिन्न भागों में ऐसे अनेक संस्थान हैं जो विमान अनुरक्षण इंजीनियरी में डिप्लोमा प्रदान करने के लिए शिक्षा कार्य करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन संस्थानों को चलाने के लिए धनराशि आवंटित करती है;

(ग) यदि हां, तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करके लगभग कितने छात्र प्रति वर्ष इन संस्थानों से निकलते हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों मे राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश का कोई भी अनुमोदित पालिटेकनिक वायुयान रख रखाव इंजीनियरी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित नहीं करता। तथापि, ऐसे नौ निजी संस्थान हैं जो वायुयान रखरखाव इंजीनियरी में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रत्येक संस्थान में प्रति वर्ष दाखिला क्षमता लगभग 60 है तथा पाठ्यक्रम की कुल अवधि $2\frac{1}{2}$ वर्ष है।

(घ) से (च): ऐसे छात्रों को रोजगार देने की सरकार की कोई औपचारिक योजना नहीं है। अपना प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अनुभव पूरा कर लेने के पश्चात् इन्हें वायुयान रखरखाव इंजीनियरी में लाइसेंस जारी करने के लिए महानिदेशक नागर विमानन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने के ये छात्र पात्र हैं। इन्हें सामान्य तौर पर एयरलाइन्स तथा अन्य वायुयान संचालकों द्वारा खपा लिया जाता है।

[अनुवाद]

मेनिन्जाइटिस के कारण मृत्यु

7530. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन शहरों में मेनिन्जाइटिस को महामारी के रूप में पाया गया है; और

(ख) प्रत्येक शहर में पिछले छह माह के दौरान इससे पीड़ित कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई तथा इस महामारी के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) और (ख) : सरकार किसी भी बीमारी से होने वाली रुग्णता और मृत्यु के आंकड़ों के बारे में शहरवार सूचना संकलित नही करती है। ऐसे आंकड़े साधारणतः राज्यवार एकत्र किए जाते हैं। अब तक संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली संघ शासित क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू व कश्मीर से मेनिन्जाइटिस की अधिक घटनाओं की सूचना मिली है। वर्ष 1985 और 1986 के दौरान इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की घटनाओं और मौतों से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

राज्य	घटनाएं		मौतें	
	1985-1986		1985-1986	
दिल्ली	5658	1535	697	160
महाराष्ट्र	1573	432	338	29
गुजरात	191	165	43	45
जम्मू और कश्मीर	9	29	—	¬

भारतीय जनसंख्या परियोजना के अंतर्गत जिलों के चयन के मानदंड

7531. **श्री आई० रामा राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत जिलों को चुनने के लिए क्या मानदंड अपनाएं गए हैं;

(ख) केरल में इस परियोजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों को चुना गया है; और

(ग) इन जिलों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) भारत जनसंख्या परियोजना के लिए जिलों का चयन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की सलाह से किया गया था :—

(1) जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र ।

(2) समुदाय में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उच्च प्रतिशतता वाले क्षेत्र ।

(3) उच्च मृत्यु दर वाले ऐसे क्षेत्र जहां शिशु और मातृ मृत्यु दर ऊंची हो ।

(4) ऐसे जिले जहां का कार्य निष्पादन पहले कम रहा है और जहां अधिक कार्य हो सकने की सम्भावनाएं हैं ।

(5) ऐसे जिले जो सारे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और जहां पर कार्यक्रम की सफलता राज्य के दूसरे जिलों के लिए अनुकरणीय हो सकती है ।

(ख) भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत केरल में इदुक्की, पालघाट, मालापुरम और विनाड जिलों का चयन किया गया था ।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं/इनपुट्स की व्यवस्था की जाती

है :—

(1) सेवा प्रदान करने वाले केन्द्रों (उप-केन्द्र, सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,) अनिवार्य आवासीय भवनों और प्रशिक्षण के लिए कुल केन्द्रों मिलाकर 1195 भवनों का निर्माण।

(2) प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की तकनीकी और प्रबन्ध कुशलता में सुधार।

(3) सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को सुदृढ़ करना।

(4) नयी उन्नत प्रबन्ध सूचना और मूल्यांकन पद्धति तैयार करना।

(5) जनसंख्या शिक्षा आरंभ करना।

(6) अनुसंधान संबंधी कार्य-कलाप शुरू करना।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली से पुस्तकों का गुम होना

7532. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली से बहुत सी पुस्तकें और पांडुलिपियां गुम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गुम हुई पुस्तकों और पांडुलिपियों के स्थान पर नई पुस्तकें और पाण्डुलिपियों की व्यवस्था करने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) पुस्तकालय से 1966 में इसके आरंभ होने से 20 वर्षों में राजनीति, सामाजिक, अर्थशास्त्र और भारत के धार्मिक इतिहास जैसे विषयों की केवल 257 पुस्तकें खो चुकी हैं। इस समय पुस्तकालय के इसके शेल्फों में 1,00,541 पुस्तकें हैं। खोई हुई पुस्तकों को नई पुस्तकों से, जब कभी ये बाजार में उपलब्ध होंगी, बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक सात पुस्तकों को बदला जा चुका है।

सिंचाई विकास निगम की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव

7533. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए एक सिंचाई विकास निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ वर्ष पहले कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया था और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत लाए गए जनजातीय क्षेत्र

7534. **श्री आर० एम० भोये : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधाएं देने के प्रयास किए गये थे; और

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) : जी, हां।

(ख) : छठी योजना के दौरान जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत नीचे दर्शाये गये अनुसार लगभग 6.66 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी। केरल, कर्नाटक तथा सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार तथा गोवा, दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

राज्य का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में
1. आन्ध्र प्रदेश	5,859
2. असम	21,590
3. बिहार	1,02,122
4. गुजरात	49,390
5. मध्य प्रदेश	1,60,000
6. महाराष्ट्र	41,760
7. उड़ीसा	2,12,930
8. राजस्थान	47,295
9. पश्चिम बंगाल	15,161
10. मणिपुर	2,800

1	2	3
11.	हिमाचल प्रदेश	2,122
12.	तमिलनाडु	701
13.	त्रिपुरा	3,028
14.	उत्तर प्रदेश	1,000

"मैग्नेटोथेरापी" द्वारा रोगों का इलाज

7535. **श्री एच० ए० डोरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैग्नेटोथेरापी" से बहुत से रोगों का इलाज किया जा सकता हैं और यह गठिया, पोलियो, पत्थरी, स्पैंडिलाइटिस, साइटिका आदि के लिए इलाज में बहुत लाभदायक रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस थेरापी की मुख्य बातें क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) : भारत सरकार ने इस विषय पर अभी कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हृदय रोग के रोगी

7536. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हृदय रोगों के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) हृदय रोगों से लगभग कितने प्रतिशत मौतें होती हैं; और

(ग) हृदय रोगों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) ऐसे कोई भी विश्वसनीय आंकड़े नहीं है जिनसे देश में हृदय रोग होने की किसी निश्चित प्रवृत्ति का पता चलता हो ।

(ख) हृदय रोग अधिसूचनीय रोग नहीं हैं और इस प्रकार हृदय के विभिन्न रोगों से होने वाली मौतों की प्रतिशतता के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ग) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमवात ज्वर और आमवात हृदय

रोगों के नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। सभी मुख्य अस्पतालों में उपचारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं विकसित कर दी गयी हैं।

एशियाटिक सोसायटी का कार्यकरण

7537. श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाटिक सोसायटी के राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनने के बाद से इसके पुस्तकालय की सुविधाओं और पेंटिंग्स तथा दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के लिए इस सोसायटी द्वारा यदि कोई सुधार कार्य शुरू किये गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) उक्त सोसायटी के राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनने के बाद किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्टियों और सम्मेलनों, अनुसंधान प्रकाशनों का आयोजन किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मार्च 1984 के ऐशियाटिक सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत ऐशियाटिक सोसायटो, कलकत्ता एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन गई। निम्नलिखित पैरा से पुस्तकालय सुविधाओं और चित्रकारी और दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के क्षेत्र में सोसायटी द्वारा किए गए सुधारों का पता चलता है।

पुस्तकालय सुविधायें :

1985 में अर्हता प्राप्त नये पुस्तकाध्यक्ष और अनेक प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति से पुस्तकालय सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। 1983 में केवल 3 पुस्तकें प्राप्त की गई थीं और 6 नये धारावाहिक जोड़े गये थे। 1984-85 में 1199 पुस्तकें प्राप्त की गई और 8 धारावाहिक जोड़े गये, जबकि 1985-86 में 2632 पुस्तकें प्राप्त की गई और 75 धारावाहिक जोड़े गये। 15 जून 1985 तक पुस्तकालय एक सप्ताह में 41 घन्टे खुला था जबकि 15 अप्रैल, 1986 से यह एक सप्ताह में 76 घन्टे खुला रहा।

चित्रकारी तथा दुर्लभ पुस्तकों का संरक्षण :

1984-85 से वैज्ञानिक संरक्षण पद्धतियां शुरू की गई हैं और इसके परिणाम स्वरूप संरक्षण कार्य में बहुत सुधार हुआ है। ध्यम्लन, परतबन्दी और पुस्तकों की जिल्द-साजी के ज़रिये संरक्षण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है इसके अलावा तैलीय चित्रकारी के पुनरुद्धार का कार्य बहुत ही गम्भीर रूप से किया जा रहा है। 9 तैलीय चित्रकारियां पुनरुद्धार कार्य के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली को पहले ही भेजी जा चुकी है।

निम्नलिखित सांख्यिकियों से इन क्षेत्रों में किए गए कुछ सुधारों का संकेत मिलेगा।

वर्ष	अतक परतबंदी	एसीटेट फोइल पर्णिका	धूमन	जिल्द बंदी	धूल झाड़ने का कार्य
1983	2182 शीट	600 शीट	शून्य	349 खण्ड	56895 फीट
1984-85	3028 ,,	5174 ,,	1200	316 खण्ड	1.63 लाख ,,
1985-86	2231 ,,	2366 ,,	8101	5109 खण्ड	2.60 लाख ,,

वर्ष	कवक नियंत्रण	विसंक्रमण	चमड़ा परिरक्षण मिश्रण का प्रयोग
1983	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1984-85	2500 खण्ड	10 लाख आवधिक	1984 में कुछ नहीं
1985-86	1 लाख खण्ड	21.86 लाख आवधिक	1985 में 596 खण्ड

माइक्रोफिल्म तैयार करना

परिरक्षण कार्य में माइक्रोफिल्म तैयार करने की आधुनिक तकनीक पहले से ही अपना ली गई है। 1983 में, 10032 पेजों की माइक्रोफिल्म तैयार की गई, 1984 और क्रमशः और 1985 में 25326 और 18750 पृष्ठों की माइक्रोफिल्म तैयार की गई थी।

(ख) शैक्षणिक कार्यकलाप

पहले, सोसायटी एक पूर्णतः अनुसंधान उन्मुख संस्था थी जिसके कार्यकलाप उसके पुस्तकालय और संग्रहालय तक केन्द्रित थे। परन्तु 1985-86 के दौरान कई शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के प्रारंभ, और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के विविधीकरण और अनुसंधान कार्यकलापों में वृद्धि के साथ सोसायटी को एक शैक्षणिक-अनुसंधान निकाय के रूप में बदल दिया था। शैक्षणिक क्षेत्र में नियमित कार्यकलापों के अतिरिक्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसे जुलाई, 1685 से आरंभ किया गया है, सहित पाण्डुलिपि लेख शास्त्र और प्राच्य अध्ययनों के दो एम० फिल० पाठ्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। ये पाठ्यक्रम भारत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाए जाते। इसके अलावा, उच्च संस्कृत अध्ययन और अनुसंधान संस्थान अगस्त, 1985 में आरम्भ किया गया था, जहां शास्त्री और आचार्य का शैक्षिक संस्कृत पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। कुछ और संस्थान/केन्द्रों को शीघ्र ही आरंभ करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन

1984-85 में 13 व्याख्यान, 11 सेमिनार और 1 सम्मेलन आयोजित किया गया। 1985-86 में 17 व्याख्यान 13 सेमिनार और एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

1 से 2 फरवरी, 1986 में आयोजित भारत-यूरोपीय भाषा विज्ञान के एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

अनुसंधान प्रकाशन

1984 में विब्लियोथेका इण्डिका श्रृंखला में एक प्रकाशन, एक पत्रिका और तीन विविध प्रकाशन प्रकाशित किए गए। 1985 में विब्लियोथेका इंडिका श्रृंखला में 8 प्रकाशन, 6 पत्रिकाएं, 1 मोनोग्राफ और 4 विविध प्रकाशन प्रकाशित किये गए। 1984-85 से पूर्व सोसायटी की तिमाही पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित नहीं की जाती थी। किन्तु अब यह पत्रिका नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही के अन्त में प्रकाशित हो रही है। 12 वर्षों में पहली बार सोसायटी के प्रकाशनों की अद्यतन ग्रन्थसूची प्रकाशित की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली को गलगंड प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का सुझाव

7538. **श्री सोमजी भाई डामर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीटयूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइन्सेज ने दिल्ली प्रशासन से दिल्ली को तुरन्त गलगंड प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है;

(ग) क्या इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइन्सेज द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि दिल्ली में स्कूलों के 30 प्रतिशत से अधिक छात्र इस रोग से ग्रस्त है; और

(घ) क्या इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइन्सेज के निदेशक ने सुझाव दिया है कि सरकार को केवल आयोडीन युक्त नमक की ही बिक्री करने तथा साधारण नमक की बिक्री पर रोक लगाने हेतु कानून बनाना चाहिए;

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) जी हां, सरकार को दिल्ली में गलगण्ड की घटनाओं की जानकारी है। इन समस्याओं पर नियंत्रण रखने, के लिए दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में पहले ही सुपर बाजार की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से आयोडिकृत नमक सप्लाई किया जा रहा है। नमक आयुक्त ने 1986-87 के दौरान दिल्ली के लिए आयोडिकृत नमक की सम्पूर्ण जरूरत को पूरा करने का प्रस्ताव भी किया है। जनवरी और फरवरी, 1986 के दौरान दिल्ली को 3841 मैट्रिक टन आयोडिकृत नमक सप्लाई किया गया था।

[अनुवाद]

फिनील फार्मालडिहाइड सिंथेटिक रेसिन का कामगारों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव

7539. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्नीचर और लकड़ी उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले फिनोल फर्मालडिहाइड सिंथेटिक रेसिन से कैंसर रोग हो जाता है;

(ख) क्या इस घातक रसायन का कोई विकल्प है;

(ग) क्या सरकार ने इस रसायन के उत्पादन कार्य में लगे कामगारों के स्वास्थ्य का कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस खतरनाक रसायन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने और इस रसायन के प्रभाव के बारे में जनता को जानकारी देने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

के० के० रेलवे लाइन के विद्युतीकरण पर खर्च की गई राशि

7540. श्री अजित कुमार साहा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप यातायात की क्षमता में मीटरी टन और किलोमीटर के रूप में वृद्धि हुई है;

(ख) के० के० रेलवे लाइन के विद्युतकरण से पहले और विद्युतीकरण के बाद कितने माल की ढुलाई हुई और यात्रियों के आवागमन की क्षमता क्या थी; और

(ग) के० के० रेलवे लाइन के विद्युतीकरण पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी हां।

(ख) विद्युतीकरण के पहले और बाद में ढोया गया प्रतिदिन वास्तविक शुद्ध टन किलो-मीटर नीचे दिया गया है :—

	शुद्ध टन किलोमीटर दिन
(1) विद्युतीकरण से पहले (1979-80)	7482
(2) विद्युतीकरण के बाद (1983-84)	3257

(ग) 53.31 करोड़ रूपये।

भारत महोत्सव का आयोजन

7541. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस में आयोजित किये गये भारत महोत्सव की भारी सफलता को दृष्टि में रखते हुये आगामी तीन वर्षों में अनेक भारत महोत्सव आयोजित करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां-कहां इनका आयोजन किया जायगा; और

(ग) इन महोत्सवों को सफल बनाने के लिये यदि कोई कार्रवाई आरंभ की गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) सोवियत संघ से भारतोत्सव : जून 1987 से जून, 1988

जापान में भारतोत्सव : अप्रैल, 1988 से अक्तूबर, 1988 (अस्थायी)

(ग) सोवियत संघ में भारतोत्सव के लिए पूरी पारस्परिकता के आधार पर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर पर उत्सव मनाने के लिए एक करार पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। समारोहों और कार्यक्रमों का चयन किया जा रहा है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विभानन प्राधिकरण द्वारा निविदाएं जारी करना

7542. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए अन्तर्राष्ट्रीय कारगो काम्पलैक्स में सुरक्षा सेवाओं का काम गैर सरकारी पार्टियों को सौंपने के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण द्वारा निविदाएं जारी करने के क्या कारण हैं;

(ख) कितने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सफाई व्यवस्था गैर-सरकारी ठेकेदारों के हाथों में है; और

(ग) हवाई अड्डों की सुरक्षा का काम सरकारी सुरक्षा दस्तों को सौंपने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पर चालू होने वाले नए माल टर्मिनल के लिए केवल

निगरानी और चौकीदारी सेवाओं के लिए निविदाएं मांगी हैं। परन्तु विमान क्षेत्र सुरक्षा का उत्तरदायित्व पहले की तरह नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय पर होगा।

(ख) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्रों के कुछ हिस्सों की सफाई के कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों को लगाया गया है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर सुरक्षा का कार्य पहले से ही राज्य/केन्द्रीय पुलिस बलों के हाथों में है जिसका समग्र अधीक्षण नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

पौष्टिक आहार को स्वास्थ्य संबंधी देख-भाल के समेकित अंग के रूप में मानना

7543. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती माताओं, नवजात शिशुओं तथा स्कूली बच्चों के विशेष संदर्भ में, पौष्टिक आहार को स्वास्थ्य संबंधी देख-भाल का समेकित अंग मानने की अवधारणा के प्रचार पर कोई जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी एक समेकित व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि पौष्टिक आहार पर्यावरण, निवारक तथा सर्वरोग औषधियां उपलब्ध कराई जा सकें ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. रोजगार के अवसर बढ़ाना।

2. सार्वजनकि वितरण प्रणाली के विस्तार के माध्यम से समान वितरण।

3. शुद्ध पेय जल सप्लाई की व्यवस्था।

4. व्यापक पैमाने पर रोग-प्रतिरक्षण।

5. स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का विस्तार।

6. वैयक्तिक स्वच्छता के बारे में जागरुकता पैदा करना।

7. संचारी रोगों और आंत्र पर्याक्रमण पर नियंत्रण।

सीधे पोषण इन्टरवेंशन योजनाओं के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए जो तात्कालिक उपाय किये जाते हैं उनमें एकीकृत बाल विकास सेवाएं, विशेष पोषण कार्यक्रम बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम और मध्यवधि भोजन योजना शामिल है।

गैर मान्यता प्राप्त भाषाओं का संवर्धन

7544. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संविधान अथवा साहित्य आकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं का संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले और दूसरे वर्ष के दौरान इस बारे में शुरू किए गए कार्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेष रूप से जब कि आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 146 भाषाओं/बोलियों को मान्यता दी है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर राज्य सरकारों की है। यद्यपि, भारत सरकार अपने प्रयत्नों से, संविधान की आठवीं अनुसूची में उन्हें सम्मिलित किए जाने का ध्यान किए बिना, सभी भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने में सहायता करती रही है। जिन भाषाओं के लिए सहायता दी जाती है उनमें कुछ जन-जातीय भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं जैसे फारसी, अरबी और पाली तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रम जिन्हें सहायता दी गयी है और निरंतर सहायता प्राप्त करते रहेंगे, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रणाली-विज्ञान में अनुसंधान, प्रकाशन के लिए सहायता, पाण्डु-लिपियों का सम्पादन भाषाओं के अध्ययन और अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां, श्रेणीय भाषाओं में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मान-प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना।

संस्थाओं और पुस्तकालयों को निःशुल्क वितरित किए जाने हेतु भारी मात्रा में पुस्तकों की खरीद, भाषाओं के शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण, सामग्रियों को तैयार करना आदि शामिल हैं।

2. जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर जन-जातीय, सीमावर्ती और अन्य अल्पसंख्यकों की भाषाओं के सम्बन्ध में कार्य करता रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले और दूसरे वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा जो कार्यक्रम किए गए और जिन्हें शुरू किया जा रहा है उनमें 18 जन-जातीय भाषाओं का अध्ययन; मणिपुर, राजस्थान, दादरा और नागर हवेली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक की जन-जातीय भाषाओं में प्रवेशिकाएं (प्राइमरी) तैयार करना;

राजस्थान, दादरा और नागर हवेली, कर्नाटक और नागालैण्ड में प्रयोग के तौर पर जनजातीय स्कूलों में द्वि-भाषी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और बाल साहित्य को जन-जातीय भाषाओं में अनुवाद करने और जन-जातीय भाषाओं में रचनात्मक लेखन पर कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल हैं।

3. अपने साहित्यिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भाषाओं को मान्यता देने के अतिरिक्त साहित्य अकादमी ने उन भाषाओं के विकास में सहायता करने के लिए एक योजना भी तैयार की है जिन्होंने मान्यता प्रदान करने के लिए निवेदन किया है परन्तु वे इस प्रयोजन के लिए निर्धारित माप-दण्ड पूरा नहीं करती हैं। अकादमी, द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता प्रदान नहीं की गई है जिनके लिए एक भाषा विकास बोर्ड स्थापित किया गया है उन भाषाओं में व्याकरणों, शब्द-कोषों और अन्य बुनियादी पुस्तकों के प्रकाशन में मदद देने का अकादमी का प्रस्ताव है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के मिदनापुर रेलवे स्टेशन का नवीकरण

7545. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे के मिदनापुर रेलवे स्टेशन के नवीकरण करने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) मिदनापुर रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्टेशन पर मौजूदा सुविधाएं फिलहाल पर्याप्त समझी जाती हैं।

मेचेदा रेलवे स्टेशन भवन (दक्षिण पूर्व रेलवे) प्रारम्भ करना

7546. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेचेदा रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन भवन को प्रारम्भ करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य में हुए बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) नए स्टेशन भवन को कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण मध्य रेलवे में कुड्डापाह राजमपेट और तिरुपति रेलवे स्टेशनों का विकास

7547. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में आन्ध्र प्रदेश में कुड्डापाह राजमपेट और तिरूपति रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चालू वर्ष में किन योजनाओं पर विचार किया गया है; और

(ख) क्या इन स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों के सुझावों पर विचार किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे पर आंध्र प्रदेश में कुड्डापाह, राजमपेट और तिरुपति रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चालू वर्ष में कोई योजनाएं प्रस्तावित नहीं की गयी हैं।

(ख) तिरुपति पर मध्यम स्तर के प्लेटफार्म को उच्च स्तर प्लेटफार्म तक बढ़ाने और ऊपरी पैदल पुल के विस्तार के लिए कुछ सुझाव है। इन पर विचार किया गया है, किन्तु धन की तंगी के कारण चालू वर्ष में इन्हें शुरू नहीं किया जा सका।

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश को आवंटित की गई धनराशि

7548. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष पोषाहार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) आन्ध्र प्रदेश को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना के दौरान अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) आन्ध्र प्रदेश में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत छठी योजना में 956 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

(ख) और (ग) : आन्ध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पोषाहार के लिए (विशेष पोषाहार कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और गैर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कम्पोनेन्ट्स) सातवीं योजना परिव्यय नीचे दर्शाया गया है :—

पोषाहार परिव्यय सातवीं योजना (1985-90) (लाख रुपयों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	(परिव्यय)
1. आन्ध्र प्रदेश	5360
2. असम	2000
3. बिहार	3500
4. गुजरात	59550
5. हरियाणा	2794
6. हिमाचल प्रदेश	282
7. जम्मू तथा कश्मीर	755
8. कर्नाटक	11000
9. केरल	4000
10. मध्य प्रदेश	3389
11. महाराष्ट्र	5000
12. मणिपुर	220
13. मेघालय	500
14. नागालैंड	450
15. उड़ीसा	1600
16. पंजाब	1650
17. राजस्थान	1596
18. तमिलनाडु	54000
19. सिक्किम	270
20. त्रिपुरा	2000
21. उत्तर प्रदेश	4470
22. पश्चिम बंगाल	5000
जोड़ : राज्य	169386

केन्द्र शासित प्रदेश	(लाख रुपयों में)
23. अंडमान और निकोबार	70
24. अरुणाचल प्रदेश	200
25. चण्डीगढ़	242
26. दादर और नगर हवेली	42.5
27. दिल्ली	2787
28. गोवा, दमन और दीव	120
29. लक्षद्वीप	31
30. मिजोरम	150
31. पांडिचेरी	265
कुल केन्द्र शासित प्रदेश	3907.5
सकल योग	1,73,293.5

मोतियाबिन्द के रोगी

7549. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** :

श्री हरिहर सोरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोतियाबिन्द के रोगियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह देखा गया है कि गत तीन वर्षों में मोतियाबिन्द के रोगियों की संख्या निरन्तर कम होने का सरकार का दावा किये जाने के बावजूद देश में मोतियाबिन्द के रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(घ) सरकार के इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों को इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए प्रोत्साहन दिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) : जी हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद के सहयोग से वर्ष 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टि-हीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मोतियाबिन्द के प्रकोप पर एक बहुकेन्द्रीय सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) इस सर्वेक्षण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परिणामों के मोतियाबिन्द के उच्च प्रकोप का पता चला तथा भिन्न-भिन्न राज्यों की संख्या में भी काफी अन्तर था।

(ग) मोतियाबिन्द के प्रकोप में बढ़ोतरी होने के कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु पिछले दशक में मोतियाबिन्द के बकाया आपरेशनों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है :—

मोबाइल यूनिट	80
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	2000
जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण	404
मेडिकल कालेजों के नेत्र चिकित्सा विभागों का दर्जा बढ़ाना	58
क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान	9
जिला मोबाइल यूनिट	30
राज्य नेत्र चिकित्सा सैल	18
नेत्र चिकित्सा का प्रशिक्षण स्कूल	37

स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र शिविर लगाने के लिए सहायता अनुदान भी मंजूर किए जाते हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान किए गए आपरेशनों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	किए गए आपरेशन (रुपये लाखों में)
1981-82	5.5
1982-83	9.04
1983-84	10.69
1984-85	11.37

(ङ) इस कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र शिविर लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 60/- रुपये प्रति आपरेशन के हिसाब से वित्तीय सहायता देय है।

विवरण

(आई० सी० एम० आर०-एन० पी० सी० बी०)
मोतियाबिन्द पर एक व्यापक अध्ययन

मदन मोहन

विभिन्न केन्द्रों पर मोतियाबिन्द की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था इस । अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस समस्या की गंभीरता और मोतियाबिन्द के उन मौजूदा, पहले के और नये रोगियों का हिसाब लगाना था जिन्हें आपरेशन की जरूरत थी । यह आशा थी कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं का आयोजन करने में मदद मिलेगी ।

यह अध्ययन 19 मुख्य केन्द्रों पर किया गया था जो देश के. सभी मुख्य-मुख्य राज्यों में थे । यह सवेक्षण उन संबंधित मोबाइल नेत्र उपचार यूनिटों द्वारा किया गया था जिनका स्टाफ आर० पी० सैन्टर में आयोजित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित था । इण्टर-ओबजरबर वे रिऐशन्स को कम करने के भाग लेने वाले अन्वेषकों को एक जैसा प्रशिक्षण दिया गया । कोआर्डिगनेटिंग आफिस में जिलों और गांवों का चयन इक्के-दुक्के के आधार पर किया गया था ।

प्रत्येक यूनिट से यह आशा की जाती थी कि वह लगभग कुल 4,000 की आबादी को सेवाएं प्रदान करेगी । इस अध्ययन की मानी रिंग को आर्डिनेटिंग कार्यालय के अधिकारियों द्वारा की गयी थी और विभिन्न कारणों की वजह से 4 केन्द्रों को छोड़ना पड़ा था ।

प्रमुख निष्कर्ष :

1. मोतिया बिन्द की व्यापकता भिन्न-भिन्न दिखायी गई है । जिन व्यक्तियों की आयु 40 वर्ष और उससे अधिक थी देखिये (**अनुबन्ध 4**) उनमें आयु एडजस्टिड दरें 34.5 प्रतिशत (रायपुर)से 69.8 प्रतिशत (अंगामाली) तक थी । शेष केन्द्रों की तुलना में दक्षिण भारत के केन्द्रों में सामान्यत: व्यापकता दर अधिक पाई गयी मोतियाबिन्द की किस्म जो वह देखी गई "सीधे ओपथल्मोस्कोपी अथवा औब्लीक इलियूमिनेशन से एक अथवा दोनों नेत्रों में लेण्टीकुलर कैप्सटी की थी ।"

2. मोतियाबिन्द की व्यापकता के साथ आयु का सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ था । 40-45 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों में न्यूनतम व्यापकता 2.6 प्रतिशत नोट की गयी, लेकिन 80 वर्ष और उससे अधिक वाले व्यक्तियों की दृष्टि शत प्रतिशत खराब थी । अत: यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उच्च व्यापकता वाले क्षेत्रों में मोतियाबिन्द जल्दी हो जाता है और कम व्यापकता वाले क्षेत्रों में यह देर से होता है ।

3. इसका सम्बन्ध साक्षरता से भी है । अनपढ़ व्यक्तियों को यह जल्दी होता है और पढ़े

लिखे लोगों को यह देर से होता है ।

4. मोतियाबिन्द का सम्बन्ध घर के अन्दर तथा खुले क्षेत्र में कार्य करने से नहीं है। ऐसी स्थितियों में कोई भिन्नता नहीं देखी गयी है ।

5. मोतियाबिन्द वाले आंखों के 92 प्रतिशत मामलों में बुढ़ापा भी कारण था ।

6. आपरेशन के पिछले बकाया पड़े मामलों और नए सम्भावित मामलों में एक सा मानदण्ड अपनाया गया । इस प्रकार आँखों की शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

पिछले रोगी	—75 लाख (परिपक्व और अधिक परिपक्व मोतियाबिन्द)
प्रथम दो वर्षों में नए रोगी	—42 लाख (काफी अपरिपक्व मोतिया बिन्द-1/60 अथवा कम दृष्टि)
अगले दो वर्षों के दौरान नए रोगी	—42 लाख-तदैव-3/60 दृष्टि, 1/60 से बेहतर)
पांचवे और छठे साल के दौरान नए रोगी	—49 लाख (-तदैव-6/60 दृष्टि, 3/60 से बेहतर)

मोटे तौर पर नए रोगियों की संख्या 21 लाख प्रतिवर्ष आती है जबकि आपरेशनों की वर्तमान क्षमता 11 लाख है।

7. मोतियाबिन्द वाले आंखों की संख्या 210 लाख है जबकि 1971-74 के दृष्टिहीनता अध्ययन के अनुमान के अनुसार ऐसी ही दृष्टि वालों की संख्या लगभग 100 लाख है (मोतियाबिन्द से अन्धे 50 व्यक्तियों का दुगुना) इससे इससे पता चलता है कि पिछले रोगियों में प्रतिवर्ष 10 लाख आंखों की वृद्धि हो जाती है ।

नेत्रहीनता और परिपक्व और अधिक परिपक्व प्रकार के मोतियाबिन्द में 0.93 का अनुपात है । इस प्रकार कुल आंखों में से जिनका अब तक आपरेशन किया जाना चाहिए, आधे आपरेशन के बिना रह जाते हैं। इसका मतलब किए गये उपायों द्वारा आधे रोगियों की देखभाल हो पाती है । जैसा कि ऊपर क्रमसंख्या-6 में बताया गया है ।

अनुबंध

40 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में मोतियाबिन्द की प्रचलित दर :—

केन्द्र	प्रतिपादिक दर (प्रतिशत)	समायोजित आयु (प्रतिशत)
1	2	3
इलाहाबाद	48.6	51.1

1	2	3
(उत्तर प्रदेश)		
अंगासलूली (केरल)	72.6	69.8
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	31.5	31.5
बंगलौर (कर्नाटक)	48.9	48.2
भोपाल (मध्य प्रदेश)	41.8	35.9
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	48.7	53.4
दिल्ली (दिल्ली)	56.9	54.8
धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	38.8	35.5
गोहाटी (असम)	32.2	33.8
जामत नगर (गुजरात)	49.8	47.0
झांसी (उत्तर प्रदेश)	62.2	59.0
कुरबुल (आन्ध्र प्रदेश)	62.7	59.3
मदुरई (तमिल-नाडु)	59.3	62.2
पटियाला (पंजाब)	40.2	36.2
रायपुर (मध्य प्रदेश)	30.1	34.5

मोतियाबिन्द की परिभाषा : सीधी आपथलमोस्कोपी अथवा तिरछे प्रकाश से एक अथवा दोनों आंखों में दृष्टि तीक्ष्णता के बावजूद पता चली कोई मसूराकार फुल्ली।

टिप्पणी : उपरोक्त दरों में नेत्रहीनता शामिल है।

आई० सी० एम० आर०—एन० पी० सी० बी० मोतियाबिन्द पर सामूहिक अध्ययन:—

मुख्य सहयोगी—प्रो० मदन मोहन

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी—डा० राजकुमार

सहायक संख्यिकीय—श्री आर० एन० गोस्वामी

परामर्शदाता—डा० एस० पी० धीर

केन्द्र	शामिल किया गया जिला	निरीक्षक	सहायक निरीक्षक
1	2	3	4
1. श्रीनगर	अनन्तबाग	डा० मंजूर अहमद	डा० गोवहर अहमद
2. धर्मशाला	मण्डी	डा० आर० सी० सक्सैना	
3. पटियाला	लुधियाना	डा० धनवन्त सिंह	डा० एम० एस० होरा
4. दिल्ली	गुडगांव	डा० एस० के० अंगरा	डा० आर० के० जैन
5. श्री गंगानगर	बीकानेर	डा० के० बी० एल० भार्गवा	डा० ओ० पी० आचार्य
6. झांसी	ललितपुर	डा० ए० एन० महरोना	डा० शोभा रानी
7. इलाहाबाद	इलाहाबाद	डा० डी० के० श्रीवास्तव	डा० आर० पी० सिंह
8. पटना	पटना	डा० जे० एन० रोहतगी	
9. कलकत्ता	हुंगली	डा० आई० एस० राय	डा० पी० एल० शाह
10. गोहाटी	नौगांव	डा० एल० सी० दत्त	डा० डी० चौधरी
11. कटक	कटक	डा० डी० एन० आचार्य	डा० ए० एम० राय

1	2	3	4
12. रायपुर	रायगढ़	डा० आई० एम० शुक्ला	डा० ए० एन० मित्तल
13. भोपाल	सेहोर	डा० सन्तोष सिंह	डा० चक्रवर्ती
14. औरंगाबाद	औरंगाबाद	डा० डी० एल० मारिया	डा० बी० एस० चिन्चोबे
15. जामनगर	भावनगर	डा० (श्रीमती) एम० बी० कुलकर्णी	डा० डी० सी० मेहता
16. बंगलौर	बंगलौर	डा० एच० थिम्मैया	
17. कुरबूल	कुरबूल	डा० लक्मणा स्वामी रेड्डी	
18. मदुरई	रामानाथ पुरम	डा० पी० एस० सुब्रामणियम	डा० टी० मनिका वासगन

डिब्रूगढ़ तक रेलवे लाइन को बढ़ाना

7550. **श्री पराग चलिहा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को अपर असम में बड़ी रेलवे लाइन को डिब्रूगढ़ तक बढ़ाने के सम्बन्ध में असम के लोगों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग की जानकारी है और यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : डिब्रूगढ़ तक बड़ी लाइन का विस्तार करने के सम्बन्ध में नौ गांव, जोरहाट तथा शिवसागर को जोड़ते हुए एक वैकल्पिक बड़ी लाइन के मार्ग के लिए प्राथमिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। त्रिनसुकिया के रास्ते गुवाहटी से डिब्रूगढ़ तक की मौजूदा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में सीधे बदलाव के लिए एक अन्य सर्वेक्षण प्रगति पर है। सीधे बदलाव की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी जांच होने के बाद ही गुहावटी से आगे बड़ी लाइन के विस्तार के बारे में निश्चिय किया जायेगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

इन्डियन एंयरलाइन्स द्वारा यात्रियों की ढुलाई तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन

7551. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रति वर्ष कितने यात्री ढोए; गए; और

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) वाहित यात्रियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	(वाहित यात्रियों की संख्या (लाख में)
(1) 1982-83	68.47
(2) 1983-84	76.69
(3) 1984-85	85.09

(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे बताई गई है :—

	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए)
(1) 1982-83	119.58
(2) 1983-84	137.03
(3) 1984-85	147.83

अमरीका की ज्योरजिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनालाजी के साथ सहयोग

7552. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की ज्योरजिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनालाजी ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के साथ विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में सहयोग करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सरकार ने इन दो संस्थाओं के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औषध परीक्षण प्रयोगशालायें

7553. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों को क्या सहायता देने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) फिल-हाल, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में फिल्म अध्ययन केन्द्र

7554. **श्री के० कुन्जम्बु :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :
श्री के० मोहनदास :
प्रो० के० के० तिवारी :
श्री उत्तम राठौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कालेजों और विश्वविद्यालयों में फिल्म अध्ययन केन्द्रों की स्थापना में सहायता करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केरल में ऐसा कोई केन्द्र खोला जायेगा?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों का फिल्म अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। इन केन्द्रों का उद्देश्य आधुनिक कला के प्रकार के रूप में तथा सामाजिक संसूचना और शिक्षा के एक माध्यम के रूप में फिल्म की जानकारी को बढ़ावा देना है। इन केन्द्रों के कार्यकलाप नियमित रूप से प्राचीन फिल्मों को प्रदर्शित करना, फिल्मों पर चर्चायें, संगोष्ठियां, लेक्चर आदि आयोजित करना तथा फिल्म संस्कृति की प्रोन्नति के लिए सूचना का प्रसार करना है। आयोग प्रत्येक केन्द्र को प्रत्येक वर्ष 35,150.00 रु० की अनावर्ती सहायता तथा 21,400.00 रु० का आवर्ती अनुदान देकर सहायता करेगा।

(ग) आयोग द्वारा योजना की मार्गदर्शी रूप रेखायें फरवरी, 1986 में अनुमोदित की गई थी और विश्वविद्यालयों को परिचालित की गई थी। इस परिपत्र के प्रत्युत्तर में प्रस्तावों सहित केरल के प्रस्तावों पर, जैसे ही ये प्राप्त होंगे विचार किया जाएगा।

दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन बनाने के लिए रेलवे सुधार समिति की सिफारिश

7555. **श्री एच० एन० नन्ज गौड़ा**
श्री जी० एस० बसवराजू : क्या परिवहन मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुधार समिति ने सिफारिश की है कि कर्नाटक और उसके पड़ोसी क्षेत्रों के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन की स्थापना की जाये, जिसका मुख्यालय बंगलौर में हो ?

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : समिति ने दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अतिरिक्त तीन और जोनों के सृजन की सिफारिश की है, उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया है कि अन्य तीन रेलवे जोनों के स्थापित हो जाने तथा उनके पूरी तरह से परिचालित होने के बाद ही दक्षिण पश्चिम जोन के बारे में विचार आरम्भ किया जाये। तथापि संसाधनों की भारी कमी को देखते हुए सरकार किसी अतिरिक्त रेलवे जोन के सृजन पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

अमरीका में कार्यरत एयर इंडिया के अधिकारियों द्वारा हड़ताल

7556. **श्री मुरलीधर माने** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के अमरीका में कार्यरत अधिकारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने ऐसी स्थिति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। एयर इंडिया को, अमरीका में तैनात अपने अधिकारियों से हड़ताल किए जाने का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ है। तथापि, अमरीका में तैनात एयर इंडिया के स्थानीय कर्मचारियों ने एक संगठन बनाया है और उन्होंने पदोन्नति के अवसरों, यात्रा श्रेणी, स्टेशन बाह्य भत्तों, छुट्टी के बदले नकद भुगतान इत्यादि से संबंधित कुछ मांगें रखी हैं। एयर इंडिया के प्रवन्धकवर्ग ने इन मांगों की जांच की है और एक उपयुक्त उत्तर भेज दिया गया है।

मालाबार क्षेत्र में नई रेलगाड़ियां

7557. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक केरल के मालाबार क्षेत्र की रेल व्यवस्था का कोई अधिक विकास नहीं हुआ है;

(ख) इस क्षेत्र की जनसंख्या तथा वहां चलने वाली रेलगाड़ियों का क्या अनुपात है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र के लिए अधिक रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जायेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) : जी नहीं ।

(ख) मालाबार क्षेत्र के बारे में ये आंकड़े नहीं हैं । तथापि, केरल राज्य के लिए अनुपात 1:292571 है ।

(ग) उपलब्ध संसाधनों के भीतर केरल के मालाबार क्षेत्र सहित सारे देश में यात्रियों को अधिक और बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए रेल विभाग द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे है ।

केरल में नये इंजीनियरिंग कालेज

7558. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

श्री के० मोहन दास :

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में तीन इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : कोट्टायम में प्रस्तावित इंजीनियरी कालेज पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है । दो अन्य इंजीनियरी कालेजों के प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

वायुदूत के उपयोग में विमान

7559. **श्री हुसेन दलवाई :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत द्वारा कौन से विमान खरीदे गए हैं और उनकी निर्माता कम्पनियों के क्या नाम हैं ;

(ख) क्या ये सभी विमान एक ही क्षमता के हैं; यदि हां, तो प्रत्येक विमान की क्षमता क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि डोरनियर कम्पनी द्वारा निर्मित विमानों को वायु केन्द्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त पाया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) वायुदूत ने पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स डोनियर जी० एम० बी० एच० से उड़ान योग्य परिस्थिति में पांच डोनियर 228 विमान खरीदे हैं ।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयोजित छठा डोर्नियर 228 विमान 14-4-1986 को वायुदूत के विमान-बेड़े में शामिल कर लिया गया है।

(ख) इनमें से प्रत्येक विमान 19 यात्रियों को वहन करने की क्षमता रखता है।

(ग) जी, हां।

वायुदूत सेवा के लिए स्वदेशी विमान

7560. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० बंगलौर द्वारा वायुदूत सेवा के लिए अपेक्षित क्षमता वाले विमानों का भारत में आसानी से निर्माण किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० द्वारा इनके निर्माण के लिए आर्डर बुक कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रोल की बिक्री

7561. **श्री शान्ती धारीवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इलेक्ट्राल की बिक्री की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस औषधि की संरचना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के फारमूला को ज्यों का त्यों स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि "इलैक्ट्रोल" जैसे ओ० आर० एस० संरचना में इलैक्ट्रोलाइटिस की दृष्टि से परिवर्तन की जरूरत होती है जो अतिसार के प्रकोप तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। ऐसा विशेषज्ञों के परामर्श पर किया जाता है।

कमजोर वर्गों के लोगों का पोषाहार का स्तर

7562. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार 10 चुनींदा राज्यों में कमजोर वर्गों के लोगों के पोषाहार के स्तर में सुधार हुआ है, और यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और शेष राज्यों की स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) पोषाहार के स्तर में कितना सुधार हुआ है;

(घ) पोषाहार के स्तर में सुधार होने के बारे में उस संस्थान द्वारा किन मुख्य कारणों का उल्लेख किया है;

(ङ) क्या पूरे देश में कमजोर वर्गों के लोगों में दूध की खपत कम हो रही है; और

(च) क्या यह सच है कि हरे पत्तों वाली सब्जियों की खपत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो फलों की खपत के बारे में क्या स्थिति है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में उन बच्चों के अनुपात में निश्चित ही कमी हुई है जिनका शरीर भार सामान्य भारतीय बच्चों के 75 प्रतिशत शरीर भार से कम है।

(घ) पोषाहार स्तर में सुधार के लिए जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, वे हैं प्रति व्यक्ति अनाज की खपत 334 ग्राम से बढ़कर 423 ग्राम होना, जिससे अधिक ऊर्जा मिलती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) हरे पत्तों वाली सब्जियों की खपत में वृद्धि हुई है। किन्तु फलों की खपत कम और नगण्य है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की चिकित्सा विज्ञान के छात्रों के लिए मूल पुस्तकों का प्रकाशन करने की योजना

7563. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की चिकित्सा विज्ञान के अवर स्नातक छात्रों के लिए मूल पुस्तकें प्रकाशित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए मुद्रण और प्रकाशन हेतु कोई व्यय किया जाता है, और यदि हां, तो मुद्रकों, को की गई अदायगियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेखकों को 15 प्रतिशत रायल्टी देय है और यदि हां, तो यह रायल्टी सभी लेखकों को वर्तमान शर्तों के अनुसार अदा कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन लेखकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के वास्तविक प्रकाशन के क्रमश: छः महीने तथा एक वर्ष से अधिक समय से रायल्टी की अदायगी नहीं की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

पिछले तीन वर्षों में योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	पुस्तकों की संख्या
1983-84	1
1984-85	6
1985-86	8

(ख) योजना के अन्तर्गत प्रकाशकों के आर्थिक सहायता तथा लेखकों को रायल्टी दी जाती है। मुद्रण पर किया गया व्यय प्रकाशकों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है और रा० पु० न्यास द्वारा नहीं किया जाता।

वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित "रेडियो लाजीकल क्लीनिक्स इन चेस्ट डीजीजिस" नामक पुस्तक के मामले में प्रकाशक को 49,278.43 रुपए की राशि अदा की गई थी।

(ग) और (घ) पुस्तक के मुद्रित हो जाने के पश्चात लेखकों को 15 प्रतिशत रायल्टी देय होती है और मुद्रण व्यय से संबंधित प्रकाशक के सभी बिलों की जांच की जाती है और इन्हें क्रम में पाया जाना होता है।

यद्यपि, श्री एस० के० बरार द्वारा लिखित "एसन्शियल आफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स" और श्री ओ० पी० घई द्वारा लिखित "प्राइमरी हैल्थ केअर" नामक दोनों पुस्तकों के संबंध में जिन्हें वर्ष 1985-86 में प्रकाशित किया गया था, रायल्टी की अदायगी में कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मामला यथाशीघ्र निपटाया जाए।

उड़ीसा से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वाले छात्र

7564. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से कितने बालकों और बालिकाओं ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लिया है; और

(ख) उनमें से चुने जाने वालों की संख्या क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) वर्ष 1985 में उड़ीसा के 1261 उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रथम स्तर में भाग लिया और 110 चुने गये। इनमें से 105 उम्मीदवारों ने परीक्षा के दूसरे स्तर में भाग लिया और अन्तिम रूप से 23 लड़कों और 5 लड़कियों को चुना गया।

विमान चालक दल को लाभ

7565. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान चालक दल के सदस्यों (विमान चालक के अलावा) को कितने घंटे कार्य करना होता है;

(ख) यदि विमान चालक दल के सदस्यों को उड़ान में विलम्ब अथवा व्यावसायिक कठिनाइयों के कारण अधिक समय तक कार्य करना पड़े, तो उन्हें क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं;

(ग) विमान चालकों की तुलना में उनके जलपान और भोजन भत्तों में अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्हें सेवानिवृत्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से ग्राउंड ड्यूटी करनी होती है; और

(ङ) क्या उनके व्यवसाय के लिये कोई विशेष भत्ता अथवा अन्य लभ प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) :

(क) एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
10 घंटे	11 घंटे

(ख) अतिरिक्त प्रतिलाभों का विनियमन, एयरलाइन्स के प्रबन्धकवर्ग आर कर्मीदल का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों/एसोसिएशनों के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

(ग) एयर इंडिया में, कमांडरों को छोड़कर कर्मीदल और विमानचालकों को नाश्ते और भोजन प्रतिपूर्ति भत्ते के भुगतान में कोई भेद-भाव नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स में पायलटों और केबिन कर्मीदलों की आवास हकदारी में भिन्नता के कारण इस भत्ते में अन्तर है क्योंकि वे क्रमशः पांच तारा और तीन तारा होटल के हकदार हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ये उन समझौतों के अंश हैं जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

पश्चिम बंगाल में रक्त बैंकों की संख्या

7566. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने रक्त बैंक हैं और एक रक्त बैंक खोलने का मानदण्ड क्या है; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सहित भारत के औद्योगिक नगरों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित रक्त बैंकों की स्थापना की जा सकती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 33 रक्त बैंक हैं। रक्त बैंक सामान्यतया उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां उचित मात्रा में रक्त एकत्र करना संभव हो और जहां रक्त के भण्डारण और रक्ताधान संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध की जा सकें।

(ख) सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को जिला स्तर पर, जिसमें औद्योगिक शहर भी शामिल हैं, रक्त बैंकों के विकास के लिए सहायता उपलब्ध की जाएगी।

रेलगाड़ियों में आरक्षण व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण

7567. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली संतोषजनक सिद्ध हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क दिल्ली क्षेत्र अर्थात् दिल्ली, नयी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन से प्रारम्भ होने वाली अथवा से होकर गुजरने वाली गाड़ियों से यात्रियों के लिए सीटों/शायिकाओं का आरक्षण कम्प्यूटर के जरिये करने की एक प्रायोगिक परियोजना फिलहाल कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) इस संगणकीरण परियोजना के प्रथम चरण में नयी दिल्ली स्टेशन (आई०आर० सी०ए० बिल्डिंग) पर किये जाने वाले निचले दर्जे के आरक्षणों को और नयी दिल्ली केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय में किये जाने वाले ऊँचे दर्जे के आरक्षणों को उत्तरोत्तर संगणकीकृत किया जा रहा है। आज तक, नयी दिल्ली/निजामुद्दीन से प्रारम्भ होने वाली अथवा से होकर गुजरने वाली 42 गाड़ियों में निचले दर्जे के और 49 गाड़ियों में ऊँचे दर्जे के आरक्षण कम्प्यूटर द्वारा किये गये हैं। इस परियोजना के द्वितीय चरण में, जिसके मार्च 1987 तक पूरा हो जाने की संभावना है, दिल्ली क्षेत्र से प्रारम्भ होने अथवा से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियों में आरक्षण कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा।

देश में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना

7568. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश भर में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या देश में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने और बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सकों को रोजगार देने के लिए योजना तैयार करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अस्पताल खोलना मुख्यतः राज्य का विषय है और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

व्यावसायिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त स्नातकों के लिए अनेक रास्ते खुले हुए हैं जिनमें प्राइवेट प्रैक्टिस, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों में नौकरी शामिल है।

विवरण

छठी योजना के दौरान आयुर्वेद के लिए 12.72 करोड़ रुपए आवंटित किये गये थे। सातवीं योजना के दौरान इस राशि को बढ़ाकर 20.5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से तथा अपने स्वरूप के अनुसार

विकसित हो, अन्यों के साथ-साथ 1978 में आयुर्वेद के लिए एक अलग अनुसंधान परिषद स्थापित की गई थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, आयुर्वेद की शिक्षा और प्रैक्टिस के मानकों को विनियमित करती है।

जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आयुर्वेद की उच्च शिक्षा का एक उत्कृष्ठ केन्द्र है। औषधियों की गुणवत्ता बनाने रखने के उद्देश्य से आयुर्वेद की दो फार्मूलेरियां निकाली गई हैं। आयुर्वेद की एकल औषधियों की फार्माकोपिया को जिसमें 80 औषधियां हैं, अंतिम रूप दे दिया गया है।

आयुर्वेदिक दवाइयों के मानक निर्धारित करने के लिए गाजियाबाद में एक भेषज प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

छठी योजना के दौरान आयुर्वेद के 9 स्नातकोत्तर विभाग खोले गये। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन चिकित्सा पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का मेडिकल प्रैक्टीशनर तैनात किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक औषधालय भी हैं जो राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

राजेन्द्र नगर, यारपुर और चिकोहरा (पटना बिहार) में उपरि पुलों का निर्माण

7569. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए राजेन्द्र नगर, यारपुर और चिकोहरा में रेल लाइनों पर उपरि पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वहां निर्माण कार्य चालू करने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस बारे में आश्वासन दिये जाने के बावजूद अभी तक कोई भी पुल समय पर पूरा नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन उपरि पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) वर्तमान नियमों के अनुसार मौजूदा समपारों के बदले इन ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण लागत में हिस्सेदारी के आधार पर रेलों और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से

शुरू किया है। रेलों को रेल लाइनों के ऊपर पुल के मुख्य भाग का और राज्य सरकार को पहुंचमार्गों का निर्माण करना है। जहां तक राजेन्द्र नगर में ऊपरी सड़क पुल का संबंध है रेलों के हिस्से का कार्य 15-1-86 को पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर काम किया जा रहा है। जहां तक यारपुर और चितकोहरा में ऊपरी सड़क पुलों का संबंध है रेलों के हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है यह 31.12.86 तक पूरा हो जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अभी पहुंच मार्गों पर काम शुरू किया जाना है। इन ऊपरी सड़क पुलों का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

देश में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी कालेज

7570. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कालेज हैं और वे कहां-कहां पर हैं और उनमें कितने विद्यार्थियों के लिए स्थान हैं;

(ख) प्रतिवर्ष आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के कितने विद्यार्थी डाक्टर बनते हैं और उन्हें रोजगार किस प्रकार दिया जा रहा है;

(ग) देश में कितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी अस्पताल हैं; और

(घ) क्या देश के प्रत्येक जिले में ऐसे और अस्पताल खोलने की बड़ी भारी मांग है; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे अस्पताल स्थापित करने का है और यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस विषय पर इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2570/86]

(ख) आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कालेजों से पढ़कर निकलने वाले डाक्टरों की वार्षिक औसत संख्या क्रमशः 2,100; 3200 और 150 है।

इन डाक्टरों को नौकरी अथवा अन्य सेवाओं में लगाने के अवसर प्रदान करने का काम मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। अधिकांश राज्यों ने इन पद्धतियों में औषधालय/अस्पताल और शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों, अस्पतालों और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों/अनुसन्धान परिषदों की भी स्थापना की है। इसके अलावा पास हुए डाक्टरों को यह छूट है कि वे गांवों में तथा शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।

(ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-1984 को देश में आयुर्वेद के 1452 अस्पताल, होम्योपैथी के 121 और यूनानी पद्धति के 98 अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

(घ) अस्पताल खोलना मुख्यतः राज्य सरकार का विषय है और इस प्रकार यह संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

खेलों का विकास

7571. **श्री चित्त महाटा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों में खेलों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधायें जुटा ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का कौन-कौन से दीर्घावधिक अथवा अल्पावधिक उपाय करने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश के अन्य क्षेत्रों के विकास की तरह देश के विभिन्न भागों में खेल अवस्थापन के सृजन की प्रक्रिया धीरे-धीरे होनी है। भारत के संविधान के अन्तर्गत खेल राज्य का विषय है और इसलिए खेलों के अवस्थापन के विकास की मूल जिम्मेवारी उन राज्य सरकारों की है जो सामान्यतः खेल अवस्थापन के सृजन के लिए पर्याप्त राशि के आबंटन की स्थिति में नहीं हैं। अतः खेल अवस्थापन के सृजन में राज्य सरकारों के प्रयास में सहायता करने को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार की राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने, विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता देने और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के जरिये क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम की योजनायें चल रही हैं। सिंथेटिक ट्रेक और कृत्रिम परत बिछाने के लिए एक नई योजना भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है। उपर्युक्त कार्यक्रम खेलों को बढ़ावा देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना हुए 200 करोड़ रुपये के पूरे आबंटन से वित्त पोषित किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि लम्बे अर्से में यह योजनाएं और कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रहेंगे।

दमन गंगा सिंचाई परियोजना

7572. **श्री शांताराम नायक** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन गंगा सिंचाई परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) क्या गोवा, दमम और दीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार केन्द्रीय मंत्रालय से इसे

शीघ्र मंजूरी देने का बारम्बार अनुरोध करती रही है; और

(ग) यदि हां, तो मंजूरी नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और परियोजना का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

फरक्का बांध के नौसैनिक कार्यालय में चोरी का मामला

7573. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में फरक्का बांध के नौसैनिक कार्यालय में लगभग 1.5 लाख रुपये की चोरी हुई थी;

(ख) क्या उसकी जांच की गई थी और क्या किसी पर कोर्ट मुकदमा चलाया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई दोषी ठहराया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मामला न्यायाधीन है।

दिल्ली परिवहन निगम की बस, निजी बस तथा हरियाणा रोडवेज की बस चलाने पर तुलनात्मक लागत

7574. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन निजी बस चलाने तथा हरियाणा रोडवेज की बस चलाने पर आने वाली लागत की तुलना में दिल्ली परिवहन निगम की बस चलाने पर प्रति किलोमीटर कितनी औसत लागत आती है ;

(ख) यदि उनमें कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन तीनों श्रेणियों की बसों में औसतन कितने समय चलने के पश्चात् बड़ी मरम्मत अथवा बदलाव की आवश्यकता होती है; और

(घ) उनके प्रति बस औसत ऊपरी व्यय तथा प्रति बस ब्याज की राशि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

जल-भू-तल परिवहन विभाग में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी .

मंत्रियों द्वारा घरेलू उड़ानों के प्रयोग के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा खाता अन्तरण

7575. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान इंडियन एयर लाइन्स ने मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उनकी घरेलू उड़ानों का प्रयोग किए जाने के कारण कितनी धनराशि का खाता अन्तरण किया तथा उसे जनता से कितनी आय हुई ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : इंडियन एयर लाइन्स और सरकार तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच लेन-देन उसी प्रकार से व्यापारिक आधार पर किया जाता है जिस प्रकार अन्य यात्रियों के साथ किया जाता है। मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को टिकटों की बिक्री या तो उधार के आधार पर की जाती है जिसके लिए विशेष "क्रेडिट कोड" आवंटित किए जाते हैं, अथवा नकद भुगतान करने पर की जाती है।

आयातित पोलियो टीकों का घटिया पाया जाना

7576. **कुमारी डी० के० तारादेवी** :
श्री तारिक अनवर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परीक्षा के बाद टीकों के आयान करने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पोलियो टीकों की कितनी खेप घटिया किस्म की पाई गई थी;

(ग) कितने नमूने लिए गए थे और उनमें से कितने घटिया किस्म के पाए गए थे;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में परीक्षण प्रयोगशालाओं में टीकों के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) आम तौर पर जांच के लिए नमूने आयातित वैक्सीनों के खेपों में से लिए जाते हैं। तथापि, चूंकि वैक्सीनों का जीवन काल बहुत छोटा होता है और इन्हें विशिष्ट भण्डारण की जरुरत होती है तथा समय-समय पर आवश्यक वैक्सिनों की कमी होने की सूचना मिलती है, इसलिए बाद में छः महीने की अवधि के भीतर निर्माता से उसी वैक्सिन को बिना जांच किए रिलीज करने की कभी कभार अनुमति दी जाती है बशर्ते कि उस वैक्सिन पर उपयुक्त रूप से लेबल लगे हुए हों और उसे अपेक्षित तापमान (2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड) पर उपयुक्त रूप से स्टोर किया हुआ हो।

(ख) और (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) पोलियो वैक्सिनों सहित सभी सीरा और वैक्सिनों की केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में जांच की जाती है जो कि इस प्रकार की औषधियों (वैक्सिनों) की जांच करने के लिए एक सांविधिक प्रयोगशाला है। केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान में वैक्सिनों की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश की लंबित पड़ी रेल परियोजनाएं

7577. **श्री अजय मुशरान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी रेल परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं और प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने और पूरा करने की समय अनुसूची क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की दो रेल परियोजनाएं नीचे दी गयी हैं जिनकी योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही :—

(1) सतना—रीवा

(2) गुना—इटावा

इन परिस्थितियों में कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

मत्स्य कंपनियों की ओर नौवहन विकास निधि समिति की बकाया राशि

7578. **श्री डी॰ पी॰ जडेजा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य कंम्पनियों की ओर नौहवन विकास निधि समिति की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) ऐसी मत्स्य कंपनियों के नाम क्या हैं और उनकी ओर कितनी राशि बकाया है ?

परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) फिशिंग कंपनियों के नाम और उनकी ओर नौवहन विकास निधि समिति के ऋण की बकाया राशि संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रम० सं०	फिशिंग कं० का नाम	फिशिंग कम्पनियों पर बकाया राशि जिसका उन्होंने पुन-भुगतान नहीं किया है (31.3.1986 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
क. सरकारी क्षेत्र (राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रम)		(लाख रुपये)
1.	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश फिशरीज कार्पो० लि०	11.13
2.	मैसर्स तमिलनाडु फिशरीज डेवलमेंट कार्पो० लि०	...
3.	मै० केरल फिशरीज कार्पो० लि०	3.27
4.	मै० गुजरात फिशरीज डेवल-मेंट कार्पो० लि०	—
	कुल :	14.40
ख. प्राइवेट क्षेत्र		
1.	मैसर्स श्री निवास सीफूड्स लि०	—
2.	मै० वाणी मैरीन (प्रा०) लि०	—
3.	मै० एक्वा फूड प्रोडक्ट्स (प्रा०(लि०	23.98
4.	मै० मैरीन फिशरीज (प्रा०) लि०	—

1	2	3
5.	मै० प्रोन मैग्नाटा (प्रा०) लि०	—
6.	मै० फोएनिक्स इंडिया मैरीन (प्रा०) लि०	0.55
7.	मै० वेस्ट कोस्ट मैरीन्स (प्रा०) लि०	20.32
8.	मै० यमुना सीफूड्स (प्रा०) लि०	—
9.	मै० सूरज फिशरीज (प्रा०) लि०	—
10.	मै० संचेती फूड प्रोडक्ट्स लि०	18.35
11.	मै० मार्शल सी फूड्स लि०	24.69
12.	मै० यूनी मैरीन (प्रा०) लि०	25.43
13.	मै० सत्यसाई मैरीन्स (प्रा०) लि०	0.15
14.	मै० सेफायर फिशराज (प्रा०) लि०	0.00
15.	मै० एम० बी० एस० मैरीन एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०	—
16.	मै० कोरीमंडल मैरीन्स (प्रा०) लि०	—
17.	मै० सेमरो फूड प्रोसेसर्स (प्रा०) लि०	—
18.	मै० आर्य फिशरीज लि०	3.85
19.	मै० अन्नाई फिशरीज (प्रा०) लि०	—
20.	मै० कोलंबिया सीफूड्स (प्रा०) लि०	—
21.	मै० रेनबो सीफूड्स (प्रा०) लि०	—
22.	मै० डान फिशरीज (प्रा०) लि०	—

1	2	3
23.	मै० लीला सीफूड्स (प्रा०) लि०	—
24.	मै० मुलगादा मैरीन (प्रा०) लि०	—
25.	मै० गोल्डन फिशरीज लि०	—
26.	मै० ट्रोपिकल शिपिंग कं० (प्रा०) लि०	— —
		116.82

सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन

7579. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों दोनों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन पर इस समय सरकारी एजेंसियों का नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी एजेंसियां कुल मांग के कितने भाग की पूर्ति करती हैं और शेष कितने भाग की पूर्ति गैर-सरकारी एजेंसियां करती हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों में, जोकि केवल पाठ्य-पुस्तकें ही पढ़ते हैं, पढ़ने की आदत बहुत कम होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का पढ़ने की आदत को किस प्रकार प्रोत्साहित करने का विचार है और क्या अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराने में सरकार की सहायता करने का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) : राज्य स्तर पर स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन सामान्यत: राज्य पाठ्य-पुस्तक बोर्ड/निगम आदि द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् केवल कक्षा 1 से कक्षा 12 तक माडल पाठ्य-पुस्तकें तैयार तथा प्रकाशित करती है, जो कई मामलों में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाया/अनुकूल बनाया जाता है। कालेजों के लिए पाठ्य-पुस्तकें सरकारी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं।

(ख) चूंकि इस पहलू का मुख्य सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, भारत सरकार द्वारा सूचना एकत्र/संकलित नहीं की जा रही है ।

(ग) और (घ) : यह आम धारणा है कि छात्रों के पढ़ने की आदतों में कमी आई है । सरकार अनेक पुस्तक विकास कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और सामान्य पाठकों के लिए सस्ते मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध करके पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही हैं । रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने हाल ही में अपने "सीखने के लिए पढ़ना" कार्यक्रम में एक नई पुस्तकमाला शुरू की है । यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि के बाल साहित्य को तैयार करने को बढ़ावा भी दे रही है ।

अच्छी कोटि के बाल-साहित्य को उपलब्ध कराने में सरकार तथा अन्य शैक्षणिक एजेंसियों के प्रयत्नों की निजी प्रकाशकों द्वारा सम्पूर्ति की जाएगी ।

बौद्ध/तिब्बतियन संस्थानों को वित्तीय सहायता

7580. **श्री पी० नामग्याल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संस्कृति विभाग ने देश में जल रहे बौद्ध/तिब्बतियन संस्थानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु एक योजना मन्जूर की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद भी योजना के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं और यह योजना कब शुरू की जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां !

(ख) और (ग) यद्यपि 1985-86 में एक मामूली प्रावधान किया गया था । उस वर्ष के दौरान योजना को कार्यान्वित करने के लिए चयन के रूपात्मकताएं समय पर तैयार नहीं की जा सकीं । यह योजना अब परिचालित की जा चुकी हैं और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 30.4.86 है । अन्तिम चयन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा और उसके बाद योजना को कार्यान्वित किया जाएगा ।

ऐतिहासिक स्मारकों को सलाल बांध में जलमग्न होने से बचाना

7581. **श्री पी० नामग्याल** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि ऐसे बहुत से स्मारकों के जम्मू क्षेत्र में सलाल बांध के बन जाने पर जलमग्न हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या भारत सरकार इन स्मारकों को वहां से हटाकर अन्यत्र स्थापित करने की व्यवस्था करेगी जैसाकि नागार्जुन सागर के बांध के मामले में किया गया था, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। जम्मू और काश्मीर में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की परिरक्षण स्थिति बिल्कुल अच्छी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सलाल बांध में किसी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक की डूबने की सम्भावना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रद्द की गई उड़ानों के यात्रियों को सीट उपलब्ध

7582. **श्री पी० नामग्याल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी हवाई मार्ग पर खराब मौसम अथवा अन्य तकनीक कारणों से इंडियन एयरलाइंस की उड़ान रद्द कर दिये जाने की स्थिति में उन विमानों के यात्रियों को उसी तारीख को या बाद की तारीखों में दूसरे विमानों में स्थान दिया जाता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सिद्धांत को आई० सी०-483 और आई० सी०-429 के यात्रियों के लिए लागू नहीं किया जाता है और इन यात्रियों को बाद की उड़ानों में सीटें प्राप्त करने में अक्सर जी-तोड़ कोशिश करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस आई० सी०-483 और आई० सी०-429 के यात्रियों के प्रति इस भेदभाव को दूर करेगी तथा इन मार्गों पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से इन दोनों उड़ानों में एक और उड़ान की व्यवस्था करके उनकी सेवा में वृद्धि करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) (क) : जी हां ! जहां तक सीटें उपलब्ध होती हैं, यात्रियों को उनमें जगह दी जाती है या बाद की तारीखों में ले जाया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं ! बाद की उड़ानों में यात्रियों को ले जाने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। वास्तव में, इंडियन एयरलाइंस ने दिसम्बर, 1985 से मार्च 1986 की अवधि के दौरान दिल्ली-लेह-चण्डीगढ़-लेह और श्रीनगर-लेह सेक्टरों पर 25 अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन किया है।

इन सेक्टरों पर उड़ानों की आवृत्तियों में वृद्धि करना, यातायात की मांग और विमानों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अस्पताल के उपकरणों की खरीद के लिए उड़ीसा को राशि आवंटन

7583. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी अस्पतालों के लिए अपेक्षित उपकरण खरीदने के लिए उड़ीसा सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का सरकार का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) राज्य सरकार के अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने हेतु धन देने के बारे में इस मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

बिना परीक्षण के सीरमों और टीकों का आयात और बिक्री के लिए जारी करना

7584. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आयात किए जा रहे अनेक सीरमों और टीकों को बिना परीक्षण किए ही बिक्री के लिए जारी कर दिया जाता है;

(ख) देश में आयात किए जा रहे सभी सीरमों और टीकों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इन सीरमों और टीकों के परीक्षण के लिए हमारे देश में कब तक प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी जाएंगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) : जी नहीं।

(ख) देश में निम्नलिखित वैक्सीन और सीरा आयात किए जाते है :

1. खसरा का टीका
2. इनएक्टिवेटिक रैबीज वैक्सीन
3. पोलियो वैक्सीन ट्राइवेलेंट (ओरल)
4. पोलियों वैक्सीन (मोनोवेलेंट)
5. एम. एम. आर वैक्सीन
6. हेपीटाईटिस वैक्सीन
7. टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन
8. गैस गंगरीन एन्टीरोक्सीन सीरम
9. मेनिनगो कोसीयल वैक्सीन
10. एन्टी-डी-इम्युनोग्लोबुलिन

(ग) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली भी वैक्सीन और सीरा के लिए केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है और वहां प्राय: आयातित वैक्सीनों की जांच की जाती है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान एक पूर्ण स्वतन्त्र संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विदेशों में बालगन की गोलियों और टीकों के विपणन पर प्रतिबन्ध किन्तु भारत में उनका प्रयोग

7585. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, जापान, स्वीडन आदि जैसे अनेक देशों में बालगन की गोलियों और टीकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उत्पाद को भारत में बेचा जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस उत्पाद के खतरनाक प्रभावों के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार जबकि बालगन की गोलियों और इंजेक्शनों का पश्चिम जर्मनी, मेक्सिको, थाइलैण्ड, जापान इटली, रूस, स्पेन, ब्राजील, नीदरलैण्ड बेलजियम, फ्रांस में क्रय-विक्रय होता है, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अमेरिका कनाडा, स्वीडन और डेनमार्क में इन पर प्रतिबन्ध है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बालगन के घातक प्रभाव पर कोई प्रकाशित रिपोर्ट हमारे ध्यान में नहीं आई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली और वाराणसी के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

7586. **श्री राजकुमार राय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा यमुना एक्सप्रेस रेलगाड़ी में दिल्ली से वाराणसी तक के आरक्षण जून तक के लिए पूरे हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस लाइन पर कोई अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का है;

(ग) क्या यह सच है कि किसी अत्यावश्यक कार्य पर जौनपुर-शाहगंज जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) इस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ग) जी नहीं । गंगा-जमुना एक्सप्रेस में दिल्ली से वाराणसी के लिए 17-4-86 को वातानुकूलित 2 टियर में 21-4-86 से पहले दर्जे में 23-5-86 से और दूसरे दर्जे में 27-5-86 से यात्रा शुरू करने के लिए आरक्षण उपलब्ध है।

(ख) और (घ) फिलहाल, दिल्ली और वाराणसी के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सातवीं योजना के लिए स्वीकृत उत्तर प्रदेश की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

7587. श्री राजकुमार राय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर प्रदेश की जिन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उत्तर प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल 28 बृहद और 29 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से निम्नलिखित अनुमोदित परियोजनाएं हैं :

बृहद परियोजनाएं	मध्यम परियोजनाएं
1. गण्डक नहर सोपान-I	1. रिमाडलिंग केन नहर
2. सारदा सहायक	2. सरजू पम्प नहर
3. कोसी परियोजना	3. अलीगंज
4. टिह्वरी बाँध	4. रोहिणी बांध
5. लखवार ब्यासी	5. सजनाम बांध
6. मध्य गंगा नहर चरण-I	6. धन्कवा बांध
7. सरजू नहर परियोजना (बाया तट घाघरा नहर)	7. डोंमरी बांध
8. न्यू ओखला बराज	8. अंगासी पम्प नहर
9. पूर्वी गंगा नहर	9. यमुना पम्प नहर
10. सुहेली	10. उमरह्राट पम्प नहर
11. रिमाडलिंग भीमगोडा हेडवर्क्स	11. संशोधित कवेनो पम्प नहर
12. राजघाट बांध	12. संशोधित टोनस पम्प नहर
13. शाहजाद बांध	13. बालान बाखर प्रभाग
14. आमराबी बांध	14. बाखर मरियम फीडर
15. उर्मिल बांध	15. गुनता नाला बांध
16. नारायणपुर पम्प नहर	16. बोबा पम्प नहर
17. सोना पम्प नहर	17. किशनपुर पम्प नहर
18. बाणसागर बांध	

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आबंटित कुल राशि 941·38 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

एयर इण्डिया द्वारा लिया जाने वाला सब्जियों का माल भाड़ा प्रभार

7588. **श्री सुरेश कुरूप :**

डा० डी० एन० रेड्डी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया द्वारा लिया जाने वाला फल और सब्जियों का माल भाड़ा प्रभार अन्य विकासशील देशों की एयर लाइनों के माल-भाड़ा प्रभार की अपेक्षा बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार/उठाए गए हैं?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं। फलों और सब्जियों की दरों की तुलना करने से पता चलता है कि ये दरें पूर्व अफ्रीका, श्रीलंका, बंगलादेश और थाईलैंड जैसे अन्य विकासशील देशों में भारत की तुलना में अधिक होती हैं।

(ख) माल-भाड़े की दरें निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित होती हैं :

(1) शुरू और गन्तव्य स्थान के बीच दूरी।

(2) माल का घनत्व पहलू।

(3) माल की कुल संभाव्यता।

(4) माल का मौसमी स्वरूप।

अतः भारत में फलों और सब्जियों की वर्तमान दरें सही और प्रतियोगी पाई गई हैं।

केरल में वायुदूत सेवा

7589. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि यदि राज्य सरकारें हानि को कम से कम करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये तो वायुदूत उनके अनुरोध पर विचार करने को तैयार है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार केरल में वायुदूत सेवा की व्यवहारता की जांच करने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, वायुदूत की चालू योजनावधि में मंगलौर और कालीकट को अपनी सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है।

केरल में क्विलोन उप-मार्ग के लिए भूमि के अर्जन के लिए धनराशि का अनुमान

7590. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 पर क्विलोन उपमार्ग के लिए भूमि अर्जित करने हेतु धन राशि संबंधी अनुमान प्राप्त हो गये हैं;

(क) यदि हां, तो भूमि अर्जन के लिए कितनी राशि का अनुमान है; और

(ग) कोल्लम उप-मार्ग का शीघ्र निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां। राज्य के लोक निर्माण विभाग ने 525·77 लाख रुपए का भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन प्रस्तुत किया है।

(ग) भारी खर्च और धन की कमी को ध्यान में रखते हुए परियोजना को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाना है। वर्ष 1986-87 की वार्षिक योजना में 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अब्दुल रहीम खान-ए-खान के मकबरे का सुन्दर बनाना

7591. **श्री कुंवर राम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब्दुल रहीम खान-ए-खान के मकबरे के रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) इस स्थान को अधिक सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए क्या उपाए किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या इन उपायों में वहां पर रहीम स्मारक पुस्तकालय और संग्रहालय की स्थापना भी शामिल है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1983-86 के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 2,09,197,34 रु० का व्यय किया गया है।

(ख) संरक्षित क्षेत्र के अन्दर ही एक बगीचा विकसित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी का विस्तार

7592. **श्री कुंवर राम :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना स्थिति खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी और सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबन्ध ग्रहण के बाद उनके विकास और विस्तार के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं;

(ख) क्या पटना शहर में जालान संग्रहालय का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव की जांच की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वहां संजोई गई प्राचीन पाण्डुलिपियां और अन्य वस्तुओं का रख-रखाव संतोषजनक पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना एक स्वायत्त संगठन है जो भारत सरकार के अनुदानों से पित पोषित है। सातवीं योजना अवधि के दौरान लाइब्रेरी अपने विकास तथा विस्तार के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करने का इरादा है।

जहां तक सिन्हा लाइब्रेरी का सम्बन्ध है बिहार सरकार ने यह सूचित किया है कि इसके अधिग्रहण के बारे में पुस्तकालय के अवैतनिक सचिव द्वारा दायर की गई एक विशेष छुट्टी याचिका द्वारा उच्चतम न्यायालय से इसका स्थान आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) बिहार सरकार के अनुसार जालान संग्रहालय एक निजी संस्था है तथा इसके अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इसको राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जालान संग्रहालय में रखी गई पुरानी पाण्डुलिपियां तथा अन्य वस्तुएं अच्छी तरह से सुरक्षित हैं।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और प्रशासकों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

7593. **श्री पी० कुलनदईवेलू :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में शिक्षा के पुनर्गठन के लिए विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और प्रशासकों के हाल ही में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में दिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा शिक्षण, शोध, आदि कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। नई दिल्ली में दिसम्बर, 1985 जनवरी, 1986 में हुए विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारों और प्रशासकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई चर्चा के विषय/प्रकरण भारत में शिक्षा के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित नहीं थे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अपर कोलाब बहुप्रयोजनीय परियोजना

7594. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन अपर कोलाब बहुप्रयोजनीय परियोजना के पूरा होने पर कुल कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी;

(ख) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी राशि की सहायता मंजूर की है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना को पूरा करने से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अपर कोलाब बहुउद्देशीय परियोजना से 100679 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

(ख) शून्य।

(ग) अपरकोलाब बांध लगभग पूरा हो चुका है तथा गेटों का निर्माण उन्नत अवस्था में है। जल सिविल कार्य भी विभिन्न स्तरों पर हैं तथा पहली यूनिट के मार्च, 1987 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

सतिगुदा बांध भी पूरा होने वाला है। उमडमार्ग तथा मुख्य निमामक उन्नत अवस्था में हैं। प्रारम्भिक पहुंचों में नहर कार्य चल रहे हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में नई रेल लाइनें

7595. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में 10 नई रेल लाइनें मंजूर करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी नई रेल लाइनें हैं जिसके सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार ने प्रस्ताव रखा है;

(ग) प्रत्येक रेल लाइन कितनी लम्बी होगी;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में रेलवे के विकास के लिए धन का नियतन

7596. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में रेलवे के विकास के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्त धनराशि से कौन-कौन से विभिन्न विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सामान्य तौर पर पूरे देश में तथा विशेष तौर पर विभिन्न राज्यों में रेलवे के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) देश में रेल प्रणाली के विकास के लिए धन का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है बल्कि परियोजनावार तथा रेलवे जोनवार किया जाता है। सातवीं योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए और विभिन्न आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। निर्माणाधीन नई लाइनों तथा आमान परिवर्तन की सभी परियोजनाओं को उनकी लागत तथा वार्षिक धन आबंटन के साथ 1986-87 के बजट प्रलेखों में सूचीबद्ध किया गया है। उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित नयी लाइनों के काम में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति की जा रही है :

1. कोरापुट रायगडा
2. सम्बलपुर तालचेर

1986-87 में इन दोनों लाइनों के लिए कुल 22 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जबकि समस्त चालू परियोजनाओं के लिए कुल 100 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। अनुवर्ती वर्षों में

इन परियोजनाओं के लिए धन का आबंटन, आने वाले वर्षों में नयी लाइनों के लिए संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"रेबीज वैक्सीन" के विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना

7598. **डा० जी० विजय रामा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान और विकास पर अत्यधिक व्यय करने के बावजूद भी भारत में प्रयुक्त किया जाने वाला "रेबीज वैक्सीन" अति प्राचीन है और यह रोगियों के लिए खतरनाक है; और

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, के समान अथवा उसकी अपेक्षा, बेहतर "रेबीज वैक्सीन" का विकास करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना शुरू करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) भारत सहित अनेक देशों में कई दशकों से बी० पी० एल० इनएक्टिवेटिनर्वस टिशू वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता रहा है और यह समस्त विश्व में पिछले दशक तक रेबीज के लिए केवल एक मुख्य वैक्सीन थी। न्यूरो पैरालाइटिक की कतिपय घटनाओं को छोड़ कर इस वैक्सीन की उपचारात्मक गुणवत्ता का अच्छी तरह से पता लगा लिया गया है।

(ख) भारतीय पास्च्यूर संस्थान, कुन्नूर ने पहले ही टिशू कल्चर रेबीज वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए, जिसकी कम खुराकें देने की जरूरत होती है और जो अधिक शुद्ध तथा रेक्टोजेनिक है, योजना चलायी है। इस वैक्सन का अनुसंधान तथा विकास और उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए वैक्सीन के बारे में तकनीकी मिशन का ही एक भाग है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल सर्वेक्षण

7599. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कोई जल सर्वेक्षण और भू-जल गवेषणा अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में जल सर्वेक्षण तथा भू-जल गवेषणा अध्ययन करने पर विचार करेगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने जल

भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अन्तर्गत लगभग 52% क्षेत्र कवर कर लिया है तथा अंडमान व ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 7 अन्वेषणात्मक बेधन छिद्र किए हैं। प्रारम्भिक जांच पर इन बेधन छिद्रों से प्रति घंटा 34 से 45 घन मी० जल प्राप्त किया गया है। दक्षिणी अंडमान में कार्यों से ग्रेनाइट चट्टानों में मध्यम गहरे नलकूपों के निर्माण की सम्भावनाओं का पता चला है।

केरल एक्सप्रेस का देर से चलना

7600. **श्री टी० बशीर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली आने वाली केरल एक्सप्रेस पिछले तीन महीनों के दौरान अनेक बार देर से पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बी दूरी की इस रेलगाड़ी का समय से चलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) मार्ग में माल गाड़ियों के पटरी से उतर जाने, रेल पथ तथा इंजन की खराबियों, सिगनलों की खराबी आदि के कारण यह गाड़ी लेट हुई है।

(ग) इस गाड़ी की समय पाबन्दी सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इसकी समय पाबन्दी पर निगरानी रखी जा रही है।

केरल में यूनानी अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र

7601. **श्री टी० बशीर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में केरल में एक यूनानी अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र पर कितना पूंजी निवेश किया जायेगा और यह कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) केन्द्र की और क्या अन्य मुख्य विशेषतायें हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का केरल में यूनानी चिकित्सा की एक क्लीनिकल अनुसंधान यूनिट स्थापित करने का विचार है।

(ख) यह प्रस्ताव केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है। अन्तिम आबंटन का निर्णय परिषद के शासी निकाय द्वारा लिया जाएगा। यह यूनिट कोचीन के निकट खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) यह यूनिट चुनिंदा रोगों पर अनुसंधान अध्ययन करेगी।

केरल में इन्जीनियरिंग कालेजों के शैक्षिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान

7602. **श्री टी० बशीर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंजीनियरिंग कालेजों तथा तकनीकी स्कूलों के शैक्षिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केरल राज्य में तकनीकी शिक्षा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित कई अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा निदेशक, केरल ने इंजीनियरी कालेजों के शिक्षकों, तकनीशियनों, दस्तकारों और प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की दक्षिणी क्षेत्रीय समिति ने 4 जनवरी, 1984 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इन सभी प्रस्तावों पर भी विचार किया और यह संकल्प पारित किया कि जैसे ही राज्य सरकार से प्रस्तावों की औचित्यता/आवश्यकता को दर्शाने वाली ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट और राज्य योजना के अन्तर्गत आवश्यक वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के बारे में पुष्टीकरण सहित अन्य प्रासंगिक सूचना प्राप्त हो जायेगी, तब यह मामले पर कार्रवाई करेगी। इन सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय ने तकनीकी शिक्षा निदेशक, केरल से वांछित सूचना भेजने के लिए मार्च, 1984 में अनुरोध किया है। जिसकी प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के निर्णयों का कार्यान्वयन

7603. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की मार्च, 1986 के दौरान कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने पत्तनों और नौवहन में समुद्री धोखाधड़ियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निर्णयों के किस सीमा तक कार्यान्वियन किए जाने की संभावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हां।

(ख) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड 20-3-1986 की बैठक की कार्य सूची में पत्तनों और नौवहन में जहाजी धोखेबाजी का पता लगाने और उसे समाप्त करने के बारे में कोई मद शामिल नहीं की गई थी। तथापि जल भू-तल परिवहन राज्य मन्त्री ने पुनर्गठित बोर्ड का उद्घाटन करते हुए यह सुझाव दिया था कि बोर्ड के बारे में विचार कर सकता है और सरकार को सलाह दे सकता है।

(ग) बोर्ड ने मुख्य रूप से बम्बई बन्दरगाह में पालपोत उद्योग की समस्याओं का समाधान

करने के लिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और पालपोतों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने और जहाजों को लाइसेंस देने की नीति तथा तेल से समुद्री प्रदूषण की समीक्षा करने वाली समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।

(घ) जब बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होंगी, तब उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए उनकी जांच की जाएगी।

हाई स्कूल स्तर तक पढ़ाने के लिए अध्यापिकाओं की नियुक्ति

7604. **श्री के० बी० शंकर गोडा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हाई स्कूल स्तर तक केवल महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक संगठनों और शिक्षा शास्त्रियों ने इस प्रस्ताव की मांग की है जिसके कि बच्चों को समुचित रूप से शिक्षा दी जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या अनेक देशों में हाई स्कूल तक की शिक्षा महिलाओं द्वारा दी जाती है;

(घ) क्या सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पूरे विश्व में यह आम प्रवृत्ति रही है कि बच्चों की बाल शिक्षा का कार्य अध्यापिकाओं के हाथ में ही छोड़ दिया जाए। अधिकांश पश्चिमी देशों में प्रारम्भिक स्तर पर अध्यापकों की अपेक्षा अधिक अध्यापिकाओं को नियुक्त करने की परम्परा रही है।

(घ) और (ङ) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्हता प्राप्त अध्यापिकाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण, यह सम्भव नहीं समझा गया है कि हाई स्कूल स्तर तक स्कूलों में केवल अध्यापिकाओं की नियुक्ति की ही परिकल्पना की जाए।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

7605. **श्री के० बी० शंकर गोडा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा वर्तमान गर्मी के मौसम के दौरान ग्रीष्मकालीन यात्री-भीड़ को ढोने के लिए दिल्ली तथा विभिन्न अन्य स्थानों के बीच अनेक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चलाई गई अथवा चलाई जाने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी; और

(ग) रेलवे द्वारा भीड़-भाड़ को कम करने तथा इस वर्ष के भीड़-भाड़ वाले मौसम के दौरान ऐसी रेलगाड़ियों को समय पर चलाने को सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जब आवश्यक होगा, अतिरिक्त गाड़ियों या सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जायेगी। इन गाड़ियों के चालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

उन विशेष रेलगाड़ियों का ब्यौरा जिन्हें चलाने की योजना बनाई गई है

स्टेशनों के बीच	फेरे	दिन	चलने की तारीखें
1	2	3	4
दिल्ली-हावड़ा	सप्ताह में 2 दिन	दिल्ली से रविवार-बृहस्पतिवार को	11-5-86 से 29-6-86
		हावड़ा से शुक्रवार, मंगलवार को	9-5-86 से 27-6-86
निजामुद्दीन-बम्बई सेन्ट्रल	सप्ताह में एक दिन	निजामुद्दीन से शनिवार को	19-4-86 से 21-6-86
		बम्बई सेन्ट्रल से शुक्रवार को	18-4-86 से 20-6-86
बम्बई वी० टी०-वाराणसी	सप्ताह में तीन दिन	बम्बई वी० टी० से रवि, सोम, बृहस्पतिवार को	13-4-86 से 12-6-86
		वाराणसी से सोम, मंगल, शुक्र को	14-4-86 से 13-6-86
बम्बई वी० टी०-कोचिन	सप्ताह में एक दिन	बम्बई वी० टी० से शनिवार को	12-4-86 से 14-6-86
		कोचिन से मंगलवार को	15-4-86 से 17-6-86
बम्बई वी० टी०-लखनऊ	सप्ताह में 2 दिन	बम्बई वी० टी० से बुधवार, शुक्रवार को	11-4-86 से 11-6 86
		लखनऊ से शुक्रवार, रविवार को	13-4-86 से 13-6-86
बम्बई वी० टी०-पुणे	प्रतिदिन	बम्बई वी० टी० से प्रतिदिन	10-4-86 से 15-6-86
		पुणे से प्रतिदिन	10-4-86 से 15-6-86

1	2	3	4
बम्बई वी० टी०-गोरखपुर	सप्ताह में एक दिन	बम्बई वी०टी० से मंगलवार को	15-4-86 से 10-6-86
		गोरखपुर से बृहस्पतिवार को	17-4-86 से 12-6-86
हावड़ा-पुरी	सप्ताह में एक दिन	हावड़ा से शनिवार को	10-5-86 से 14-6-86
		पुरी से रविवार को	11-5-86 से 15-6-86
हावड़ा-देहरादून	सप्ताह में एक दिन	हावड़ा से शनिवार को	10-5-86 से 29-6-86
		देहरादून से सोमवार को	12-5-86 से 30-6-86
छपरा-लुधियाना	सप्ताह में 2 दिन	छपरा से रविवार, बृहस्पतिवार	1-5-86 से 29-6-86
		लुधियाना से सोमवार, शुक्रवार	2-5-86 से 30-6-86
अजमेर-महू	सप्ताह में एक दिन	अजमेर से शुक्रवार को	25-4-86 से 27-6-86
		महू से बृहस्पतिवार को	24-4-86 से 26-6-86
मद्रास-तिरूवनन्तपुरम	सप्ताह में एक दिन	मद्रास से बुधवार को	16-4-86 से 11-6-86
		तिरूवनन्तपुरम से शनिवार को	19-4-86 से 7-6-86
मद्रास से बंगलूर	सप्ताह में एक दिन	मद्रास से रविवार को	20-4-86 से 15-6-86
		बंगलूर से सोमवार को	21-4-86 से 16-6-86
मद्रास-अहमदाबाद	सप्ताह में एक दिन	मद्रास से शनिवार को	19-4-86 से 14-6-86
		अहमदाबाद से सोमवार को	21-4-86 से 16-6-86
मद्रास-हैदराबाद	सप्ताह में एक दिन	मद्रास से बुधवार को	16-4-86 से 11-6-86
		हैदराबाद से बृहस्पतिवार को	17-4-89 से 12-6-86

1	2	3	4
तिरुवनन्तपुरम-हैदराबाद	सप्ताह में एक दिन	तिरुवनन्तपुरम से बुधवार को	23-4-86 से 18-6-86
		हैदराबाद से सोमवार को	21-4-86 से 16-6-86
दुर्ग-वराणसी	सप्ताह में दो दिन	दुर्ग से बुधवार,शनिवार को	7-5-86 से 7-6-86
		वाराणसी से शुक्रवार, सोमवार को	9-5-86 से 9-6-86
हैदराबाद-अहमदाबाद	सप्ताह में एक दिन	हैदराबाद से शुक्रवार को	18-4-86 से 13-6-86
		अहमदाबाद से रविवार को	20-4-86 से 15-6-86
बम्बई सेन्ट्रल-अहमदाबाद	प्रतिदिन	बम्बई सेन्ट्रल से प्रतिदिन	15-4-86 से 30-6 86
		अहमदाबाद से प्रतिदिन	15-4-86 से 30-6-86
बम्बई सेन्ट्रल-गांधी धाम	सप्ताह में एक दिन	बम्बई सेन्ट्रल से मंगलवार को	15-4-86 से 10-6-86
		गांधी धाम से बुधवार को	16-4-86 से 11-6-86
बम्बई-हापा	सप्ताह में एक दिन	बम्बई सेन्ट्रल से शुक्रवार को	18-4-86 से 13-6-86
		हापा से शनिवार को	19-4-86 से 14-6-86
बम्बई सेंट्रल-जम्मू तवी	सप्ताह में एक दिन	बम्बई सेन्ट्रल से मंगलवार को	15-4-86 से 24-6-86
		जम्मू तवी से बुधवार को	16-4-86 से 25-6-86
तिरुवनन्तपुरम-बेंगलूर	सप्ताह में एक दिन	तिरुवनन्तपुरम से बृहस्पतिवार को	17-4-86 से 12-6-86
		बेंगलूर से शुक्रवार को	18-4-96 से 13-6-86

पेरियार नदी पर एक नए पुल का निर्माण

7606. **श्री एन० डेनिस** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर सुचिन्द्र में पेरियार नदी पर पुराना पुल बहुत तंग है जिसके कारण यात्रियों तथा वाहनों को असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और

(ख) क्या सरकार का विचार सड़क को सीधी मजबूत बनाकर उस पर एक चौड़ा और नियमित पुल बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाने का है ताकि वाहन और यात्री बिना किसी रुकावट के आ-जा सकें ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां। पुल के पुनर्निर्माण के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण के अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कुझीथुराई नदी के ऊपर नया पुल

7607. **श्री एन० डेनिस** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कुझीथुराई नदी पर पुल बहुत तंग है जिसके कारण यात्रियों और वाहनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, और

(ख) क्या सरकार का विचार यहाँ शीघ्रातिशीघ्र नए पुल का निर्माण करने का है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां। पुल के पुनर्निर्माण के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण के अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।

भाषाई अल्पसंख्यकों को हो रही कठिनाइयां

7608. **श्री एन० डेनिस** :

डा० जी० विजय रामा राव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी मातृभाषा सीखने के लिए सुविधाओं की कमी के कारण अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो भाषाई अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) संविधान की धारा 350-क यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारी को

राज्य के अन्दर भाषाई अल्प संख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृ-भाषा में शिक्षा प्रदान करने की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस निर्धारण के अनुसरण में सरकार की नीति यह रही है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्प संख्यकों से सम्बन्धित छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए जब एक स्कूल में कम से कम 40 छात्रों अथवा एक कक्षा में 10 छात्रों द्वारा इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई है। माध्यमिक स्तर पर भी ऐसी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए यदि पिछली चार कक्षाओं में 60 छात्र और प्रत्येक कक्षा में 15 छात्रों द्वारा इसके लिए इच्छा व्यक्त की जाती है। अधिकांश राज्य सामान्यत: इस नीति का पालन कर रहे हैं।

तमिलनाडु में केंद्रीय विद्यालय

7609. **श्री एन० डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु के किन-किन जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे; और

(ग) तमिलनाडु में कितने और कहां-कहां केन्द्रीय विद्यालय हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) तमिलनाडु में केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है।

(ग) चौबीस स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

तमिलनाडु स्थित केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल)

1. आर्डनेन्स एस्टेट, तिरुचिरापल्ली।
2. एयर फोर्स स्टेशन, सुलुर, जिला कोयम्बटूर।
3. रेड फील्डस, कोयम्बटूर।
4. अरुबनकडु, नीलगिरि।
5. वैलिनाटन, जिला नीलगिरि।
6. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, इन्दुनगर, ओटकुमन्द।
7. सेन्ट्रल इलेक्ट्रो-कैमिकल्स रिसर्च इन्स्टीचूट, करायकुडी।
8. सी० एल० आर० आई०, अडयार, मद्रास।

9. सी० आर० पी० एफ० अवाडी, मद्रास ।
10. एयर फोर्स स्टेशन, अवाडी, मद्रास।
11. हैवी वीकल्स फैक्ट्री एस्टेट, पी० ओ० अवाडी कैम्प, मद्रास।
12. गिल नगर, मद्रास।
13 आई० आई० टी० मद्रास ।
14. कलपक्कम, डी० ए० ई० टाउनशिप, कलपक्कम, मद्रास ।
15. मीनमबक्कम, मद्रास ।
16. तामबरंम, मदमबक्कम, सिलपुर, मद्रास ।
17. आईलैण्डस ग्राउण्ड्स, मद्रास ।
18. के० के० नगर मद्रास।
19. मदुरै।
20. सदरस, कलपक्कम ।
21. तामबरंम नं० 2, तामबरंम, मद्रास ।
22. डी० जी० आई० काम्प्लैक्स, डाक नागनाल्लुर ।
23. आर्डनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी, अवाडी, मद्रास-600054 ।
24. रियेक्टर रिसर्च सेन्टर, कलपक्कम, जिला चेनालपट्टु ।

[हिन्दी]

ग्वालियर-शिवपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

7610. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्वालियर शिवपुर मीटर गेज लाइन को बढ़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है :

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : ग्वालियर-शिवपुर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिलासपुर-त्रिवेन्द्रम के बीच तीव्र गाड़ी

7611. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिलासपुर-त्रिवेन्द्रम लाइन पर एक तीव्र गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में गैर औपचारिक शिक्षा अध्यापकों की छटनी

7612. श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना विधि के दौरान उड़ीसा सरकार को राज्य में गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों को वेतन देने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजनावधि में उड़ीसा राज्य में, जिला बार कुल कितने गैर औपचारिक स्कूल खोले गए और उसके लिए उड़ीसा को कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि गैर औपचारिक स्कूलों में अध्यापकों के रूप में कार्यरत लगभग 10,000 शिक्षित बेरोजगार युवकों को 5 वर्ष की सेवा करने के पश्चात अब नौकरी से हटा दिया गया है;

(घ) क्या यह योजना अब पूर्णत: समाप्त कर दी गई है, और

(ङ) यदि हां तो क्या छटनी किये गये अध्यापकों को पुन: रोजगार दिया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) (I) उड़ीसा में छठी योजना में खोले गए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या 7560 है। इनका जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है :

बालासोर 719, बालंगीर 490, कटक 1183, धनेकनाल 404, गंजम 622, कालाहण्डी-384, कियोंझर 338, कोरापुर 776, मयूरभंज 634, फूलबनी 279, पुरी 702, सम्बलपुर 636, सुन्दरगढ़ 393।

(II) छठी योजना में जारी की गई केन्द्रीय सहायता की कुल राशि 208 लाख रुपये है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त किए गए अनुदेशकों की कोई छटनी नहीं की गयी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ढलवां इस्पात की बोगियों के निर्माण के लिए केन्द्र

7613. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ढलवां इस्पात की बोगियों के निर्माण और सप्लाई के लिए कलकत्ता की एक गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को ठेका दिया है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी बोगियों को सप्लाई करने में असफल रही है और ठेके में उल्लिखित 30 सितम्बर, 1983 तक सभी बोगियों की सप्लाई नहीं की और केवल 130, नई बोगी सप्लाई की जबकि ठेके की शर्तों के अनुसार 3000 बोगियां सप्लाई की जानी चाहिए थीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 23-7-83 से 18-10-83 तक फैक्टरी में हड़ताल के कारण विलम्ब हुआ था ।

उड़ीसा के एक मन्दिर से काले संगमरमर से बनी गरुड़ की प्रतिमा की चोरी

7614. **श्री हरिहर सोरन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में पुरी के विख्यात गुडीचा मन्दिर से 14वीं शताब्दी की काले संगमरमर से बनी गरुड़ की प्रतिमा चोरी हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि पुरी के गोपाल तियी मन्दिर से राधा की 300 वर्ष पुरानी पीतल की प्रतिमा की भी चोरी हो गई थी;

(ग) क्या उन प्रतिमाओं को अब तक बरामद नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में प्रतिमाओं की चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां जैसी कि सूचना उपलब्ध है । तथापि ये केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं हैं ।

(ग) रिपोर्टों के अनुसार केवल पीतल की राधा की मूर्ति बरामद हुई है ।

(घ) सरकार ने उड़ीसा राज्य सहित देश भर में मूर्तियों की चोरी रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनका संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है ।

विवरण

1. केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में पहरा व निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है ।
2. स्मारकों के बेहतर रख-रखाव और सुरक्षा के लिए अप्रैल, 1985 में एक अलग मंडल खोल दिया गया है जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है ।

3. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अधीन पुरावशेषों की अधिसूचित श्रेणियों को पंजीकृत किया जा रहा है।

4. उक्त अधिनियम, 1972 में पुरावशेषों के व्यापारियों को लाईसेंस देने के अतिरिक्त पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात व्यापार के विनिमयम और पुरावशेषों के अनिवार्य अर्जन का भी प्रावधान किया गया है।

5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ललितगिर में एक मूर्तिकला शेड और कोणार्क में एक पुरातत्व स्थल संग्रहालय का निर्माण कर लिया है।

6. महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पत्तियों (कलाकृतियों प्रतिमाओं, चित्रों, चित्रों सहित पांडुलिपियों) की चोरी और बरामदगी के मामलों का कम्प्यूटरीकृत आधार सामग्री बैंक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा बनाया गया है जिसमें अपराधों और अपराधियों के बारे में सूचना रखी जाती है।

7. खुली पड़ी कलाकृतियों, चित्रों, चित्रों सहित पांडुलिपियों का अभिलेखीकरण किया जा रहा है।

क्योंझरगढ को वायुदूत सेवा से जोड़ा जाना

7615. **श्री हरिहर सोरन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में क्योंझरगढ़ के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ करने का विचार है क्योंकि क्योंझरगढ़ के निकट रामसुआ में एक हवाई अड्डा मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में उपर्यक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमेरिकी कम्पनी द्वारा विमानों का किराए पर दिया जाना

7616. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान किराए पर लेने के लिए एयर इण्डिया द्वारा एक अमरीकी कम्पनी एनरग्रीन इन्टरनेशनल के साथ किए गए विवादास्पद ठेके के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या यह ठेका समाप्त कर दिया गया है/वापस ले लिया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) 15 जून, 1985 को एयर इण्डिया ने

1 जुलाई, 1985 से फ्रेटर विमान की "बेटलीज" के लिए एवरग्रीन इन्टरनेशनल एयरलाइन्स के साथ पट्टे का करार किया था। संविदे की शर्तों के अनुसार भाड़े सम्बन्धी सेवाओं का प्रचालन करने के लिए अमरीकी कम्पनी ने एयर इण्डिया के लिए विमान की व्यवस्था की है। संविदा अभी भी चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ है।

सांप के काटने के प्रभावों और इसकी प्रतिकारक औषधि के सम्बन्ध में अनुसंधान

7617. **श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कोई अनुसंधान केन्द्र संगठन सांप काटने के प्रभावों तथा इसकी प्रतिकारक औषधि के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहे हैं;

(ख) विष एकत्र करने के लिए केरल में किन-किन स्थानों पर सांप पाले जा रहे हैं;

(ग) 1984 और 1985 के दौरान केरल में प्रतिवर्ष विष की कितनी मात्रा एकत्र की गई;

(ग) क्या सरकार ने केरल में सर्प प्रजनन केन्द्रों के लिए कोई धनराशि आबंटित की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गडक नहर परियोजना

7618. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंड़क नहर परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य अभी किया जाना बाकी है और अब तक इस पर 1.000 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो यह भी सच है कि इस परियोजना के लिए खरीदी गई लोहा, सीमेंट, छड़ों आदि जैसी लगभग 350 करोड़ रुपए की निर्माण सामग्री गोदामों में पड़ी है और फिर भी सरकार ने इस परियोजना को 31 मार्च, 1985 को ही पूर्णतः त्याग देने की घोषणा कर दी; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को त्याग देने की घोषणा किस आधार पर की गई और सरकार का शेष 40 प्रतिशत कार्य किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बिहार की गंडक परियोजना का 350.93 करोड़ रुपए का दूसरा संशोधित अनुमान 1977-78 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य सरकार ने परियोजना पर 370.89 करोड़ रुपए व्यय किए थे । गंडक बराज तथा पश्चिमी नहर पूरी हो गई हैं । पूर्वी नहर 277 कि० मी० में से 240 कि० मी० तक पूरी हो चुकी है ।

(ख) परियोजना कार्य राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं और भण्डार में पड़ी सामग्री के बारे में ब्यौरा केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं किया जाता है ।

(ग) परियोजना को बंद किए जाने की किसी घोषणा के सम्बन्ध में भारत सरकार को जानकारी नहीं है । तथापि, राज्य सरकार ने परियोजना अनुमान को समाप्त करने तथा शेष कार्य सातवीं योजना में सोपान-II परियोजना के रूप में शुरू करने का निर्णय किया है ।

[अनुवाद]

गोवर्धन पर्वत से गुजरने वाली प्रस्तावित
मथुरा अलवर रेलवे लाइन

7619. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित मथुरा-अलवर रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत से होकर गुजरेगी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे एक समुदाय विशेष के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचेगा, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार रेलवे लाइन के मार्ग में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) मथुरा-अलवर नई बड़ी लाइन परियोजना रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि पहले वाला संरेखण गोवर्धन पर्वत के बहुत पास से गुजरता था इसलिए सभी धार्मिक स्थानों को बचाने के लिए उसका पुनर्संरेखण किया गया है ।

"राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा" बनाने का प्रस्ताव

7620. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक "राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा" बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली आरम्भ करने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए अंकों में तुलनात्मकता की समस्या का समाधान करने, विशेष प्रयोजनों के लिए परिक्षाओं की विश्वसनीयता और विषय-परकता को बढ़ाने और सामान्य तौर पर विश्वविद्यालत प्रणाली में पाठ्यचर्या और शिक्षण/मूल्यांकन की पद्धतियों में सुधार के लिए एक गति निर्धारक के रूप में कार्य करने के वास्ते एक राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण एकक का गठन किया है। प्रारम्भ में मानविकी समाज सेवाओं और विज्ञानों में स्नातकोत्तर स्तर पर आयोग द्वारा स्थापित जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए अगस्त,1984 से परीक्षायें आयोजित की जा रही हैं।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा की योजना

7621. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामान्य रूप से और विशेषकर महाराष्ट्र में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करने और दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है और यदि नहीं, तो सरकार का ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इस प्रकार की शिक्षा के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) इस समय स्थानीय सामाजार्थिक स्थितियों के अनुकूल विभिन्न व्यवसायों/कौशलों में 3 से 6 महीने की अवधि के विभिन्न पाठ्क्रम सामुदायिक पालिटेक्निक योजना के अन्तर्गत देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों और महाराष्ट्र राज्य की ऐसी ही आठ संस्थाओं सहित 107 चुनिंदा संस्थाओं में प्रदान किए जा रहे हैं।

स्कूल शिक्षा का प्रबन्ध और देखभाल मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा ही की जाती है। राज्य सरकारें स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत कार्यक्रम का कार्यान्वियन और प्रसार करती रही हैं। व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार और विशेषकर देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अब तक कोई केन्द्रीय योजना तैयार नहीं की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का आकार और प्रकृति उस निधि पर निर्भर करेगा जो इसके लिए सातवीं योजना में उपलब्ध होगी।

जामिया मिलिया इस्लामिया और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, को विश्वविद्यालय का दर्जा

7622. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जामिया मिलिया इस्लामिया को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रभाग को भी विश्व-विद्यालया का दर्जा देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित संस्था, जामिया मिलिया इस्लामिया ने यह प्रस्ताव किया है कि संसद के एक अधिनियम द्वारा जामिया को एक सांविधिक विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब को सहायता

7623. **श्री सुभाष यादव** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब को वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी सहायता दी है;

(ख) क्या क्लब की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के कार्यकलापों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) वर्ष 1985-86 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब को आर्थिक सहायता/इमदाद के रूप में 1,34,740 रुपए की राशि अनुदान-सहायता के तौर पर दी गई है।

(ख) जी, हां। फरवरी, 1986 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक सिविल प्रशिक्षु विमान चालक से निम्नलिखित के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी :

(1) क्षेत्र-पार उड़ान की अनुमति लेने की प्रक्रिया लम्बी और बोझिल है,

(2) सिविल प्रशिक्षु विमान चालकों के लिए रियायती उड़ान घंटों का उपयोग न किया जाना; और

(3) नौसेना के प्रशिक्षुओं को सिविल प्रशिक्षुओं से अधिक उड़ान प्रशिक्षण देना।

(ग) मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि —

(1) सुरक्षा कारणों से गृह मंत्रालय/मंत्रिमंडल सचिवालय ने दिल्ली से/को क्षेत्र-पार उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जब तक ये प्रतिबन्ध हटाए नहीं जाते तब तक अबाध रूप से क्षेत्र-पार उड़ानों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(2) नौसेना के प्रशिक्षुओं को उड़ान प्रशिक्षण देना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह राष्ट्रीय हित में है। तथापि, दिल्ली फ्लाइंग क्लब में सिविल प्रशिक्षुओं की सुविधा का भी समान रूप से ध्यान रखा जाता है; और

(3) दिल्ली फ्लाइंग क्लब को सिविल प्रशिक्षणु विमान चालकों की आवंटित रियायती उड़ान घण्टों का पूर्ण रूप से उपयोग करने की सलाह दी गई है।

केरल में अन्तर्राज्यीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

7624. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) किसी अन्तर्राज्यीय मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ग) क्या केरल और कर्नाटक को जोड़ने वाले तेल्लिचेरी-मरकारा मैसूर मार्ग, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले त्रिवेन्द्रम-मुबात्तुपुजा-मदुरै मार्ग और कालीकट-गुड़ालूर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार है; और

(घ) क्या केरल सरकार ने इन मार्गों को राष्ट्रीय माजमार्ग घोषित करने का अभ्यावेदन किया है।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिग्रहित करना अनेक मुददों, अर्थात् अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न स्कीमों की प्राथमिकता, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर करता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किसी सड़क की पात्रता पर विचार करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड नियत किए गए हैं :

(1) वे मुख्य राज्यमार्ग हों और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हों,

(2) वे विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हों,

(3) वे राज्यों की राजधानियों को जोड़ती हों,

(4) वे महापत्तनों और बड़े औद्योगिक या पर्यटक केन्द्रों को जोड़ती हों, और

(5) वे सामरिक जरूरतें पूरी करती हों।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य की तीन सड़कों में से केरल सरकार ने केन्द्र से सिर्फ दो सड़कों, अर्थात् त्रिवेन्द्रम-मुवातुपुझा-मदुरै सड़क तथा कालीकट-गुडालुर सड़क को राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित करने का अनुरोध किया था।

डाक्टरों के विदेश पलायन को रोकने के लिए प्रभावी कदम

7625. **श्री आनन्द सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों के विदेशों को पलायन को रोकने के लिए डाक्टरों को विदेशों में नौकरी स्वीकार करने अथवा प्रव्रजन करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से डाक्टरों को विदेशों से वापस आने के लिए आकर्षित करने हेतु आर्थिक लाभ देने के सम्बन्ध में ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख) चिकित्सा कार्मिकों को विदेशों में प्रव्रजन करने से निरुत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) ऐसी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिसकी प्रशिक्षण सुविधायें देश में मौजूद हैं विदेश जाने वाले चिकित्सा स्नातकों पर रोक लगा दी गई है। जिन श्रेणियों के डाक्टरों की बहुत ही कमी है उन्हें विदेश में रोजगार के लिए प्रायोजित नहीं किया जाता है।

(ii) राज्यों और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर विशेष रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रादान की जाती हैं।

(iii) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा डाक्टरों, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों की सेवा-शर्तों में सुधार किया जा रहा है।

(iv) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा एसी प्रतिष्ठित सदस्यता परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए व्यवस्था की गई है जो विदेशी अर्हताओं अर्थात् एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० पी० आदि के अनुरूप होती हैं।

(v) वित्त मंत्रालय आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

में तैनात डाक्टरों को 1985-86 और 1986-87 के दौरान ग्रामीण भत्ते के लिए प्रतिवर्ष 352.44 लाख रुपये का विशेष अनुदान उपलब्ध करने के लिए सहमत हो गया है। यह राशि उन डाक्टरों को जिन्हें रिहायशी मकान नहीं दिए गए हैं, मकान किराया भत्ते के रूप में 1985-86 के दौरान दी गई 101,40 लाख रुपये तथा 1986-87 के दौरान दी गई 93,78 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त होगी।

इंडियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत द्वारा सामूहिक पैकेज यात्राओं पर छूट

7626. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामूहिक पैकेज यात्राओं के लिए किराए में छूट देने की परिपाटी थी जिसे कुछ समय पहले सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन्डियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत द्वारा सामूहिक पैकेज यात्राओं के लिए किराए में 30 प्रतिशत छूट फिर से दिए जाना आरम्भ करने का है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स ने 1-4-1981 से 31-8-1984 तक अपने नेटवर्क पर अन्तर्देशीय समूह रियायतों की पेशकश की थी।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

अमरीका में भारत महोत्सव

7627. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपसी आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत महोत्सव के भाग में अमरीका में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अमरीका अपनी बहुमूल्य कलात्मक वस्तुओं और चित्रकलाओं की उसी स्तर की प्रदर्शनियां भारत में आयोजित करेगा और यदि नहीं, तो न्यूयार्क के महानगरीय संग्रहालय में 60 लाख रुपए अलग से जमा कराने के क्या कारण हैं;

(ग) भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए कितने अधिकारियों को सरकारी खर्च पर अमरीका भेजा गया था और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से उन्हें भेजा गया था और विमान के किराए सहित उन पर कुल कितना धन खर्च किया गया है; और

(घ) भारत महोत्सव के शुरू होने से लेकर भारत महोत्सव के अध्यक्ष और महानिदेशक के दौरों की तारीख तक और उनके अमरीका और फ्रांस में ठहरने पर तथा उनके परिवहन आदि पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अमरीका के साथ कोई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम नहीं है। तथापि, शिक्षा और सांस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीका उप-आयोग के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्रों में पारस्परिक आदान-प्रदान होते हैं। जो प्रदर्शनियां भारतोत्सव में आयोजित की गई थीं, उनमें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महानगरीय कला संग्रहालय "भारत" पर एक प्रदर्शनी थी। अमरीका में भारतोत्सव के लिए अन्य प्रदर्शनियों की विशिष्ट रूप से कल्पना की गई थी।

(ख) इस समय अमरीका से बहुमूल्य कला-वस्तुओं तथा चित्रों की किसी प्रदर्शनी का भारत में मेजवानी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। "भारत" शीर्षक से भारतोत्सव प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए महानगरीय कला संग्रहालय को वास्तव में 47.99 लाख रुपए की राशि दी गई थी। महानगरीय कला संग्रहालय ने इस प्रदर्शनी के प्रायोजन के लिए भारत में विभिन्न व्यापार गृहों से सीधे सम्पर्क किया और इस प्रकार से एकत्रित की गई राशि को देने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की।

(ग) भारतोत्सव के प्रारम्भ से भारतोत्सव कक्ष द्वारा 12 अधिकारियों को भेजा गया था। इनमें संस्कृति विभाग, भारत सरकार; संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संग्रहालय और मध्य प्रदेश तथा पंजाब की सरकारों के अधिकारी शामिल हैं। उनके दौरे पर हुए कुल व्यय से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

भगीरथ का प्रकाशन

7628. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से भागीरथ पत्रिका का प्रकाशन वापस लेने के क्या कारण हैं;

(ख) इस पत्रिका के सर्कुलेशन, इसके लिए विज्ञापन प्राप्त करने और इसके मुद्रण के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) 1985 के दौरान इसके प्रत्येक अंक के लिए कितने विज्ञापन प्राप्त हुए और कितनी प्रतियां बेची गई;

(घ) क्या इसका सकुंलेशन कम होता जा रहा है और प्रकाशन में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पत्रिका के सकुंलेशन, विज्ञापनों और प्रकाशन की स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पत्रिकाओं के मुद्रण तथा वितरण से और आगे सम्बद्ध न होने का निर्णय लेने के परिणामस्वरूप पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था।

(ख) इन पत्रिकाओं के लिए स्वीकृत कर्मचारी क्षमता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रण में विलम्ब के कारण सकुंलेशन कम हो गया है।

(ङ) चूंकि प्रकाशन, बिक्री, विज्ञापन तथा सकुंलेशन का कार्य हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग को अन्तरित किया गया है अतः स्थिति में सुधार लाने के उपायों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण-I

भगीरथ (अंग्रेजी)

पद	स्वीकृत क्षमता
1. संपादक	1
2. वैयक्तिक सहायक	1
3. व्यावसायिक सहायक	1
4. कलाकार	1*
5. सहायक	1
6. अवर श्रेणी लिपिक	1
7. चपरासी	1
8. पैकर	1*

भगीरथ पत्रिका (हिन्दी)

1. सम्पादक	1%
2. सहायक सम्पादक	1
3. उप सम्पादक	1
4. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
5. व्यावसायिक सहायक	1
6. कलाकार	1*
7. स्टेनो	1
8. प्रवर श्रेणी लिपिक	1
9. चपरासी	1
10. पैकर	1*

टिप्पणी : *दोनों पत्रिकाओं के लिए साझा।

% सहायक सम्पादक का पद उस दिन से समाप्त कर दिया जाएगा जिस दिन से सम्पादक का पद भर दिया जाएगा।

विवरण-II

भगीरथ अंग्रेजी

अंक	प्राप्त विज्ञापन	कुल सर्कुलेशन
जनवरी-मार्च, 1985	एक	2714
अप्रैल-जून, 1985	एक	2651
जुलाई-सितम्बर, 1985	एक	2418
भगीरथ पत्रिका (हिन्दी)		
जनवरी-मार्च, 1985	शून्य	1912
अप्रैल-जून, 1985	शून्य	1900
जुलाई-सितम्बर, 1985	शून्य	1881

अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 को समाप्त तिमाही के लिए चौथा अंक मुद्रणाधीन है।

राज्यों में मॉडल रीजनल पालिटेकनिक

7629. श्री टी० बशीर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में मॉडल रीजनल पॉलिटेकनिक स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

7630. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो ये स्थान किन-किन तारीखों को रिक्त हुए, इन पदों को भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इन्हें किन तारीखों तक भरे जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चार सदस्य 30 मई, 1985 को कार्यक्रम पूरा कर लेने के पश्चात कार्यालय से सेवा निवृत हो गए। दूसरे सदस्य ने 9 अक्तूबर, 1985 से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। आयोग के उपाध्यक्ष 22 जून, 1985 को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के पश्चात कार्यालय से सेवा निवृत हो गए। आयोग में सदस्यता की पांच रिक्तियों को 7 अप्रैल, 1986 से भर लिया गया है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति विचार के अन्तिम स्तर पर है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय सम्बन्धी सुविधाएं

7631. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी केवल सी० जी० एच० एस० की सुविधाएं ही पाने का हकदार है और यदि वह प्राइवेट स्पेशल वार्ड में इलाज करवाना चाहता है तो उसे इलाज के खर्च की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिपूर्ति की सुविधा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कोई प्रतिपूर्ति योजना नहीं है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध की जाती हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के जो सेवा निवृत्त कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें सी० एस० (एम० ए०) नियमों के अन्तर्गत कवर करने के लिए प्रस्ताव चौथे वेतन आयोग को भेजा गया है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कर्मचारियों के वेतन से यूनियन के चन्दे की कटौती

7632. **श्री बनवारी लाल बेरवा :**
श्री पी० एम० सईद : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलांइन्स के कर्मचारियों के वेतन से यूनियन का चन्दा न काटने का अनुरोध मिलने के बावजूद इसके प्रबन्धकों द्वारा उनके वेतन से यूनियन के चन्दे की कटौती की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दोषपूर्ण उड़ान रसोई सेवा

7633. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स की उड़ान सेवा की, जो अत्यन्त असन्तोषजनक है, वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं। इण्डियन एयरलाइन्स प्रसिद्ध खानपान प्रबन्धकों से भोजन लेती हैं और वर्तमान व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार नहीं है। भोजन की किस्म में सुधार करने के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजामुन्द्री में रीजनल फाइलेरिया सेन्टर का निर्माण

7634. **श्री ए० जी० बी० वी० महेश्वर राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में राजामुन्द्री में रीजनल फाइलेरिया सेन्टर के निर्माण के लिए सरकार ने अपनी अनुमति नहीं दी है जबकि उसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मलेशिया और भारत के बीच विमान भाड़ा

7635. **डा० जी० विजयरामाराव** :

डा० टी० कल्पना देवी : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेशिया से भारत का एअर इण्डिया का विमान भाड़ा बहुत अधिक है और यह पर्यटकों और दर्शकों के लिए बहुत ही निरुत्साहजनक है जबकि भारत से मलेशिया के लिए किराया बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने और एशियाई देशों के बीच तथा क्षेत्रीय सद्भाव एवं एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मलेशिया से भारत के लिए विमान भाड़ा कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) भारत से मलेशिया के किराये, मलेशिया से भारत के किरायों की अपेक्षा अधिक होते हैं, यदि भारतीय रुपये को चालू बैंकर्स खरीद दर में परिवर्तित कर दिया जाए। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय रुपये की तुलना में मलेशिया की मुद्रा का मूल्य काफी अधिक हो जाने के कारण हुआ।

(ख) पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए किरायों की लगातार समीक्षा की जाती है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चिकित्सकों के लिए पी० एच० डी० कार्यक्रम की मान्यता

7636. **श्री बक्कम पुरुषोत्तम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्याल में सामाजिक औषधि तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के लिए पी० एच० डी० कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 11 (2) के उपबन्ध के अनुसार संबंधित संस्था से अनुरोध प्राप्त होने के बाद ही किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अनुसार ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलना

7637. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेहरी-पिपराडीह क्षेत्र में रहने वाले लोगों को डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे (लगभग 80 किलोमीटर लम्बी) बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप भारी असुविधा हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने का है और क्या इस कारण इसे फिलहाल बन्द कर दिया गया है और यदि हां; तो इस लाइन को पुन: कब तक खोले जाने की संभावना है, और

(ग) इस क्षेत्र के लोगों की कब तक उपेक्षा की जाती रहेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व में है और मेसर्स साहू जैन इसके प्रबन्ध एजेन्ट हैं। यह रेलवे कम्पनी द्वारा स्वयं शाहबाद जिला बोर्ड (अब बिहार राज्य सरकार) के साथ हुए करार के अनुसार चलायी जा रही थी। केन्द्रीय सरकार (रेल विभाग) की इन मामलों में कोई अनुबन्धात्मक बाध्यता नहीं है।

(ख) और (ग) इस लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस लाइन को बन्द करने/पुनः चालू करने का निर्णय प्रबन्धक कम्पनी ही कर सकती है।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ डोलफिन हेलीकाप्टरों का सौदा

7638. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल 27 डोलफिन हेलीकाप्टरों की सप्लाई के लिए फ्रांस के साथ किए गए एक सौदे के अन्तर्गत फ्रांस, भारत को ऐसे 8 हेलीकाप्टर निःशुल्क देने के लिए सहमत हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सौदे के बारे में ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) फ्रांस ने, अन्य रियायतों से साथ-साथ 8 डोलफिन हैलीकाप्टरों की लागत के समतुल्य कीमत में छूट दी है ।

राष्ट्रीय ग्रन्थागार, कलकत्ता द्वारा भाषायी पुस्तकों की खरीद

7639. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रन्थागार कलकत्ता के लिए पुस्तकों की खरीद के प्रयोजनार्थ प्रमुख भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उस सूची में उड़िया भाषा का नाम नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता सामान्यतः भारतीय भाषाओं की पुस्तकें नहीं खरीदता है। तथापि, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की एक प्रति प्राप्त होती है ।

(ख) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

युवाओं के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय समाज सेवा

7640. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण सहित अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच समीकरण और कुशल कार्मिकों की मांग

7641. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को समझती है कि देश में शैक्षिक संस्थानों से जनशक्ति कि सप्लाई तथा अर्थव्यवस्था में कुशल कर्मिकों की मांग के बीच बढ़ता हुआ गुणात्मक असन्तुलन है;

(ख) क्या यह सच है कि कतिपय क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा-पलायन होता है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में कार्मिकों के प्रशिक्षण में अपर्याप्तता के कारण कार्य-निष्पादन में कमियां रह जाती हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण और उत्पादकता क्षेत्रों के बीच उपयुक्त समीकरण बैठाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) गतिशील अर्थव्यवस्था में पद्धति द्वारा अपेक्षित कौशलों में परिवर्तन की गति कभी-कभी शिक्षा पद्धति की प्रतिक्रिया के मुकाबले में कहीं अधिक होती है। इसका परिणाम यह होता है कि गुणात्मक तथा मात्रात्मक असन्तुलन हो जाता है जिसमें कुछ क्षेत्रों में अल्प कालिक आधिक्य है तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में कमी शामिल है।

यह तथ्य कि विश्वस्त जनशक्ति सूचना पद्धति तकनीकी शिक्षा के सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक आयोजन के लिए पूर्वापेक्षित है, इसकी विधिवत् रूप से प्रशंसा की गई थी तथा इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पद्धति की स्थापना पहले ही कर दी गई है।

तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण के स्तरों तथा कोटि में सुधार तथा उत्पादक-क्षेत्रों की अपेक्षाओं से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध एक सतत प्रक्रिया है जिस पर सतत आधार पर आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है। कुछ चुनी हुई शिल्प-वैज्ञानिक संस्थाओं में सरकार द्वारा कई कोटि सुधार कार्यक्रम पहले ही आरम्भ कर दिये गए हैं तथा इन गणात्मक पहलुओं का ध्यान रखने के लिए इन्हें एक योजना से दूसरी योजना में जारी रखा जा रहा है।

पक्षी के टकराने से होने वाली दुर्घटना

7642. **डा० जी० विजयरामाराव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पक्षियों के विमानों से टकराने से बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा पक्षियों के खाने के लिए कुड़ा-कचरा कम करने की सभी अपीलें व्यर्थ गई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि राजधानी में कूड़ा-कचरा उठाना बहुत विकट परिस्थितियों में से एक है जिससे बड़े पैमाने पर पक्षी आकर्षित होते हैं और वे विमानों से टकरा जाते हैं; और

(ङ) दिल्ली में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान के पक्षी से टकराने की कोई अधिसूचनीय दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये गए प्रयासों से पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाओं को रोकने में मदद मिली है।

(घ) जी, नहीं। तथापि मलवे का जमाव पक्षियों के आकर्षण का प्रमुख कारण है।

(ङ) पक्षियों के आकर्षण के विभिन्न श्रोतों को समाप्त करने के लिये एक व्यापक कारंवाई योजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत अन्दरूनी क्षेत्र को समतल करना, दूब लगाना, पानी के जमाव को रोकने के लिए जल निकासी की प्रणाली को कारगर बनाना, भवनों को पक्षी रोधक बनाना, हवाई अड्डे के इर्द-गिर्द गन्दगी को हटाना, आधुनिक बूचड़खानों और शव प्रक्रमण केन्द्रों का निर्माण बड़े होटलों में आधुनिक भस्कम, मांस और मछली की दुकानें लगाने तथा विमान क्षेत्र के 10 कि०मी० परिधि के भीतर मुर्गी की सफाई के बाद बचे पंख आदि को साफ करके स्वच्छता रखना आदि शामिल है। विमान-क्षेत्र के इर्द-गिर्द 10 कि० मी० की परिधि में पशुओं का छिपा कर बध करने, मरे हुए पशुओं की खाल निकालने, मांस और मछली की अनधिकृत दुकानें और बूचड़खाने आदि स्थापित करने पर रोक लगाने के लिए भी लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

विमानों की जांच

7643. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक 1200 घंटों से 2400 घंटों की विमान उड़ान के बाद विमान के ईंधन फ्रेम में दोषों का पता लगाने के लिए उसकी पूरी जांच की आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इण्डिया के बहुत से 747 बोइंग विमानों तथा इण्डियन एयर-लाइन्स के अन्य विमानों की अपेक्षित घंटों की उड़ानों के पूरा होने के बाद आवश्यक जांच की आवश्यकता नहीं होती है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विमानों की नियमित जांच करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के सभी विमानों का नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित निश्चित अंतरालों पर निरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त स्टाल-बुक काउन्टर का आबंटन

7644. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने महानगरों में अतिरिक्त स्टाल/बुक काउन्टर टेबल/ट्राली आदि के आबंटन पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरी रेलवे ने उक्त आदेशों के बावजूद भी महानगर में विशेषकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई अतिरिक्त बुक टेबल काउन्टर आबंटित किये हैं, और

(ग) यदि हां, तो उस ठेकेदार का नाम क्या है जिसको उक्त काउन्टर आबंटित किए गए हैं और उसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूदा स्टाल बुक ठेकेदार को प्लेटफार्म नं० 6/7 और प्लेटफार्म नं० 8/9 पर दो दो अतिरिक्त मेजों की अनुमति दी गयी थी।

(ग) ठेकेदार का नाम मेसर्स एम० एस० पंकज एण्ड कं० है जो बेरोजगार स्नातकों की साझेदारी की फर्म है।

प्लेटफार्म नं० 6/7 और 8/9 पर पुस्तकों की खरीद के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में शिकायत की जांच की गयी थी और यह पाया गया था कि हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस, बम्बई-राजधानी एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, के० के० एक्सप्रेस और जी० टी० एक्सप्रेस जैसी महत्त्वपूर्ण गाड़ियों के, जो अधिक डिब्बों के साथ चलती है, उन यात्रियों को जो प्लेटफार्म के सुदूर छोरों पर होते हैं, पुस्तकें, पत्रिकायें अदि खरीदने में असुविधा होती है। प्लेटफार्म नं० 6/7 का छादित क्षेत्र अगस्त, 1985 में बढ़ाया गया था और प्लेटफार्म नं० 8/9 की स्थिति भी प्लेटफार्म नं० 6/7 की तरह ही थी। इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल ठेकेदार को प्लेटफार्म नं० 6/7 और 8/9 पर 4 अतिरिक्त मेजें लगाने की अनुमति दी गयी थी।

[अनुवाद]

दिल्ली रेलवे स्टेशन जंक्शन पर मेसर्स व्हीलर एण्ड कंपनी के बुक स्टाल

7645. **श्री सोडे रमैया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स व्हीलर एंड कंपनी दिल्ली रेलवे जंक्शन पर प्लेटफार्म संख्या 1 से 19 तक स्थापित अपने पांच बुक स्टालों के माध्यम से सन्तोषजनक सेवा कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेसर्स व्हीलर एण्ड कंपनी के विशेष समग्र बिक्री अधिकारों के अनुसार, वह दिल्ली और अन्य रेलवे स्टेशनों पर रिक्त प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों/वितरण क्षेत्र (सर्कुलेटिंग एरिया) में और अधिक बुक स्टाल स्थापित कर सकती है, और

(ग) यदि हां, तो इन ठेकेदारों के एकाधिकार समाप्त करने के उद्देश्य से इन ठेकेदारों के समग्र बिक्री अधिकार को कम करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां, वे स्टालों, टेबलों और ट्रालियों के माध्यम से यात्रियों की मांग पूरी करने में समर्थ हैं।

(ख) रेलों की पूर्वानुमति के बिना मैसर्स ए० एच० व्हीलर द्वारा किसी भी स्थान पर अतिरिक्त बुक स्टाल स्थापित नहीं किया जा सकता ।

(ग) बिक्री के एकमात्र अधिकार की धारा वर्तमान करार का एक अभिन्न अंग है ।

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों का एकाधिकार

7646. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अनुसार खोमचे/खानपान का ठेकेदार केवल दो यूनिट ही रख सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल बेरोजगार स्नातकों सहित बुक स्टाल का ठेकेदार पांच से बारह बुक स्टाल (यूनिट नहीं) रख सकता है; और

(ग) क्या एकाधिकार प्राप्त ठेकेदार रेलवे स्टेशनों पर अनगिनत फलक मेजों के रूप में बुक स्टालों के 3000 (तीन हजार) यूनिट रख सकता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सितम्बर, 1985 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार एक क्षेत्रीय रेलवे पर खान-पान/वेंडिंग ठेके रखने की अधिकतम सीमा, सहकारी समितियों के मामले में 4 यूनिट तथा अन्य के मामले में 2 यूनिट है ।

(ख) वर्तमान नीति यह है कि सिवाय ऐसे मामलों में, जहां करार में अन्यथा व्यवस्था है, ऐसे ठेकेदारों को (बेरोजगार स्नातकों के साथ साझेदारी के अलावा) जिनके पास 5 अथवा अधिक बुक स्टाल पहले ही हैं, अतिरिक्त बुक स्टालों के आबंटन के लिए रेल विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक है। बेरोजगार स्नातकों की साझेदारी के मामले में अतिरिक्त आबंटन के लिए रेलविभाग की अनुमति की आवश्यकता केवल तब ही होती है जब उनके पास 12 से अधिक बुक स्टाल हों।

(ग) बुक स्टालों, मेजों अथवा ट्रालियों की गणना मानक यूनिटों के हिसाब से करने की कोई प्रणाली नहीं है। रेलों के साथ हुए करार के अनुसार 265 स्टेशनों पर बिक्री के एकमात्र अधिकार मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कंपनी के हैं।

फ्लाइट इन्जीनियरों द्वारा ट्रांजिस्ट-स्टेशनों पर विमानों के प्रमाणीकरण का कार्य

7647. **श्री वसुदेव आचार्य** :

श्री सोमनाथ रथ : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के फ्लाइट् इन्जीनियर यह तर्क देते हैं कि उन्हें उन ट्रांजिट स्टेशनों पर, जहां अर्हताप्राप्त मेंटेनेन्स इंजीनियर उपलब्ध नहीं हैं, विमानों का प्रमाणीकरण करने का कार्य निष्पादन करने के लिये महानिदेशालय नागर विमानन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं दिया गया है;

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिये एयर इण्डिया ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) फ्लाइट इंजीनियरों द्वारा इस कार्य को करने से मना करने के फलस्वरूप दूरस्थ दिक्परिवर्तनक स्टेशनों तक अतिरिक्त ईंधन की ढुलाई के कारण एयर इण्डिया को अब तक कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है; और

(घ) फ्लाइट इन्जीनियरों द्वारा इस अतिरिक्त कर्त्तव्य का पालन करने से मना करने के कारण होटल में ठहरने, इत्यादि पर एयर इण्डिया ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशक ने एयर इंडिया के उड़ान इंजीनियरों को विपथगमन स्टेशनों पर अथवा जब किसी भी कारण से अनुरक्षण इंजीनियर उपलब्ध न हो, विमानों को प्रमाण-पत्र जारी करते रहने के लिए अनुमोदित किया है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान में झगड़ा

7648. **श्री आनन्द सिंह :**

डा० डी० एन० रेड्डी :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जनवरी, 1986 को इण्डियन एयरलाइंस की दिल्ली से बम्बई एयरबस उड़ान आई० सी०-408 बम्बई से 40 मिनट विलंब से भरी गई थी और यह एयरबस बम्बई शीघ्र वापस आ गई क्योंकि एक यात्री ने कमांडर के साथ झगड़ा किया था;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई नियम/विनिमय बनाए गए हैं और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) इस घटसा की जांच की जा रही है।

(ग) इस मामले से सम्बन्धित नियम वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 141 (3) और नियम 29 हैं। नियम 141 (3) में यह प्रावधान है कि विमान चालक कमांडर जब वह कमांडर के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो वह विमान की व्यवस्था करने वाला अंतिम प्राधिकारी होता है। नियम 29 में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति वायुयान के पायलेट के साथ या उसके प्रचालन कर्मीदल के सदस्यों के कार्य में न तो हस्तक्षेप करेगा न वायुयान या उपस्कर को बिगाड़ेगा और न वायुयान में अव्यवस्थित रीति से आचरण करेगा न ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे वायुयान या उसके यात्रियों या कर्मीदल की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है।

लेह में एअरोड्रोम ऑफिसर की नियुक्ति

7649. **श्री पी० नामग्याल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह में एअरोड्रोम आफिसर का पद कब से खाली पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि लेह में एअरोड्रोम ऑफिसर होने से लेह एअर टर्मिनल भवन पर यात्रियों को नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं न मिलने से बड़ी कठिनाइयां होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो वहां एअरोड्रोम ऑफिसर की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं और इस पद को कब भरा जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) 22-3-1983 से।

(ख) और (ग) 49.46 लाख रुपए की लागत से लेह में एक नये अंतस्थ भवन का निर्माण किया गया है परन्तु अभी बिजली और जल आपूर्ति की जानी है। फिलहाल यात्री सुविधाएं एक मरम्मत की गई निशान कुटीर से प्रदान की जाती है।

शुरू में दो अधिकारियों को लेह में तैनात किया गया था परन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें वापस बुला लिया गया। अधिक सुविधाओं/साधनों की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और जैसे ही संभव होगा एक अधिकारी तैनात कर दिया जाएगा।

जनरल सेल्स एजेन्टों को कमीशन

7650. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा अपने सेल्स एजेन्टों को सामान्यतः कितने प्रतिशत कमीशन दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के लन्दन स्थित सेल्स एजेन्ट को अन्य एजेन्टों की तुलना में अधिक कमीशन दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) एयर इंडिया के सामान्य विक्रय अभिकर्ता को देय सामान्य अभिकर्ता कमीशन 9 प्रतिशत है जिसमें 3 प्रतिशत "ओवर-राइडिंग" कमीशन सम्मिलित है।

(ख) और (ग) वर्ष 1982-83 के लिए इंगलैण्ड स्थित एयर इंडिया के सामान्य विक्रय अभिकर्ता को देय कमीशन के प्रोत्साहन की मात्रा के प्रश्न पर पत्राचार चल रहा था और इस पर अप्रैल, 1982 से एयर इंडिया मुख्यालय और लंदन कार्यालय के बीच विचार-विमर्श किया

गया। लंदन में एयर इंडिया के प्रबन्धक ने सरकार द्वारा निर्देशित किरायों पर 12 करोड़ रुपए अथवा अधिक की उत्पादकता पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन कमीशन की सिफारिश की थी। उसके साथ विचार-विमर्श के बाद, इसे 18 से 20 करोड़ रुपए की उत्पादकता पर घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके पश्चात् और आगे विचार-विमर्श के बाद, कुल उत्पादकता पर 5 प्रतिशत का प्रोत्साहन कमीशन निश्चित किया गया था।

सामान्य विक्रय अभिकर्ता को देय प्रोत्साहन कमीशन की समीक्षा के दौरान और मार्केट में कड़ी प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा को दृष्टि में रखते हुए, एयर इंडिया ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, 1982-83 के लिए प्रोत्साहन कमीशन का भुगतान कुल उत्पादकता राजस्व का 10 प्रतिशत प्राधिकृत किया बशर्ते कि सामान्य विक्रय अभिकर्ता ने 15 करोड़ रुपए का स्तर हासिल किया हो।

एयर इंडिया के विदेशों में तैनात अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जाना

7651. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की जानकारी में हाल में कतिपय ऐसे मामले आए हैं जिनमें एयर इंडिया के विदेशों में तैनात कर्मचारियों ने एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाकर कुछ सौदे किये और बाद में समय-पूर्व सेवा निवृत्ति लेकर उन्हीं संगठनों में नौकरी कर ली जिनके साथ उन्होंने पक्षपात किया था;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि एयर इंडिया के विदेशों में तैनात कर्मचारी अपने पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग न करें तथा समय पूर्व सेवा निवृत्ति लेने के बाद भी स्वदेश लौट आएं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड्डयन उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों की छानबीन

7652. **श्री सोडे रमैया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अन्य विभागों की तरह एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स में निकृष्ट अधिकारयों और संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की छंटनी करने के उद्देश्य से 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सेवा में बने रहने के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा छानबीन की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो अधिवर्षता की आयु पूरी करने से पूर्व ऐसे कितने अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी, हां। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी सेवा विनियम में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस प्रकार की पुनरीक्षा की व्यवस्था की गई है।

(ख) जबकि एयर इंडिया द्वारा इस विनियम के अधीन किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त नहीं किया गया है लेकिन इंडियन एयरलाइन्स ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 2 अधिकारियों और 38 स्टाफ के सदस्यों को सेवानिवृत्त किया था।

कोचिन विश्वविद्यालय का अनुसंधान अध्ययन केन्द्र में बदलना

7653. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचिन विश्वविद्यालय को अनुसंधान अध्ययन केन्द्र में परिवर्तित करने के लिए कोई निर्णय किया गया है;

(ख) उक्त प्रस्तावित नये अनुसंधान तथा अध्ययन केन्द्र का ढांचा तथा स्वरूप क्या होगा; और

(ग) कोचिन विश्वविद्यालय को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास कोचिन विश्वविद्यालय को अनुसंधान अध्ययन केन्द्र में परिवर्तित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, 23 फरवरी, 1986 को केरल के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश के अन्तर्गत कोचीन विश्वविद्यालय को पुनर्गठित किया गया है और इसे एक एकात्मक प्रकार के पूर्ण विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया है जो प्रयुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और प्रबन्ध में स्नातकोत्तर अध्ययनों और उच्च अनुसंधान की प्रोन्नति में कार्यरत है। संचरना के ब्यौरे, अध्यादेश में दिए हुए हैं।

(ग) छठी योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोचीन विश्वविद्यालय को कुल मिलाकर 159.23 लाख रुपए के विकास अनुदान प्रदान किए। वर्ष 1985-86 में 96.35 लाख रु० के अनुदान संस्वीकृत किये गये थे।

साहित्य अकादमी समारोह में दिए गए भाषणों का अंग्रेजी में अनुवाद

7654. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की थी; और

(ख) यदि हां, तो 25 फरवरी, 1986 को आयोजित समारोह में अकादमी पुरस्कार विजेताओं को भारतीय भाषाओं के वक्ताओं को उनके द्वारा भारतीय भाषाओं में दिए जाने वाले भाषाओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) साहित्य अकादमी, जो एक स्वायत्त निकाय है, के अनुसार अकादमी पुरस्कार विजेताओं के लिए, जिन्होंने 25 फरवरी, 1986 को लेखकों की बैठक में भाषण दिया था, अपने भाषणों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बनाया गया था। केवल सुविधा के लिए ही पुरस्कार विजेताओं से अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो अन्तर-भाषायी-सम्प्रेषण की दृष्टि से उठाया गया केवल एक कार्यात्मक कदम था।

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थायें

7655. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के राज्य वार नाम क्या हैं जो विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहे हैं और वे किन-किन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं तथा क्या वे सामान्य अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थायें हैं;

(ख) शैक्षणिक वर्ष 1985-86 के दौरान प्रत्येक संस्था की पंजिका में दर्ज छात्रों में से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) प्रत्येक संस्था में शिक्षण का माध्यम क्या है; और

(घ) क्या इन संस्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता प्राप्त हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, देश में भाषायी अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं अभिशासित कालेजों और ऐसी संस्थाओं में छात्रों के दाखिले के जाति-वार संयोजन से सम्बन्धित कोई सूचना एकत्र नहीं करती और नहीं इसे रखती है। जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रचलित शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में सूचना संकलित करता और रखता है किन्तु अलग-अलग कालेजों के सम्बन्ध में इस तरह की सूचना आयोग द्वारा संकलित नहीं की जाती।

अद्यतन भूमितल सहायता सुविधाएं

7656. **श्री के० राममूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगभग 70 बिलकुल निम्न स्तर के घरेलू हवाई अड्डों में भूमितल सहायता सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) उड़ान भरते और उतरते समय खतरे को दूर करने हेतु इन हवाई अड्डों पर संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भू-सहायक सुविधाओं तथा संचार प्रणालियों में सुधार/उन्नयन की योजनाएं सम्मिलित का गई हैं। परन्तु नागर विमानन क्षेत्र के लिए आवश्यक परिव्यय को 2764.07 करोड़ रुपए के परिव्यय से घटाकर 730.21 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके कारण पहले प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा तथा संशोधन करना आवश्यक हो गया है। अतः फिलहाल उनके ब्यौरे बताना सम्भव नहीं है।

मॉडल स्कूल खोलने का मानदण्ड

7657. श्री राजकुमार राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में प्रस्तावित मॉडल स्कूल खोलने सम्बन्धी वर्तमान मानदण्ड क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सातवीं योजना अवधि में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। उपयुक्त भूखण्ड और भवनों की उपलब्धता एक नए नवोदय विद्यालय के स्थान-निर्धारण के निर्णय के लिए मुख्य मानदण्ड होगा।

एयर इंडिया अधिकारियों और जनरल सेल्स एजेंट फर्मों द्वारा घोटाले

7658. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री मुरलीधर माने :
श्री पी० एम० सईद :
श्री शांति धारीवाल :
श्री विष्णु मोदी :
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री सुभाष यादव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर एयर इंडिया के कुछ अधिकारी तथा जनरल सेल्स एजेन्ट फर्मों ने गत तीन अथवा चार वर्षों के दौरान 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच समिति गठित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो जांच समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई और सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, लंदन में एयर इंडिया के जनरल सेल्स एजेन्ट को प्रोत्साहन कमीशन की अधिक अदायगी किए जाने की सूचना मिली थी। विभिन्न एजेन्सियों ने इस मामले की जांच की। जांच के बाद, लंदन स्थित एयर इंडिया के जनरल सेल्स ऐजन्ट को उसकी सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दिया गया है।

मैसर्स ए०एच० व्हीलर एंड कंपनी के अनन्य विक्रय अधिकार वापस लेने का प्रस्ताव

7659. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :
श्री मोतीलाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी के प्रत्येक स्टेशन और जोन में बुकस्टालों के अतिरिक्त कितने पुस्तक, काउन्टर टेबल हैं ;

(ख) वर्ष 1960 से 1973 के बीच और वर्ष 1985 तक प्रत्येक स्टेशन पर और जोन में ए. एच. व्हीलर एंड कम्पनी को कितने अतिरिक्त पुस्तक, काउन्टर टेबल दिये गये हैं;

(ग) क्या बेरोजगार स्नातकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिये ए. एच. व्हीलर एंड कम्पनी के करारों में से अनन्य विक्रय अधिकार वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि तत्कालींन रेल मंत्री श्री एल. एम. मिश्र ने व्हीलर एंड कम्पनी के स्थान पर बुक स्टाल देकर अधिक से अधिक बेरोजगार स्नातकों को रोजगार प्रदान करने का आश्वासन दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) बिक्री के एकाधिकार की धारा 1-1-1985 से लागू वर्तमान करार का भाग है।

(घ) और (ङ) तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा लिये गये कतिपय नीति विषयक निर्णयों के परिणामस्वरूप, बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टालों का आबंटन करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं। 25 स्टेशनों के बुक स्टाल, जो पहले मैसर्स ए. एच. व्हीलर एंड कम्पनी के पास थे, बेरोजगार स्नातकों को आबंटित करने के लिये मुक्त कर दिये गये थे। उन स्टेशनों/प्लेटफार्मों को छोड़कर जहां अनुबन्धात्मक उपबन्धों के अन्तर्गत बिक्री का एकमात्र अधिकार मैसर्स ए. एच. व्हीलर एंड कम्पनी को प्राप्त है, अन्य सभी नये बुक स्टालों का आबंटन बेरोजगार स्नातकों और उनकी साझेदारियों, एसोसिएशनों आदि के लिए और वास्तविक कार्यकर्ताओं की सहकारी समितियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। उन स्टेशनों पर भी, जहां मैसर्स ए. एच. व्हीलर एंड कम्पनी का बिक्री का एकाधिकार है, 1-1-1976 को या उसके बाद निर्मित सभी नये प्लेटफार्मों

पर भी (आमान परिवर्तन के कारण बदले गये प्लेटफार्मों को छोड़कर) बुक स्टालों का आवंटन उपर्युक्त कोटियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

कनिष्क विमान की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के लिए स्मारक

7660. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार आयरलैंड में कार्क में कनिष्क विमान की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के लिये एक स्मारक बनाने का है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) स्मारक बनाने पर कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है और इसके निर्माण के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ग) क्या हमारी सरकार ने विमान दुर्घटनाओं के पिछले मामलों में ऐसे स्मारक बनाये हैं; और यह प्रस्ताव किसने रखा;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ङ) इसके रख-रखाव और देख-भाल के लिये क्या प्रबंध किये जायेंगे और तत्सम्बन्धी खर्च कौन वहन करेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) आयरलैंड तट के अटलांटिक सागर में कनिष्क विमान दुर्घटना में मृत सभी व्यक्तियों की स्मृति में एक स्मारक बनाई जा रही है।

(ख) यह स्मारक आयरलैंड द्वारा दी गई भूमि पर आयरलैंड के 70,000 पौंड की अनुमानित लागत पर बनाई जा रही है।

(ग) जी, नहीं। स्मारक बनाने का विचार मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों द्वारा रखा गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) आयरलैंड के प्राधिकारियों ने स्मारक की देख-भाल करने सम्बन्धी अपनी सेवा अर्पित करने का विचार प्रकट किया है।

प्रशिक्षित योगशिक्षा अध्यापकों की बेरोजगारी

7661. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1982 से पूर्व विश्वायतन योगाश्रम, जम्मू और काश्मीर तथा अपर्णा आश्रम, मानतलाई (जम्मू और काश्मीर) द्वारा संचालित पाठ्यक्रम को बिना

किसी भेदभाव के अर्हता प्राप्त योगशिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त करने के लिये मान्यता प्राप्त थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने देश के रोजगार कार्यालयों को अनुदेश जारी किये गये कि अपर्णा आश्रम, मानतलाई के अर्हता प्राप्त योगशिक्षा प्रशिक्षणार्थियों के नामों को प्रायोजित न किये जाये जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों योगशिक्षा अध्यापक बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्वायतन योगाश्रम (जम्मू और काश्मीर) के योगशिक्षा पाठ्यक्रम को योगशिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये अभी भी मान्यता प्राप्त है;

(घ) अपर्णा आश्रम, मानतलाई (जम्मू और काश्मीर) के योगशिक्षा पाठयक्रम की मान्यता समाप्त करने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि दोनों संस्थानों का प्रबंध माल और पाठ्यक्रम की अवधि भी एक ही है; और

(ङ) अपर्णा आश्रम, मानतलाई (जम्मू और काश्मीर) के योगशिक्षा पाठयक्रम को पुन: मान्यता प्रदान करके भेदभाव को समाप्त करने के लिये सरकार का अब क्या कदम उठाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जहां तक योग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और/अथवा उनके डिप्लोमाओं/डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने का सम्बन्ध है सरकार का यह विचार रहा है कि अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की भांति यह उत्तरदायित्व उन राज्य सरकारों और/अथवा विश्वविद्यालयों का है जिनके क्षेत्रीय प्राधिकार न्यायधिकरण के अन्दर इस प्रकार की संस्था विद्यमान है।

तथापि, दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विश्वायतन योगाश्रम और अपर्णा आश्रम, जम्मू और काश्मीर के प्रशिक्षार्थियों में से नियुक्तियां की।

(ख) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन अब भी रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित विश्वायतन योगाश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों पर विचार कर रहा है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार न तो मान्यता देती है न ही अमान्यता।

"आपरेशनल मैनुअल" का पालन न किया जाना

7662. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपरेशन विभाग ने परिपत्र जारी किए हैं जिनमें फ्लाइट इंजीनियरों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे आई. एल. एस. एप्रोच सहित "स्टेंडर्ड कॉल आउटस" की निगरानी नहीं कर सकते जैसाकि मैन्यूफैक्चरंस आपरेशनल मैनुअल में प्रक्रियाएं दी गई हैं;

(ख) इन प्रक्रियाओं का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया के प्रबंधकों ने इनका पालन न करने के लिए मैन्यूफैक्चरर्स और/या महा निदेशक, नागर विमानन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त होना

7663. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है परन्तु इसके बावजूद वह उक्त पद पर काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बालेश्वर में जनवादी संगठन की मांगें

7664. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में बालेश्वर में जनवादी संगठन ने दक्षिण पूर्व रेलवे को धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें 16 मार्च, 1986 तक पूरी नहीं की गईं, तो वह उस लाइन पर सभी रेल गाड़ियों का चलना रोकेंगे;

(ख) यहि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और उनकी प्रत्येक यथोचित मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने विगत में संगठन को उनकी कुछ मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था, यदि हां तो वह मांगें क्या थीं और शेष मांगों को पूरा न करने के क्या कारण थे ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) जनवादी संगठन नामक किसी संगठन

से कोई धमकी नहीं मिली है लेकिन समिति फार पीपल्स काज, बालासोर नामक संस्था ने 13.3.1986 को स्टेशन अधीक्षक, बालासोर को सूचित किया था कि यदि उनकी माँगें 16-3-1986 तक पूरी नहीं की गयीं तो रेल गाड़ियों को रोका जायेगा।

समिति की मागें निम्नलिखित थीं :—

(1) हल्दीपाड़ा नदी ओर बालासोर के बीच मुनिया जोहरी और बूढ़ी बालांगा नदियों नदियों पर बने पुलों पर पैदल पथों का निर्माण।

(2) 467/468 भदक-खड़गपुर एक्सप्रेस का ठीक समय पर चलना और उसके रेक का उपयुक्त अनुरक्षण तथा उसका हवड़ा तक विस्तार।

(3) बालासोर के अरक्षण कोटे में वृद्धि।

उनकी मांगों पर निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :—

(1) पैदल पथ का निर्माण राज्य सरकार की लागत पर किया जाता है जो बूढ़ी बालंगा पुल पर पैदल पथ की लागत का भुगतान करने को सहमत हो गयी है, लेकिन उसने अभी तक केवल इसकी 25 प्रतिशत लागत का भुगतान किया है। मुनिया जोहरी पुल पर पेंदल पथ के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर भी कार्रवाई की जा रही है।

(2) 467/468 गाड़ी के रेक की ओर भी ध्यान दिया गया है और उसकी हालत में सुधार किया गया है। समय-पालन में भी सुधार हुआ है जो अब लगभग 95 प्रतिशत हो गया है। हावडा तक इस गाड़ी के विस्तार का औचित्य नहीं है क्यों कि बालासोर से हावड़ा के लिए प्रति दिन केवल 40 टिकट जारी किये जाते हैं तथा हावड़ा तक/से आने-जाने वाली 5 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां पहले ही वहां रुकती हैं।

(3) 3 अप हावड़ा-मद्रास मेल में शायिकाओं का कोटा 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। अन्य गाड़ियों अर्थात 7/8 पुरी एक्सप्रेस, 9/10 जगन्नाथ एक्सप्रेस और 45 अप ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के कोटे में वृद्धि करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में अधिकारियों का पुनः नियोजन

7665. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के कुछ अधिकारियों को जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था; पुनः ऊंचे वेतनमानों पर एयरलाइन्स में पुनः नियोजित कर लिया गया है; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने ऐसे किसी कर्मचारी को पुन: नियुक्त नहीं किया है जिसने पहले अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया था। तथापि, एयर इंडिया के सम्बन्ध में कुछ ऐसे कर्मचारियों को पुन: रोजगार में लिया गया है। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल कर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए केन्द्रीय विद्यालय

7666. श्री हरीश रावत :

श्री राम कुमार राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में अनेकों स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों और जनता के प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्दीय विद्यालय खोलने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) जी, हां।

(ख) जिन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं उनके नाम तथा स्थान संलग्न विवरण में दिए गए है। वर्ष 1986-87 के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के स्थानों का निर्णय उपयुक्त प्रस्तावों और शैक्षिक वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध निधियों के आधार पर किया जाएगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश में उन स्थानों की सूची, जहां केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूल) खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अनुरोध प्राप्त हुए हैं

1. मौनाथ, भंजन
2. टेहरी डैम प्रोजेक्ट
3. झांसी

4. बिलासपुर, जिला रामपुर
5. कमोला, धमोला, बल्पदराव, जि० नैनीताल
6. ग्राम पैना, जिला देवरिया
7. बांदा
8. सहावर या अमनपुर, जिला एटा
9. गाजीपुर
10. चम्पावत जिला॰ पिथौरागढ़
11. खीरी लखीमपुर
12. कोडीराम, गोरखपुर
13. लखनउ
14. अरुण बिहार, नोयडा
15. रूड़की
16. थालीसेन, जिला पौड़ी गढ़वाल
17. मुरादाबाद
18. खुरपताल, जिला नैनीताल
19. हमीरपुर
20. मारुवा सुमेरपुर, जिला-हमीरपुर
21. नोकूचैटल (नैनीताल)
22. हरदोई
23. जौनसार-बाबर, जिला-देहरादून
24. भातुरोजा काहन, तह० रानीखेत
25. रूद्रपुर जिला नैनीताल
26. बहराईच
27. अल्मोड़ा
28. मसूरी
29. देहरादून
30. बबीना
31. मेरठ

32. दादरी

33. आगरा

34. कानपुर

35 अनोला (बरेली)

36. ललितपुर

37. हल्दवानी

38. प्रतापगढ़

39. नरेन्द्र नगर

40. नैनी, इलाहाबाद

41. सुल्तानपुर

42. कानपुर

43. राजेन्द नगर, जिला गाजियाबाद

44. वारणसी

45. अलीगढ़

46. बलिया

47. रानीपुर

[अनुवाद]

मातृ भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा

7667. श्री के० प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक नीति संबंधी कार्य दल को पता चला है कि विशेष कर आदिवासी बच्चों के मामले में मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की उतेक्षा जा रही; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त वर्ग की शिक्षा और पुस्तक संबंधी आवश्यकताओं का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण करने और उनका पता लगाने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक नीति से संबंधित कार्यकारी दल ने मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा द्विभाषी शिक्षा ढांचे में स्कूल भाषा के साथ मातृ भाषा को सम्बद्ध करने के लिए एक ठोस शैक्षिक आधार की व्यवस्था करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है ।

(ख) कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

शिक्षण और गैर-शिक्षण अस्पतालों में प्रयोगशाला टैकनालाजिस्ट

7668 **श्री सी०पी० ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षण और शिक्षण अस्पतालों में प्रयोगशाला टैकनालाजिस्ट द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के महत्व की जानकारी है,

(ख) क्या सरकार का विचार उनके अध्यापन और प्रशिक्षण में सुधार करने और उनके लिए पुनश्चार्या पाठ्क्रमों की सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाने का है,

(ग) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय चिकित्सा प्रयोगशाला टैकनालाजिस्ट के लिए एक परिषद् का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये है और इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों की योजनाओं को अलावा, केन्द्रीय सरकार के पास प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की एक योजना है जिसके लिए राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

संयुक्त राज्य अमरीका में भारत महोत्सव

7669. **श्री डाल चंद्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका में भारत महोत्सव का आयोजन किस योजना के अर्न्तगत किया गया था;

(ख) महोत्सव का खर्चा किस अभिकरण ने वहन किया;

(ग) क्या भारतीय उद्योगपतियों से कोई अंशदान लिया गया था और यदि हां, तो किन स्रोतों से यह राशि एकत्रित की गई थी, कुल कितनी राशि एकत्रित की गई कुल कितनी राशि भेजी गई तथा शेष राशि का क्या किया गया; और

(घ) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार वहां दुर्लभ भारतीय कलाकृतियों का प्रदर्शन किया

गया था और यदि नहीं, तो उन्हें वहां किसकी अनुमति से भेजा गया था और क्या इन कलाकृतियों के चित्र उन देशों के डाक टिकटों पर छापे गये हैं और यदि हां, तो ऐसा किसकी अनुमति से किया था और क्या ये सभी कार्यवाहियां नियमों के अन्तर्गत की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अमरीका में भारतोत्सव स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा जुलाई 1982 में उनकी अमरीका यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय का अनुपालन करते हुए आयोजित किया गया था।

(ख) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अन्तंगत अनेक ऐजेन्सियों को उत्सव के विभिन्न संघटक समारोहों के लिए जिम्मेदार बनाया गया था और उसके लिए अलग से बजट व्यवस्था की गई थी।

(ग) जी, हां। भारतोत्सव सलाहकार समिति के अध्यक्ष द्वारा भारत में मुख्य उद्योग-पतियों को पत्र भेजे गए थे जिनमें अमरीका में उत्सव कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया गया था और विभिन्न समारोहों के प्रयोजन के माध्यम से उनकी सहभागिता आमन्त्रित की गई थी। अमरीका तथा फ्रांस में भारतोत्सव के लिए 1,74,24,050.00 रुपये की कुल राशि एकत्रित की गई। इसमें से अब तक इन उत्सवों के विभिन्न कार्यकलायों पर 1,73,80,729.25 रुपये खर्च किए गए। 43,320.75 रु० की बकाया राशि लेखा अधिकारी शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के मुख्य लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित व्यक्तिगत खाते में हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अमरीका में प्रदर्शनी के लिए भारतीय संग्राहालयों से कला वस्तुएँ भेजी गई थीं। इन वस्तुओं के चित्र अमरीका के डाक टिकटों पर नहीं छापे गए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

7670. **श्री यशवन्तराव गड़ाख पाटिल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल, 1986 से कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम और उसके कार्य क्या हैं;

(ग) कितने हवाई अड्डे इसके नियंत्रणाधीन किए गए हैं;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अतिरिक्त किन्हीं और हवाई अड्डों को भी इस प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीलाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

"हैल्थ क्लबों" को वित्तीय सहायता

7671. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी राज्यों में "हैल्थ क्लब" स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो यह क्लब किन-किन राज्यों में हैं; और

(ग) इन "हैल्थ क्लबों" को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत स्वास्थ्य क्लब खोलने अथवा उन्हें सहायता देने की कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्लब खोलते हैं अथवा नहीं, इस बारे में भी सरकार कोई आकड़े संकलित नहीं करती।

पंजाब में नये केन्द्रीय विद्यालय

7672. **स. .दार त्रिलोचन सिंह तर** : क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब में भी नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) पिछले वर्षों की भांति वर्ष 1986-87 में भी नए केन्द्रीय विद्यालय (सैन्ट्रल स्कूल) शैक्षणिक सत्र के शुरू में पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में इसके लिए उपयुक्त पेशकश और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खोले जाएंगे। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि वर्ष 86-87 में किसी विशेष राज्य में कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे अथवा उनके स्थान कहां होंगे।

प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें

7673. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिभाषा फामूले के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा हेतु राज्यों के मुख्य मंत्रियों अथवा शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का है;

(ख) किन-किन राज्यों ने भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर किसी कक्षा में अथवा पूरे विद्यालय में कुल मिलाकर ऐसे बच्चों को सरकार संबंधी किसी शर्त अथवा बिना किसी शर्त उनको मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराई है;

(ग) किन-किन राज्यों में क्षेत्रीय भाषा अथवा राज्य की राजभाषा के साथ जोड़े बिना मातृ भाषा को प्रथम भाषा के रूप में प्रारम्भ किया है;

(घ) किन-किन राज्यों ने प्राचीन अथवा विदेशी भाषाओं को आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ प्रथम अथवा द्वितीय भाषा के रूप में संबंध किया है; और

(ङ) क्या त्रिभाषा फामूले से गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषाई आवश्यकतायें पूरी होती हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह बराबर मान लिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार की नीति यह रही है कि मातृ-भाषा के माध्यम में शिक्षण वहां प्रदान किया जाना चाहिए जहां एक स्कूल में कम से कम 40 छात्र तथा प्राइमरी स्तर पर एक कक्षा में 10 छात्र में इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हों। इसी प्रकार, माध्यमिक स्तर पर मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षण के प्रबन्ध किए जाने चाहिए जहां कम से कम चार कक्षाओ में 60 छात्र तथा प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हों। राज्य प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हों राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार कर लिया है तथा सामान्यतः इसे कार्यान्वित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण प्राप्त है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य/संघ शासित क्षेत्र ये हैं; बिहार, असम, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, गोआ, द्वीव और दमन, हिमाचल प्रदेश, और मध्य प्रदेश।

(ङ) जी, हां।

[हिन्दी]

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर अनधिकृत विक्रेता

7674. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को मालूम है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर अनधिकृत विक्रताओं द्वारा एक समानांतर खान-पान सेवा चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पान, बीड़ी और सिगरेटों ही अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए उनके मंत्रालय का विचार कोई प्रभावी कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत वेन्डरों द्वारा कोई समानान्तर खानपान सेवा नहीं चलायी जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

हानिकारक औषधों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

7675. **श्री एन० टोम्बी सिंह** :

श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश ने बड़ी संख्या में ऐसे औषधों का प्रयोग बन्द कर दिया है जो निष्प्रभावी पाये गये हैं और सभी उन्नत देश भी ऐसा ही कर रहे हैं;

(ख) क्या गत एक दशक के दौरान ऐसे औषधों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई प्रयास किए गये हैं जो परीक्षण और प्रयोग के बाद हानिकारक सिद्ध हुए हैं अथवा उनसे मिलने वाले लाभ उनके प्रचार के अनुसार नहीं हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) देश में औषध फार्मूलेशनों में भारी कटौती करने के लिए क्या कदम उठाने का का विचार है; और

(घ) उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सम्बन्धित कानून में कब परिवर्तन किया जायेगा;

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) यह सही है कि बंगला देश ने बहुत सी दवाइयों का उपयोग बन्द कर दिया है जो उनके विशेषज्ञों के अनुसार गुणकारी नहीं थी। विकसित देश रोग के पैटर्न दवाइयों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं सम्बन्धी रिपोर्टों और विशेषज्ञों के विचार मिलने पर हानिकारक और चिकित्सीय दृष्टि से असंगत दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर जब कभी आवश्यक होता है प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाई करते हैं।

(ख) सरकार ने निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रणों की उन 26 श्रेणियों के निर्माण तथा

बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिन्हें हानिकारक और चिकित्सकीय दृष्टि से असंगत समझा गया था।

(ग) औषध परामर्शदात्री समिति ने, जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, बाजार में बेची जा रही है असंगत और हानिकारक दवाइयों की समीक्षा करने के लिए एक उप-समिति गठित की है।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का सन 1982 में संशोधन किया गया है, जिससे सरकार को हानिकारक और असंगत दवाइयों के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति प्राप्त हो गई है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किसके लिए ? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यूनियन कारबाइड ने घोषणा की है......

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह मैं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है। इस पर चर्चा होगी। इसमें कोई समस्या नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमे एक और दुखद समाचार प्राप्त हुआ है।... **व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने कहा कि हम पहले ही इस बात को देख रहे हैं, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

***श्री बसुदेव आचार्य** : एक विक्षुब्ध समाचार है। भोपाल के मेयर ने अमरीका का दौरा किया है। और उस दौरे का खर्च यूनियन कारबाइड के वकीलों ने वहन किया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसको देखेंगे । मुझे इसका पता है । जब मैं कहता हूं कि मैं इसको देखूंगा, उसका मतलब है मैं देखूंगा । आप चिन्ता न करें ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस सदन में दिल्ली और अन्य स्थानों पर आतंकवाद की समस्या पर कई बार चर्चा हुई है । आज एक बहुत ही बुरा समाचार आया है कि पुलिस ने एक षडयंत्र का पता लगाया है कि कुछ आतंकवादी बिड़ला मन्दिर को उड़ाना चाहते थे । यह दिल्ली में साम्प्रदायक सदभाव को समाप्त करने और धर्मनिरपेक्ष वातावरण को समाप्त करने का ही षड़यंत्र है । गृह मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि देश में सद्‌भाव समाप्त करने के षड्‌यंत्र को रोकने के लिए क्या ठीक कदम उठाए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है प्रोफेसर साहब, आपने दिया था मुझे एडजंनमेन्ट मोशन, मेरी इच्छा तो करती थी उसे मैं एडमिट कर लूं, इसलिए नहीं किया कि करूं किसके खिलाफ ?

प्रो० मधु दण्डवते : दिल यह कहता है, जवान दूसरी बात कहती है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि एडमिट करूं तो किसके खिलाफ ? क्योंकि गवर्नमेन्ट के खिलाफ कर कहीं सकता हूं । गवर्नमेन्ट ने जो कुछ किया है, पुलिस ने जो कुछ किया है अच्छा किया है, पहले ही निकाल लिया, लेकिन मैं करना इसलिए चाहता था कि हम सबके खिलाफ होना चाहिए । जितनी भी पोलिटिकल थिंकिंग है इस देश में, जो आज भी है, जो कल भी थी, जिसकी सन् 1947 में हमने कीमत अदा की, जिसने भाई-भाई को लड़वाया, लाखों जानें गई, उस कैंसर से हमने तब पीछा नहीं छुड़वाया, आज भी पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं । यह उन लोगों की बेईमानी है जोकि भाई-भाई में बटवारा डालना चाहते हैं । आज भी इस जहर को हम नहीं निकाल सके हैं । यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है, मैं सभी को कहता हैं, पार्लियामेन्ट से ऐज होल, कहता हूं कि अगर हमने इस जड़ को नहीं निकाला तो कभी देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं । आप चाहे कैसे भी निकाले । धर्म-धर्म के नाम पर घर में रहे, जो जिसकी मर्जी है वह रहे । न गुरुद्वारा, न मन्दिर' न मस्जिद, न गिरजा, कहीं भी इस चीज का न बाहर प्लेटफार्म पर, न अन्दर प्लेट फार्म पर कोई इसका पोलिटिकल विंग नहीं होना चाहिए । इस तरीके से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा । इसलिए मैं कहता था कि एडमिट करूं तो किसके खिलाफ ? मैं चाहता हूं अपने सबके खिलाफ करूं, एडजर्नमेन्ट मोशन में सबकी गरदान होनी चाहिए । आने वाली नस्लें पकड़ेगी हम—को यह मैं आपको बताता हूं ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे प्रसन्नता है कि स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष पीठ की ओर से पहले ही प्राप्त किया गया है और कार्यवाही······(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : एक दूसरे केंसर के बारे में मैंने नोटिस दी है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस पर कार्यवाही शुरू कर कर दी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिहार में 50 से अधिक हरिजन मारे गए हैं······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कर्यवाही शुरू कर दी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : धनबाद के पुलिस उप-अधीक्षक दल का नेतृत्व कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सूचना मांगी है और जब मुझे प्राप्त हो जाएगी······

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वहां जंगल का कानून चल रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नही ।

[हिन्दी]

आप जिद करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप एक मिनट मेरी बात सुनिये । आप बात सुनलें तो तसल्ली हो जाएगी ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय या तो इस पर एक वक्तव्य दे या फिर हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों को प्राप्त करने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरु कर दी है क्योंकि सरकार तथ्यों को केवल राज्य सरकार से ही प्राप्त कर सकती है । तब मैं सदन में उस पर चर्चा कर सकता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां चर्चा होनी चाहिए । हम यह सब कुछ इस तरह नहीं होने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हमने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया है ।

[हिन्दी]

श्री विजयकुमार यादव : (नालन्दा) : मैं टेरोरिज्म की बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल रामाश्रय प्रसाद सिंह जी ने कहा था आज इनसे कह रहा हूं ।

[अनुवाद]

समय बर्बाद लिए बिना मैं यही कर रहा हूँ और मैंने एक मिनट भी नहीं गंवाया और मैंने यह कर दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान जी, कृपया कुछ कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसे कर रहा हूँ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं आप बेकार ही सदन का समय क्यों बर्बाद करते हैं। मैंने इसे कल ही कर दिया है। दोबारा आज आप इसे फिर उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप नाराज न हों ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाराज नहीं होता हूं

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदई वेलू (गोबिचेट्टिपालयम) **:** मैंने श्रीलंका के बारे नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे सकते हैं। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। आप वहां आ सकते हैं। इस समय इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का समय नहीं है। आप कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आ सकते हैं। आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री थमन थाकस (मवेलिकरा) **:** राज्य सरकार निगम के कर्मचारियों ने वचन दिया है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं यह कार्यवाही वृत्तान्त का हिस्सा नहीं बन सकती। (व्यवधान)*

आप भी। श्री सोमनाथ चटर्जी, आपने जो कुछ मुझे दिया था उसके बारे में आप भी सूचना मांग सकते हैं। किसी काम को करने और किसी प्रकार का करार करने अथवा किसी प्रकार के काम को किस प्रकार करना है वह सरकार का विशेषाधिकार है। वह उनका विशेषाधिकार है लेकिन आप सूचना मांग सकते हैं। और आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। यदि यह क्षेत्राधिकार के अन्दर है, तो मैं उसे कराऊंगा ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने आपको एक प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं उस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता, ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक गम्भीर मामला है। क्या आपका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उससे आपका संबंध है। आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस पर स्थगन प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके विचार में हो सकता है। सरकार को यह अधिकार है। उसको इस देश को लोगों का विश्वास सौंपा गया है ······ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। इसकी अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इसका मतलब है कि हम किसी भी मामले को नहीं उठा सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपके सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने के अधिकार पर रोक नहीं लगा रहा······

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन हमें अनुभव है, जब कभी······ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगी। आसाम और पंजाब की तरह गोरखा लीग के नेतृत्व में उत्तर बंगाल में एक अलग गोरखा राज्य आन्दोलन चल रहा है। श्रीमान जी, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप दो लिख कर, मैं पता करवाता हूं ।

[**अनुवाद**]

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने इसके लिए पहले ही नोटिस दे दिया है, सरकार को इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और इस स्थिति से निपटाना चाहिए ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम इसका पता लगाएंगे।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम्) इस्पात संयंत्र क्षेत्र में तेरह हजार विस्थापित परिवार गत सात वर्षों से दुःख झेल रहे हैं और भूखों मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कोई नोटिस दीजिए। मैं इसे देखूंगा, इस तरह नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री भट्टम, ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं इन बातों की अनुमति नहीं दूंगा। इसकी अनुमति नहीं है। आप इसे मुझे दे सकते हैं। इस तरह से नहीं, इसकी अनुमतिन हीं है। इस सदन में यह एक दम असंगत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : मैंने नियम 193 के आधीन एक नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस सदन में यहां मुझ से चर्चा के लिए नहीं कह सकते। चर्चा कराने के लिए निर्णय करना मेरा अधिकार है। नहीं इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर मुझसे मिले।

श्री एच० ए० डोरा : मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। इसकी अनुमति नही है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) अध्यक्ष महोदय, एक महीने के अन्दर कम से कम 10-करोड रुपए का कपास जलाया गया है।··· (व्यवधान) ··· मैंने इसके लिए तीन नोटिस दिये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। इसको अस्वीकार किया जाता है।

व्यवधान**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है लेकिन आप इसे यहां नहीं उठा सकते ।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम (नगरकुरनूल) : अजमेर के पास जो मन्दिर है वहां राष्ट्रपति जी गए थे। वहां पर हरिजनों को नहीं जाने दिया गया। उस का पेपर मैंने सभ पटल पर रखा था। उसके लिए क्या कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा : श्रीमान जी, मैं और श्री माधव रेड्डी कल आपके पास आए थे···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां इसका उत्तर नहीं दे सकता। यह सब ठीक है। आप बैठ जाइये। अपना स्थान लीजिए। मैं आपको इस तरह अनुमति नहीं दे सकता। मेरी अनुमति के बिना आप ऐसा नहीं मान सकते। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। इसको अस्वीकार किया जाता है। सैयद शाहबुद्दीन।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने·········के विरुद्ध विशेषाधिकर का प्रश्न उठाया था।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्रीमन, मैंने उसकी अनुमति नहीं दी थी।

सैयद शाहबुद्दीन : मेरे बारे में अभी भी यह आदेश है कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी भाग में नहीं जा सकता हूं············(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैंने अपने निर्णय मैं उसे अस्वीकृत कर दिया है।

सैयद शाहबुद्दीन : तो कृपया उसे सभा में बतायें और···········उठाने की अनुमति दीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे बिना कोई कारण बताये कर दिया है। अगर आप चाहें तो मेरे पास आइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। रद्द किया जाता है।

(व्यवधान)**

श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकाराझार) : 'प्लेन्स ट्राइबल्स कौंसिल ऑफ असम' का एक प्रतिनिधिमंडल बोट क्लब पर एकत्र हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिए।

श्री समर ब्रह्म चौधरी : उन्होंने प्लेन्स ट्राइबल्स कौंसिल के लिए कुछ मांगें रखी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें। श्रीमती मोहसिना किदवई।

12.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1985, जो 16 फरवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 89 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 जो 10 अक्तूबर,

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 788 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 863 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 नवम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 578 (अ) म कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2550/86]

(3) (एक) केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2551/86]

(4) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ एवं तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपयुक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2552/86]

(6) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (आठवां संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 20 सितम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 745 (अ) में प्रकाशित हुये थे तथा अंग्रेजी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र जो 17 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 903 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2553/86]

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :—

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2554/86]

———

12.06 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1985 को हुई बैठक में पारित उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को राज्य सभा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1986 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया गया है :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "छत्तीस" **के स्थान पर "सैंतीस" प्रतिस्थापित किया जाये।**

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1985" **के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाये।**

अतः मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के

अनुसरण में इस अनुरोध के साथ उक्त विधेयक को वापिस लौटाना है कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सभा को सूचित की जाये।"

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 1986

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 1986, जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया है, सभा पटल पर रखता हूँ।

12.07 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अठारवां प्रतिवेदव (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.07½ म० प०

प्राक्कलन समिति

32वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं, शहरी विकास मंत्रालय भूमिहीन ग्राम्य श्रमिकों के लिए आवास के बारे में प्राक्कलन समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

12.08 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : मैं, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.08½ म० प०

रेल विधेयक

[अनुवाद]

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : मैं, श्री माधव राव सिंधिया की ओर से, प्रस्ताव करता हूँ कि रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : हममें से कई सदस्यों को इस विधेयक की प्रति प्राप्त नहीं हुई है किन्तु सचिवालय कहता है कि विधेयक भेज दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मुझे यह अभी-अभी प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को 19 ता० को परिचालित किया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने सभी कागजात देखे थे। मुझे पहले कभी यह विधेयक नहीं मिला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कई सदस्यों को इस विधेयक की प्रतियां नहीं मिली हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पता किया है। इसे परिचालित किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक या दो सदस्यों को यह प्राप्त न होने की गलती हो सकती है किन्तु इतने सदस्यों को यह नहीं मिला है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें केवल विधेयक का शुद्धि पत्र मिला है, विधेयक नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो गया ·····विधेयक के बिना शुद्धि पत्र कैसे प्राप्त हुआ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वास्तव में तथ्य यह है कि हममें से किसी को भी यह विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक विधेयक परिचालित नहीं किया जाता है तब तक उसका शुद्धि पत्र कैसे परिचालित किया जा सकता है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास रिकार्ड है कि इसे 19 ता० को परिचालित किया गया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमारे आफिस ने किया है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हममें से किसी को भी यह प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम क्यों कहेंगे भाई ? हमें कोई डाक्टर ने बताया है कि हम गलत कहें। हमारे पास कोई चीज आयेगी तो हम आपको दे देंगे, नहीं आयेगी तो कह देंगे नहीं आयी। सिम्पल बात है।

श्री वसुदेव आचार्य : किसी को नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : किसी को नहीं मिला ? यहां और भी तो मेम्बर बैठे हैं।

[अनुवाद]

हम इसका पता करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप प्रत्येक सदस्य को पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : हम नहीं जानते सच्चाई क्या है। हम इसे आपको दे सकते हैं। विधेयक परिचालित किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रो० रंगा, क्या यह विधेयक आपको मिला है ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम नहीं जानते यहां क्या हो रहा है।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्हें नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : हमने जांच की है। इसे परिचालित किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने पैकेट नहीं खोला।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं मिला बाकी को मिल गया।

श्री वसुदेव आचार्य : किसी को नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकुलेट तो किया है। यह हो सकता है कि आपके पास नहीं पहुंचा हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पता तो चले कि कहीं नहीं पहुंचा है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : हमारे पास पहुंच जाए उसके बाद इन्ट्रोड्यूस हो।

अध्यक्ष महोदय : कहो तो आपको दुबारा भिजवा देंगे। इसमें क्या बात है।

[अनुवाद]

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : यह गलत प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह गलत प्रक्रिया नहीं है। यह संचार माध्यम की विफलता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : विधेयक को आज परिचालित होने दीजिए और कल यह पुर:स्थापित किया जाये। आसमान नहीं गिरेगा। हम विधेयक देख लेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गुप्ता जी, इसमें फर्क क्या पड़ता है आज कौन-सा यह पास होने लगा है। आप बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें जब तक यह पता नहीं चलता कि विधेयक में क्या है, तब तक हमें उसका विरोध करने का मौका नहीं मिल पाएगा। नियमों के अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं। मैं इन अधिकारों का प्रयोग क्यों न करूं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बंसी लाल : यह बिल सरकुलेट हो चुका है। ये क्या बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हम सब आपको भ्रम में डाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या हम झूठ बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम जानबूझ कर क्या गलत बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : गलत तो कोई नहीं बोलता। यहां से गया होगा, आपके पास नहीं पहुंचा होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इतने सारे मेम्बर गलत नहीं बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं रिकार्ड चैक करवा सकता हूँ जो हमारे पास है। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा आफिस यह कहता है कि यह भेजा गया है और यह हमारे पास रिकार्ड में है।

[अनुवाद]

यह एक छोटी-सी बात है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : अगर यह कल इन्ट्रोड्यूस हो जायेगा तो क्या हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आज क्या हो गया ? कौन-सा आज पास थोड़े ही हो जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : रमारे पास कापी नहीं होगी तो अगर हमें अपोज करना है तो कैसे अपोज करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है कल करा देंगे। लेकिन यह पता तो करने दो कि यह कैसे हुआ।

[अनुवाद]

मैं इसका अवश्य पता करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ किन्तु मैं पूछना चाहता हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

जब यहां से गया तो आप तक पहुंचा कैसे नहीं। जब यहां से गया तो गया कहां ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आज भी यह हुआ था कि उन्होंने सचिवालय को विधेयक के लिये टेलीफोन किया। उन्होंने विधेयक भेजा। कौन-सा विधेयक ? विनियोग विधेयक। उन्होंने विनियोग विधेयक भेजा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करेंगे। कुमारी पुष्पा देवी उपस्थित नहीं हैं। श्री राम प्यारे पनिका अनुपस्थित हैं और श्री वाडियार भी। अब श्री मोहन लाल झिकराम।

12.16. म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में 'वनवासी सेवा मण्डल' के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ देने की मांग

[हिन्दी]

श्री एम० एल० झिकराम (मण्डला) : मध्य प्रदेश में वनवासी सेवा मण्डल एक समाज सेवी संस्था है जो पिछले 40 वर्षों से मध्य प्रदेश के पिछड़े एवं आगम्य बीहड़ पहाड़ी क्षेत्रों में बसे आदिवासी गिरिजनों की सेवा करती आ रही है तथा उनमें शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु शालाओं का संचालन करती आ रही है। इस संस्था के शिक्षक व कर्मचारी इन पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान हेतु समर्पित भावना से एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने परिवार एवं ,स्वत: की सुख-सुविधा की परवाह किए बिना समर्पण की भावना से आज भी सेवा-रत हैं और अपनी इस संस्था के संस्थापक स्व० पूज्य ठक्कर बाबा के आदर्श एवं उद्देश्यों की प्रतिष्ठा कायम किए हुए हैं, किंतु खेद के साथ मुझे इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि ऐसे समर्पित शिक्षक एवं कर्मचारियों का भविष्य उस समय बिल्कुल अन्धकारमय हो जाता है जब वे सेवा निवृत्त होते हैं, क्योंकि सेवा निवृत्ति के बाद इनको ग्रेच्युटी, पेंशन आदि की कोई सुविधा नहीं दी जाती है, जबकि अन्य अर्द्धशासकीय, प्राइवेट एवं शासन से सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक एवं कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन आदि की वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो शासकीय सेवकों को मिलनी चाहिए। महोदय, इस संस्था को शासन शत-प्रतिशत सहायता दे रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वह इस संस्था के शिक्षक और कर्मचारियों को शासकीय सेवकों की तरह पेंशन, ग्रेच्युटी आदि की वे सभी सुविधाएं इन गरीब शिक्षकों को भी देने की कृपा करें, ताकि सेवा निवृत्ति के बाद वे भी अपना जीवन-निर्वाह सामान्य रूप से कर सकें।

(दो) गोंदिया, भण्डारा और तुमसर टेलीफोन एक्सचेंजों में एम० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी (भण्डारा) : महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में भंडारा और तुमसर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कम होने से पिछले 5 वर्ष से भंडारा में 200 और तुमसर में 75 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। भण्डारा जिला पिछड़ा हुआ जिला है। यहां पर अभी कुछ उद्योग लगने शुरू हुए हैं। सनफ्लैग स्टील फैक्ट्री का काम भंडारा में शुरू हो गया है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन टेलीफोन और टेलेक्स की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। उसी तरह यहां एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री का काम शुरू हुआ है। उन्हें भी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। इस वजह से इस पिछड़े जिले में उद्योग आने से कतराते हैं। गोंदिया, भंडारा, तुमसर एस० टी० डी० सुविधा के वास्ते भी कई वर्षों से मांग है और टेलेक्स सुविधा वास्ते भी कई लोगों ने दरख्वास्तें कर रखी हैं। में भी पिछले छ: वर्ष से हर तरह से प्रयत्न करता रहा हूं, फिर भी विभाग की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि उपरोक्त कामों के वास्ते पिछली लोक-सभा में मुझे आश्वासन दिया गया था।

मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि गोंदिया, भंडारा, तुमसर एक्सचेंज एस० टी० डी० से जल्दी से जल्दी जोड़ जाएं। भंडारा, तुमसर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता तुरन्त बढ़ाई जाए। जिले में जो नए उद्योग शुरू होने जा रहे हैं उन्हें दूरसंचार की टेलेक्स सहित सभी सुविधाएं तुरन्त प्रदान की जाएं। इस वास्ते तुरन्त आदेश देने की कृपा करें।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के विद्यमान रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : भारत सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आठ खाली पदों को 28 महीने से भी अधिक अवधि से नहीं भरा गया है। इसके कारण आन्ध्र प्रदेश के लोगों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उच्च न्यायालय में तीन वर्षों से न्याय हेतु अठ्ठासी हजार मामले लम्बित पड़े हुए हैं। न्यायाधीशों के अभाव में न्याय मिलने में विलम्ब होता है और इस तरह न्याय नहीं दिया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से तीन बार न्यायाधीशों की तालिका की सिफारिश की है। किन्तु ये कागजात बिना किसी वैध कारण के राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच ही घूम रहे हैं। दोनों सरकारों में उलझे होने के कारण न्याय प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।

अब फिर तीसरी बार आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 1986 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु न्यायाधीशों की तालिका प्रस्तुत की है। किन्तु तीन माह के पश्चात् भी केन्द्रीय सरकार ने इस मसले पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गम्भीरता पूर्वक ले और सभी विद्यमान रिक्त स्थानों को बिना किसी विलम्ब के भरे।

(चार) पश्चिम बंगाल में कालना उप-मण्डल के मोंटेश्वर, पूर्वस्थली और नन्दाघाट खण्डों में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को अपेक्षित राहत देने की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पश्चिम बंगाल के कालना उप-मंडल के मोंटेश्वर, पूर्वस्थली और नन्दघाट खडों में 5 अप्रैल को हुई विध्वंसकारी ओलावृष्टि ने किसानों को तबाह कर दिया। कई लोग घायल हुए हैं, मिट्टी और टाइल के मकान टूट गए, विशाल क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई, घरेलू जानवर जैसे कुक्कुट और सूअर बड़ी संख्या में मारे गए। इस ओलावृष्टि जोकि हाल के इतिहास में अभूतपूर्व है, के कारण करोड़ों रुपए की क्षति होने की आशंका है।

गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को दु:ख और आपदा की सबसे भयंकर स्थिति से जूझना पड़ा है। राज्य सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाई है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रकृति के अनियमित विध्वंसक व्यवहार, जिसने लोगों को चपेट में लिया है, के कारण इस भयंकर तबाही को दूर करने हेतु इस क्षेत्र के लोगों को सहायता पहुंचाई जाये।

(पांच) राजस्थान में चित्तौड़गढ़ को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का ऐतिहासिक नगर चित्तौड़गढ़ जो शक्ति तथा भक्ति का कर्म स्थल रहा है, अपने गौरवमय इतिहास की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। मेरा यातायात मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि वायुदूत सेवा से चित्तौड़गढ़ को जोड़ा जावे। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में "सोनियाणा" नामक गांव के पास एक "हवाई पट्टी" बनाई गयी है जो भीलवाड़ा तथा चित्तौड़-गढ़ जिले के बीच में है, जिस पर 1983 से ही स्टेट प्लेन बराबर आते जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इसी "हवाई पट्टी" को "हवाई अड्डे" में परिवर्तित किया जावे तथा "वायुदूत" सेवा आरम्भ की जावे। इस समय वायुदूत सेवा आपने जयपुर, कोटा को दी है। इसी को चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाया जा सकता है। इस वायुदूत से दो राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले भीलवाड़ा ताथ चित्तौड़गढ़ जुड़ जायेंगे। चित्तौड़गढ़ की पर्यटन सुविधा बढ़ेगी। कई देशी तथा विदेशी पर्यटक इस ऐतिहासिक किले को देखने आने लगेंगे।

भीलवाड़ा जो राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से विकसित नगर है। यहां के उद्यमियों को भी वायुदूत सेवा का लाभ मिलेगा जिससे उद्योग पनपेंगे।

अतः यातायात मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि दो महत्वपूर्ण जिलों चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा को जोड़ने वाली इस वायुदूत सेवा को तुरन्त ध्यान देकर कार्यरूप में परिणित करें तथा उन राजस्थानियों को सुविधा प्रदान करें जो देश के हर कोने में फैले हुए व्यापार का संचालन कर रहे हैं तथा पर्यतक उद्योग को पनपने का मौका प्रदान करें।

(छः) रबी फसल की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 10 क्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यव महोदय, प्रकृति की कृपा से तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की कृषि नीति के कारण एवं किसानों के कठोर परिश्रम के भलस्वरूप उ०प्र० में रबी की फसल अच्छी हुई है। विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन उल्लेखनीय और उत्साहवर्धक है। किन्तु समर्थन मूल्य के आधार पर प्रत्येक विकास खंड में कम से कम दस खरीद केन्द्र नहीं खोले जायेगें तो किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पायेगा और किसानों का शोषण होगा। उनका परिश्रम व्यर्थ हो जायेगा। अतः भारत सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक विकास खंड में कम से कम रबी की फसल की खरीद के लिए दस खरीद केन्द्र खुलवाने की तत्काल व्यवस्था करें।

———

12·25 म० प०

वित्त विधेयक, 1986

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1986 के तीनों चरणों पर चर्चा करने हेतु 12 घण्टे निर्धारित किए गए हैं। यदि सभी सहमत हो, तो हम 9 घण्टे सामान्य चर्चा के लिए रखेंगे, 2 घंटे खण्ड वार विचार के लिए और 1 घंटा तृतीय वाचन के लिए रखेंगे।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

28 फरवरी, 1986 को मेरे द्वारा रखे गए बजट प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। वाद-विवाद और तर्क के प्रत्युत्तर में हमने पहले ही बड़ी संख्या में संशोधन करने की घोषणा की है जिससे लघु क्षेत्र को पर्याप्त राहत मिली है। 'मोडवेट' योजना के कार्यान्वियन से संबंधित अनेक समस्यायें हमारी जानकारी में लाई गई थीं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक इनमें से अधिकांश समस्याएं हल कर दी गई हैं। जो रियायत की घोषणा की गई है उसका सभा में और सभा से बाहर स्वागत हुआ है।

तिलहन उत्पादकों के हित में तथा सरसों के तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु परिशोधित सरसों के तेल अथवा रेपसीड तेल पर उत्पाद थुलर को 1500 रु० प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 750 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का विचार है। 'साल्वेट एक्सट्रेक्टेड' तेल से उत्पादित परिशोधित तेल तथा अरण्डी के तेल और तम्बाखू के बीच का तेल पर उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जा रही है।

मैंने बाह्य ढांचे निर्माण करने में रत् लघु एककों के लिए एक अलग योजना াक वायदा किया था। माल परिवहन के लिए 4,000 रुपए प्रति ट्रक और अन्य प्रकार के ढांचों के लिए 8,000 रुपए प्रति यूनिट की विशेष और रियायती दर पर उत्पाद शुल्क कम करने का प्रस्ताव है। स्वतंत्र ढांचा निर्माताओं से शुल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। उन्हें केवल मासिक लेखा प्रस्तुत करना होगा जिसमें निर्मित ढांचा वाहनों की संख्या, पंजीकरण संख्या और भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क अंकित होगा। इस प्रकार के एककों को दैनिक उत्पादन का खाता रखने से छूट दी जाएगी।

इस्तेमाल किए जा रहे माल के संबंध में उद्योग के अतिरिक्त क्षेत्रों को राहत दी जा रही है। उदाहरणार्थ, किसी कारखाने में अथवा उसी निर्माता के किसी अन्य कारखाने में मरम्मत/रख-रखाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले मशीन के हिस्सों, पुर्जों और ओजारों आदि; लकड़ी की

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लुगदी तथा कृत्रिम रेशा/तन्तु के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अकार्बनिक रसायन; रक्षित रूप से प्रयोग किए जाने वाली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस; पिसाई चक्कियों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले घर्षक अनाज; मुद्रण के लिए नक्काशी मुद्रण सिलेण्डर और लीथोग्राफिक प्लेट्स, कार्बन पेपर के निर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कार्बन स्याही, चीनी मिट्टी, मृत्तिका उत्पादों के निर्माण में प्रयोग में लाये जाने वाले रिफ्रैक्टरी कन्टेनर्स और पेरिस सांचे के प्लास्टर; सब-असेम्बलीज/असेम्बलीज/यूनिट्स/पार्ट्स, जब इन्हें सभी तरह के कम्प्यूटरों (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिटों और पेरिफेरल यन्त्रों सहित) के निर्माण में रक्षित रूप से प्रयोग किया जाता है। और एक दिन की अलार्म घड़ियों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुर्जे।

एक अन्य क्षेत्र जहां उत्पादन शुल्क और/अथवा अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाकर, जैसी स्थिति हो, राहत मिलेगी, वह है यूरिया फार्मल डिलाइट रेजिन्स के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही यूरिया; कपड़ा तन्तु/तात्रा के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले कतिपय जैव रसायनों; एक्रीलिक तन्तु के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले एक्रीलॉनीटाइल, और कागज। गन्ने के निर्माण में उपयुक्त किए जाने वाले कतिपय अन्य सामान तथा संशोधित कलफ और अन्य कलफों के निर्माण में प्रयुक्त मांड़ों के संबंध में है।

मैं धुनी ऊन, दियासलाई के लिए कागज की खपचियों, कागज-लेबलों, बांस, बर्फ शुल्क अदा किए गए पटसन तन्तु से निर्मित पटसन की बोरियों, शुल्क अदा किए गए धागे से बने मछली पकड़ने के जालों, हेयर फिक्सरों, रस्सी, सुतली, कार्डेज आदि बिजली की सहायता के बिना बनाए गए रेजिन तथा टरपेन्टाइन; और रबड़ के गुब्बारों, वेफ्ट पाइल निटिंग मशीनों तथा 15 सेमी० से अनधिक चौड़ाई के सूती पट्टों से तैयार की गई ऐसी कृत्रिम वस्तुओं जिनमें प्लास्टिक सामग्री का बिल्कुल इस्तेमाल न किया गया हो, को भी उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर रहा हूं।

मैं लकड़ी के फर्नीचर के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक और मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेनों और उनके पुर्जों पर 35 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क में कटौती करने की व्यवस्था भी कर रहा हूं। कढ़ाई के सूती धागे पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, यदि पहले भुगतान नहीं किया गया है, पहले लगने वाले शुल्क की दर पर फिर से लगाया जा रहा है जो मूल धागे पर अदा किए गए शुल्क के बराबर होगा।

बड़ी-बड़ी कागज मिलों के सम्बन्ध में जो गैर परम्परागत कच्चे माल का कम से कम 50 प्रतिशत प्रयोग कर रही हों, उत्पादन शुल्क को प्रति मीट्रिक टन दस प्रतिशत और 850 रुपए से कम करके प्रति मीट्रिक टन दस प्रतिशत और 700 रुपए किया जा रहा है।

लघु उद्योगों ने उत्पाद लाइसेंस समाप्त किए जाने हेतु शुल्क में छूट की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है। छूट की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपए की जा रही है। मेरा प्रस्ताव है कि सामान्य लघु उद्योग छूट योजना के अन्तर्गत कुछ और मदों को भी शामिल किया जाए। इनमें सभी प्रकार के और वाष्पणिक प्रकार के कूलरों और उनके पुर्जों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई है। कार्य के अहाते में उत्पादों को अन्तिम रूप देते समय निकलने वाली

छीजन को वापस पहुंचाने के संबंध में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 'माडवेट' नियमों में कतिपय संशोधन भी किए जा रहे हैं। यह निर्णय किया गया है कि सभी मामलों में, जहां भूतपूर्व शुल्क वर्गीकरण के अन्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध थी, नियम 56 क के अधीन प्रोफार्मा ऋण दिया जाए।

मेरा प्रस्ताव कि 25 से०मी० से अनधिक आकार के कैरिज वाले सुवाह्य टाइपराइटरों के सम्बन्ध में प्रति टाइपराइटर 300 रुपए के उत्पाद शुल्क की एक अलग से विशिष्ट दर निर्धारित की जाए। अन्य मानवचालित टाइपराइटर के संबंध में शुल्कों की विशिष्ट दरों में उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है। मेरा प्रस्ताव प्लास्टिक फिल्मों के सम्बन्ध में शुल्क को यथा मूल्य 35 प्रतिशत से घटाकर यथा मूल्य 25 प्रतिशत करने का भी है जिसमें कोशिकीय फिल्में भी शामिल हैं किन्तु इसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कतिपय विशिष्ट उपशीर्षकों के अन्तर्गत आने वाली पोल्यूरेथेन फोम शामिल नहीं है। उत्पाद शुल्क की घटी हुई दर इन फिल्मों के भारत में उत्पादन अथवा निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में लागू होगी।

1.50 करोड़ रुपए से अनधिक की बिक्री करने वाले छोटे चमड़ा-वस्त्र निर्माताओं को सहायता देने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव ऐसे एककों को 3 लाख वर्गमीटर चमड़ा वस्त्र की पहली निकासी के संबंध में चमड़ा वस्त्र पर उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत तक छूट देने का है। मेरा विचार चमड़ा-वस्त्र के निर्माण में शुल्क अदा किए गए पी वी सी रेजिन के इस्तेमाल पर भी शुल्क लगाने का है। चमड़ा वस्त्र के कतिपय बेकार टुकड़ों और कटपीसों के सम्बन्ध में यथामूल्य 30 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की एक सामान्य दर भी निश्चित की जा रही है।

बजट प्रस्तावों में 15 चुने गए चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करने सम्बन्धी संघटकों के संबंध में यथामूल्य 40 प्रतिशत सीमा शुल्क की रियायती दर का उल्लेख किया गया था। यह रियायत ओपन हार्ट सर्जरी, अल्ट्रा साउण्ड स्कैनर आदि के लिए कार्डियोस्कोप, हायपोर्थमिक यूनिट जैसे अतिरिक्त 19 अत्यधिक विशेषीकृत चिकित्सा उपकरणों के सम्बन्ध में दी जा रही है।

सभा को यह भी स्मरण होगा कि मैंने पी वी सी रेजिनों के सम्बन्ध में मुख्यत: उनके आयातों में कम मूल्य प्राप्त होने की समस्या को दूर करने के साथ-साथ घरेलू उद्योग के हित में उनकी सुरक्षा करने की दृष्टि से प्रति मीट्रिक टन 10,500 रुपये की सीमा शुल्क की विशिष्ट दर निर्धारित की है। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि पेस्ट ग्रेड और बैटरी ग्रेड जैसी कतिपय विशिष्ट रेजिनों के सम्बन्ध में आयात शुल्क काफी कम हो गया है, जिससे इन रेजिनों के स्वदेशी निर्माताओं के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचने के लिए, मेरा विचार पी वी सी पेस्ट ग्रेड और पी वी सी बैटरी ग्रेड रेजिनों के संबंध में प्रति मीट्रिक टन 15,000 रुपए के आयात शुल्क की उच्चतर विशिष्ट दर निर्धारित करने का है।

अप्रत्यक्ष करों में उपयुक्त परिवर्तनों से सम्बन्धित छूट की अधिसूचनाएं सभा पटल पर रखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, हमने वित्त विधेयक में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है

जो अधिकांशतः औपचारिक हैं और राजस्व की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है।

बजट के बाद दी गई छूट और उसमें संशोधनों से उत्पाद शुल्क पर 79 करोड़ रुपए और सीमा शुल्क पर 2·9 करोड़ रुपए का राजस्व कम प्राप्त हुआ है।

प्रत्यक्ष कर—अब मैं प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में बजट प्रस्तावों सम्बन्धी सुझावों को लेता हूं। माननीय सदस्य कहेंगे कि बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मैंने 2 अप्रैल, 1986 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने अपने मूल प्रस्तावों में कतिपय परिवर्तन करने का विचार किया था। तदनुसार प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं :

(एक) सर्वेक्षण के प्रयोजनों से निर्धारित जानकारी एकत्र करने के लिए आय कर प्राधिकारियों का अधिकार केवल व्यापारिक स्थानों तक ही सीमित होगा।

किन्तु मैं यह स्पष्ट कर दूं कि तलाशी लेने का अधिकार बना रहेगा और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत आवासीय स्थानों की तलाशी ली जा सकेगी। किन्तु यह सर्वेक्षण के संबंध में था। **(व्यवधान)** आप तलाशी ले सकते हैं। किन्तु यह सर्वेक्षण के संबंध में था जिसे छोड़ दिया गया है। किन्तु तलाशी लेने का अधिकार, यहां तक कि आवासीय स्थानों में, आज भी मौजूद है। यह बना रहेगा।

(दो) छूट प्राप्त स्व अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो ऋण लेकर अर्जित की गई है अथवा उसका निर्माण किया गया है, ब्याज के रूप में 5,000 रुपए तक की कटौती अनुमत्य होगी।

(तीन) अन्तर-निगमित लाभांशों में कटौती से सम्बन्धित आयकर अधिनियम की धारा 80 ड को हटाने का प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।

(चार) चाय उद्योग के सम्बन्ध में लागू होने वाली चाय विकास लेखा योजना निवेश जमा लेखा से सम्बन्धित नए उप बंध के अनुसार लागू की जाएगी।

उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा निम्नलिखित संशोधनों का आगे और प्रस्ताव किया गया है :

(क) वित्त विधेयक के एक उपबंध के अनुसार, निवेश जमा लेखा के अन्तर्गत कटौती का दावा करने वाले कर दाताओं को निवेश भत्ते के जरिए कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरा विचार यह व्यवस्था करने का है कि निवेश भत्ते के असमाहित भाग को आगे ले जाने और उसकी क्षतिपूर्ति का लाभ तभी अनुमेय होगा जब कोई करदाता निवेश जमा लेखा के लाभ का दावा करेगा।

(ख) विधेयक में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि उपयुक्त व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभ की राशि में 20 प्रतिशत कटौती करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब कि इस लाभ की राशि तैयार की गई योजना के अनुसार जमा कराई जाती है अथवा वह किसी जहाज, वायुयान मशीन अथवा संयंत्र की खरीद के लिए उपयोग में लाई जाती है। चूंकि निवेश भत्ता केवल नए जहाज आदि के सम्बन्ध में ही अनुमत्य है, इसलिए मेरा प्रस्ताव निवेश जमा योजना में इसी प्रकार के जहाजों का निर्माण करने का है। तथापि, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस्तेमाल किए हुए जहाज, वायुयान, मशीनें तथा संयंत्र के सम्बन्ध में भी राहत दी जाएगी क्योंकि वे अधिनियम में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों की संतुष्टि पर निवेश भत्ता प्राप्त करने के हकदार थे।

(ग) निवेश जमा योजना के सम्बन्ध में कटौती की तभी अनुमति दी जाएगी जब व्यापार अथवा व्यवसाय से हुए लाभ की कर योग्य आय में से कुछ राशि जमा कराई गई हो अथवा उसकी कुछ राशि जहाज आदि की खरीद के लिए उपयोग में लाई गई हो। इस कर लाभ का दावा किए जाने के उद्देश्यों के लिए ऐसे लाभों का निर्धारण किए जाने के तरीकों में एकरूपता सुनिश्चित करने और इसके साथ-साथ मुकद्दमेबाजी की संभावना को कम करने की दृष्टि से इस संबंध में "लाभ" शब्द को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

(घ) विधेयक में कम्पनियों के अलावा कर निर्धारण के मामलों में लम्बी अवधि के पूंजी लाभ के सम्बन्ध में कटौती से सम्बन्धित आयकर अधिनियम की धारा 80 न में संशोधन करने का प्रस्ताव है। आगे यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि सोना चांदी और जवाहरात को भी अब पूजी लाभ के सम्बन्ध में भवनों अथवा भूमि के समतुल्य माना जाए। कटौती के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा के बारे में धारा 80 न के अतिरिक्त परन्तुक को हटाया जा रहा है।

अन्य संशोधन परिणामी अथवा प्रारूप स्वरूप के हैं और मैं इन संशोधनों के सम्बन्ध में चर्चा करने में सभा का समय नहीं लूंगा।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन तीन मदों के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा जो मेरे वर्ष 1986-87 के बजट भाषण में शामिल की गई थीं।

वे इस प्रकार हैं :

(क) अपने बजट भाषण के पैरा 96 में मैंने वैयक्तिक आस्तियों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास की वर्तमान प्रणाली के बजाय ब्लाक आस्तियों के सम्बन्ध में मूल्यह्रास करने की प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया था। प्रस्ताव 2-4-1987 से लागू कर दिया जाएगा और एक अलग संशोधन विधेयक के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) अपने बजट भाषण के पैरा 98 में मैंने स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले चिकित्सा व्यय के सम्बन्ध में कटौती करने का सुझाव दिया था। इसे एक अलग संशोधन विधेयक के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) अपने बजट भाषण के पैरा 100 में मैंने धनकर के प्रयोजनों के लिए आस्तियों के

मूल्यांकन हेतु आसान नियम बनाने के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। इस संबंध में दिनांक 31 मार्च, 1986 के प्रस्तावित प्रारूप नियम, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए पहले ही प्रकाशित कर दिए गये हैं जिनके इन नियमों के लागू होने से प्रभावित होने की सम्भावना है और उनसे 15 मई, 1986 तक उक्त नियमों के सन्दर्भ में आपत्तियां और सुझाव मांगे गये हैं।

बजट प्रस्तावों में, निर्यात में वृद्धि करने के लिए अनेक उपायों का उल्लेख किया गया था। सम्बन्धित मंत्रालयों, विशेषज्ञों तथा निर्यात हिस्सेदारों के साथ हुई बजटोपरान्त चर्चा के दौरान सरकार को निर्यात क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि संसद के चालू सत्र की समाप्ति से पहले निर्यात क्षेत्र के लाभ के लिए कतिपय और उपायों की घोषणा कर दी जाएगी।

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे वित्त विधेयक का मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं अनुरोध करता हूं कि आगे चर्चा करने से पूर्व आप इस मामले पर विचार करें जिसे मैं स्वस्थ संसदीय प्रथा को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष रख रहा हूं। अभी-अभी हमने वित्त विधेयक के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री महोदय का भाषण सुना है उन्होंने अपने भाषण में साफ-साफ बताया है कि उन्होंने पहले ही समय-समय पर अनेक रियायतों की घोषणा की है। महोदय, हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी सरकार एक क्रियाशील सरकार है, एक ऐसी सरकार जो जनता की मांग पर शीघ्र ध्यान देती है, और समय-समय पर अनेक रियायतों की घोषणा करती रही है। यह एक अच्छी बात है। किन्तु मैं आपका ध्यान एक स्वस्थ संसदीय प्रथा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज वित्त विधेयक पेश कर रहे हैं और अनेक रियायतें पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। इससे वित्त विधेयक के महत्व में कमी आती है। जब तक बजट-पूर्व घोषणा के लिए कोई तत्कालिकता न हो, जैसा कि यह है, तो इससे बजट का महत्व घट जाता है। इस सदन में बजट को लाये जाने से पूर्व बहुत सी बातें लागू हो चुकी हैं। बजट ने अपना महत्व खो दिया है। वित्त विधेयक की औचित्यता के हित में यद्यपि हम उन रियायतों का स्वागत करते हैं, फिर भी······

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : इसे भाषण में शामिल किया जा सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : वित्त विधेयक की औचित्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय की ओर से निर्देश किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर चुके हैं; मैं उस मामले में निर्देश दे चुका हूं। हमने शुरू करते समय ही इस पर ध्यान दिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, हमने अभी जो भी घोषणायें की हैं। वे इस सदन में की हैं। उन्हें सदन के बाहर घोषित नहीं किया गया।

दूसरी बात यह है महोदय, कि हमने बजट भाषण में ही कहा है कि हम एक नई योजना 'माडवेट' शुरू कर रहे हैं और भाषण में ही मैंने कहा है कि हम विसंगतियों को दूर करेंगे। अब इन विसंगतियों को दूर करने में यदि उद्योग को दो महीने के लिए बन्द कर दिया जाता है और उद्योग तथा सभी प्रकार के कार्य रुक जाते हैं, तो यह एक अच्छी बात नहीं है। आपको मार्च के प्रथम सप्ताह में 'माडवेट' की आलोचना का स्मरण होगा और 60 दिनों के भीतर हम शांत हो गये हैं, माडवेट की कोई समस्या नहीं है। ब्रिटेन को स्थिर होने में तीन वर्ष लगे थे और हम 'माडवेट' के मामले में 60 दिनों में ही स्थिर हो गये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : लघु-उद्योगों पर भी विचार किया जाये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लघु उद्योगों पर भी। इसकी क्या उपयोगिता है? यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि इसे दो महीने तक लटकाये रखें, तो यह कोई ऐसा मामला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री बनातवाला से सहमत नहीं हूं कि घोषणा उचित नहीं थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। यह एक मर्यादा और संसदीय प्रथा का प्रश्न है। मैंने संसदीय प्रथा को छोड़कर अन्य बातों का स्वागत किया है। जब तक कि कोई तत्कालिकता न हो, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : श्री बनातवाला को यह पता नहीं है कि बजट में समाविष्ट अनेक प्रस्ताव उसी दिन से लागू हो गये जब 28 फरवरी को बजट पेश किया गया था और निश्चित रूप से वित्त मन्त्री महोदय के लिए घोषणायें करना आवश्यक हो गया ताकि इससे उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से कोई कठिनाई न हो। मेरा प्रश्न यह है कि जबकि आलोचना की काफी गुंजाइस है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह प्रथा के विरुद्ध है।

महोदय, अभी-अभी हमने वित्त मन्त्री महोदय द्वारा घोषित रियायतों की दूसरी किश्त के बारे में सुना है। महोदय, मैं 1952 से वित्त मन्त्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न बजट भाषणों को देख रहा था जब श्री चिन्तामणि देशमुख इस मंत्रालय में मंत्री थे। इस बजट के पूर्व किसी भी समय किसी बजट में इतनी अधिक जटिलतायें नहीं थीं, बजट पेश करने के पश्चात् इतनी घोषणायें नहीं

की गई। यह चौथी बार है कि हम रियायतों की घोषणा के बारे में सुन रहे हैं और महोदय, मैं अभी भी भ्रम में हूं। मुझे बोलना है जबकि मैं अभी भी भ्रम में हूं क्योंकि आज कुछ नये प्रस्ताव आये हैं जिनका अध्ययन किया जाना है और इसके बारे में आज ही जानकारी मिली है और इस लिए इस बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए कठिन होगा। उदाहरणार्थ मैं धारा 133 ख के बारे में सोच रहा था कि कब इसे वापिस लिया जायेगा या इसे संशोधित किया जाएगा इससे तलाशियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। किन्तु अभी-अभी वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि इस धारा के अन्तर्गत आवासीय मकानों में तलाशियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह सर्वेक्षण कार्य था। ये सभी सर्वेक्षण के लिए हैं। 'सर्वेक्षण' से मतलब यह है कि कोई भी निरीक्षक किसी भी घर में जा सकता है और उसका सर्वेक्षण कर सकता है। इसलिए उस हिस्से को छोड़ दिया गया है, किन्तु व्यापारिक ठिकानों का सर्वेक्षण बना हुआ है। किन्तु तलाशी का अधिकार एक विशिष्टीकृत प्रक्रिया है और तलाशी का आदेश एक सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाता है, मकान की तलाशी का वह अधिकार उसी रूप से बना हुआ है जैसाकि कानून में है। उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रसन्न हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया है। किन्तु, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस घोषणा के पश्चात् देश में यह धारणा बन गई है कि तलाशियां हमेशा के लिए बन्द कर दी गई हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यही कारण है कि मैंने इसे स्पष्ट किया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : तब तो इसे घोषणा किए जाने से काफी पहले स्पष्ट किया जाना चाहिये था। फिर भी, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्होंने भ्रांति होने के बाद इसे स्पष्ट किया है। वह आवश्यक था।

श्री सी० माधव रेड्डी : किन्तु अन्य अनेक भ्रांतियां हैं। (व्यवधान) मुझे तो यह दिखाई देता है कि ये सभी प्रस्ताव, चाहे यह 'माडवेट' योजना हो या नई टैरिफ दरें इत्यादि हों, इनमें से अधिकांश प्रस्ताव को सदन में पेश करने से पूर्व इन पर अच्छी तरह तैयारी नहीं की गई है। नहीं तो इतने अधिक परिवर्तनों की गुंजाइश नहीं रहती। जब इतने अधिक परिवर्तन किए जाते हैं और इतनी बार इनकी घोषणा की जाती है, इससे केवल यही पता लगता है कि इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं सोचा गया कि क्या किया जाना है और यह सब यही दर्शाता है कि यह सरकार दूसरे नियमों के आधार पर कार्य कर रही है। इसका अर्थ है कि कोई आये और आपको बताए कि यह ठीक नहीं है और तब आप उसमें परिवर्तन करें। इसके बाद कोई शिष्ट मंडल आये और कहे कि महोदय, इससे उद्योग को हानि होगी, फिर आप इसमें परिवर्तन कर देते हैं।

महोदय, नार्थ ब्लाक में राजस्व विभाग में काम करने वाले लोग इतने सीधे नहीं हैं। उन्हें

सब पता है और उनके पास हर प्रकार की जानकारी है। वित्त मंत्रालय के पास सभी प्रकार के तथ्य उपलब्ध हैं जो आवश्यक माने जाते हैं और इसलिए प्रस्तावों को सदन में पेश करने से पूर्व इन पर बेहतर तैयारी की जा सकती है।

अब हम लघु उद्योगों का उदाहरण लें। यह यह कहा जा रहा है कि लघु उद्योग इस रियायत के पात्र हैं। निश्चित रूप से मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा घोषित रियायतों का स्वागत करता हूं क्योंकि वे बांछनीय हैं। वे सभी स्वागत योग्य हैं, इन्हें दिया जाना जरूरी था। किन्तु प्रश्न यह है कि उनके लिए इन सभी बातों को पहले ही लाना कहां आवश्यक था ? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इससे लघु उद्योगों को बुरी तरह नुकसान होगा। क्या वे चाहते हैं कि कोई आन्दोलन किया जाये, बन्द की धमकी दी जाये, प्रतिदिन ट्रैकों में भरकर लोग दिल्ली आयें, सैंकड़ों लोग आकर वित्त मंत्री से मुलाकात करें और ट्रैकों में भरकर लायी गयी सामग्रियों पर विचार किया जाये और नार्थ ब्लॉक सचिवालय द्वारा इसकी जांच की जाए। क्या यह जरूरी है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : पूरे भारत में हड़ताल की धमकी।

श्री सी० माधव रेड्डी : समूचे भारत में भी हड़ताल की धमकी दी गई थी।

एक बन्द भी हुआ था। केवल बन्द ही नहीं। वित्त मंत्री महोदय को पता है कि लगभग 15 दिनों तक काम-काज ठप्प रहा। कोई बिक्री नहीं हुई। हर जगह लघु उद्योगों को नुकसान हुआ क्योंकि प्रतिदिन नकद रुपया चाहते थे। वे अपनी बिक्री को रोक नहीं सकते थे और बिक्री रोकी गई क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि क्या किया जाए। उत्पान-शुल्क विभाग के कर्मचारी भी गलत फहमी में पड़ गए। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या किया जाये। उद्योगपति भी गलत फहमी में पड़ गए। उन्हें पता न था कि क्या किया जाए। तब, परिणाम यह हुआ कि उत्पादन रुक गया, कोई बिक्री नहीं हुई और फलस्वरूप उत्पादन को भी हानि हुई। मेरे एक मित्र ने हिसाब लगाया है कि गलत फहमी के 20 दिनों की अवधि के दौरान लघु उद्योगों को उत्पादन में लगभग 500 करोड़ रुपये को हानि उठानी पड़ी। इसे घोषित करने में उन्हें 20 दिन लग गए। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उन्होंने इसकी घोषणा की। अब वे महसूस करते हैं कि पहले जो निर्णय उन्होंने लिया था, वह गलत था सभी लोग, छोटे उद्योगपति जो काम में लगे थे, इससे उन्हें नुकसान हुआ। इस बात को करने में उन्हें 20 दिन लग गये कि आपके काम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप पर कोई कर नहीं लगाया जा रहा है।

इसी प्रकार, लघु उद्योगों को भी हानि उठानी पड़ी क्योंकि विभिन्न स्थानों जैसे मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब आदि से लोग दिल्ली आते रहे और मंत्री महोदय से मुलाकात करते रहे और इस तरह मंत्री महोदय तथा अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद हुआ।

12.48 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा मुद्दा यह है कि क्या यह सब केवल प्रतिकाष्ठा के स्तर तक अन्तिम रूप से पहुंचने तथा अन्तिम रूप से "नहीं" कहने के लिए आवश्यक था ? क्या यह सब आवश्यक है ? अब भविष्य में

इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है जबकि हम सदन के समक्ष इन प्रस्तावों को लाने जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है ये प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव नहीं हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय की खुला बजट पेश करने की चिन्ता को समझता हूं। खुला बजट अच्छी बात है जिसकी कुछ पश्चिमी देशों में प्रथा बन गई है और वित्त मंत्री महोदय इसके बारे में जानते हैं और वे भी चाहते थे कि "इसे भारत में क्यों नहीं अपनाया जा सकता ?" यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु खुला बजट किन मदों के सम्बन्ध में किया जा रहा है ? बजट में अनेक मदें निहित हैं। व्यय परिव्यय के सम्बन्ध में, जिसे आपको विभिन्न परियोजनाओं पर, व्यय की विभिन्न मदों पर करना होता है, निश्चित रूप से आपको खुला बजट बनाना चाहिए। नीतियों के सम्बन्ध में आपका खुला बजट है। आप विभिन्न वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में सार्वजनिक वाद-विवाद आमन्त्रित करते हैं। जी हां, यह बिल्कुल सही है। किन्तु कर लगाने, कर की दरें निर्धारित करने के बारे में मैं नहीं समझता कि खुले बजट की कहीं गुंजाइश है। जिस क्षण आय करों की घोषणा करते हैं, जिस क्षण इस सदन में बजट पेश किया जाता है, उसी बजट की आधी रात से दरें और भाड़े लागू हो जाते हैं। व्यापारी इससे प्रभावित होते हैं। क्या आप खुली बजट प्रणाली द्वारा दरों और टैरिफ आदि में इस प्रकार के परिवर्तन करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे ? अब तो, यह गलती हो ही गई है। अन्यथा, मैं खुली बजट प्रणाली का स्वागत करता हूं। मैंने मान लिया है कि इस देश में खुली बजट प्रणाली लायी जानी चाहिए। किन्तु, मुद्दा यह है कि ऐसा करते समय आप अनावश्यक रूप से देश के सम्पूर्ण आर्थिक ढांचे में कोई हलचल पैदा न करें।

जिन प्रस्तावों की घोषणा की गई है उनमें से कुछ का अध्ययन करने के उपरान्त मुझे यह कहना है कि कुछ प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं और लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई राहत का मैं निश्चित रूप से स्वागत करता हूं। आपने कहा कि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रक्रियायें सरल बना दी गई हैं और उन्हें लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आवेदन पत्र भेज देना और आपके पास आवेदन पत्र की प्रति का होना ही काफी है। इसी प्रकार आपने कहा कि लघु उद्योगों को 50 लाख की स्वकृति के बाद स्व-मूल्यांकन किया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छी बात है। इससे उनकी काफी परेशानियां कम हो जायेंगी और आपने छूट की सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी है और ऐसी स्थिति में जबकि कोई लघु उद्योग टैरिफ के विभिन्न शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली एक से अधिक मद का विनिर्माण कर रही हो तो छूट 30 लाख रुपये तक दी जा सकती है। ये सभी बहुत प्रशंसनीय घोषणायें हैं।

किन्तु बजट में निवेश भत्ते जैसे कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, जिनका मैं समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं। अभी मैं वित्त मंत्री का वक्तव्य सुन रहा था। इससे मुझे यह लगा कि वे निवेश भत्ते दे रहे हैं और साथ ही योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दे रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वे............।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा नहीं है कि निवेश भत्ते का अनिविष्ट भाग दिया जाएगा और यह उचित भी है।

श्री सी० माधव रेड्डी : दूसरे शब्दों में निवेश भत्ता नहीं दिया जायेगा। यह बहुत अच्छी बात है किन्तु मुख्य बात यह है कि जो वित्तीयन योजना शुरू की गई है, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाना अपेक्षित है। आपको कुछ जटिलताओं पर विचार करना है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप कहना चाहते हैं कि कुछ बुरा है।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप कुछ बुरा नहीं कर सकते। आपको सब कुछ अच्छा करना है। मेरा यही कहना है।

जहां तक वित्तीयन योजना का सम्बन्ध है, (व्यवधान) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में 20 प्रतिशत लाभ जमा करने दिया जा रहा है और इसे जब भी वापिस लिया जाये इसका और पूंजीकरण, उपस्कर आदि की खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा वे उपस्कर की सीधी खरीद कर सकते हैं किन्तु निवेश भत्ते का निर्धारण करते समय, हमने यह पाया कि बहुत अधिक पूंजी डूब रही है और उद्योगपतियों द्वारा पूंजी अवांछित उद्योगों में लगाई जा रही है। हमने उस पर विचार किया और हमें आंशका है कि वित्तीय योजना के अन्तर्गत निवेश अवांछित उद्योगों में किए जाने की संभावना है और इसे रोका जाना चाहिए।

अन्तर-निगमित लाभांसों के सम्बन्ध में यह एक ऐसी घोषणा है जिसका बड़े उद्योगों द्वारा स्वागत किया गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए अत्यन्त फायदेमंद होगा, मुझे आशा है कि इस बात पर आप मुझसे सहमत होंगे कि इससे उन्हें बहुत अच्छा लाभांश प्राप्त हुआ है और शुरू में आपने इसे वापस लेना चाहा था। किन्तु दोबारा आप बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आ गए, लगता है कि आप नारियल वाला और पालकीवाला के प्रभाव में आ गए जो कि इन दिनों मुफ्त उद्यम के बहुत प्रभावशाली अधिवक्ता हैं। आप इसको महत्व क्यों देते हैं……

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के हितों की रक्षा करनी है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मुझे मालूम है कि आपने यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के हितों की रक्षा करनी है किन्तु यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ही एक मात्र संगठन नहीं है।

अब धारा 133 (ख) के सम्बन्ध में जिसमें कि परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। आयकर अधिनियम धारा 133 क और 132 पहले ही विद्यमान हैं जो कि अन्य अनेक किस्म के छापों और तलाशियों पर लागू था। सूचना एकत्र करने के लिए छापों और तलासियों में मुझे कोई अन्तर नजर नहीं आता क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के घर तलाशी लेने जाते हैं, और जब तलाशी ली जाती है तथा आपको भारी मात्रा में छुपी नगदी मिलती है, तो आप यह नहीं कह सकते कि नगदी को हाथ नहीं लगाया जायेगा। यह छीना नहीं जायेगा, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस बात को नोट नहीं कर रहे हैं कि वहां क्या है। आपने यह नोट किया कि वहां 10 लाख रुपये छुपे पड़े हैं। यही काफी है और कार्यवाही तो आप बाद में कर सकते हैं किन्तु धारा 133 को निकालते समय अथवा 133 ख में परिवर्तन करते समय आप क्या कर रहे हैं कि आप स्वयं को (कर दाता) के घर जाने और सूचना प्राप्त करने तथा आभूषणों, नगदी आदि जैसी अन्य चीजों पर निगाह

रखने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं ताकि किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी अन्य धारा के अधीन अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके, मैं नहीं जानता कि आप इस धारा 133 ख में किस प्रकार संशोधन करने वाले हैं। किन्तु यह सब कई बातों पर निर्भर है क्योंकि आपने पहले ही से बड़े व्यापारियों को यह मनोवैज्ञानिक संतोष दिया हुआ है कि आप कोई छापा नहीं मारेंगे……

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करूंगा। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता है। मैं अपने उत्तर में इसे स्पष्ट करूंगा। तलाशी का अधिकार आज भी बरकरार है। तलाशी के अधिकार के अन्तर्गत रिहायसी मकानों की तलाशी ली जा सकती है जहां भी आपको छुपा धन मिलता है, आप आगे कार्यवाही कर सकते हैं। तलाशी के अन्तर्गत एक प्रक्रिया है। सक्षम प्राधिकारी को तलाशी के लिए लिखित आदेश देना होता है और तलाशी ले ली जाती है। छापे और तलाशियों सम्बन्धी धारा 133 ख के अन्तर्गत वर्तमान कानून मौजूद है और जो भी शुरू किया जा रहा है, वह निरिक्षकों का सर्वेक्षण अधिकार है, निरीक्षक के सर्वेक्षण अधिकार में किसी आवास में प्रवेश करना भी शामिल है। एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि इससे बहुत परेशानी हो सकती है और यह नागरिकों के निजी जीवन में अतिक्रमण करना है। इसलिए हमने अपने श्रेष्ठतम निर्णय में यह कहा कि हमें तलाशी लेने का अधिकार है और जहां की हमें सूचना मिले, हम उस रिहायसी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं इस प्रकार हम तलाशी कर सकते हैं। हमारे सर्वोत्कृष्ट निर्णय के अनुसार यह सिर्फ संतुलन स्थापित करने के लिए है। इसलिए जब हमारे घर तलाशी लेने का अधिकार है, तो हम जब भी कोई सूचना मिले हम किसी के घर में प्रवश कर सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं आपसे सहमत हूं कि तलाशी को सर्वेक्षण से अलग समझा जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे पास तलाशी लेने का अधिकार है और हम छापे भी मार सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : किन्तु देश में इन छापों के बारे में बहुत चर्चा है और आज बड़े व्यापारी अपनी सम्पूर्ण शक्ति से यह विषवमन कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत बुरा है क्योंकि आप जनता के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आप जनता के आराम और उन लोगों की प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए, जिनके घरों की तलाशियां की जा रही हैं, रोज-रोज तलाशियां ले रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा ताकि मैं इस धारणा का खण्डन कर सकूं कि जो किया जा रहा है, वह बहुत गलत है। में इस मामले में बहुत सचेत हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इन छापों के कारण राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है और विशेषकर आयकर प्राप्ति में पहले अनुमानित आंकड़ों की तुलना में 36 प्रतिशत वृद्धि हुई है और राज्यों को इस धनराशि का काफी बड़ा भाग प्राप्त हुआ है। हम सभी को इस बात में बहुत दिलचस्पी है कि यह प्रयास जारी रहे क्योंकि मैं इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं कि आयकर की दरों को कम कर दिये जाने के कारण आयकर नियमों का

बेहतर अनुपालन किया जा रहा है। वित्त मंत्री इस सभा में हमें कई बार बता चुके हैं कि करों की अदायगी में दरें कम कर दिए जाने के कारण वृद्धि हुई है.......

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दोनों।

1.00 म० प०

श्री सी० माधव रेड्डी : नहीं। अधिकांशत: छापों के कारण। मेरा यह आशय नहीं है कि आपने लोगों को आतंकित कर दिया है किन्तु निसन्देह आपने दोषी व्यापारियों को आतंकित कर दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है और इससे कर अदायगी की स्थिति बेहतर हुई है तथा यह बात आपके ध्यान में आपके अधिकारियों द्वारा ही लाई गई है। केवल बम्बई से ही मुझे आपके अधिकारियों से कुछ विवरण प्राप्त हुये हैं जिनमें बहुत से तथ्य दिये गये हैं। श्रीमान, श्री एम० ए० टिंवग, मुख्य आयकर आयुक्त, बम्बई का कहना है कि पिछले दो महीनों, अर्थात् जनवरी और पिछले वर्ष के दिसम्बर के प्रारम्भिक भाग में उन्होंने कुछ छुपे खजाने की खोज की थी, उन्होंने यह भी कहा है कि यह काफी कठिन कार्य था क्योंकि अधिकारियों को सचमुच कारों, गोपनीय दराजों खोखली दीवारों और पलंगों के नीचे से छुपा धन निकालना था। उनका कहना था कि ये लोग आयकर नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं। इनके पास सभी किस्म के आभूषण और नगदी आदि हैं और इनके परिसरों में तलाशी लेने में गलता क्या है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि अधिकारियों को यह पता होता है कि कौन सही और कौन गलत, वे अनावश्यक रूप से तलाशियां नहीं लेते और छापे नहीं मारते, किन्तु मुख्य बात यह है कि यह आम चर्चा है कि व्यापारियों पर छापे मारे जा रहे हैं, सभी व्यापारियों को दोषी व्यापारियों के रूप में माना जा रहा है और उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। यह सच नहीं है, यदि दोषी व्यापारियों को दण्डित किया जाता है, तो व्यापारियों को एक वर्ग के रूप में इसपर कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। ऐसा रुख होना चाहिए।

अन्य भद्रजन श्री डी० एन० पाठक, निदेशक (आसूचना)का कहना है कि उनके अधिकारियों ने एक कपड़ा संसाधक व्यापारी के यहां छापा मारा और उसकी कार से 16.50 लाख रुपये बरामद किए। जिन अधिकारियों ने यह तलाशी ली थी, उनके अनुसार जब साक्ष्यों से सामना हुआ, तो व्यापारी हिंसक हो उठा और सशस्त्र पुलिस को बुलाना पड़ा।

महोदय, एक अन्य महिला अधिकारी श्रीमती उर्वशी—मैं समझता हूं कि उपनिदेशक हैं—ने शहर के एक आभूषण बिक्रेता के घर पर नाटकीय ढंग से की गई जब्ती का किस्सा बयान किया। उन्होंने बताया कि उस आभूषण बिक्रेता ने बहुत चालाकी से अपने घर की दरारों में नन्ना, माणिक मोती, हीरे और रत्न छुपा रखे थे जिनमें से कुछ तो बहुत दुलर्भ किस्म के थे। 57 लाख रुपये मूल्य की दुर्लभ सम्पत्ति पकड़ी गई। आभूषण बिक्रेता की पत्नी जो कि रोगी होने का नाटक कर रही थी, उसके पलंग के नीचे नगद 3 लाख रुपये प्राप्तहुए। यह है छापों की कहानियां। मुझे इससे बहुत दु:ख पहुंचा।......

श्री सोमनाथ चटर्जी : या छापा था या सर्वेक्षण ?

श्री सी० माधव रेड्डी : यह एक तलाशी थी। जब विशेषकर इस सभा में आए लोगों को

इन छापों के खिलाप शिकायतें कहते सुनता हूं, तो मुझे यह सोचकर बहुत हैरानी होती है कि ऐसे लोगों के प्रति हमारी क्या सहानुभूति होनी चाहिए ? हमारे लोकतन्त्र और संविधान आदि के सभी प्रमुख सिद्धान्तों को उद्धृत किया जा रहा है। उनका कहना है कि आप जनता के निजी जीवन में अतिक्रमण क्यों करते हैं ? क्या आप किसी लोकतान्त्रिक राष्ट्र में ऐसा कर सकते हैं ? क्या आप अपने घर की दराजों में चीजें छुपा सकते हैं ? मैं आपको बता दूं कि धारा 133 ख बहुत आवश्यक थी। मैं बताता हूं क्यों ? क्योंकि कोई भी प्रलेखों अथवा प्रतिलिपि स्वरूप रोकड़ खातों आदि को कार्यालय में नहीं छुपाएगा। आपको कार्यालयों में छापे मार कर, कार्यालयों की तलाशी लेकर क्या मिलता है ?

आपको कार्यालय में कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी दस्तावेज हमेशा घर पर या किसी अन्य के घर पर या किसी सम्बन्धी के घर पर या किसी मित्र के घर पर रखे होते हैं। जब तक आप यह नहीं कर पाते हैं मेरा मतलव है घरों की तलाशी ले पाओगे तब तक मुझे शंका है कि आपका उक्त उद्देश्य……

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे इसे पुनः स्पष्ट करना है। मैं आपको तलाशी की प्रक्रिया बतला दूं। हम अपना अभियान जारी रखेंगे और यदि हमें सूचना मिलती है तो हम उन घरों में जायेंगे और वहां पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उक्त विषय पर सोच विचार करने में कोई दुविधा नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसमें संशोधन का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि आप समझते हैं कि अनुच्छेद 132 और 133 क पर्याप्त हैं तो आप इसे वापस ले लीजिए। अनुच्छेद 133 ख की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसे शामिल करने के बाद यदि आप इसे वापस लेते हैं तो इससे यह प्रतीत होता है कि आप बहुत उदारवादी होना चाहते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उदारवादी नहीं हमें सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना है।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं तो यह कहने वाला था कि आप बहुत शेर आदमी हैं, और यह क्या हुआ, आप बिल्कुल पेपर टाइगर निकले। मगर अभी तो मैं यह नहीं कहूंगा। आप शेर हैं तो शेर रहिये और हमारा सहयोग आपके साथ पूरी तरह है, हम आपकी मदद करेंगे। आप बराबर रेड्स कन्टीन्यू कीजिए।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। अभी-अभी मैंने अपने माननीय मित्र श्री माधव रेड्डी को सुना। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि जब कभी हम बजट प्रस्तावों, वित्त विधेयक पर चर्चा करते हैं तो दोनों ओर से अधिकतम रियायत लेने के प्रयास किये जाते हैं। वित्त मंत्री महोदय की चिन्ता यह है कि उन्हें काफी संसाधनों को जुटाना है जिनकी विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यकता है।

मैं यह कहकर अपना भाषण शुरू करता हूं कि हम एक धनी देश के गरीब लोग हैं। प्राकृतिक संसाधनों में हमारा देश धनी है और मानव संसाधनों में भी मैं समझता हूं चीन के बाद हमारा देश धनी है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए हमें वित्तीय संसाधनों की जरूरत है जो कि हमारी बहुत बड़ी बाधा प्रतीत होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करता है कि यदि हमारे देश में किसी संसाधन की कमी है तो वे वित्तीय संसाधन हैं इसलिये माननीय सदस्यों को चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करने चाहिए कि योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएं। जब संसाधनों की कमी है तो वित्तमन्त्री महोदय तथा भारत सरकार के समक्ष यह सवाल उठता है कि इन कम संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए, इन अल्प संसाधनों को थोड़ा-थोड़ा विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय किया जाये अथवा मूलभूत सुविधाओं, आदि जैसी परियोजनाओं में लगा दिया जाए जो देश के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। योजना में यह उल्लिखित है कि सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान हम 1,80,000 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने जा रहे है। जो सरकारी क्षेत्र का परिव्यय है। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि हम नहीं जानते कि हम इन संसाधनों को जुटा पाएंगे या नहीं। यदि हम 1,80,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन नहीं जुटा पाये तो हमें घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा जिसका समाज और देश पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि जब संसाधन कम हैं— मुझे अति प्रसन्नता होगी, यदि वित्त मन्त्री महोदय यह बताते का कष्ट करें कि हमने जो क्षमता उत्पन्न की है, उद्योगों को प्रारम्भ करके हमने जो क्षमता उत्पन्न की है, अपने देश में 1952 से जबसे कि आयोजन प्रारम्भ किया गया था, हजारों करोड़ों रुपये का निवेश करके अनेक परियोजनाओं को प्रारम्भ करके जो क्षमता का सृजन किया है—मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे यह बताने की स्थिति में हैं कि आज देश में क्षमता का कितना उपयोग किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितनी क्षमता हमने पैदा की है क्या उसका पूरी तरह उपयोग हो रहा है।

मेरे विचार में मैं गलत हो सकता हूं और उसमें सुधार हो सकता है—मेरी जानकारी यह है कि क्षमता का उपयोग 60 से 65 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसका मतलब है कि 30 से 35 प्रतिशत तक क्षमता जो हजारों करोड़ों रुपया निवेश करके पैदा की गई आज व्यर्थ पड़ी है। उस सीमा तक देश को उत्पादन तथा सम्पत्ति से वंचित किया जा रहा है।

इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी अल्प संसाधन हैं, यह सुनिश्चित करने वित्त मन्त्री महोदय का कर्त्तव्य है कि उन कम संसाधनों का इस प्रकार निवेश किया जाये ताकि क्षमता उपयोग में वृद्धि हो। मैं यह नहीं जानता कि क्या वे शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं और यदि वे शत प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

महोदय मुख्य आधारभूत अवयव विकास के लिए विद्युत है। आज विद्युत की स्थिति क्या है? लगभग सभी राज्यों में विद्युत कटौती की जा रही है। कुछेक राज्य हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, जहां विद्युत कटौती नहीं होती होगी। उदाहरण के लिए मैं

अपना राज्य लेता हूं। वित्त मंत्री महोदय को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे राज्य में एस० टी० उपभोक्ताओं के लिए 85 प्रतिशत विद्युत कटौती की जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने घरेलू प्रयोजनों के लिए भी अननुसूचित विद्युत कटौती शुरू कर दी है। इसका मतलब है, निवेश वहां किया गया है, मशीनरी वहां है, मजदूर वहां है, अवस्थापन्न सुविधा वहां है, लेकिन सामान्य रूप से क्योंकि वहां विद्युत नहीं है इसलिये वे उस वस्तु का उत्पादन करने में असमर्थ हैं जिसका वे उत्पादन करने की स्थिति में हैं। अब वे अपनी कुल क्षमता का 15 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है।

यही हालत अन्य राज्यों की भी है। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत को उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि बिना विद्युत के कार्य निष्पादन के किसी भी क्षेत्र में कोई विकास प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

विद्युत क्षेत्र के लिए पहला प्रस्ताव 54,000 करोड़ रुपये का था। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कटौती कर इसे केवल 34,000 करोड़ रुपये ही कर दिया गया है।

वित्त मंत्री महोदय कह सकते हैं कि संसाधन कम हैं और उनकी कुछ सीमायें हैं और मैं इतने संसाधन नहीं जुटा सकता और मुझे प्रत्येक को सन्तुष्ट करना है, और इसलिए मुझे इसमें कटौती करनी पड़ी। यही कारण है कि मैंने यह कहना शुरू किया कि जहां तक आधारभूत सुविधाओं का सम्बन्ध है, जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है······

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : योजना परिव्यय का 1/3 भाग ही केवल विद्युत के लिए ही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : चाहे यह 1/3 हो, चाहे यह 2/3 हो या चाहे यह 3/4 हो, मुझे कोई मतलब नहीं जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि क्या वित्त मन्त्री महोदय नहीं समझते कि जो क्षमता हमने पैदा की है, यदि वह व्यर्थ जा रही है, तो क्या यह राष्ट्रीय क्षति नहीं है ? क्या यह देखने का प्रत्येक का कर्तव्य नहीं है कि जो क्षमता पैदा की गई है उसका पूरा उपयोग हो इसलिए यदि यह 2/3 आती है तो वित्त मंत्री महोदय को उतनी वित्त व्यवस्था करनी चाहिये जितनी उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

महोदय जब मैं विद्युत पर चर्चा कर रहा हूं तो मुझे विद्युत के ट्रांसमिशन और वितरण में हानियों तथा उनके बचाव और संसाधनों में वृद्धि के बारे में भी कहना है।

महोदय, मुझे बताया गया है कि ट्रांसमिशन और वितरण में विद्युत की 21 प्रतिशत क्षति होती है और सम्बन्धित मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 21 प्रतिशत क्षति में से 12 प्रतिशत क्षति चोरी के कारण होती है। इसका मतलब है कि यदि हम इस 12 प्रतिशत क्षति को रोक सकें तो आप कल्पना करें कि हम राष्ट्र के लिए कितने हजार करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं। अतः यह कदम उठाने की आवश्यकता है कि बिजली के घाटे में कमी हो। इस 9 प्रतिशत के बारे में भी मैं यह नहीं जानता कि क्या विश्व में कहीं कोई ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो पारेषण सम्बन्धी

घाटों को और कम कर सकें। किन्तु यदि यह है तो हमें अवश्य ही उस प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजली के घाटे कम से कम हों।

महोदय, मैं इस बात पर आ रहा हूं कि ऐसे में जबकि साधन अत्यन्त सीमित हैं पहली प्राथमिकता यह है कि आधारभूत ढांचे के निर्माण और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के सृजन के लिए स्रोतों की व्यवस्था की जाये। यदि इन दो मांगों को पूरा करने के बाद भी संसाधन उपलब्ध हों, तो सरकार अन्य कार्यकलापों के बारे में भी सोच सकती है क्योंकि अन्य कार्यकलाप भी सम न रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि संसाधन उपलब्ध न भी हों, तो कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हम संसाधनों के न होने पर देश की प्रगति को रोके नहीं रख सकते। कुछ सदस्य कहते हैं कि सब कुछ सरकारी क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए और गैर सरकारी क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस विचार को नहीं मानता। इसीलिए मैं अन्य उन विकासीय कार्यकलापों की बात कहता हूं जिनकी हम आयोजना करते हैं—पहले ही 325 हजार करोड़ रुपयों में से 180 हजार करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के लिए और शेष गैर सरकारी क्षेत्र के लिये निर्धारित किये जा चुके हैं—हम गैर सरकारी क्षेत्र को उन क्षेत्रों में प्रवेश क्यों न करने दें जहां हमारे लिए संसाधन प्राप्त करना संभव नहीं है।

महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सरकारी क्षेत्र का समर्थक हूं किन्तु यदि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, तो देश की प्रगति को अवरुद्ध नहीं कर सकते क्योंकि देश की प्रगति महत्त्वपूर्ण है। इसलिए यदि कोई भी ऐसा अन्य क्षेत्र है जो कि देश को इन परियोजनाओं को शुरू करने में सहायता दे सकने की स्थिति में है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनवरी 1985 से पूंजी बाजार में एक उछाला आ गया है। हमें संसाधन जुटाने में कठिनाइयां हो सकती हैं किन्तु बाजार में बेशुमार वित्त है। पूंजी बाजार में वित्त की कोई कमी नहीं है। मैं कुछ आंकड़ों का उल्लेख कर सकता हूं। वर्ष 1983-84 में पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा 1000 करोड़ रुपये जुटाने हेतु 450 मामलों को स्वीकृति दी थी। वर्ष 1984-85 में 2000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 700 मामले स्वीकार किए गए थे और 1985-86 में 3700 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 1150 मामले स्वीकार किये गये थे। इस प्रकार 1000 करोड़ रुपये से वे 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं और ये लोग पूंजी निर्गम नियन्त्रक के पास जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इन संसाधनों को जुटा सकने का पूरा विश्वास है। इसीलिए अधिक से अधिक कम्पनियां आ रही हैं और अधिकाधिक उद्योग आ रहे हैं पूंजी बाजार से स्रोत जुटाने के लिए। मैं यह कहकर बहुत प्रसन्न हूंगा कि उन्होंने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्धपत्र, ऋण पत्र आदि से जमा राशि जुटाने करने की अनुमति दे दी है।

यह बड़ी खुशी की बात है। सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, आई० टी० आई० और राष्ट्रीय ताप-विद्युत परियोजना निगम को धनराशि जमा करने की अनुमति दी और उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है? यह बड़ी उत्साहवर्धक थी।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सबन्ध है मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि गैर-सरकारी क्षेत्र बाजार से भारी संसाधन जुटा रहा है। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं परन्तु मैं उन कंपनियों

के नाम नहीं बताना चाहता हूं। जब उन्हें पूंजी निर्गम नियन्त्रक से करोड़ रुपये जुटाने और बाजार में इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति प्राप्त हुई तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें 7 करोड़ रुपये के मुकाबले 75 करोड़ रुपए के आबंटन के आवेदन प्राप्त हुए। मुझे ऐसी एक दूसरी कंपनी की जानकारी है जिसे पूंजी निर्गम नियन्त्रक ने डिबेंचरों के माध्यम से 180 करोड़ रुपये जुटाने की स्वीकृति प्रदान की जबकि 180 करोड़ रुपये की तुलना में उसे 390 करोड़ रुपये के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इससे किस बात का संकेत मिलता है? मैं ये आंकड़े यह स्पष्ट करने के लिए दे रहा हूं कि बाजार में पर्याप्त पैसा उपलब्ध है। लोग पैसा लगाने को राजी हैं; लोग बैंक में पैसा रखने की बजाए शेयर खरीदने को तैयार हैं। मैंने स्वयं यह बात सुनी है; जब मैं कार्यालय में था कुछ लोगों ने यह शिकायत की कि उन्होंने एक सौ शेयरों अथवा एक हजार शेयरों के लिए आवेदन किया था परन्तु उन्हें पांच या दस शेयर ही मिले। जिन शेयरों के लिए वे आवेदन कर रहे हैं वे शेयर उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। क्यों, यह इसलिए कि जब शेयर उन्हें आबंटित किया जाता है और वे उसे खरीदते हैं फिर अगले दिन 10 रुपये का शेयर स्टाक एक्सचेंज में बढ़कर 80 रुपये अथवा 100 रुपये हो जाता है। मुझे एक ऐसे मामले की जानकारी है जिसमें किसी एक विशेष कंपनी के शेयर का पुस्तक मूल्य केवल 10 रुपये है और आज इसका बाजार मूल्य 450 रुपये है। जब गैर-सरकारी पार्टियां संसाधन जुटाने की स्थिति में हैं तो उन्हें संसाधन जुटाने की अनुमति क्यों न दी जाए? यदि किसी ऐसी परियोजना को, जो कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक है आरम्भ करना हमारे लिए संभव नहीं है तो हम इसके लिए उन्हें संसाधन जुटाने की अनुमति क्यों न प्रदान करें? गैर-सरकारी पार्टी को आगे आने की अनुमति दीजिए। गैर-सरकारी कंपनी को अनुमति दीजिए। यदि कोई गैर-सरकारी कंपनी मौके का गलत फायदा उठाती है तो आप इस संबंध में ऐसे सुरक्षोपाय करने के बारे में सोच सकते हैं ताकि वे मौके का गलत फायदा न उठाएं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि दो शोधनशालाओं, एक तट पर आधारित शोधनशाला और दूसरी अन्तवर्ती क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव पहले भी था और ऐसा प्रस्ताव अब भी है। इसके लिए स्थानों का चयन किया जा चुका है, भूमि का आर्जन किया गया है तैयारियां की गई हैं, और जब इस सदन में मंत्री महोदय से इसके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि ये दो शोधनशालायें देश के लिए बहुत जरूरी हैं परन्तु वे क्या कर सकते थे; संसाधन संबंधी अड़चनों की वजह से वे उन्हें स्थापित करने की स्थिति में नहीं थे। मुझे खुशी है कि सरकार ने इन दोनों शोधनशालाओं को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय किया है यदि आप इन दोनों शोधनशालाओं को सरकारी क्षेत्र में रखना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप भारतीय तेल निगम से धनराशि अथवा डिबेंचर जुटाने और इनके वित्त पोषण करने के लिए कह सकते हैं। मझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र की वकालत नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं स्वयं को इस विवाद में नहीं डालना चाहता हूं। मेरी रुचि परियोजना में है चाहे यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में हो अथवा यह परियोजना संयुक्त क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाए यह बात कोई महत्व नहीं रखती क्योंकि हमारा और देश का हित इसमें है कि यह परियोजना देश के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत अत्यावश्यक है।

अब, मंगलौर-रिफाइनरी और करनाल रिफाइनरी पर विचार करेंगे। हमारी खपत बढ़ रही है। यह स्वाभाविक है कि हमें अधिक उत्पादन करना है। यदि हम अधिक उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं तो हमें आयात करना पड़ेगा और आयातित कच्चे तेल को रिफाइन करने की हमारे पास क्षमता होनी आवश्यक है। हमारे पास रिफाइन करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, हमें यह क्षमता पैदा करनी है। सरकार ने इसे संयुक्त क्षेत्र में रखने का निर्णय किया है। सरकार को आवेदन प्राप्त हुए हैं; इसके लिए लगभग एक दर्जन कंपनियों ने सरकार को आवेदन किया है। वे आपसे केवल परियोजना स्वीकृत करने के लिए कह रहे हैं। मैं इन कंपनियों के नामों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। उनका कहना है आप कुछ भी न दें। यदि "आप चाहते हैं कि हम आपकी वित्तीय संस्थाओं से संपर्क न करें तो हम आपको यह वचन देने को तैयार हैं कि हम इन वित्तीय संस्थाओं से संपर्क नहीं करेंगे। हम सारे संसाधन पूंजी बाजार से जुटायेंगे। हमें केवल लाइसेंस दीजिए, अनुमति दीजिए अथवा स्वीकृति प्रदान कीजिए।" परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दोनों परियोजनाओं को आज तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसके लिए तैयार हों। यदि वे विश्वास पूर्वक यह महसूस करते हैं कि वे सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में ही ऐसा कर सकते हैं तो निसंदेह वे ऐसा करें। यदि आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप इसे सरकारी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य कंपनी को यह कार्य करने की अनुमति दें। चाहे यह गैर-सरकारी क्षेत्र की हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र की हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि देश का हित इन दो रिफाइनरियों को स्थापित करने में है। ये दोनों रिफाइनरियां देश के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

महोदय, अब मैं औद्योगिक विकास के बारे में कुछ बातें करूंगा। माननीय वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उद्योगपतियों को कई रियायतें दी जा रही हैं। छूट देने संबंधी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी जानकारी मुझे वास्तव में नहीं है। क्या इन घोषणाओं के पश्चात् कोई उल्लेखनीय औद्योगिक विकास हुआ है ? मेरे विचार से नहीं क्योंकि, जो वार्षिक प्रतिवेदन परिचालित किया गया है उसके अनुसार, औद्योगिक उत्पादन 6 से बहुत थोड़ा ही बढ़ा है, और उससे अधिक नहीं। अतः, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन उद्योगपतियों को जो भी रियायतें दी जा चुकी हैं इसके अलावा उन्हें और कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर चूंकि आपने उन्हें कई रियायतें प्रदान की हैं, उन्हें इनके परिणाम प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए और यह कहा जाना चाहिए कि वे इसके बाद ही और रियायत के लिए आपसे अनुरोध करें। अधिक से अधिक रियायत मांगनी उनकी आदत सी बन गई है। वे बिल्कुल संतुष्ट कभी नहीं होते हैं। आप जब भी फिक्की अथवा किसी दूसरे मंडल में जाते हैं तो वे आपको अपनी मांगों की सूची बनाकर एक बड़ा सा ज्ञापन आपको पकड़ा देते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप जितना अधिक देते हैं, वे उतना ही अधिक मांगते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल इसी चेंबर में हम कुछ नहीं मांगते।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : औद्योगिकी के मामले में भी आपको चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना

चाहिए क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत ही कम है। केवल वह प्रौद्योगिकी ही स्वीकार की जानी चाहिए जो देश के लिए सहायक हो क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरे मन में आज भी एक संदेह कौंधता है। मैं नहीं समझता कि संसार में ऐसा भी कोई देश है जो अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी की जाकारी दूसरे देश को देने के लिए तैयार हो। वे नवीनतम प्रौद्योगिकी तो अपने ही पास रखेंगे और वे केवल पुरानी अथवा अप्रचलित प्रौद्योगिकी को ही बेचेंगे। इसलिए हमें प्रौद्योगिकी के इस पहलू के प्रति भी बहुत सजग रहना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वे हमें 21 वीं शताब्दी की प्रौद्योगिकी 22 वीं शताब्दी में ही जाकर देंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब, मैं सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन विषय पर आता हूं। यदि सरकारी क्षेत्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक होता तो मैं नहीं समझता कि आपको इतने अधिक कर इत्यादि लगाने की जरूरत पड़ती। आपने यह मजबूर होकर किया है। आपने खुशी से ऐसा नहीं किया है। मैं आपकी दिक्कतों को जानता हूं। सरकारी-क्षेत्र का कार्य निष्पादन क्या है? किसी समय, हम सरकारी क्षेत्र की आलोचना किया करते थे, हमें समाजवाद विरोधी अथवा पूंजीवाद व्यवस्था के हिमायतियों की उपाधि दी जाती थी। बहरहाल सरकारी क्षेत्र में जो भी पूंजी लगाई जाती है वह राष्ट्र की होती है और वह करदाताओं की होती है। और यह कोई छोटा-मोटा निवेश नहीं है। यह लगभग 40,000 करोड़ रुपये की राशि या ठीक 42,811 करोड़ रुपये की राशि है। परन्तु लाभ कितना है? कर लगाने के बाद लाभ केवल 928.59 करोड़ रुपये है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह वर्ष 1984-85 के आंकड़े हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यही उपलब्ध आंकड़े हैं। जब मेरे पास नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं उन्हें कैसे उद्धृत कर सकता हूं? यदि वित्त मंत्री यह कहते हैं कि लाभ बढ़ा है, तो मैं इसके लिए उन्हें अवश्य बधाई दूंगा। यदि सरकारी क्षेत्र का कार्य निष्पादन बेहतर है और यदि उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है तो हमें अपने विकास कार्यों के लिए उतने ही अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। यदि इन्हें कर-पूर्व आकलित किया जाए तो यह 2190 करोड़ रुपये है और यदि इस राशि को पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पांच से गुना करें तो यह राशि 11000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं बैठती है।

लेकिन आपने इस बात पर विचार कर लिया है कि सातवीं योजना के दौरान सरकारी उपक्रमों द्वारा जिन संसाधनों को जुटाया जायेगा उनका मूल्य 27,000 करोड़ रुपये होगा। यह अवास्तविक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सरकारी उपक्रमों से 27000 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निर्धारित समय के भीतर सरकारी उपक्रमों के बारे में मेरे लिए विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है।

अब मैं औद्योगिक रुग्णता पर आता हूं। मुझे यह कहने में बहुत खेद है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति को चिंता हो रही है, और सबसे अधिक यह वित्त मन्त्री और सरकार के लिए चिन्ताजनक है क्योंकि इनकी संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। मेरे पास उनके आंकड़े हैं। दिसम्बर, 1980 में

रुग्ण एककों की संख्या 24,558 थी और वर्ष 1984 में मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या 93282 थी।

प्रो० मधु दंडवते : इसके पश्चात अस्पताल बन्द हो गये।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वर्ष 1983 में यह 13·3 प्रतिशत था और वर्ष 1984 में बढ़कर यह 16·4 प्रतिशत हो गया। कितनी धनराशि इनमें लगी हुई है ? दिसम्बर 1980 में इनमें लगी धनराशि 180·9 करोड़ रुपये थी जो दिसम्बर 1984 में बढ़कर, 3638 करोड़ रुपये हो गई। यह धनराशि बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिम दी गई थी। इस बात को भगवान ही जानता है कि यह धनराशि कब वसूल होगी।

प्रो० मधु दंडवते : भगवान ने भी आशा छोड़ दी है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे इस पक्ष से पता लगा है कि जब कभी कोई उद्योग रुग्ण हो जाता है तो उस पक्ष के सदस्यों के अनुसार इसका राष्ट्रीयकरण करना ही इसकी रामवाण दवा है यदि एक बार राष्ट्रीयकरण हो जाए तो उसकी स्थिति स्वतः ही सुधर जायेगी। राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात अथवा इस रुग्ण उद्योग को घाटे पर चलते रहने देने से, हम किसको धन दे रहे हैं ? हमें उस प्रश्न पर विचार करना होगा। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं और आप भी उसे ध्यान से सुनें। मैं लघु उद्योगों में किये गये पूंजी निवेश के बारे में अथवा उन्हें दिये गये अग्रिम ऋणों के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं।

वित्तीय संस्थानें बड़े उद्योगों को ऋण देती हैं। जब वे उन्हें ऋण देती हैं, तो वे उनके बोर्डों में अपने निदेशक भी रखते हैं। ये उद्योग रातों-रात रुग्ण नहीं हो जाते हैं। उनके रुग्ण होने के संकेत दिखाई देने लगते हैं। वित्तीय संस्थानों के ये निदेशक उद्योगों के बोर्डों में क्या करते हैं ? क्या वे अपने मुख्यालयों को लिखते हैं ? क्या वे अपने मुख्यालयों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि से आवश्यक कार्यवाही करने के बारे में पूछते हैं ? मुझे यह कहने में बड़ा अफसोस है कि वे वैसा नहीं कर रहे हैं। यद्यपि बहुत से उद्योग रुग्ण हो गये हैं किन्तु किसी भी वित्तीय संस्थान के निदेशक को इसके लिए न तो कोई सजा दी गई है और न ही उसके खिलाफ कोई जांच की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी एक ही निदेशक कई उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक समस्या है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उस बात पर भी आ रहा हूं। इसी प्रकार ये उद्योगपति भी एककों को रुग्ण कर रहे हैं। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उद्योग रुग्ण हो रहे हैं उद्योगपति नहीं। उद्योगपति उद्योगों के पीछे धनवान हो रहे हैं। यह नहीं, वे उद्योगों को रुग्ण कर देते हैं और अन्यत्र चले जाते हैं। और सरकार से नया लाइसेंस देने का अनुरोध करते हैं, नया लाइसेंस प्राप्त करते हैं, वित्तीय संस्थानों से रुपये लेते हैं। और इससे कुछ समय तक उन्हें चलाने के पश्चात् उद्योग को रुग्ण करके फिर अन्यत्र चले जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र उनके लिए कमाई करने का एक बहुत अच्छा क्षेत्र है।

प्रो० मधु दंडवते : वे उद्योगों को ठीक करने की बात करते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन, उन उद्योगों के सम्बन्ध में निर्णय लेना सरकार का काम है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि आपके सर्वेक्षण और जांच के अनुसार उद्योग अर्थक्षम हैं तो उन्हें स्वस्थ बनाइये मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं भले ही इसमें अधिक व्यय क्यों न हो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार से मजदूरों का हित बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ने अर्थक्षम नहीं हैं तो उन उद्योगों का क्या करें ? यदि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले तो अच्छा होगा।

श्रीमन, हम औद्योगिक क्रांति के युग में रह रहे हैं। हम लघु उद्योगों की बात कर सकते हैं हम अन्य उद्योगों की बात कर सकते हैं। लेकिन अब अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आ गया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि पहले सीमेंट कारखाने की क्षमता 2 लाख टन या ढाई लाख टन थी, जो बहुत लाभप्रद और कम खर्चीली थी। अब यह क्षमता बढ़कर दस लाख टन हो गई है। दस लाख टन होने पर भी यह किफायती नहीं है। यही स्थिति टायर उद्योग की है। इसकी क्षमता 10 लाख होने पर भी यह किफायती नहीं है। अत: ऐसी स्थिति में अब अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन हो रहा है। जब तक उत्पादक उसी आर्थिक क्षमता का कारखाना स्थापित नहीं करता है तब तक उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है।

इसका अभिप्राय यह है कि केवल धनी व्यापार वर्ग, उच्च कोटि का व्यापारी वर्ग ही इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं उद्योग मन्त्री था, हमारे एक उद्योगपति आटोमोवाइल में एक विदेशी सहयोगी उत्पादक को लेकर मेरे पास आए। मैंने जब अपने उद्योगपति से उसकी लाइसेंस क्षमता और जारी किये गए लाइसेंस के अनुसार उत्पादन किये जा रहे वाहनों के निर्माण के बारे में पूछा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह मारुति का सहयोग कर्त्ता था ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। हमारे उद्योगपति ने विदेशी सहयोगी के सामने यह बताया कि मुझे प्रति वर्ष 3000 वाहनों का निर्माण करने का लाइसेंस मिला है। फिर मैंने उस विदेशी सहयोगी से पूछा आप कितने वाहनों का निर्माण कर रहे हैं, आपकी क्षमता क्या है ? श्रीमन, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसने मुझे यह बताया कि मेरी क्षमता प्रतिदिन 3000 वाहन निर्माण करने की है, और हमने प्रतिवर्ष 3000 वाहनों का निर्माण करने का लाइसेंस दिया है। उसने बताया कि जब कभी हम उद्योग स्थापित करते है उस समय हम विश्व बाजार को ध्यान में रखकर उसकी स्थापना करते हैं। लेकिन हम अपने देश में केवल स्वदेशी बाजार, घरेलू बाजार को ध्यान में रख कर ही उद्योग की स्थापना करते हैं। हम विश्व बाजार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसलिए आर्थिक क्षमता में भारी परिवर्तन हो रहा है। इस पर विचार करना सरकार का काम है, क्योंकि जब तक आप आर्थिक क्षमता के लिए लाइसेंस नहीं देते हैं इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है और फिर वे उद्योग जो अलाभप्रद हैं, बहुत जल्दी रुग्ण हो जाएंगे।

श्रीमन मेरे विचार में व्यापार सन्तुलन के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। मेरे विचार से कोई व्यक्ति हमें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि सही व्यापार घाटा कितना है।

किसी समय वे यह कहते हैं कि यह 7000 करोड़ रुपये है कभी वे यह कहते हैं कि यह 5000 करोड़ रुपये है। जब आप अखबारों में पढ़ते हैं तब वे यह कहते हैं कि यह 9500 करोड़ रुपये से कम नहीं है··· (व्यवधान) अथवा यह कुछ भी है। इस समय विश्व व्यापार भी घट रहा है आपकी ही रिपोर्ट के अनुसार विश्व व्यापार का विकास 9 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गया है।

प्रो० मधु दंडवते : यह विश्व व्यापी है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हां यह विश्व व्यापी है। विश्व व्यापार घट रहा है और अधिकतर विकसित देशों ने संरक्षणात्मक नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया है और विश्व बाजार में तीव्र प्रतियोगिता है और हमारे देश में वित्त मन्त्री इस बात को जानते हैं कि हमारे देश की भारी कीमत वाली अर्थव्यवस्था है। और उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा है। यदि हम उसकी तुलना करते हैं तो क्यों, आप उदाहरण के लिए देखें कि उत्पादन लागत बहुत अधिक है। यह बहुत ज्यादा है क्योंकि विश्व बाजार की तुलना में यहां आदानों की लागत बहुत ज्यादा है। अत: जब तक हमारा सामान सस्ता नहीं होता है, और उसकी किस्म बढ़िया नहीं होती है, तब तक हम प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में नहीं हैं। हम यह कह कर कुछ सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं कि हम भी निर्यात कर रहे हैं। हम किसका और कितना निर्यात कर रहे हैं ? हम चाय, काफी, लोहा और इस्पात तथा चमड़ा और ऐसी ही अन्य परम्परागत वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है क्योंकि अन्य बहुत से देश हैं जो हमसे प्रतियोगिता कर रहे हैं। अत: यदि हम विश्व बाजार में जीवित रहना चाहते हैं, यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो हमें इस देश से अन्य देशों को अधिक से अधिक माल निर्यात करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को अपनाने से आप भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। फिर हमें अच्छी किस्म के माल का सस्ती कीमत पर उत्पादन करना चाहिए। हम कम कीमत पर माल का उत्पादन कर सकते हैं। यदि हम लागत-वार और किस्म-वार प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो हमें भारी मात्रा में माल का उत्पादन करना होगा और भारी लागत की अर्थव्यवस्था को कम लागत की अर्थव्यवस्था में बदलना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है और इस उद्देश्य को कब तक प्राप्त करना सम्भव होगा ? इसके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करके मुझे बड़ी खुशी होगी।

मैं इस बात को निसंकोच कह रहा हूं कि हमारे देश में माल की किस्म संतोषजनक नहीं है हमने इन वर्षों में अपने माल की किस्म में सुधार नहीं किया है। हमने किसी व्यक्ति के हितों को ही पूरा किया है यद्यपि हम विश्व के 10 बड़े औद्योगिक देशों में से एक हैं। हमने उद्योगपतियों, निर्माताओं तथा नियोजकों के हितों को पूरा किया है। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि हमने उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान नहीं रखा है। आयातित माल के लिए इतनी अधिक उत्सुकता क्यों होती है ? विदेश में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा विदेशी माल क्यों लाता है ? इसका कारण यह है कि मैं यह नहीं जानता हूं कि यह सही है या गलत है लोगों में एक ऐसी भावना है कि आयातित माल की किस्म बढ़िया होती है। यद्यपि हमारे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो

रहा है। और लोग अच्छी किस्म का माल चाहते हैं हम अच्छी किस्म का माल उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं। यद्यपि हमारे बहुत से निर्माता अच्छी किस्म का माल उत्पादन करने की स्थिति में हैं लेकिन वे अच्छी किस्म का माल उत्पादन नहीं करते हैं क्योंकि उनका यह विश्वास है कि इस दश में जो भी घटिया किस्म के माल का उत्पादन किया जाता है उसको देश की 80 करोड़ जनता खरीद लेती है। इसलिए हमें यह देखना है कि देशी उपभोक्ता के साथ-साथ विश्व बाजार में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए हमें अच्छी किस्म का माल उत्पादन करना चाहिए।

मुझे यह पता नहीं है कि क्या अखबारों में हम जो कुछ पढ़ते हैं वह सच है अथवा नहीं। हमें इस बात की बड़ी चिन्ता है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है और रुपये का अवमूल्यन करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि उसे किसी भी हालत में इस ऋण के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें हर प्रकार की परिस्थिति में अधिक से अधिक निर्यात करने का प्रयास करना चाहिए। और विदेशी मुद्रा कमाने और ऋण के जाल में फंसने से बचने के लिए हमें अनावश्यक आयात को कम करने का भरसक प्रयास करना चाहिए।

मुझे इस बात से अत्यन्त प्रसन्नता होगी यदि वित्त मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देते हुए इस बात की भी घोषणा कर दें।

अन्त में मैं एक या दो बातें और कहना चाहूंगा। अनिवासी भारतीयों के सम्बन्ध में मैं अनिवासी भारतीय सम्बन्धी योजना का स्वागत करता हूं। मैं उन भारतीयों द्वारा किये जाने वाले पूंजी निवेश का स्वागत करता हूं। जो विदेशों में चले गये हैं और वहां बस गये हैं। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें भारत में उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए अपना रुपये सहित आना चाहिए जिनको स्थापित करने की स्थिति में हम नहीं हैं और उन्हें रुग्ण उद्योगों को लेना चाहिए। यदि वे रुग्ण उद्योगों को लेने के लिए तैयार हैं तो हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे।

उन्हें अपनी पूरी धनराशि सहित आना चाहिए उन्हें उद्योगों का अधिग्रहण करना चाहिए और उन्हें स्वस्थ अथवा उनका नवीकरण करना चाहिए अथवा उनका आधुनिकीकरण करना चाहिए। उस मामले में हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन यदि वे स्थापित कम्पनियों और उद्योगों को समाप्त करना चाहते हैं तो मेरे विचार से हमें उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। मुझे पता लगा है कि वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है कि गैर-आवासीय भारतीयों को आना चाहिये और तीन महीनों के भीतर इस बारे में निर्णय होना चाहिए। उन्होंने अपनी शर्त लगाई है लेकिन मुझे यह मालूम नहीं है कि आपसे पूछकर यह शर्त लगाई गयी है या उन्होंने खुद ही यह शर्त लगाई है। लेकिन उन्होंने यह शर्त लगाई है और उन्होंने गैर-आवासीय भारतीयों पर यह रोक लगाई है। इसका अभिप्राय यह है कि हमें कोई चीज मिलने वाली नहीं है क्योंकि वे वहां हैं वे रुपया निवेश करना चाहते हैं लेकिन यदि हम यह शर्त लगाना चाहते हैं कि यदि वे धन निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें यहां वापस आना चाहिए और यहां बसना चाहिए। मैं नहीं समझता कि 5 प्रतिशत व्यक्ति भी

इस शर्त से सहमत होंगे और इसके परिणामस्वरूप हमें गैर-आवासीय भारतीय निधि में कुछ नहीं मिलेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वह शर्त क्यों लगाई गयी है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे बताया गया है कि वाणिज्य मन्त्रालय ने वह शर्त लगाई है और उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है और इसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

'मॉडवेट' के संबंध में, मैं वित्त मन्त्री से पूर्णत: सहमत हूं जैसाकि उन्होंने अपने बजट भाषण में यह अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि यह मैटवेट नहीं है बल्कि यह 'मॉडवेट' है। लेकिन इसके संबंध में अभी भी भ्रम है। जब मैंने इसके सम्बन्ध में बहुत से औद्योगिक क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ चर्चा की। उन्होंने इसे अच्छा समझा लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि इस समय की मॉडवाट योजना का क्षेत्र सीमित है और इसको सभी निर्माण करने वाली गतिविधियों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें वे व्यक्ति भी शामिल किये जाने चाहिए जो निर्यात करने के लिए माल का उत्पादन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

अन्त में, मैं यह जानता हूं कि एक वित्त मंत्री के लिए एक सफल और लोकप्रिय वित्त मंत्री होना बहुत कठिन है क्योंकि उसे हर समय न केवल करदाताओं बल्कि अपने मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों की अप्रसन्नता का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति उनके पास उनसे कुछ न कुछ लेने जाता है न कि उसे कुछ देने। यह स्वाभाविक है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को सन्तुष्ट नहीं कर सकता है? उसके पास सीमित धन होता है इसलिए उसे प्रत्येक व्यक्ति को खुश करना बहुत कठिन है। कभी-कभी उसे बहुत कठोर और अलोकप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं और राष्ट्र के हित में हमें उनका स्वागत करना पड़ता है।

मैं अपनी बात को इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि वर्तमान सरकार से, जिसका एक सक्रिय नौजवान और ओजस्वी प्रधानमन्त्री है, की बहुत कुछ आंकक्षाएं हैं और जनता यह सोचती है कि प्रधानमन्त्री जनता की आकांक्षाएं पूरी सकते हैं और उसका लाभ जनता को मिलेगा। क्योंकि जनता अब नारेबाजी और आदर्शों से तंग आ गई है। वे इससे तंग आ गई है। अब वे यह कहते हैं कि वे परिणाम चाहते हैं। जनता यह जानना चाहती है कि हम कैसे कार्य करने जा रहे हैं। यदि हम जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं तो कुछ आशा होती है। यदि हम काम नहीं करते हैं और फिर यदि हम आदर्शवाद का उपदेश देते हैं और इधर-उधर की बातें करते हैं और उसका फल कुछ नहीं निकलता है तो इससे काफी निराशा होगी। यह देश और लोकतन्त्र के लिए अच्छा प्रतीक नहीं है और यदि ऐसी स्थिति काफी समय तक रहती है तो उनका नेतृत्व और राजनैतिक प्रणाली और लोकतन्त्र में विश्वास उठ जायेगा। इसलिए मेरा सभा के सभी वर्गों से विनम्र निवेदन है कि देश के विकास के लिए हमें अपने मतभेदों को भुला देना चाहिए। हमें अपने राजनैतिक मतभेदों को भूल जाना चाहिये। हमें दिल से एक दूसरे से मिलना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश का किस प्रकार ठीक तरह से विकास कर सकते हैं और यह कितनी तेजी से कर सकते हैं। यदि हम उन दूसरे देशों के विकास को देखें जिनके नामों को, मैं बताना नहीं चाहता हूं जिनका विकास

हो रहा है, तो हम यह देख सकते हैं कि यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के विकास करने का अपने मन में निश्चय करलें तो थोड़े समय के भीतर ही हम दुनियां की बड़ी आर्थिक शक्ति में से एक शक्ति बन सकते हैं। केवल यह बात है कि हमारी दृढ़ इच्छा और कार्यक्रम होना चाहिए। विकास के लिए एकता होनी आवश्यक है। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री संसाधनों का पता लगाने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं, लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, बजट वाद-विवाद के लगभग अन्त में मैं वित्त विधेयक के सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ था केवल कल ही सदन ने 17 मन्त्रालयों की अनुदान की मांगें बिना चर्चा किये पारित कर दी। इस तरह हमारा यह एक अन्तिम भाषण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आपके मुद्दों को लिया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान, मूल प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों क उत्तर नहीं दिये गये। सम्भवतया यदि कुछ उपयुक्त स्पष्टीकरण उस विशेष स्थिति में दे दिये गये होते तो मैं उन समस्याओं का उल्लेख नहीं करता लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और इसलिए मुझे उनके सम्बन्ध में बोलना पड़ा।

हम देखते हैं कि उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और समस्याओं के समुचित उत्तर नहीं दिये गये हैं। मुझे आज पता लगा है कि बजटों को प्रस्तुत करने के मामले में उपयुक्तता और परम्परा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपको याद होगा कि वर्ष 1983 में जब तार और डाक दरों में बृद्धि कर 100 करोड़ रुपये के कर लगाये गये थे दूसरी सभा के पीठासीन प्राधिकारी ने इस सम्बन्व में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी और यह कहा था कि लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन फिर हम यह देखते है कि हम फिर वही गलती कर रहे हैं और इस बार दो गलतियां हैं जिनके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरणा नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम सरकारी मूल्यों में वृद्धि हो गयी है जिससे 2000 करोड़ रुपये वसूल हुए। दूसरी बात यह है कि इस देश के बजट को पेश करने से पहले एक सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों के पटलों पर 42 अधिसूचनाएं रखी गयी थीं जिनमें विभिन्न प्रकार के विलासता के मालों पर धनी वर्गों को कुछ रियायतें दी गयी थीं। यदि आप इसको पूर्णत: तकनीकी स्थिति मानते हैं, सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार वे इसे करने के हकदार हैं। लेकिन वह एक केवल अधिकार देने वाला उपबन्ध है। अधिकार देने वाला उपबन्ध एक अलग बात है और लोकतान्त्रिक परम्पराएं और उपयुक्तता एक दूसरी बात है। मैं यह आशा करता हूं और मुझे यह विश्वास है कि चूंकि सामान्य बजट में इस विशेष मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया था, अब वे अपने उत्तर में इसका उल्लेख करेंगे। बजट में विद्यमान कुछ असामान्यताओं और मिथ्या वर्णनों को अभी तक वित्त विधेयक में भी ठीक नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि दीर्घकालीन वित्त नीति देश और इस सभा के सामने प्रस्तुत करने की पहली अवस्था से ही धोखा दिया गया है। वस्तुतः बजट के मानदंड वित्त नीति विवरण में पहले ही निर्धारित कर दिये गये थे। दो या तीन महत्वपूर्ण मानदंड थे। पहला मानदंड यह था कि इस सरकार ने यह सुस्पष्ट किया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में घाटा 14000 करोड़ रुपये का होगा। इसलिए इस बजट को

प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री महोदय के सामने एक यह महत्वपूर्ण समस्या थी कि इस वर्ग विशेष में घाटे का जो भी भाग होगा उसका बोझ किस पर डाला जायेगा और बजट के मानदंडों के स्पष्टीकरण उन्होंने अपनी दीर्घकालीन वित्त नीति विवरण में दे दिये थे जिसमें उन्होंने धनी वर्ग को आश्वासन दिया है कि जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है वे अधिकतर धनी वर्ग पर ही लगाये जायेंगे वे समाप्त हो जायेंगे और जब आपने एक बार सातवीं पंच वर्षीय योजना में 14000 करोड़ रुपये घाटा निर्धारित कर दिया है और आपने यह घोषणा कर दी है कि प्रत्यक्ष करों को समाप्त किया जा रहा है, तो स्पष्टतः मन्त्री महोदय के सामने केवल एक ही विकल्प रह जाता है और वह विकल्प है रुपया जुटाने के लिए वस्तुओं पर सरकारी मूल्यों का उपयोग करना और दूसरा विकल्प यह है कि अप्रत्यक्ष करों का बढ़ाकर उपयोग ताकि रुपया जुटाया जा सके। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने पहले मानदंड निर्धारित कर दिये हैं। इसलिए इस स्थिति में भी मैं यही चाहता हूं कि वित्त मंत्री वित्त नीति विवरण पर दोबारा विचार करें और वे स्वयं अपने को भी उन मानदण्डों के धोखे में न रखें जिनको उन्होंने निर्धारित किया है इससे अन्त में जनसाधारण को ही हानि होगी जिनसे बढ़े हुए सरकारी मूल्यों तथा अप्रत्यक्ष करों को देने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें उस नीति समस्या से छुटकारा पाना चाहिए।

श्रीमन, इसके पश्चात् कराधान पद्धति पर विचार कीजिए जो वित्त नीति के अनुरूप निर्धारित की गयी है। वर्ष 1986-87 के बजट के अनुसार सरकार जिन नये करों, नये शुल्कों को लगाने जा रही है उनसे सरकार को 488 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। वस्तुतः इसका एक भाग राज्यों को उनके भाग के रूप में जायेगा। 488 करोड़ रुपये के कराधान या शुल्कों में से सरकार ने 467 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर लगाये हैं और केवल 21 करोड़ रुपये की मामूली राशि प्रत्यक्ष कर के रूप में वसूल की जायेगी। अतः 467 करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष कर के रूप में गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डाला है और धनी वर्ग को केवल 21 करोड़ रुपये का ही बोझ प्रत्यक्ष कर के रूप में सहन करना पड़ेगा, एक समतावादी समाज में कराधान और शुल्क का यह एक प्रमुख सिद्धान्त है :—

"बोझ को सहन करने की उपभोक्ता की क्षमता के अनुसार भार।" यहां तथ्य ठीक इसके प्रतिकूल है। मैं इस विशिष्ट समस्या का पुनः ढांचा तैयार किये जाने के पक्ष में हूं। इससे यह पता लगता है कि वित्त नीति के प्रारूप में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल ने भुगतान संतुलन के प्रश्न पर चर्चा की थी। इसके बहुत से व्यापक परिणाम हैं सभा को वित्त विधेयक की इस स्थिति में इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। बाजार उधार 53,00 करोड़ रुपये होने जा रहा है। पिछले वर्ष 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया गया था और हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए यदि यह बढ़ कर 45 प्रतिशत हो जाये। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पुनः भुगतान अनुसूची का सम्बन्ध है उसका हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति पर और दबाव पैदा होता जा रहा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पुनः भुगतान अनुसूची के अनुसार इस वर्ष हमारी बाहरी आमदनी का 20 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण को चुकाने के लिए उपयोग किया जायेगा। यह फिर कम होने जा रहा है।

जहां तक आयात को उदार बनाने का प्रश्न है, हम 21 वीं शताब्दी में पहुंचने के पूर्णतः

इच्छुक हैं। श्रीमन, आप और मैं अगले 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद स्वतः ही 21 वीं शताब्दी में प्रवेश कर जायेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है। उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि प्रधान मंत्री 21 वीं शताब्दी की बात करते हैं और उच्च औद्योगिकी का सामान देने की बात करते हैं वह वास्तव में अपरिपक्व डिलीवरी चाहते हैं। वह 21 वीं शताब्दी की ओर अग्रसर होने की सोच रहे हैं। लेकिन वह उन कठिनाइयों को महसूस नहीं करते हैं जो आयात को उदार बनाने के पश्चात हमारी अर्थव्यवस्था और भुगतान संतुलन की स्थिति के सामने आयेंगी। दिल्ली में हुई एक विचार गोष्ठी में उन्होंने आयात नीति, आयात विकल्प के बारे में भी कहा था वस्तुतः वित्त मंत्री ने अपनी समझदारी से विशेष व्याख्या देकर एक विशेष स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। जिसे मैंने तब स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा है यदि इस देश में कुछ आयात विकल्प बहुत महंगे हो जाते हैं। तो आयात का उदार बना देना अच्छा है।"

यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है। तब फिर भी उर्वरक, सीमेन्ट, इस्पात और इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं हमें आयात करनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ वस्तुओं का आयात मूल्य इस देश में उनकी उत्पादन लागत की तुलना में बहुत कम होगा। अतः यह कोई तर्क नहीं हो सकता है। अततः यह आत्म निर्भरता के सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्य के मानदण्ड के भीतर होना चाहिए। इस समय आत्मनिर्भरता एक उपयोगी तथ्य हो सकता है लेकिन हमें एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इसलिए मुझे यह डर है जब हम आयात की उदारता की शर्तों के बारे में बात करते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिक लाने की बात करते हैं। यहां तक कि पूंजीगत सामान भी आयात किया जा रहा है। फिर और कठिनाइयां पैदा होंगी और हम विदेशी मुद्रा संसाधनों को गंवायेंगे। इससे एक ऐसी और व्यापारिक खाई पैदा हो जायेगी जो एक बहुत ही बड़ी खतरनाक खाई होगी। इस समय इसका अनुमान 8000 से 9000 करोड़ रुपये लगाया गया है। यदि इसमें इससे आगे और वृद्धि होती है तो मेरा आप से यह कहना है। फिर इससे एक बहुत ही कठिन स्थिति पैदा हो जायेगी।

आत्मनिर्भरता और मशीनों के आयात करने से सम्बन्धित श्री वीरेन्द्र पाटिल के विचारों से भी मैं पूर्णतः सहमत हूं। बहुत से बहुराष्ट्रिक हैं। हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। लेकिन जब कभी शर्तें निर्धारित की जाती हैं और उन्होंने उद्योगपतियों के भूतपूर्व उद्योग मंत्री के रूप में ठीक ही कहा—उन्हें एक विशेष उद्योग की शुरुआत करने के लिए लाइसेंस देते समय उन विशेष शर्तों को तोड़ने के लिए पूरी जाती है। पूर्णतया शर्तों का उल्लंघन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण और उत्कृष्ट कीर्ति स्तम्भ मारुति मोटर कम्पनी है। उस चर्चा को पढ़ें जो इस सदन में मारुति कम्पनी के बारे में की गई थी, हां जब वह एक गैर-सरकारी कम्पनी थी। अब हानियों का राष्ट्रीय-करण कर दिया गया है। जिस समय वह एक गैर-सरकारी कम्पनी थी उसने कारों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण नीति को बदल दिया। मुझे यह याद है जिस समय हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद उद्योग मन्त्री थे उन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कार उद्योग का विस्तार सरकारी वाहनों के ही निर्माण करने के लिए किया जायेगा निजी कारों के निर्माण के लिए नहीं। लेकिन केवल एक व्यक्ति के लिए कुछ स्पष्ट कारण

से सम्पूर्ण नीति को बदल दिया गया। मारुति को लाइसेंस दे दिया गया। सरकार की सम्पूर्ण कार नीति में परिवर्तन करके मारुति फैक्ट्री को लाइसेंस देते समय इस सभा को यह बताया गया था कि उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और उनको यह बता दिया गया था कि उन्हें कोई कच्चा माल आयात नहीं करना चाहिए उन्हें कोई फालतू पूर्जों का आयात नहीं करना चाहिए उन्हें सुरक्षा शर्तों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वस्तुत: यात्रा के गुण होने चाहिए। ये सभी शर्तें लगायी गयी थीं। लेकिन अन्त में हम यह देखते हैं कि सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। जहां तक मारुति कार का सम्बन्ध है स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि उसके पहियों में हवा ही स्वदेशी है, इसके सभी पुर्जे विदेशी हैं। इसके लिए हर आवश्यक वस्तु का आयात किया था।

2.00 म० प०

यह सरकार द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों और नीतियों का उल्लंघन था। इसकी दशा इतनी शोचनीय हो गयी कि अन्त में सरकार के लिये इसका राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया। हमें यह बताया गया था कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है क्योंकि हम उसकी परिसम्पत्तियों का लाभ उठाना चाहते हैं। वस्तुत: शैड और भूमि ही परिसम्पत्तियां थीं जो उपलब्ध थीं। वस्तुत: हानियों का ही राष्ट्रीयकरण किया गया और मारुति फैक्टरी का अधिग्रहण कर लिया गया। यदि सहयोग के प्रति यह भावना है, उद्योगपतियों के सम्बन्ध में और आयात और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के प्रति यही भावना है तो उस मामले में मेरा विचार है कि स्थिति अत्यन्त कठिन हो जायेगी। यदि सरकार उनको इंजिन फालतू पुर्जे प्रौद्योगिकी और यहां तक कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है तो इस मामले में विदेशी मुद्रा गंवाना अनिवार्य है और इससे हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति और खराब हो जायेगी।

महोदय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 खतरे में है। मैंने इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में बातचीत की थी और मैंने उनसे यह कहा था कि मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा। केवल कल के ही समाचार पत्रों में किर्लोस्कर द्वारा एक विवरण दिया गया था कि वे यह स्वीकार करते हैं कि वे जर्मन कपम्नी के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति बगैर कम्पनी का अर्जन करने के कुछ कार्यों में शामिल हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने इसे भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति बगैर अधिगृहीत कर लिया है।

दूसरी बात यह है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1979 का भी उल्लंघन किया गया है। विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन किया गया है। जब इन उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है याद रखिये अक्षरश: उसको नोट किया जाये—कानून के अनुसार जब किर्लोस्कर ने जर्मन कम्पनी का अधिग्रहण किया तो उस मामले में याद रखिये प्रवर्तन और राजस्व आसूचना निर्देशालय की अनुपयुक्तता और असफलता का प्रश्न भी पैदा होता है।

मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्योंकि यह बार-बार पूछा जायेगा। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इसका विशिष्ट उत्तर दें। दो असफलताएं हुई हैं। संसदीय नियमों के अनुसार मुझे

मंत्री महोदय का नाम नहीं लेना चाहिए। अत: मैं केवल उनके पद का ही नाम लूंगा। श्रीमन, एक मन्त्री हैं···**···।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी नहीं किया जा सकता।···**

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन, उसकी अनुमति है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। उसे अभी रहने दीजिए। आप पत्रकारों को परेशान क्यों करते हैं। कल मैंने यह कहा था कि आप केवल पद को उल्लेख कर सकते हैं, नाम नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष के कल के विनिर्णय के अनुसार केवल नाम नहीं होगा और शेष सभी रहेगा। मैंने देख लिया है और यह अभी भी मेरे पास है। कार्यवाहियों के रिकार्ड में मन्त्री···**···और प्रत्येक बात को रखा जाता है केवल नाम के नहीं···नहीं···नहीं पांच तारे हैं। अन्यथा प्रत्येक बात को रिकार्ड किया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा तथा विनिर्णय से कल की कार्यवाही में जो कुछ हुआ है उसी का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब कोई अन्तर नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप···से सन्तुष्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्ति के नाम का उल्लेख न करके उसके पद का उल्लेख करने के पीछे का रहस्य मेरी समझ में नहीं आता है आपको इसकी भावना को अपनाना होगा। आप केवल यह नहीं कर सकते हैं।···

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप ऐसा कोई विनिर्णय नहीं दे सकते हैं जो उसी विषय पर अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय के विपरीत हो। मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके परिणाम स्वरूप कल यदि आप चाहें तो प्रत्येक बात को कार्यवाही में शामिला नहीं कर सकते, कार्यवाही से निकाल सकते हैं।

यह एक सामूहिक हत्या हो सकती है, वह जनसंहार होगा। कृपया ऐसा न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता हूं; यदि कोई बात नियमों के विरुद्ध है तो मैं ऐसा करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है। मैं नियमों के बारे में सावधानी रख रहा हूं। आप भी नियमों के बारे में सावधानी रख सकते हैं और यह कल अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय के मानदंड के भीतर होना चाहिए। यह पर्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसलिए मैं कहता हूं कि एक मन्त्री जिसे जर्मन कम्पनी का निदेशक

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बताया जाता है। मैं बहुत सावधान और सचेत हूं। मुझे प्रक्रिया नियमों को संरक्षण देना चाहिए। उस कम्पनी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को किर्लोस्कर द्वारा उल्लंघन करते हुए अधिग्रहण कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप यह महसूस करते हैं कि इस प्रकार के स्पष्टीकरण से संतोष मिलता है तो आप मन्त्री महोदय के विभाग को क्यों घसीट रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप चाहें तो आप विभाग को बदल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह प्रधान मन्त्री का विशेषाधिकार है। आप उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हैं।

अब मैंने 'एक' मन्त्री कहा है। मैं···** के हवाले को भी छोड़ रहा हूं। मैं केवल 'एक' मन्त्री कह रहा हूं। इसलिए श्रीमन, यदि आप कानून को अक्षरश: देखते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इस विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के विभिन्न उपबन्धों की यह मांग है कि जब कभी इस किस्म का कोई अवैध कार्य हो तो उस मामले में दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाना चाहिए अर्थात् जो अर्जन करता है और कम्पनी जिसका अर्जन किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कम्पनी के निदेशक हों तो उन पर भी आरोप लगाए जाएंगे और उन्हें दण्ड दिया जाएगा। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है।

महोदय, मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी स्वच्छ रिकार्ड वाले व्यक्ति हैं और वे लोकतांत्रिक परम्पराओं का अनुकरण कर रहे हैं। यह सारे विश्व की परम्परा है और हाउस आफ कामन्स में इस बात का परम्परागत ढंग से अनुकरण किया जाता है कि यदि कोई सदस्य निदेशक मण्डल में होता है तो उस मामले में वह निदेशक के पद से त्यागपत्र दे देता है।

महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि जनता पार्टी सरकार के भूतपूर्व वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) ने मंत्रिमण्डल स्तर का मन्त्री बनने के बाद सबसे पहला काम यह किया था कि उन्होंने टाटा और अन्य सभी कम्पनियों से अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिनके वे मन्त्रिमण्डल में शामिल होने के पूर्व निदेशक मंडल के सदस्य थे। ये मानदण्ड हैं। ये हमारे सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और सुरक्षा करते हैं।

महोदय, मुझे खुशी है कि जहां तक इन वित्त मन्त्री जी का सम्बन्ध है, मैं जानता हूँ कि वे किसी भी कम्पनी के निदेशक नहीं हैं जब मैं किसी कम्पनी की बात कहता हूं तो मेरा तात्पर्य वित्तीय कम्पनी से होता है न कि राजनीतिक कम्पनी से। इसे अति सावधानी से अवलोकित किया गया है। किन्तु महोदय, दो उल्लंघन हुए हैं और उन्हें उनसे लिए अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह प्रवर्त्तन निदेशक हैं जिसने वास्तव में एक उल्लंघन किया है। अध्यक्ष महोदय मेरे से कह रहे थे कि

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एजेन्सी कौन है तो मैंने कहा यह सरकार की विफलता है। इसलिए सरकार को स्पष्टीकरण देना है न कि अध्यक्ष को। अत: मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री से एक प्रश्न पूछता हूं कि प्रवर्त्तन निदेशक ने देखा है कि दो एजेन्सियों—एक किर्लोस्कर और दूसरी कम्पनी जिसे अधिकार में लिया गया है द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम, 1973 का उल्लंघन किया गया है। उस मामले में किर्लोस्कर कम्पनी पर उसी तरह से मुकद्दमा चलाये जाने की सम्भावना है जिस तरह से अधिकार में ली गई कम्पनी—जर्मन कम्पनी के निदेशकों पर चलाया गया था—प्रत्येक निदेशक पर मुकद्दमा चलाए जाने की संभावना है और यदि कोई मन्त्री, जो 'किसी' कम्पनी का 'एक' निदेशक हो, और उस पर मुकद्दमा इसलिए नहीं चलाया गया क्योंकि वह 'मंत्री' है; अत: इस आरोप के लिए वास्तव में प्रवर्त्तन निदेशालय उत्तरदायी होगा कि वह उस विशेष कम्पनी के निदेशक के मंत्री स्तर से भयभीत है। जहां तक प्रवर्त्तन निदेशालय की विफलता का सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूं इस संबंध में मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करेंगे। जहां तक दूसरे मुद्दे का सम्बन्ध है, मैं उनमें से एक हूं जो यह विश्वास करते हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति मंत्री बनता है, चाहे वह बोम्बे डाइंग के निदेशक मंडल में हो अथवा जर्मन कम्पनी के निदेशक मंडल में, उसे त्यागपत्र देना चाहिए। महोदय, मैं एक ऐसे मंत्री के बारे में कह रहा हूं जिनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसीलिए मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं। मैंने जो व्याख्यात्मक और नीति सम्बन्धी प्रश्न उठाया है यह 'एक्स' या 'वाई' से वैर-भाव से परे है। मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ कि भविष्य में इस सभा में सभी मन्त्रियों को उस उदाहरण से जो इस सभा में स्थापित किया जाएगा और मंत्री महोदय द्वारा जब वह उत्तर देंगे तो उनके द्वारा नीति निर्धारण के रूप में जो कुछ बताया जाएगा। मार्ग दर्शन होगा इसके अलावा यह दिशा निर्देश के रूप में भी काम करेगा।

जहां तक इन उल्लंघनों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस बारे में उपयुक्त उत्तर दिया जाना चाहिए।

कतिपय असंगत शुल्क लिए जाते। और यह उचित समय है जब हम मांग कर सकते हैं कि उन शुल्कों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और कुछ रियायतें दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क पर छूट को लीजिए। श्रीमन, आप तटवर्ती क्षेत्र से आए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। कुछ ऐसे मछुआरे हैं जो कम अश्व शक्ति के इन्जनों अथवा अधिक अश्व शक्ति के इंजनों वाली नौकाओं की मदद से यंत्रीकृत मत्स्य पालन में रत हैं। आज यह अजीब बात है कि यदि मैं मछुआरा हूं और मैं यंत्रीकृत मत्स्य पालन कर रहा हूं और यदि मेरे पास 150 अश्व शक्ति अथवा इससे अधिक का इंजन है तो उस मामले में मुझे डीजल पर उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है लेकिन यदि मैं एक ऐसा इंजन चलाता हूं जिसकी अश्व शक्ति 150 अश्व शक्ति से कम है तो उस मामले में, मैं डीजल पर उत्पादन शुल्क पर छूट पाने का पात्र नहीं रह जाता। मैं माननीय मंत्री जी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। एक बार प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने इस प्रश्न पर चर्चा की थी और जब मैंने अनुरोध किया था कि प्रधान मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं उन्हें अपने दिमाग का उपयोग करने दीजिए। तो उन्होंने कहा था, "वित्त मंत्री के माध्यम से आइए।" वित्त मंत्री जी वहां बैठे हुए थे और मैंने कहा था, "मैं प्रधानमन्त्री जी के माध्यम से

आपसे अनुरोध करता हूं" और उन्होंने कहा था : " हम इसे बाद में करेंगे।" मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी ने अब तक स्वयं इस बात पर विचार कर लिया होगा।

इसके बाद, बर्फ पर शुल्क की बात है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह कुछ नहीं है, केवल पानी का ठोस रूप है। इसको बनाने में रासायनिक क्रिया वही है—H_2O (एच$_2$ओ)। केवल तापमान द्वारा पानी को ठोस किया जाता है। बर्फ पर शुल्क लगाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से मछुआरे प्रभावित होते हैं। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जो पूर्णत: तटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रो० दण्डवते अपने तर्क के जोश में यह भूल गये हैं कि मैंने बर्फ पर शुल्क समाप्त कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : माफ कीजिए। यह मेरी गलती है। जब आप बोल रहे थे तो उस समय मैं अपने टिप्पणों को दोहरा कर रहा था क्योंकि मुझे इस विषय पर बोलना था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उस पर फिर से शुल्क लगाने की मांग नहीं कर रहा हूं। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

मैंने इसके बारे में पहले वित्त मंत्री जी को भी लिखा था। मुझे खुशी है कि उन्होंने यह काम किया है। इससे मछुआरों को सहायता मिलेगी।

मैं वित्त मंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि हममें से कुछ सदस्य इस आशा के साथ कतिपय रियायतों की मांग करने हेतु आगे आए हैं कि कार्यों में सुधार होगा। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि जब कभी हम मांगों को लेकर आते हैं तो हम इस आशा के साथ आते हैं कि इसके परिणामस्वरूप और अधिक प्रोत्साहन दिए जाएंगे और इससे कार्यों में सुधार हो सकेगा। उन्होंने जो अच्छा कदम उठाया है इससे मत्स्य कंपनियों को अधिक लाभ होगा।

इसी तरह, मैं आशा करता हूं कि मैंने कोई और गलती नहीं की है। यह एक गलती थी। इसके अलावा जहां तक फ्रांस की कॉफी का सम्बन्ध है, यह कॉफी पाउडर और कासनी पाउडर का सम्मिश्रण है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि यह दो तत्वों का सम्मिश्रण है। इन दो तत्वों पर शुल्क नहीं लगाया जाता है किन्तु जैसे ही उनका सम्मिश्रण बनाया जाता है तो उस पर शुल्क लगाया जाता है। यह किसी युवा लड़के या युवा लड़की पर बोझ डालने की बात नहीं है लेकिन जैसे ही उनका विवाह हो जाता है, आप उन पर बोझ डाल देते हो। ठीक यही हुआ है। मैं समझता हूं यह गलती हुई है। मुझे विश्वास है कि उनकी दूरदृष्टि वाले दृष्टिकोण से······

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इस पहलू की जांच की है। यह मेरी जानकारी में लाया गया था। वस्तुत: कासनी पाउडर ही कॉफी का विकल्प बनता है। इससे कॉफी उत्पादकों को क्षति पहुंचती है। इस पर विचार क्यों नहीं किया गया, इसका यही कारण है मैंने इस पर विचार किया है। आपने जो सुझाव दिया है, वह युक्तिसंगत दिखाई देता है। यह विवाह नहीं है और यदि लड़का तथा लड़की एक साथ मिलते हैं और अवैध बच्चा पैदा करते हैं तो हमें इसे रोकना है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब वे विवाहित हों तो बच्चा अवैध कैसे हो सकता है ? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि विवाहित व्यक्ति अवैध हों तो भी बच्चा कभी भी अवैध नहीं होगा। पति और पत्नी का सम्बन्ध अवैध हो सकता है किन्तु बच्चा अवैध नहीं होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्योंकि यह कॉफी से हटकर है, इसलिए हमने यह कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसीलिए तो मैंने मामले को कुछ ही सेकेण्ड में बता दिया है। उन्होंने एक विचार आगे रखने की कोशिश की है जिसके द्वारा वह महसूस करते हैं कि कॉफी उत्पादकों पर प्रभाव पड़ेगा। किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जहां तक फ्रांस काफी उत्पादकों का सवाल है, अर्थात जहां तक मिश्रण बनाने वालों का सम्बन्ध है वे बहुत छोटे क्षेत्र में आते हैं। उन्हें छोटे क्षेत्र में दिखाया गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार की नीति यह है कि जब कभी बड़े क्षेत्र, लघु क्षेत्र, कुटीर क्षेत्र और बहुत छोटे क्षेत्र, जो कि सबसे छोटा क्षेत्र होता है, की बात आती है तो उस बहुत छोटे क्षेत्र को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वह प्रतिस्पर्द्धा में बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे इस मामले की फिर से जांच करें। अभी एक दिन बाकी है। आप आज इस प्रस्ताव को मूल जाइए। मूझे नहीं मालूम कि आपने कभी फ्रेंच कॉफी का आनन्द लिया है अथवा नहीं। यह बहुत अच्छी चीज है। यह एक मिश्रित वस्तु है और यह अति लघु क्षेत्र में आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसका स्वाद चखा है और इसी वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह अति लघु क्षेत्र में है और जैसा कि स्कुमचर ने कहा था, लघु ही सुन्दर है' और हमारे वित्त मंत्री सुन्दरता के बड़े प्रेमी हैं। अत: मैं चाहता हूँ कि वे फिर अपना ध्यान इस ओर लगाएं और सुबह एक कप कॉफी पीने की कोशिश करें। मैं आज उन्हें इसके लिए जोर देने के लिए तत्पर हूं और इसके लिए भी कि श्रीमती सिंह उन्हें सुबह एक छोटा प्याला फ्रेंच कॉफी का दें। मुझे विश्वास है कि कल वे अपना विचार बदल देंगे। अत: मैं इस परिवर्तन का भी सुझाव देता हूं।

परिवर्तित मूल्य अधिवर्धित कर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं परिवर्तित मूल्य अधिवर्धित कर के सिद्धान्त के शत-प्रतिशत पक्ष में हूं। मैं इसे स्पष्ट कर दूं। आखिर परिवर्तित मूल्य अधिवर्धित कर क्या है ? यह उन शुल्कों पर ऋण प्रदान करता है जो आदानों पर लगाए ज ते हैं। यदि कोई ऋण प्रदान किया जाता है और लम्बे समय तक उसे ठीक ढंग से रखा जाता है तो जहां तक तैयार माल का सम्बन्ध है, वस्तुत: अन्तिम विश्लेषण में कीमतों में कमी होनी चाहिए। मूलत: यह योजना बहुत अच्छी है। परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वस्तुत: 'मोडवेट' पूर्णत: कोई नई योजना नहीं है। मोडवेट से पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 56-क के अधीन कई वर्ष तक एक ऐसी ही योजना बनी थी। मेरे विचार से इसे प्रोफार्मा ऋण कहा जाता था। उसके अनुसार, एकमात्र प्रतिबंध यह

था कि उन्होंने इसे केवल 65 तैयार वस्तुओं तक सीमित रखा था। अब उन्होंने इसे बढ़ाना शुरू कर दिया है और मैं इस योजना का स्वागत करता हूं। चूंकि उन्होंने इसे बजट में रखा है, इस संबंध में कुछ तैयारियां हुई हैं, कोई फार्मूला निकाला गया है और उसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वस्तुएं जोड़ी गई हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। मूलत: मैं मोडवेट के विरुद्ध नहीं हूं।

यथार्थ में यह हो रहा है कि कुछ तैयार वस्तुओं की कीमतें वास्तव में बढ़ी हैं। मैं केवल एक उद्धरण दूंगा। उदाहरणार्थ आटोमोवाइलों अथवा कारों को ही लें। जहां तक आटोमोवाइलों का सवाल है इसके टायर पूरी कार के आदान ही है। किन्तु जब रबड़ और विभिन्न रसायनों से टायर का विनिर्माण होता है तो यही कतिपय वस्तुओं का तैयार माल बन जाता है। एव स्थान पर आदान का कार्य करता है तो दूसरे स्थान पर यह एक तैयार माल का कार्य करता है और इसके परिणामस्वरूप कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अत: इसके परिणामस्वरूप हमने यह पाया कि आटोमोवाइलों के मामले में, जब यह आशा की गई थी कि कीमतें 5700 रु० कम हो जाएंगी, वस्तुत: इतनी ही कीमतें बढ़ गई हैं। यह सभी वस्तुओं के मामले में नहीं हुआ है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दण्डवते जी, मोटरगाड़ियों अर्थात्, पैसेंजर कारों पर हमने शुल्क बढ़ाया है। शुल्क लगाने का फैसला जान-बूझ कर और सोच विचार कर किया गया था ताकि उसकी कीमतों में वृद्धि हो। यह फैसला सोच-विचार कर किया गया था और हमें इसके लिए क्षमा नहीं मांगनी है।

प्रो० मधु दण्डवते : पिछले दिनों श्री पुजारी जी ने भी ऐसा ही स्पष्टीकरण दिया था। सम्भवत: इस मामले में यह एक सोच विचार कर किया गया फैसला था और विभिन्न बाहरी तत्वों को देखते हुए आपने शुल्क बढ़ाया है। परन्तु पिछली बार उन्होंने यह स्वीकार किया था कि ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनके मामले में थोड़ी उद्योगपतियों और थोड़ी इस काम में लगे अधिकारियों की गलतफहमी की बजह से ऐसा हुआ। मै यही कह रहा हूं कि इस विषय पर पर्याप्त निजी तैयारी की जानी चाहिए। अगर मैं इस सम्बन्ध में वास्तव में कुछ गलत कह रहा हूं तो वे बताएं। 'मोडवेट' का यह सिद्धांत आरम्भ में दीर्घकालीन वित्तीय नीति के समय घोषित किया गया था। आपने बजट के दौरान इसे अन्तिम रूप दिया था। वास्तव में तब समय कम था। मेरे विचार से उन विभिन्न बातों का ब्योरा हासिल करने के लिए और समय चाहिए कि वे उत्पाद कौन से हैं जो मध्यवर्ती हैं; तैयार वस्तुएं कौन सी हैं; क्या उन्हें ठीक तरह से बनाया गया है, मोडवेट के अंतर्गत कितनी वस्तुओं को लाया जाना है—इन सब बातों का पता लगाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप यदि इस दिशा में सही कार्य किया जाता है तो वे न केवल चुनिंदा मामलों में बल्कि सभी मामलों में कीमतों में वृद्धि को रोक सकते हैं।

मैं अब कुछ और क्षणों में अपना भाषण पूरा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं। अभी कई सदस्यों को बोलना है। आप कहते हैं कि बाद के वक्ताओं को बोलने का अवसर न दूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा भाषण समाप्त होने के बाद आप चाहें तो मुझे भी गिलेटिन कर सकते हैं। पर मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों पर इसका असर पड़ेगा, आप अन्य सदस्यों के अधिकार का हनन कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : तो इसका यह फायदा होगा कि मुझे यह न कहने का ··· **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 'मोडवेट में' विपक्ष के अन्य सदस्यों से यह समय बढ़ाया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अगले बजट में थोड़ा कम बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपनी बोलने की गति तेज करूंगा और तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

कुछ विसंगतियां हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रो० रंगा मेरी बात से सहमत होंगे; कृषि वित्तपोषी संस्थाओं में निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस राशि को 181 करोड़ रुपये बढ़ाया जाना चाहिए, परन्तु इसे घटाकर 170 करोड़ रुपये किया गया है; खाद्य-भंडारण अथवा भांडागारों के लिए यह राशि 95 करोड़ रुपये से घटाकर 90 करोड़ रुपये की गई है; मत्स्यकी में 31 करोड़ रुपये को यथावत रखा गया है; डेयरी विकास के लिए यह धन राशि 86 करोड़ रुपये से घटाकर-80 करोड़ रुपये कर दी गई है; पशुपालन के लिए इसे 13 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है; बड़ी और मझोली सिंचाई योजना में इसे 12 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये और कमान क्षेत्र विकास के लिए 107 करोड़ रुपये से घटाकर 93 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा; कि वे अपनी अड़चनों को देखते हुए इन आबंटनों में वृद्धि करने का प्रयास करें।

सरकारी क्षेत्र के विषय में; मुझे यह पता चला है कि जहां तक ब्याज और कर पूर्व कुल लाभ का संबंध है, यह 4636 करोड़ रुपये है। समस्त सरकारी क्षेत्र यूनिटों में करों के पश्चात् निवल लाभ केवल 929 करोड़ रुपये है, और सबसे खराब स्थिति यह है कि किसी सरकारी क्षेत्र की कार्य क्षमता का निर्णय इस बात से किया जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के कुल लाभ के अनुपात में उस पर कितनी पूंजी लगी है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में, सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी के अनुपात में कुल लाभ मुश्किल से 12·7% है; जो कि संभवतः सम्पूर्ण विश्व में सबसे कम है। अतः इसे बढ़ाया जाना चाहिए। हम माननीय मंत्री को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम और हमारे मजदूर संघ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता और दक्षता बढ़े। उन्हें पूरा सहयोग देंगे ताकि यह क्षेत्र आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके।

में घाटे, काले धन आदि की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा एक ही खतरा है, जिसका हमें बड़ा भय है। हमारे देश पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दबाव है; पहले जब हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त हुआ था तो हम पर कई शर्तें लगाई गई थीं। वे इससे मुकर सकते हैं। पर वे इसे स्वीकार करते हैं। मुझे भय है कि वे इससे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे; संभव है विकासशील देश, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक हमें मजबूर करें और हमे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने के लिए दबाव डालें। यदि ऐसा होता है, तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का घोर काला दिन होगा। मुझे आशा और विश्वास है मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं— कि हमारे वित्त मंत्री ऐसा मानते हैं; मुझे आशा और विश्वास है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी दृढ़ता कायम रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के हमारी मुद्रा का अवमूल्यन करने और कामकाजी वर्ग के हित को नष्ट करने सम्बन्धी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।

2.24 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक और माननीय मंत्री द्वारा आज घोषित विभिन्न रियायतों का समर्थन करता हूं।

वित्त विधेयक में, वित्तीय नीति में कई नए परिवर्तन किए गए हैं जो कि पिछले वर्ष आर्थिक नीति में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रख कर किए गए हैं और उन्होंने अपनी सार्थकता प्रदर्शित की है। 1985-86 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में भीषण सूखे की स्थिति के बावजूद 14.85 करोड़ टन खाद्यान्न अर्थात् पिछले वर्ष से 3% अधिक कृषि उत्पादन होने की आशा है। यह कृषि नीति में कई नवीन परिवर्तनों यथा फसल सम्बन्धी ढांचे में सुधार, आवश्यक आदानों की समय पर सप्लाई और पानी की बेहतर व्यवस्था के कारण संभव हुआ है। सूखे के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है परन्तु साथ ही यह बात सिद्ध हो गई है कि भारतीय कृषि में उपज शक्ति है और वह मौसम के प्रभाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है। फिर भी, कृषि उत्पादन की योजना बनाते समय, यह हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है क्योंकि आधा कृषि उत्पादन वर्षा जल से सिंचित क्षेत्रों से आता है। औद्योगिक उत्पादन में भी गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी यद्यपि यह सातवीं योजना में स्वीकृत प्रति वर्ष 8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर से कम है।

उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप थोक मूल्य सूचकांक में 5-7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति की दर में सराहनीय कमी आई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तिलहनों खाद्य तेलों, पटसन और पटसन के उत्पादों और कपास के मूल्यों में गिरावट आई है; और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद यह गिरावट आयी है।

कर अपवन्चन को रोकने को भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कर की दरें उचित स्तर तक कम करने और साथ ही उन्हें सख्ती से लागू करने से अच्छे

परिणाम प्राप्त हुए हैं। कर कानूनों का बेहतर ढंग से अनुपालन किया गया है और प्रत्यक्ष करों से भी राजस्व में वृद्धि हुई है जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक है। मैं वित्त मंत्री महोदय को देश में कर अपवंचन रोकने और काले धन का कम करने में उनके दृढ़ प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। उन्हें निहित स्वार्थों के बरोध की परवाह किए बिना इस नीति का अनुसरण करना चाहिए। कर अपवंचन के कथित मामलों और माल जब्त करने के सम्बन्ध में हाल ही में मारे छापों के परिणामस्वरूप 48.9 करोड़ रुपये पकड़े गए हैं। मैं दृढ़तापूर्वक कहूंगा कि यह तो समुद्र में बूंद के बराबर है।

इस वित्त नीति का एक महत्वपूर्ण राजनैतिक पहलू रहा है। जिसकी ओर मैं इस सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं। कुछ प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों ने कांग्रेस(ई)और उसके नेतृत्व के विरुद्ध आक्रामक प्रचार शुरू किया है। वे चिल्ला रहे हैं कि छापा मार ध्रा रहे हैं, कि पार्टी अपनी चमत्कारिता खो बैठी है, गत वर्ष का उल्लास लुप्त हो गया है, विरोधियों की संख्या बढ़ रही है और पार्टी में विद्रोह का संकेत है। जनता इस तरह की कृत्रिम धमकियों का विरोध करेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : इस प्रक्रिया पर कितनी धनराशि खर्च होगी।

श्री वाई० एस० महाजन : हम कर कानूनों को सख्ती से लागू करेंगे। उनके हितों को आघात पहुंचा है वे नहीं चाहते कि छापा पड़े। यह इसलिए है कि वे छापों का विरोध नहीं कर सकते, वे पार्टी की विश्वसनीयता को नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई भी इन प्रचारों से धोखा नहीं खायेगा। हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं इसे कागजी शेर कहा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह ऐसे प्रचारों से निरुत्साहित न हों और अग्रसर हों तथा पूरी सक्रियता से इस नीति का अनुसरण करें और हमारे समाज को अपवंचन और काले धन से मुक्त करें अथवा कम से कम उनके अनुपात को न्यूनतम स्तर तक लायें।

हाल ही में अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इन कुछ वर्षों के दौरान दुर्लभ संसाधनों का योजनाओं के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अनेक नियम एवं विनियम और नियन्त्रण बनाये गए थे। इस नीति से प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और विकास के रास्ते में अनेक बाधायें आई हैं। उनमें से कुछ पुरानी हो चुकी हैं जो निर्णय लेने में विलंब होने, अकुशलता और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। लाइसेंस देने की नीति में व्यापक छूट दी गई है। वर्ष 1985 में क्षमता को पुष्ट करने की योजना स्वीकृत की गई थी और उन उद्योगों के लिए ब्राड बेंडिंग की सुविधा प्रदान की गई थी जो औद्योगिक लाइसेंस के दायरे में आते हैं ताकि वे नया लाइसेंस मांगने में समय नष्ट किए बिना अपने उत्पादनों में द्रुत परिवर्तन कर सकें। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की दिशा में किए गए अपेक्षित परिवर्तनों से दूसरे पक्ष में उत्तेजना आई है। वामपंथी शोर मचा रहे हैं कि सरकार ने अपने आदर्शों को त्याग दिया है, सरकार पिछड़ रही है और समाजवाद के आदर्शों को भूल कर भारतीय पूंजीपतियों के दबाव में आ गई है। इस तरह की आलोचना का कोई औचित्य नहीं है। विकास के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती और सामूहिक हित का वर्धन किए बिना कोई विकास नहीं हो सकता। समाज

की उत्पादक शक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक बचत करने लिए अच्छे प्रयास करने और यह सुनिश्चित करने हेतु कि उनकी सारी बचत का निवेश प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में है उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रयोजन से उदारीकरण किया गया है। ये हमारी नीति परिवर्तन के उद्देश्य हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस आलोचना से प्रभावित न होकर सोच समझकर अपनाये गए इस मार्ग से गुमराह नहीं होंगे क्योंकि यह आलोचना इसलिए की गई कि इसे समुचित रूप से नहीं समझा गया है। हमारा आदर्श अर्थात् लक्ष्य समाजवाद है और इसके प्रति हमारी अटूट निष्ठा है।

यह दीर्घावधि वित्तीय नीति हमारी वित्तीय नीति की दिशा परिवर्तन करने का साहसिक कदम है। इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा, कर व्यवस्था के लचीलेपन में वृद्धि होगी, करों की अदायगी बेहतर होगी और हमारे वित्तीय कार्य निष्पादन में स्थायी वातावरण पैदा होगा। यह निर्माताओं, और व्यापारिक समुदाय की दृष्टि से महान लाभ है।

सरकार द्वारा नियन्त्रित मूल्यों का स्थायी करना समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार द्वारा नियन्त्रित इन मूल्यों में जिनमें सरकारी क्षेत्रों में उत्पादित सामान के मूल्य भी शामिल हैं, हर वक्त परिवर्तन किया जाता है। कभी-कभी इन वृद्धियों से ऐसा संदेह किया जाता है कि ये सरकारी क्षेत्र के एककों में अकुशलता को छिपाने के उद्देश्य से बनाये गए हैं। अत: ऐसी एक नीति की आवश्यकता है जिससे तीन से पांच वर्षों की इस मध्यावधि में सरकार द्वारा नियन्त्रित मूल्यों को स्थिर रखा जाये, क्योंकि वृद्धि और विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आर्थिक विकास के उद्देश्य से हमारे इन सब प्रयासों और वित्तीय क्षेत्र में नीति में किये गए इन परिवर्तनों का लक्ष्य यह सुनिश्चत करना है कि इस देश में लाखों लोगों का जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा हो। जीवन निर्वाह के स्तर में वृद्धि जनसंख्या नियन्त्रण के बिना नहीं हो सकती।

जनसंख्या वृद्धि में नियन्त्रण रखे बिना आर्थिक योजना कोई योजना नहीं है। यह स्थिति में सुधार करने का एक पक्षीय प्रयास है। हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर स्वीकार किया है। हमने वर्ष 1966 से इसे जोर शोर से आरम्भ किया है। इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ? वर्ष 1961-71 के दौरान जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1971 से 1981 तक यह 2.4 प्रतिशत थी। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1981 से 1986 तक यह 2.10 प्रतिशत हो जाएगी। उन्होंने अनुमान लगाया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। क्या मैं अर्थशास्त्र के एक छात्र के रूप में बता सकता हूं कि जनसंख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में योजना आयोज का समस्त अनुमान सदैव गलत सिद्ध हुआ है, उन्होंने जनसंख्या में वृद्धि के संबंध में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक जितनी भविष्यवाणियां की हैं, वे सभी गलत सिद्ध हुई हैं। अत: मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह गणना भी गलत हो जाएगी। हमारी जनसंख्या ऐसी दर से बढ़ रही है कि वह हमारे आर्थिक विकास से प्राप्त लाभ को निर्मूल कर देती है। जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम

को युद्ध स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आम चुनावों के समय दलों के नेता प्रत्येक शहर, गांव और घर-घर का दौरा करते हैं। यदि हम एक महीने के लिए इसी तरह का अभियान चलायें, तो मुझे विश्वास है कि देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की जागरूकता में वृद्धि होगी और परिवार नियोजन के तरीकों को स्वीकार करने वालों की संख्या बढ़ेगी। महोदय, पांच वर्ष के भीतर जनसंख्या की विकास दर एक प्रतिशत तक लाई जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी जनसंख्या विकास दर कम कर दी है। उन्होंने दस वर्षों में ऐसा एक तरीका अपनाकर जिन्हें क्रूर उपाय कहा जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि की दर एक प्रतिशत तक कम कर दी है। क्योंकि उस समय गर्भपात ही एक मात्र विश्वस्त तरीका थी।

(एक माननीय सदस्य, चीन भी) चीन ने भी अत्यंत क्रूर तरीके अपनाए हैं। हम उनका पालन नहीं कर सकते। उपलब्ध नवीनतम तरीकों से हमारे लिए विकास दर एक प्रतिशत करने का लक्ष्य पूरा करना संभव है। मैं विकास की दर शून्य होने का पक्षधर हूं। मेरे विचार में यह प्राप्त करना संभव है।

मैं वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहाता हूं कि यदि हम जनसंख्या में वृद्धि को नियन्त्रित नहीं करते, तो आर्थिक विकास में, योजना में सरकार के सारे प्रयास और कृषि, उद्योग आदि के संबंध में हमारी सारी नीतियां बेकार हो जायेंगी। यह ऐसी बात है जो हमारी शक्ति के भीतर है और हमें करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, सदन में जो वित्त विधेयक पुरः स्थापित किया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं और साथ ही साथ वित्त मंत्री और राज्य मन्त्री दोनों को बधाई देती हूं कि इन्होंने आर्थिक विकास के लिए कारगर कदम उठाए हैं तथा हर तरह से आर्थिक विकास कैसे हो, उसका प्रतिशत कैसे बढ़े, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। ······(**व्यवधान**) मैं, पुजारी जी से कहना चाहूंगी कि वे इअर-फोन लगा लें जिससे मेरी बात को अच्छी तरह से सुन सकें। आज भी इन्होंने जो राहत देने की घोषणा की है, वह काफी प्रशंसनीय है। वित्त मन्त्री जी का जो साक्षात्कार अखबार में छपा है, उन्ही के शब्दों से अपना भाषण प्रारंभ करना चाहती हूं।

व्यवधान]

> "गरीबी-रोधी कार्यक्रम अन्तरात्मा को शांत करने की बात ही है। ये सामाजिक तनाव को किसी विस्फोटक बिन्दु पर पहुंचने से रोकते हैं। अन्ततोगत्वा गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को उच्चतर विकास दर के माध्यम से दूर किया जाना है।"

[हिन्दी]

इससे ऐसा लगता है कि जो मूल समस्या हमारे देश की है, इसकी इनको पकड़ है और इसके लिए ये सचेष्ट हैं कि किस प्रकार गरीबी का उन्मूलन किया जाए ताकि देश का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो। सभापति महोदय, योजना आयोग के प्रोजैक्ट इवैल्युएशन आर्गेनाइजेशन के प्रतिवेदन के अनुसार, गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर जितनी धनराशि खर्च की गई उसका 60 से 80 प्रतिशत भाग विभिन्न राज्यों में अपव्यय हुआ है। उसी की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में अगर अनुमानित राशि 5 हजार करोड़ रुपये थी तो उसके काफी बड़े भाग का दुरुपयोग हुआ है। मैं आपको इसके एक-दो उदाहरण देना चाहती हूं।

1967 में जब हमारे देश में भयंकर अकाल पड़ा तो उस समय पेयजल आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई और उस कार्य के लिए करोड़ रुपया तो अवश्य ही आबंटित किया गया होगा। उसके साथ-साथ छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए भी राशि का आबंटन किया गया, सड़कों के निर्माण और फूड फार वर्क के लिए भी धनराशि आबंटित की गई। मतलब यह है कि आम जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार ने अनेकों योजनायें चलाईं लेकिन उन सबका क्या हुआ। यह 1986 का वर्ष चल रहा है, यदि हम उन योजनायों पर दृष्टिपात करें तो उनमें से काफी योजनायें अभी तक अधूरी पड़ी हैं। जिन योजनाओं पर करोड़ों रुपया लगाकर भारत सरकार ने आम जनता की भलाई के लिए कार्य प्रारम्भ किया था, वहां प्राकृतिक प्रकोप के नाम पर बहुत सारे लोगों ने चांदी काटी और उन योजनाओं का जितना लाभ आम जनता को पहुंचाना चाहिए था, उतना नहीं पहुंचा। अपार धनराशि का दुरुपयोग हुआ है।

यह सही है कि हमने कृषि के क्षेत्र में क्रांति की है और यह भी सही है कि कृषि के मामले में हम आत्म-निर्भर हुए हैं लेकिन में कहना चाहूंगी कि केवल उत्पादन वृद्धि से ही आम आदमी की जीवन-दशा में सुधार हो, यह कोई जरूरी नहीं है। इन्हें यह तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि उत्पादन वृद्धि का लाभ आम आदमी को कहां तक पहुंचता है। हमें उसकी आवश्यकता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। किसान को खेती के लिए पानी चाहिए, समय पर बिजली चाहिए, आप लोगों के लिए अधिक पौष्टिक अहार की आवश्यकता है, हमें पीने का स्वच्छ पानी मिले, तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, रहने के लिए आवास मिले, मकान मिले, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा मिले, बीमार पड़ने पर चिकित्सा की सुविधा मिले, जीविका के लिए रोजगार मिले तथा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रमों में लोगों का योगदान हो। परन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि वे स्वयं किसी देहाती क्षेत्र से आते होंगे, क्योंकि वे भी जन-प्रतिनिधि हैं, वे हमें बतायें कि क्या हम अपने देश के हर गांव में पेय-जल पहुंचा सकें हैं, क्या हमारे देहातों में बच्चे खुले आकाश में नहीं पढ़ते हैं, क्या हम सभी ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करा पाए हैं। मेरा कहना का तात्पर्य यही है कि विभिन्न योजनाओं पर जो राशि आबन्टित की जाती है, यह आवश्यक नहीं कि उसका सभी स्थानों पर सही तरीके से उपयोग हुआ करता है। हमें इस पर निगरानी रखनी है कि विकास योजनाओं के लिए केन्द्र से जो पैसा स्वीकृत किया जाता है, हम देखते हैं कि उसका काफी बड़ा हिस्सा गैर-विकास कार्यों में खर्च हो जाता है। जब भी हमारे यहां कोई योजना

प्रारम्भ की जाती है तो उससे काफी पहले लोगों की नियुक्तियां शुरू हो जाती हैं, उनके लिए खर्च की व्यवस्था हो जाती है, फिर मास्टर-प्लान बनता है, प्रोजैक्ट हेतु नक्शे बनते हैं और इस तरह मूल योजना प्रारम्भ होने तक, काफी पैसा इन्ही कामों में खर्च हो जाता है और मूल योजना तक आते-आते पैसा ही नहीं बचता जिससे हम योजना को भलि-भांति शुरू कर सकें। मैं यह नहीं कहती कि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी मन्सा बहुत अच्छी है, हमारी सरकार चाहती है कि आम लोगों की हालत में सुधार आये, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, लेकिन हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में कतिपय खामियां हैं। उनसे कैसे निपटा जाए, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। वर्तमान व्यवस्था के चलते तो इतना ही कहा जा सकता है कि जिस तरह योजनायों के ऊपर राशि का आबंटन बढ़ता जा रहा है, सरकार क्रांतिकारी नीतियां अपनाती जा रही है, नीतियों में परिवर्तन करते जा रही है, परन्तु व्यवस्था के कारण अपेक्षित लाभ नहीं हो सकता है हम चाहते हैं कि नियमों को सरल बनाया जाए, कानूनों को ऐसा बनाया जाए जिससे तमाम प्रिक्रिया को आसानी से विकास के लिए, गरीब जनता के लिए इस्तेमाल किया जाये। ऐसे कायदे कानून, ऐसा सिस्टम कार्य पद्धति का बनाया जा सके ताकि अधिक से अधिक जनता उससे लाभान्वित्त हो सके। लेकिन यह सब कुछ न होकर हमारा कागजी काम इतना बढ़ता जा रहा है कि यदि हम उसका लेखा-जोखा करें तो केन्द्रीय सचिवालय में ही इतनी संचिकायें हैं, यदि उनको एक कतार में लगाया जाए तो लगभग साढ़े पांच सौ मील की कतार बन जाएगी। केन्द्रीय सरकार के सचिवालय के अलावा अगर आप और कार्यालयों में संचिकाओं को देखेंगे और यदि आप इनकी लाईन लगायेंगे, तो यह लाइन एक-आध हजार मील से आगे ही बढ़ती चली जाएगी। इसका क्या होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कैसे परिवर्तन होगा प्रशासनिक दृष्टिकोण में ?

मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरी एक बचपन की साथी हैं, उनके पति का देहान्त हो गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तीन-चार साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। मैं उसके साथ कार्यालय में गई, मैंने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। मेरी बचपन की साथी महिला ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है। जब मैं उसके साथ कार्यालय पहुंची तो, बाबू ने कहा कि तुम्हें अपने पति के मरने का प्रमाणपत्र देना होगा। उसने कहा कि मैंने अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र पहले भी दिया है और अभी भी दे रही हूं। यह लीजिए। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है। यह तो हो गया, अब आप इसका भी प्रमाणपत्र दीजिए कि आप जीवित हैं। मैं भी चुपचाप सुन रही थी कि वह क्या कह रहा है। तो इस तरह का व्यवहार एक साधारण व्यक्ति के साथ होता है। फिर वह फाइल पर आंखें गड़ाकर इस तरह देख रहा था जैसे गीता पढ़ते समय आदमी निर्लिप्त होता है। काम करो फल की आकांक्षा मत करो। उसी तरह से वह बिल्कुल निर्लिप्त होकर बैठा हुआ है और निस्पृह है जैसे उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है कि दूसरे घर में क्या विपत्ति आई है। उसके बाद उसने कहा कि आप दो महीने से कहां थीं, आप उस समय क्यों नहीं आयीं। महिला साथी ने कहा कि मैं बीमार हो गयी थी इसलिए नहीं आ सकी। इसलिए आप मुझे अब पेंशन दे दीजिए, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिली। बाबू ने कहा ठीक है, जब सारी प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी, तब आपको हम पेंशन देंगे। कहने का मतलब यह है कि

जहां एक छोटी सी चीज को लेकर लोगों को दौड़-दौड़ कर जाना पड़ता है, वहां स्थिति में कैसे सुधार होगा। इसके लिए आप कौन सी मशीनरी अपनायेंगे, यह आपको सोचना पड़ेगा। जो हमारे लोगों का प्रशासनिक दृष्टिकोण है, जो हमारे ब्यूरोक्रेटस हैं, उनमें तो सेवा भावना नहीं है। उनमें डिवेलपमेंट ओरिएन्टेड मनोवृत्ति की भावना होनी चाहिए, वह उनमें नहीं है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहती हूं, वह यह है कि कालाधन और भ्रष्टाचार, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं जिसके कारण कालेधन की समानान्तर अर्थव्यवस्था हमारे देश में चल रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए साधन न मिलने की चर्चा सरकार की तरफ से रोज होती है कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान के लिए साधन चाहियें। धनराशि के उपलब्ध होने में कठिनाई होती है, यह दूर हो सकती है अगर कालेधन पर नियन्त्रण हो जाए। मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं, इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारे तस्करों को पकड़ा है और रोज ये रेड करवा रहे हैं। बहुत सारे तस्करी के माल भी पकड़े गए हैं, लेकिन अगर फिर भी बिल्कुल संकीर्ण अनुमान लगाइए और मामूली लेखा-जोखा कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि सेंतीस से चालीस हजार करोड़ रुपये का कालाधन अभी भी हमारे यहां सर्कुलेशन में है। अगर इस पर रोक लगा दी जाए, तो मैं समझती हूं कि प्रतिवर्ष हमारी सरकार को राजस्व प्राप्ति में चार-पांच गुनी वृद्धि तो जरूर हो जाएगी। यह सिर्फ हम लोगों का सोचना नहीं है। इस बारे में बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, जैसे चालिहा कमेटी बनी थी। उनका भी यह प्रतिवेदन आया था कि अगर राष्ट्रीय उत्पादन का पूरा लेखा-जोखा किया जाए, तो उसमें 48 प्रतिशत कालाधन ही होगा।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरे यहां नेपाल का बार्डर बहुत नजदीक है। आप वहां जाकर पता लगाइए क्या हो रहा है। तस्करी तो धड़ल्ले के साथ चल रही है। वहां जो कस्टम आफिसर्स, पुलिस आफिसर्स या जो भी हैं, वे लोग तस्करी कराते हैं, हम लोगों को कराने की जरूरत नहीं है। नेपाल के बार्डर पर एक-आध हजार लोग कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर वहां इसकी रोकथाम नहीं की जाएगी, तो मुसीबत हो जाएगी।

यह बात सही है कि नशीली दवाइयों की तस्करी सीमावर्ती देशों से हो रही है। उस पर भी इन लोगों ने काफी नियन्त्रण किया है, लेकिन वह इतनी भयंकर बात है कि हमारे देश को ट्रांजिट बना दिया गया है, चाहे वह पाकिस्तान से हो, या अफगानिस्तान से हो। तो इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नशीली दवाओं के आवागमन के लिए हमारे देश को ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल करने से हमारी आगे की जनरेशन खराब होने जा रही है, हमारा भविष्य बिगड़ता जा रहा है। इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। नशीली दवाई, सोना, कपड़ा और खाद्य पदार्थ इन सब की जो तस्करी धड़ल्ले के साथ नेपाल पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बार्डर पर हो रही है, उस पर अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यक है।

मैं 1-2 प्वाइन्ट्स और कहना चाहती हूं। देश में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारा देश स्वस्थ होगा और उसका आर्थिक विकास होगा, लेकिन टॉप हैवी मेनेजमेंट पर जो कुछ खर्च हो रहा है, उस पर कैसे रोक लगायी जाएगी, यह भी देखना होगा।

आज हमारी इंडस्ट्रीज बीमार होती चली जा रही हैं। आज यह बीमारी बढ़ती चली गई तो हमारे सब उद्योग-धंधे खत्म हो जायेंगे और देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो पायेगी। जो स्टैटिस्टिक्स हमें उपलब्ध होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जून 1973 में अगर 20615 इंडस्ट्रीज यूनिट बीमार थीं तो उसके साथ-साथ 20326 छोटी इंडस्ट्रीज भी बीमार थीं। अब हम इस स्थिति पर पहुंच गये हैं कि यह संख्या बहुत ही बढ़ती चली जा रही है।

अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि दो-तिहाई राशि बिजली के ऊपर आबंटित की गई है, लेकिन बिजली विभाग या कारपोरेशन जहां भी हमारी स्टेट्स में हैं, अगर वह इतने बीमार हो गए हैं कि लाइलाज हो गये हैं तो किसानों को बिजली कहां से मिलेगी जो उत्पादन क्षमता है वह कहां से प्राप्त होगी ? प्रशासनिक ढांचे को कैसे सुधारा जायेगा, कैसे कम से कम घाटा हो और आम जनता को राहत मिल सके, यह सब हमें देखना होगा।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। जैसे हमारा परिवहन विभाग है, अगर सरकार उसे अपने हाथ में लेती है तो उसमें घाटा होता है और प्राइवेट पर्सन को दिया जाता है तो उसमें उसको लाभ होता है। वही चीज अगर कोई व्यक्ति विशेष बिजनेस करता है तो लाभ होता है, लेकिन अगर सरकार के पास वह विभाग आता है तो उसको नुकसान होता है। हमारे यहां जो 1-2 इस तरह की व्यवस्थायें होती जा रही हैं, इसको मंत्री महोदय देखें और अंकुश लगायें। इसके साथ-साथ प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करें ताकि इनकी नीति और कार्यक्रम दोनों लागू हो सकें और आम जनता तक उसका लाभ पहुंच सके।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, हम बजट चर्चा के अन्तिम चरण में पहुंच गए हैं जिसका कि इस सरकार के 21 वीं सदी में पहुंचने के कम्प्यूटरीकृत प्रयास के कारण कोई महत्व नहीं रह गया है। बजट-दस्तावेज, जिसे देश की अर्थव्यवस्था के प्रयोजन से बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, वह संदिग्ध उपयोगिता का लगभग अंग बन गया है और यह हमारे देश की आर्थिक प्रगति और खुशहाली के प्रतिरूप का निर्धारण करने के बजाए संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है।

वित्त मंत्री का भाषण प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उदाहरणों के प्रशंसात्मक संदर्भ के साथ आरम्भ हुआ और महात्मा गांधी के आनुष्ठानिक संदर्भ के साथ समाप्त हो गया किन्तु आप अलग-अलग दो गांधियों को जानते हैं जिनके विचार प्रबल होते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, लम्बी अवधि की वित्तीय नीति बनाकर, लम्बी अवधि की आयात नीति बनाकर, सरकारी मूल्यों में आशातीत वृद्धि करके समूची बजट प्रक्रिया पूरी तरह निरर्थक हो गई है।

इस सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही करने, कराधान के समुचित उपाय करने, समुचित वित्तीत उपाय करने के लिए स्वयं को पहले से ही अधिकृत कर लिया है क्योंकि इसने देश को आश्वासन

दिया है कि प्रत्यक्ष करों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह अपने मित्रों को जो अब इस देश में एकाधिकार गृह स्थापित कर रहे हैं पांच वर्षों तक परेशान नहीं करेगी और न उन्हें उच्च दरों और करों का भुगतान करने की जरूरत होगी। फिर इस सरकार के पास क्या विकल्प रह जाता है ? इसलिए हमने यह पाया है कि यह उनके लिए आवश्यक हो गया है कि या तो वे अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करें जैसा कि उन्होंने किया है अथवा बजट-पूर्व किए जाने वाले कार्यों का सहारा लें जैसा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने का कार्य पिछले तीन-चार वर्षों से बिल्कुल आम हो गया है जिससे इस देश के जन सामान्य पर बहुत बड़ा और भारी बोझ पड़ रहा है। अत: जहां तक बजट का सम्बन्ध है किसी भी वित्त मंत्री के लिए, विशेषकर वर्तमान सरकार के लिए जो अपना प्रचार करने में लगी है, एक उदार बजट पेश करना और इस श्रेय का दावा करना बहुत आसान है कि 'हमने गरीब और आम आदमी को छोड़ दिया है।' "देखिए, बजट में नए कराधान की रकम सिर्फ 488 करोड़ रुपये रखी गई है और हम इस देश के गरीब और आम आदमी को करों से मुक्त कर रहे हैं। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए अधिक राशि का आबंटन करने के सम्बन्ध में ये ऊंचे दावे हैं। मैं इस पर बाद में विचार करूंगा। सरकारी क्षेत्र के लिए अधिकाधिक राशि के आबंटन का ऊँचा दावा किया गया है और इस सम्बन्ध में ऊंचे दावे किए गए हैं कि मुद्रा स्फीति की संभावना को कम किए जाने की आवश्यकता है और आज परिणाम यह हुआ है कि न केवल बजट का उदार बनाने का प्रयास किया गया है बल्कि यह स्वयं ही निरर्थक हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट को किसी तरह से केवल विधि और संसद की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाता है ताकि वह इस पर अपने अनुमोदन की मोहर लगा दे क्योंकि इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता।

ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने पता नहीं किस सुखा भास में यह कहा है कि उनका बजट गरीब व्यक्ति की अभिलाषाओं पर टिका हुआ है और यह गरीब व्यक्ति के हितों के प्रति स्वयं ही वचनबद्ध है। यह आत्म-भ्रान्ति का एक सही उदाहरण है जिससे पता लगता है कि यह सरकार और इसके प्रफुल्लित वित्त मंत्री ने इस देश के गरीब लोगों के जीवन से पूरी तरह सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है।

कम से कम मैं यह जानना चाहती हूं कि वास्तव में इस देश की आर्थिक नीति क्या है……

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : एक मिश्रत अर्थव्यवस्था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे तुरन्त ही अथवा निकट भविष्य में किस उपलब्धि की आशा है ? क्या ईक्विटी और न्याय के साथ आत्म-निर्भरता और विकास के सिद्धान्त का परित्याग कर दिया गया है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : जी नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकारी क्षेत्र की आर्थिक नीति अथवा बजट अनुमानों i प्रमुख स्थान है जिसके बारे में हमें आरम्भ में बताया गया था ?

प्रो० एन० जी० रंगा : जी हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या भारत को एक समाजवादी गणतंत्र बनाते समय हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित उपबंधों के सम्बन्ध में दिखावटी प्रेम भी अधिक समय तक नहीं दिखाया जाएगा।

हम इस कठोर स्थिति से गुजर कर 21वीं सदी में जाने में सहायता नहीं कर सकते। हम सभी 21वीं सदी में पहुंचेंगे। जो भी जीवित रहेगा वह 21वीं सदी में पहुंचेगा। लेकिन 21 वीं सदी में किसके पहुंचने के लिए जोर दिया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि आग्रह किया जा रहा है और इस देश की छवि प्रस्तुत करने और वास्तविक स्थिति को छिपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि किसी प्रकार इस देश को उन क्षेत्रों में अत्यधिक कार्य करके जिनका हमें पता नहीं है, 21वीं सदी में ले जाना है। क्या हो रहा है ? यह सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना रही है। देश की राजनीतिक स्वतंत्रता, अखण्डता और एकता को अस्थिर बनाने के प्रयास किए गए हैं।

3.00 म०प०

वर्तमान शासक गुट ने, जो कि इस देश में बड़ी दु:खद स्थिति को उत्पन्न करने वाला होने के साथ ही इसका लाभ उठाने वाला भी है, अपने विकल्प तैयार किए हैं; इसने बहुत अधिक खर्च करके थोड़े से लोगों के हितों का ध्यान रखना पसन्द किया है, इसने नौकरियां देने के बजाय मशीनें लगाना पसन्द किया है; इसने रोटी देने के बजाय भूख को पसन्द किया है, और इसने सुवियाप्ति कार्यवाही के बजाय ख्याली योजनाएं बनाना पसन्द किया है। और यही कारण है कि आज इस देश की आम और गरीब जनता पर यह सरकार बजट का और अर्थव्यवस्था का अत्यधिक भार डाल रही है।

पिछले बजट में हमने क्या देखा ? क्या हुआ था ? हमारी आर्थिक नीति को पूरी तरह से बदल दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में छूट दी गई थी। एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की सीमाओं में या तो वृद्धि कर दी गई थी अथवा उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, सरकारी क्षेत्र का दर्जा जानबूझ कर घटा दिया गया था, निगमित और व्यक्तिगत आय पर लगने वाले प्रत्यक्ष करों को कम कर दिया गया था, धन कर को घटा दिया गया था। मृत्यु शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। यह किसके लाभ के लिए किया गया ? हम यह जानना चाहते हैं। विलासता की अनेक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों में रियायत दी गई थी। विभिन्न प्रकार की उत्पादन सामग्री के, विशेषकर प्रमुख सामान के निवेश को उदार बनाया गया। आयात को उदार बनाने की एक जागरूक नीति अपनाई गई थी। और इसका किन लोगों ने स्वागत किया था ? इसका स्वागत बड़े व्यापारिक और एकाधिकार घरानों ने किया था, और उन्होंने सोचा कि लाइसेंस जारी करने की इस नीति को उदार बनाने का उन्हें फायदा होगा। और हुआ क्या ? बहुराष्ट्रीय और विदेशी कम्पनियां लाभ उठा रही हैं और सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से विकास और न्याय तथा निष्पक्षता को सबसे अधिक चोट पहुंची है।

अब उक्त नीति के ढीलेपन को देखकर जनता के पक्ष में अथवा घटिया बजट के पक्ष में

योजना तैयार करने के लिए इस वर्ष गंभीर प्रयास किया गया है। यह कैसे हुआ है ? वित्त मंत्री के तीन मुख्य दावे कौन-कौन से हैं ? वे कहते हैं, "देखिए मैंने गरीब व्यक्ति पर कर नहीं लगाया है।" किन्तु वे उन 1600 करोड़ रुपए के करों का जिक्र नहीं करते जो उन्होंने इस देश के आम लोगों पर लाद दिए हैं — सरकार के निर्णय से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी गईं; यहां तक कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज और खाद्य सामग्री के निर्गम मूल्य भी बढ़ा दिए गए। यद्यपि नए कर लगभग 488 करोड़ रुपए के लगाए गए थे, फिर भी प्रत्यक्ष करों में मात्र 21 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, बकाया राशि की प्राप्ति अप्रत्यक्ष कर लगाकर की गई जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने को बाध्य होना पड़ा। यदि ये 1600 करोड़ रुपए 488 करोड़ रुपए में जोड़ दिए जाएं तो नए करों की राशि 2,100 करोड़ रुपये हो जाती है। क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता है कि सरकारी मूल्यों में वृद्धि की गई है और अप्रत्यक्ष कराघात के माध्यम से नए कर लगाए गए हैं और लग ए जा रहे हैं जिससे इस देश में कीमतों पर भयंकर प्रभाव पड़ा है ? पिछले वर्ष बजट अनुमानों में 3,316 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था, और संशोधित अनुमानों में 4,490 करोड़ — लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। इस वर्ष यह 3,651 करोड़ रुपए है, और यह 6,000 करोड़ रुपए अपूरित घाटा जिसके कारण मुद्रास्फीति अनिवार्य हो जाती है—हो जाएगा। और इससे किसको नुकसान होता है ? जब अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव पड़ता है तो किसे नुकसान होता है ? यह सब जानने के लिए हर कोई अर्थशास्त्री नहीं बन जाता। इन मुद्रास्फीति विषयक रवैयों का आघात आम जनता को सहना पड़ता है। अत: यह कहना आसान है कि हमने बजट के जरिए इस देश की गरीब जनता पर नए कर नहीं लगाए हैं।

महोदय, एक अन्य दावा यह किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मुझे यह बताते हुए खेद है कि इन आंकड़ों में फेर बदल की गई है। वित्त मंत्री महोदय ने जिस 21 प्रतिशत वृद्धि का दावा किया है उसकी राशि वर्ष 1985-86 के बजट अनुमानों में दर्शाई गई है किन्तु संशोधित अनुमान 1600 करोड़ रुपये अधिक के थे। अत: सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में नई बढ़ोत्तरी पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बैठेगी। इसके अतिरिक्त, जब हम बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हैं, जो कि पिछले वर्ष बाध्य होकर बढ़ानी पडी थीं तो सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में बहुत कम अर्थात् 10 प्रतिशत से भी कम वृद्धि होगी। सरकार का दूसरा दावा यह है कि इसने गरीबी हटाओ कार्यक्रमों पर परिव्यय में 65 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रावधान किया है। यह कोई 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं है। यह अब गरीबी हटाओ कार्यक्रम है। यह 65 प्रतिशत भी आंकड़ों का दिखावा है। इस 65 प्रतिशत का हिसाब पुन: 1985-86 के बजट अनुमानों न कि वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाता है। यदि हम वास्तविक व्यय को लें तो परिव्यय पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

महोदय, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए 1450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और एक बड़ी उपलब्धि का दावा किया जा रहा है। सम्भवत: श्री रंगा यह नहीं जानते कि यह परिव्यय इस देश की 40 प्रतिशत जनता के लिए निर्धारित सरकार के कुल व्यय का केवल 2·74 प्रतिशत

है। आप इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 40 प्रतिशत लोगों के लिए अपने बजट का 2·74 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। इसके दावे का या इसके श्रेय का सरकार द्वारा जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है। प्रशासित मूल्यों में वृद्धि के पश्चात् जनता के क्रोध और असंतोष को देखते हुए अनिवार्यतः सरकार को नरम होना पड़ा। वह घबरा गई। यहाँ एक तमाशा किया गया। यहां तक कि एक कैबिनेट मन्त्री द्वारा भी कुछ आलोचना की गई। अचानक नॉर्थ ब्लाक में एक बैठक की गई और मूल्यों में, थोड़ी कमी की गई। इसलिए बजट को बाहर से एक आम आदमी के बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाना था जिसमें अधिक कराधान न हो और यह श्रेय लेने की कोशिश की गई कि गरीबी हटाने के लिए बजट में सबसे अधिक धन की व्यवस्था की जाएगी किन्तु यह तो केवल अल्पांश है। यही कारण है कि दूरदर्शन के अनवरत प्रयासों और अन्य साधनों के द्वारा जोर-शोर से प्रचार किये जाने के बावजूद जनता इस बजट को स्वीकार नहीं कर रही है और आप देख रहे हैं कि वित्त मन्त्री महोदय बड़े व्यापारों को एक के बाद दूसरी रियायतें दिये जा रहे हैं। आज की सुबह भी उन्होंने यदि मैं भूल नहीं कर रहा, बड़े व्यापारिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 76 करोड़ रुपये की रियायते दी हैं। अब वे महसूस करते हैं कि वे बड़े व्यापारिक घरानों को नाराज नहीं कर सकते। इससे उनका बड़े वर्गों के प्रति उदारता का पता चलता है। यही कारण है कि चलाए जा रहे आयकर छापों और अन्य करों के छापों की प्रक्रिया की गति धीमी पड़ती जा रही है। श्री रेड्डी ने इस ओर ठीक ही ध्यान दिलाया है।

वित्त मन्त्री महोदय तलाशी और सर्वेक्षण के बीच अन्तर कर रहे हैं किन्तु वास्तविक निर्णय तो बड़े व्यापारिक घरानों को आश्वासन देने के सम्बन्ध में करना है कि उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उन्हें इस संबंध में बहुत दुःख है। इन छापों के सम्बन्ध में इस सरकार की क्या विश्वसनीयता है?

एक बड़े व्यापारिक फर्म के कुछ कार्यों के सम्बन्ध में अब उन्हें 'फेरा' प्राधिकारियों के समक्ष घसीटा जा रहा है। एक अस्सी वर्ष के बुजुर्ग को प्राधिकारियों के समक्ष खड़ा किया गया है। यदि उन्होंने कोई अपराध किया है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यनि आप चाहें, तो उनके नाम बता सकता हूँ। किर्लोस्कर वालो को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया गया है। मुझे कुछ नहीं कहना है; आप करें, किन्तु सही ढंग से करें। किर्लोस्कर से सम्बद्ध दूसरे सज्जन को इससे बाहर रखा गया है। प्रो० मधु दण्डवते ने इसका उल्लेख किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक पद पर हैं और प्रदानमन्त्री के चहेते बने हुए हैं। इसलिए उन्हें छोड़ा जा रहा है और किर्लोस्कर वालों को घसीटा जा रहा है। क्या इसी तरीके से आप आम जनता के मन में आत्मविश्वास जगाने जा रहे हैं कि सरकार काले धन को निकालने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है? क्या इस काले धन द्वारा की जा रही बरबादी को जनता नहीं जानती है? वह काला धन कितना है, श्री पुजारी को पता होगा। वे लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के एक बहुत ही सीमित चुनिंदा वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चुनिंदा स्थानों पर और चुनिन्दा लोगों के लिए आवधिक ऋण मेलों का आयोजन करते रहे हैं।

(व्यवधान)

हम इसके दूसरे पहलू का स्वागत करते हैं। हमने कहा है कि बजट में लघु उद्योग इकाइयों पर लगाये प्रतिबन्धों, अवरोधों को हटाने के लिए सरकार द्वारा किये गए निर्णय का स्वागत करते हैं। किन्तु, कोई भी इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर सकता है कि लघु उद्योग इकाइयों पर इस प्रकार का बोझ लादने से पूर्व निर्णय करने के लिए क्या प्रयास किया गया था ? क्या आपने इस पर तथा उन कठिनाइयों पर विचार किया जो लघु उद्योग इकाइयों के समक्ष उत्पन्न होंगी। जो स्थिति है, उसके अनुसार उन्हें भारी दबावों, गंभीर अड़चनों, वित्तीय और विपणन की कठिनाइयों में रह कर काम करना पड़ा है जहाँ तक लघु-उद्योग इकाइयों का सम्बन्ध है, बैंक भी इन्हें आर्थिक सहायता नहीं देते। प्रत्येक आदमी जानता है कि वे किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, किन्तु देखिए तो जरा कि आपने नये करों का बोझ लादने तथा कठिनाइयों में डालने के लिए किन्हें चुना ? इसलिए आवश्यक था कि लघु उद्योग इकाइयों के विभिन्न एसोशियशनों उनके अखिल भारतीय संगठनों संघों को संघटित किया जाना और जब सम्पूर्ण भारत-बंद का आह्वान किया था, तो वित्त मंत्री महोदय उनके साथ बैठते और तब उन्हें बजट में किए गए प्रावधानों के खतरनाक परिणामों का अनुभव होता और वे उन प्रावधानों को वापस ले लेते। यह अच्छी बात हुई है; देर से आई समझ भी अच्छी होती है, किन्तु हम विरोध प्रकट किये बिना नहीं रह सकते कि हमारे उद्योग के एक अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर कर लगाने का प्रयास उचित रूप से विचार किये बिना किया गया।

श्री माधव रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि न होने से विलम्ब से होना अच्छा है। किन्तु मेरा कहना है कि इस प्रकार का अभ्यास आवश्यक था और उन्हें यह अभ्यास इतनी रियायतें देने से पहले ही करना चाहिए था। सभी को आश्चर्य है कि बजट सम्बन्धी प्रस्तावों को तैयार करने से पूर्व किस तरीके से विचार किया जाता है ? किस प्रकार का अभ्यास किया जाता है ? किनके हितों पर विचार किया जाता है ? बजट-संबंधी प्रावधानों का कहां प्रभाव पड़ने वाला है ? इन सभी प्रकार की बातों पर विचार किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इतने करों को वापस लेना पड़ा है और रियायतें देनी पड़ी हैं।

मैं दो या तीन बातें और कहना चाहता हूं। आप एक बार घंटी बजा चुके हैं। अब हम अनिवार्य जमा को लें। अनिवार्य जमा योजना पिछले वर्ष के बजट अर्थात् 1985-86 के बजट में समाप्त कर दी गई। किन्तु अप्रैल, 1985 में देय पहले की किश्त का भुगतान पिछले वर्ष के बजट द्वारा रोक लिया गया। इस वर्ष के बजट में इस भुगतान के विषय में कुछ नहीं कहा गया है और न ही कोई घोषणा ही की गई है। इस किश्त का भुगतान कब किया जाएगा, इस बारे में प्रश्न उठाने के लिए हमें लोगों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि यह योजना समाप्त की जा चुकी है।

जहां तक परेषण-कर का सम्बन्ध है, यह एक दूसरा काफी महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे पास अधिक समय नहीं है; केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के बारे में कुछ कहने के लिए जो कि इस देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, मेरे पास समय नहीं है। किन्तु महोदय, यदि मैं गलती नहीं कर रहा, तो परेषण कर को लागू करने के लिए उपयुक्त विधान पारित करने हेतु इस सदन को सक्षम बनाने के लिए संविधान में विधिवत् और एकमत से संशोधन किया गया था। प्रधानमन्त्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें हुई हैं। मेरा विश्वास है कि कोई फार्मूला स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु महोदय, विधेयक

तैयार नहीं किया जा रहा है और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा करोड़ों रुपये बर्बाद किये जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस-आई द्वारा शासित राज्य भी शामिल हैं। इसलिए हम किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं। परेषण कर, जिसे भारत के संविधान में उपबंधित किया गया है, जिसे इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से संशोधित किया गया, उसे अप्रचलित कर दिया गया है क्योंकि परवर्ती विधान अधिनियमित नहीं किया जा रहा है और दुर्भाग्य से बजट भाषण में वित्त मन्त्री महोदय द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा जाता है। मेरा अनुरोध है कि इस पहलू पर विचार किया जाए और कोई उत्तर दिया जाये।

मेरा आखिरी मुद्दा रुग्ण उद्योग से सम्बन्धित है। हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, उसकी गम्भीरता से कोई इन्कार नहीं कर सकता। इस देश में अनेकों उद्योग रुग्ण हैं। लगभग एक लाख इकाइयां, जो सारे देश में फैली हुई हैं, केवल मेरे राज्य में ही नहीं, रुग्ण हुई पड़ी हैं। इस देश के प्रत्येक राज्य में जहाँ कहीं भी औद्योगिक हलयाम है, रुग्ण उद्योग हैं। यहाँ तक कि अनेक औद्योगिक उपक्रम भी जिनका प्रवन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया और जिन्हें आई० आर० सी० आई० को सौंपा गया जो आई० आर० बी० आई० के नाम से जाना जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये हैं। कामगार बेरोजगार हो गये हैं। विगत में हमने उन उपक्रमों का उल्लेख किया है। अब तो और भी अन्य अनेक उपक्रम ऐसे हो गए हैं। इन उपक्रमों का क्या होगा? क्या इस सरकार को इन इकाइयों को बचाने के उद्देश्य से गंभीरता पूर्वक विचार करके एक नीति तैयार की जानी चाहिए? महोदय इन उपक्रमों में काम करने वाले कामगारों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है, क्योंकि देश में औद्योगिक विकास और कामगारों के भविष्य के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। कार्य क्षमता को प्रतिदिन घटाया जा रहा है, स्वचालनीकरण और संगणकीयकरण के कारण बरबादी हो रही है। गैर सरकारीकरण के क्षेत्र में बहुत होड़ है और अधिकाधिक गैर सरकारीकरण किया जा रहा। अधिकाधिक आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके फलस्वरूप देश में कम से कम नौकरियाँ सुलभ हो रही हैं। यह राजनीति नहीं है, प्रो० रंगा हर बात पर पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार न करें। नौकरियों की सम्भावनाएं घट रही हैं और अधिकाधिक संख्या में लोग नौकरियों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं आप डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना चाहते हैं। मेरे विचार से यही आपकी शिक्षा नीति है। किन्तु इस देश की जनता का क्या होगा? उसके लिए किसी न किसी आजीविका की व्यवस्था होगी। भूमि सुधारों का समुचित क्रियान्वयन न किये जाने के कारण लघु और कुटीर उद्योग को दिये जाने वाले प्रोत्साहन के अभाव में, इने-गिने एकाधिकार गृहों और बड़े व्यापारिक घरानों की शक्तियों को कम न किये जाने पर स्रोतों का अधिकाधिक केन्द्रीकरण होना तो निश्चित ही है और इससे सामान्य जनता को भारी आर्थिक हानि होने की स्थिति पैदा हो गई। जब तक इन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाएगा, सामान्य जनता की समस्या हल नहीं हो सकती।

यह एक अच्छा बजट नहीं है। यह लोगों पर भारी बोझ डालने वाला बजट है। इससे देश की सामान्य जनता को अधिक कष्ट होगा। इन परिस्थितियों में, उपलब्ध सीमित समय में मैं वित्त-विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : चेयरमैंने साहब, मैं फाइनेंस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश में ईमानदारी का वातावरण तैयार करने के लिए, स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की है और कर रहे हैं। वहीं हमारा फर्ज भी यह बन जाता है कि हम उनको पूरा सहयोग दें क्यों कि हिन्दुस्तान में टैक्स इवेजन या करों की चोरी की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने काफी करों में राहत दी है और कई कटौतियों की घोषणा की है जिससे कि करदाता प्रामाणिकता के आधार पर और ईमानदारी से सरकार को अपना कुछ-न-कुछ हिस्सा दे दें। कालाधन बाहर निकालने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से उसकी घोषणा करने की छूट उन लोगों को दी थी, जिन्होंने अपने पास काला धन जमा किया हुआ है। उस अवधि में और ज्यादा छूट देने का मैं पक्षधर नहीं हूं फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने उस अवधि को बढ़ाकर सितम्बर के आखिर तक कर दिया है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब सरकार इतनी ईमानदारी से उनके साथ व्यवहार कर रही है, स्वच्छ वातावरण बनाना चाहती है और जो लोग बेईमानी से कालाधन एत्रत्रित करके बैठे हैं, उनको कुछ मौका दे रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मौके का फायदा उठायें और काले धन की सहर्ष घोषणा कर दें। इतना मौका दिए जाने के बावजूद भी यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में सरकार को उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा और सारी योजना पर फिर से सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए।

देश में पिछले दिनों जिस तरह से लोगों के घरों पर रेड्स हुई, कई ऑफिशियल्स के मकानों की तलाशी ली गई, जिनमें कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज और कम्पनियों के डायरैक्टर्स भी शामिल हैं और जिस तरह से वित्त मन्त्री जी ने यहां साफ-साफ शब्दों में घोषणा कर दी है कि करों की चोरी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आयेंगे, भले ही वे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग क्यों न हों, उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए हमारे प्रधानमन्त्री जी और वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उन्होने देश को सही रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों को एक अच्छा अवसर प्रदान किया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक टारगैट ओरियेन्टिड काम चलाने का प्रश्न है, उनकी फिजिकल एचीवमेंटस की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए आई०आर०डी० पी० कार्यक्रम को ही देख लीजिए, आकड़े ठीक हैं प्रत्यक्ष बेरोजगारी कम नहीं हुई। बैंकों में डिपोजिट की बात को ही ले लीजिए, उनमें ग्रोथ तो काफी हो रहा है लेकिन ग्रोथ के साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि असल में बैंकों में डिपोजिट पैसा कितना आ रहा है। यदि हम खाली बैंकों की ग्रोथ की ही बात करेंगे या डिपोजिट की ही, 10 परसेंट बढ़ाने की बात करेंगे और इक्विटी या लिक्विडिटी के कारण जो इन्ट्रस्ट बढ़ता है, उससे डिपोजिट बढ़ता है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब कभी हम बैंकों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि असली पैसा बैंकों में डिपोजिट नहीं कर सकते और कागज नहीं मिलता। उसका कारण यह भी हो सकता है कि हमारी

कई पब्लिक अण्डरटेकिंग्स ने कई जगों पर खास कन्सेशन देकर बौंडस डिवेंचर ईश्यू किए हैं और उन बौंडस की ओर लोग काफी संख्या में आकर्षित हुए हैं। निजी कम्पनियां भी उतना ब्याज नहीं दे सकी। जब गवर्नमेंट कम्पनियां कुछ गाइडलाइन्स ईश्यू करके अपने बांड्स डिवेंन्चर्स जारी कर रही हैं और बैंक उतना इन्टरैस्ट नहीं पाते तो लोग उन डिवेंचर्स या बौंडस में ही अपना पैसा इन्वैस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इससे ही हमें ज्यादा लाभ है तो इससे हमारे बैंकों का डिपौजिट ग्रोथ कम होता जा रहा है। जब बैंकों का डिपोजिट ग्रोथ कम होगा तो उनकी लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी। यही कारण है कि आज बैंकों की पोजीशन भारी टाइट हो रही है और लोगों को बैंकों से ऋण मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि इसके बारे में सोचें और बैंकों के डिपौजिट बढ़ाने के लिए उन्हें कोई ऐसी नीति अख्तयार करनी चाहिए ताकि डिपौजिट बढ़ने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके।

तीसरी बात मैं रिसोर्सेज के बारे में कहना चाहूंगा, बाकी चीजों पर बाद में आऊंगा। हमारे वित्त मन्त्री भी इसके बारे में काफी सोच रहे हैं और हम भी विचार कर रहे हैं। जब पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों की बात कही जाती है तो हमें देखना पड़ेगा कि उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। क्या प्राइवेट सैक्टर में जितनी इंडस्ट्री हैं उतना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। जहां तक मुझे ख्याल है किसी प्राइवेट इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 25 परसेंट है, किसी का 30 परसेंट है और किसी का 40 परसेंट है। इसमें सुधार होना जरूरी है क्योंकि फाइनेंस इन्स्टीट्यूट से हमें बहुत आशायें हैं। जितना हम चाहते हैं, उतना ही जब सेंट्रल फायनेंस इन्स्टीटयूशन उनको पैसा देती है, तो उसको पूरा रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब कई कम्पनी वाले विदेश से सामान इंपोर्ट करते हैं या यहां मैंयूफैक्चर करते हैं या व्यापार करते हैं उस पर एक्साइज वसूल की जाती है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसका एक केस अभी-कभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस सम्बन्ध में दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें एक्साइज और बाकी करों का रिफण्ड मांगा गया है। एक्साइज के कारण ही, कस्टम के कारण हो या और कोई दूसरे कर के कारण हो। इण्डियन टोबेको कम्पनी ने 1983 में बम्बई हाई कोर्ट में एक केस चलाया और उन्होंने कहा कि इनको हाईकार्ट ने फैसला दिया कि इण्डियन टोबेको कम्पनी रिफण्ड दे दे, लेकिन उसके बाद वहां के एक्साइज डिपार्टमैंट ने अपील नहीं की, मुझे पता नहीं चलता है कि उन्होंने अपील क्यों नहीं की। क्या कारण है? और अभी उनका कर्नाटक में केस हुआ, तो वह उनके खिलाफ चला गया और सुप्रीम कोर्ट में एक्साइज डिपार्टमैंट ने अपील की वह एडमिट हो गयी और अभी वह केस चलेगा, लेकिन इसके बारे में मैं मन्त्री जी से यह अर्ज करूंगा कि उन्होंने जो कानून में अमेंडमेंट दी है, उसको सुधार कर के यह देना चाहिये कि जिस एक्साइज ड्यूटी को हम कस्टमर या कन्ज्यूमर से इकट्ठा करते हैं और इकट्ठी करने के बाद जब हम रिफण्ड मांगते हैं, तो जब वह कस्टमर से वसूल किया हुआ ऋण कन्ज्यूमर को मिलना सम्भव नहीं है, तो रिफण्ड करने का मतलब नहीं बनता है। इसलिये हमारे संविधान के खिलाफ नहीं है।

[अनुवाद]

वास्तव में निर्माताओं, व्यापारियों और आयातकर्ताओं को न तो कानूनी और न ही नैतिक

अधिकार है कि वे पुनः अदायगी का दावा करें क्योंकि निर्माता, व्यापारी और आयातकर्ता अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से शुल्क वसूल करते हैं।

[हिन्दी]

तो हमको कानून में संशोधन करना बिलकुल जरूरी है। हमने वित्त मन्त्री जी को भी इस बारे में कई बार चिट्ठी लिखी है लेकिन हमारे पास एकनौलेजमेंट आया है, इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं चला है। क्योंकि जब हम टैक्स लगाकर गरीब लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स दिन प्रति बढ़ रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे हैं। हिन्दुस्तान में पिछले साल में फायनेंस बिल पर बोलते समय मैंने कहा था कि इन्डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना गरीब के लिए ठीक नहीं है। 3000 करोड़ रुपए तक इनडारेक्ट टैक्स हो गए हैं और दो सौ करोड़ के पांच हजार करोड़ तक या कुछ इसी आंकड़े से मिलते-जुलते डायरेक्ट टैक्स हो गए हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक हम डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे, एक्साइज ड्यूटी वाले, कस्टम वाले कानून की मजबूरी के कारण रिफण्ड लेना चाहते हैं, उसको भी हम कुछ रिफण्ड न दें क्योंकि रिफण्ड देने से पब्लिक एक्सचेकर को काफी नुकसान हो जाता है। अभी इस बारे में हम यह कहेंगे कि पंजाब हाइकोर्ट ने इस बारे में कुछ निर्णय दिया जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कानून में कुछ सुधार भी किया है जिसके कारण अब उपभोक्ता से लिखित आस्फिण्ड रिफण्ड करने की जरूरत नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट भी सारी स्टेट्स को लिखे और कानून में ऐसा प्रावधान करे जिसके कारण कोई ड्यूटी जो कंजूमर या कस्टोमर से ली जाती है, उससे हमें वापस देने की जरूरत नहीं है।

अब मैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में कहना चाहता हूं। हम इसमें देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए सेन्ट्रल फाइनेंनसिंग इन्स्टीट्यूशन पैसा देती है। ऐसा पैसा देने के बाद भी कई इण्डस्ट्रीज बीमार पड़ जाती हैं। इस सम्बन्ध में अभी भारत सरकार में एक कानून भी बना है, लेकिन वह कानून आपरेशन में नहीं आ रहा है। आप नागपुर की टैक्सटाइल मिल को ही ले लें। वहां पर टाटा ने उद्योग शुरू किया, लेकिन वह सिक होने के कारण बन्द कर दी गई जिससे कई कामगार बेरोजगार हो गये हैं। जो अपनी मिल को सिक घोषित करते हैं उनके बारे में मैंने निवेदन किया था कि इसके लिये कोई पेनलटी आदि लगायी जानी चाहिए। इस बारे में आप अवश्य विचार करें। हमने अपने देश में एक ऐमा वातावरण बनाकर रखा हुआ है कि जिससे हर कोई चाहता है कि हमारे देश का विकास हो। इसलिये मेरी मांग है कि सरकार इस बारे में अवश्य विचार करे और उद्योग को बीमार घोषित करने से पहले कई बार सोचो। हमने देखा कि जब बड़े-बड़े घरानों के ऊपर रेड चली तो एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि।

[अनुवाद]

उन्होंने राष्ट्रीय विकास में भी योगदान दिया।

[हिन्दी]

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि करों की चोरी करो और कानून का स्वार्थ के लिए उल्लंघन करो।

यह ठीक है कि किसान और कामगार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो आर्गेनाइज्ड़ सेक्टर है उन्होंने इसके लिये मैमोरेंडम दिया। जो अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर है वह मैमोरेंडम नहीं दे सके, इस कारण सरकार को उनके बारे में सोचना होगा। जो आर्गेनाइज्ड़ सेक्टर है जो कि इन-डायरेक्ट टैक्स लगाकर डायरेक्ट टैक्स का फायदा लेने के अलावा कंज्यूमर पर भी बर्डन डाल रहे हैं, उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। जब हमारे इन डायरेक्ट टैक्स का उत्पादन लगभग 30714 करोड़ था और डायरेक्ट टैक्स का उत्पादन 5900 करोड़ था। इससे पहले 1951 से डायरेक्ट टैक्सेशन का उत्पादन 231 करोड़ और इन-डायरेक्ट टैक्सेशन का उत्पादन 428 करोड़ था। इसलिये जब तक हम डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं बढ़ायेंगे तब तक उपभोक्ता को राहत मिलना बहुत मुश्किल रहेगा।

अब मैं स्माल-स्केल इण्डस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अभी इम्पोर्ट ऑफ टैक्नॉलजी इकोनमिकली वायबल स्माल स्केल के लिये बनाना बहुत जरूरी है। आपने एम० आर० टी० पी० 20 करोड़ की जगह 100 करोड़ कर दिया है और स्माल से सेक्टर की मर्यादा ज्यादा से ज्यादा कनसैशन देकर 50 लाख तक कर रहे हैं। आप जब तक स्माल स्केल इण्डस्ट्री का दो करोड़ तक तक प्रमाण नहीं करेंगे तब तक स्माल सेक्टर का काम करना मुस्किल है।

हम इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी नई टैक्नॉलजी के लिये कर रहे हैं जिसमें मेरे ख्याल से 50 लाख रुपया लग जाता है। मैं इस बारे में भी चिंतित हूं कि कहीं मार्डनाइजेशन के कारण हमारी छोटी इंडस्ट्री बन्द न हो जायें क्योंकि वह बड़ी इंडस्ट्रीज का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। आपने छोटे उद्योग के लिए जो रिजर्व आइटम्स रखे हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। जब तक इकोनामिकली वायबल छोटे-छोटे उद्योग को नहीं बनायेंगे तब तक बड़े उद्योग कुछ न कुछ करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करते रहेंगे। इससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जायेगा और छोटे का कास्ट ऑफ प्रोडेक्शन बढ़ जायेगा। इसके कारण घाटा हो जायेगा। इस बारे में भी आपको सोचना होगा।

अब मैं फारेन कोलबरेशन और कोआपरेटिव्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम इसमें ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम सारी मशीनरी इम्पोर्ट कर रहे हैं जिससे स्पेयर्स पार्ट्स पर काफी फारेन एक्सचेंज भी देना पड़ रहा है। इस बारे में भी आपका विचार करना होगा।

आप जब तक कोआपरेटिव टैक्सटाइल मिल नहीं बनायेंगे तब तक काटन की समस्या हल नहीं हो पायेगा क्योंकि काटन के पूरे दाम किसान को नहीं मिल रहे हैं। काटन के दाम नहीं मिलने के कारण किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोआपरेटिव कम्पोजिट काटन मिल कपड़ा स्वयं तैयार करें तब कहीं किसान को कुछ न कुछ फायदा होगा।

इसके साथ-साथ नान कनविशनल पेपर प्रोडेक्शन के लिये एक्साइज से ज्यादा कनसैशन जरूरी होना चाहिए क्योंकि अगर एनर्जी सेविंग करके आप कागज बनाने जा रहे हैं तो कागज बनाने के लिये एक्साइज का कनसैशन भी मिलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि काफी मिलें बन्द हो रही हैं, उत्पादन घट रहा है, स्टाक काफी मात्रा में पड़ा है और कई मिलें अच्छी भी नहीं चल रही हैं। अतः वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इन पर अवश्य विचार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, हमारे समक्ष अन्तिम चरण में हमारा फाइनेंस बिल पेश है। मैं इस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है इसको सामने रखकर जिस तरह से हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वह सराहनीय है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम आर्थिक स्थिति पर गौर करते हैं तो तो खास तौर पर जो किसान है वह हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान ने जिस तरह से देश की प्रोडक्सन को बढ़ाया है वह काबिले तारीफ है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सब किसानों को जिस तरह का उत्पादन हम करते हैं चाहे वह सब्जी का उत्पादन करें, चाहे फल का करें, चाहे आलू का उत्पादन करें, चाहे कोई भी जिस हम पैदा करें उसका उचित दाम हम को नहीं मिलता है। यही कारण है हमारी आर्थिक स्थिति के कमजोर होने का। जो लोग गांवों से चुन कर आते हैं और गांवों का वातावरण जिन्होने देखा हैं उन को इस बात का पूरा ज्ञान है कि गांवों में किसानों को ठीक भाव उनकी पैदावार का नहीं मिलता, इस कारण उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज यहां यह प्रार्थना करूंगा कि मार्केटिंग का इन्तजाम होना चाहिए ताकि उनकी स्थिति अच्छी बन सके।

जहां आप ने आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए बड़े-बड़े पुंजीपतियों के घरों पर छापे मारे वहां में कहना चाहुंगा कि इस में कोई छोड़ा न जाए। इनकम टैक्स के अधिकारी भी इस में फंस गये हैं। वह भी एक अच्छी बात आपने की। इसके साथ-साथ जो स्मग्लर्स हैं उनको भी नहीं बख्सा जाना चाहिए। कल प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए थे। एक सवाल था आन्ध्र प्रदेश के लोगों की तरफ से फारेस्ट के बारे में। तो उन्होंने यहां अदादोशुमार में बताया कि इतने प्रतिशत यहां इस इलाके में दरख्तों को काटने का काम हुआ। मैं यहां यह कहना चाहाता हूं कि इस में जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं चाहे वह राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं चाहे भारत सरकार के फारेस्ट से सम्बन्धित हैं मैं चाहुंगा कि उनकी प्रापर्टी की जांच होनी चाहिए। उन लोगों ने सब से ज्यादा फारेस्ट का माल हड़प किया है। इस तरह के कई ठेकेदार हैं जिनके ऊपर छापे नहीं पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि उन की भी जांच हो और उनके जरिए से भी हमें काफी पैसा मिल सकता है।

इनकम टैक्स नादिहन्द लोग बड़ी तादाद में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनके बारे भी उचित कदम उठायें। देखने में यह आता है कि जहां हम बैंकों की कारगुजारी पर नजर डालते हैं वहां कहीं 72 प्रतिशत, कहीं 82 प्रतिशत, कहीं 8 प्रतिशत इस तरह से ओवरड्यू चला आता है और वह किस घराने को बिलांग करते हैं ? जो राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो पैसा आता है बैंको के जरिए उस को पूरी तरह हजम कर जाते हैं। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं। अगर हमें राष्ट्र को आगे ले जाना है तो हमें रिकवरी के लिए भी कोई मापदण्ड तय करना पड़ेगा ताकि कहीं ऐसा न हो कि हमारा देश कंगाली में चला जाए। जिन गरीब लोगों को और जिन नवयुवकों को ऋण दिया जाता है कि 25 हजार रुपया उन को मिलेगा, इससे वह अपना रोजगार कायम कर सकेंगे, वे उस को ठीक तौर से प्राप्त नहीं कर

पाते हैं। वह ठीक रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कई बार मंत्रियों से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इसको दिखाया जा रहा है। इस तरह से 6 महीने या साल गुजर जाता है। मैं मेम्बर पार्लमेंट की हैसियत से चिट्ठी लिखता हूं तो उस पर अमल होना चाहिए। कम से कम दो महीने में अफसर के खिलाफ इंक्वायरी हो जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी मन्जूरी दे देती है, राज्य सरकार मंजूरी दे देती है लेकिन उसके बाद जब बैंक के पास भेजा जाए और बैंक वाले कह दें कि आपको पैसा नहीं मिल सकता है तो इस तरह की जो बातें होती हैं उससे जनता के मन में ज्वाला भड़कती है और वह समझने लगती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार की जो नीति है उसका इंप्लीमेंटेशन नीचे के स्तर पर होना चाहिए क्योंकि इसके बगैर गरीबी दूर नहीं हो सकती है।

एक बात और कहना चाहता हूं। जब तक आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को वहां पर डायरेक्टर नहीं बनायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जो डायरेक्टर बनाए जाते हैं उनमें गरीब लोगों की तरफ से कोई भी नहीं होता है। बड़े-बड़े घरानों के लोगों को ही डायरेक्टर मनोनित किया जाता है जो कि वहां पर पिछड़े लोगों की बात सोचते ही नहीं हैं, उनकी तरफ उनकी नजर ही नहीं जाती है। इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा कि भारत सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि बैंकों में या किसी भी कारपोरेशन में आप डायरेक्टर बनायें तो वहां पर गरीब लोगों को भी डायरेक्टर बनाकर रखें ताकि गरीबों के हितों की वे लोग सेफगार्ड कर सकें। **(व्यवधान)**

आपने बताया है कि 93 हजार सिक यूनिट्स हैं जिनकी कोई कारगुजारी नहीं है। हालांकि उनमें लगातार पैसा लगा है लेकिन उनका कोई कारोबार नहीं है। वह हमारे ऊपर एक हाथी की तरह से बोझ बनी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी जिम्मेदार हों उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। उन कारपोरेशंस को प्राफिट में लाना ही होगा। इस तरह से अगर आप कारखाने नेशनलाइज करते रहे तो सरकार की सारी पूंजी चन्द लोग खा जायेंगे। इसकी तरफ सरकार को खास ध्यान देने की आवश्यकता है। उन सिक यूनिट्स को काम लायक बनाया जाना चाहिए। वहां पर आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अफसर लगा दिये जाते हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा होता है। टेक्निकल आफिसर्स को वहां पर नहीं लगाया जाता है। कई राज्यों में हमने देखा है कि कारपोरेशंस में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० आफिसर्स लगे हुए हैं। उनका काम तो एडमिनिट्रेशन चलाना होता है। मैं समझता हूं इन अण्डरटेकिंगज में अगर टेक्नोक्रैट्स को लगाया जाए तो कम से कम वे इस बात का तो ध्यान रख ही सकते हैं कि मशीनरी में कोई नुक्स तो नहीं आ गया है जिससे कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के लिए यह देखना जरूरी है कि जो कारखाने ऐसे पड़े हैं उनको कामयाब बनाया जाए। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक नाहन फाउन्ड्री नाम का कारखाना है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था, प्रधान मंत्री जी ने मुझे जबाब में लिखा कि उद्योग मंत्रालय के पास पत्र भेज दिया गया है। वहां पर 400 आदमी बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। पहले यह कारखाना भारत सरकार के अण्डर में था लेकिन फिर राज्य सरकार को सौंप दिया गया। वह कारखाना घाटे में चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं

कि भारत सरकार उस कारखाने को संभाले, उसकी प्रापर्टी को भी सम्भाले क्योंकि वहां पर 400 आदमी बेकार बैठे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि उद्योग विभाग के द्वारा जांच करवा कर इस नाहन फाउन्ड्री को भारत सरकार अपने अधीन ले ले।

इसके साथ ही साथ यहां पर अखराजात के बाबत भी कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अखराजात हो रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। जितने भी आज बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे फाइव-स्टार होटलों में जा ठहरते हैं। उनकी कोई जांच-पड़ताल नहीं होती है कि कितनी उनकी तनख्वाह है, कितना डी ए लेते हैं और क्या उनकी आमदनी है और उन्होंने क्या काम करके दिखलाया है। मैं तो कहूंगा कि इसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। जितनी मीटिगें होती हैं उनका कोई हिसाब नहीं और मीटिंग्ज में जो निर्णय होते हैं वह आपको भी पता है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी आमदनी के जराय काफी बढ़े हैं और आप की रहनुमाई में हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और मुख्य मंत्री होते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो लोग गुन्डागर्दी करते हैं और ऐसे आदमी जो समाज के दुश्मन हैं, उनको बख्सा नहीं जएगा और उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने दिलेरी के साथ वहां काम किया और आज वे हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री बन कर बैठे हैं। वे ईमानदार आदमी हैं और इस नाते मैं समझता हूं कि राष्ट्र को आगे ले जाने में वे कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। पुजारी जी भी अच्छे आदमी हैं। वे बड़ी मेहनत करते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि आप जरा इस बात को सोचिये कि ये जो ब्यौराक्रेटस हैं ये राष्ट्र को कहां ले जा रहे हैं और किस तरफ हमारा राष्ट्र जा रहा है। इस को बचाने का आप इन्तजाम करें। जो देश के अन्दर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं बड़े-बड़े लोग, उनको आपको समझना चाहिए। वे गरीबों की परवाह नहीं करते हैं।

मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं। आप ने इन्कम टैक्स लगा दिया। जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, वे एक तनख्वाह के अन्दर गुजारा करने के लिए नौकरी में चले जाते हैं और उन के पांच,-पांच और छः-छः बच्चे हो जाते हैं। उन पर यह टैक्स माफ होना चाहिये और उन पर इन्कम टैक्स नहीं लगाना चाहिए। आप उन पर भी टैक्स लगा देते हैं। दूसरों को तो पहले से नौकरी में मौका मिलता रहा है। लेकिन इनको अभी मिला है मैं यह कहना चाहूंगा कि इन लोगों को कम से कम इस बात में बख्सा जाए और जो विकलांग है, उसको आप पूरा कीजिए ताकि ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

गांवों में जो बीस-सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ज्यादा हिस्सा वही लोग खा जाते हैं जो प्रधान और पंच बने हुए हैं और उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं पहुंच रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि बाका दा इस की जांच-पड़ताल करनी चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल की बात आपको बताऊँ। वहां पर पैसा उन आदमियों को मिलता है, जो उन के चहते होते हैं और बाकी को नहीं मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि और ठीक रूप से गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना है, तो उस के लिए यह लाजमी है कि आप इस बात की जांच करवायें।

आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री ए० सी० षण्मुख (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, अपने माननीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत हम वित्त विधेयक, 1986-87 के समर्थन में अपने दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सबसे पहले में सातवीं पंचवर्षीय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीकरण और एकगुट प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। यह मुझे यह बताने के लिए बाध्य किया गया है कि 1985-85 के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने किस प्रकार 2000 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा किया है। मैं समझता हूं कि इस मामले में सभा का विश्वास अवश्य ही प्राप्त किया जाना चाहिये ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रशंसनीय उद्देश्यों की पूर्ति के बारे में किसी प्रकार भ्रमित न हो।

जो माननीय सदस्यगण मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने देश में हजारों करोड़ रुपयों के कालेधन के व्यापक संचलन का उल्लेख किया था। भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था में कालेधन के भयंकर कुप्रभाव के प्रति चिंचित है आयकर अधिनियम की धारा 133 ख के अन्तर्गत रिहायसी मकानों पर छापे मारे जाते हैं और उनकी तलाशियां ली जाती हैं। दुर्भाग्यवश वकीलों, चिकित्सों के आवास और लघु उद्योग आयकर विभाग के निशाना बन गए हैं। यदि कोई नहीं मिलता तो किसी राजनीतिक व्यक्ति के घर की तलाशी ली जाती है उस पर छापे मारे जाते हैं। किन्तु बड़े मगरमच्छों के घर आयकर अधिकारियों के निशाना नहीं बनते। आयकर अधिकारियों को ये बड़े लोग खुश रखते हैं में जवाब तलब किए जाने पर निर्भय होकर यह कहता हूं कि आयकर अधिकारियों की इन निहित स्वार्थों के साथ सांठ-गांठ है। जो भोग बिलास में डूबे हुए हैं ऐसी तलाशी के शिकार हुए हैं मध्यम वर्गीय लोग 1984-85 में की गई तलाशियों में 49 करोड़ रुपये का कालाधन बरामद किया गया। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार प्रचलित मुद्रा में से 50 प्रतिशत कालाधन है। आयकर विभाग के इन बेकार मक्खी काट अभियानों से कालेधन की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। कालेधन के उत्पादकों और उसके प्रचलनकर्ताओं पर कुठाराघात करना चाहिए। तभी हम देश में कालेधन की बुराई को दूर कर सकेंगे।

महोदय, मुझे कहना है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति अनिश्चित सी है। बजट से एकदम पहले केन्द्रीय सरकार ने कोयला, इस्पात, और तेल जैसे आधारभूत आदानों की सरकारी कीमतों में वृद्धि कर दी। केन्द्रीय सरकार ने इस तरीके से राज्य सरकारों की कीमत पर 1500 करोड़ रुपये जुटाये। वस्तुतः वे अविभक्तनीय उपशुल्क और कर हैं। यदि कर अथवा शुल्क में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के राजस्व को राज्य के साथ नहीं बांटा जाना चाहिए। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस

* मूलतः बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रकार अकेले ही सब कुछ लेकर राज्यों को उनके वैध अंश से वंचित कर रही है। 1979 और 1985 के बीच कोयले की लागत में 200 प्रतिशत से अधिक औसत वृद्धि हुई है, सिंगरैनी की कोलफील्ड से तमिलनाडू बिजली प्रदाय बोर्ड को रेल द्वारा सप्लाई किये जाने पर रेल भाड़े में 142%और कोयला समुद्री भाड़े में 104% की वृद्धि कर दी गई। तमिलनाडू बिजली बोर्ड ने केवल इस वद्धि पर ही प्रतिवर्ष 160 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किये हैं आप तमिलनाडू बिजली बोर्ड से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे ऐसी स्कीम में कार्य करें? स्वाभाविक है कि तमिलनाडू राज्य बिजली बोर्ड वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा हैं इस मौके पर मैं यह मांग करूंगा कि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडू राज्य बिजली बोर्ड को 160 करोड़ रुपये की इस राशि का तदर्थ अनुदान दिया जाए। केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्त दे रही है क्योंकि मूल्य सूचकांक बढ़ गया है स्वाभाविक है कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी मंहगाई भत्ते की मांग करेंगे और राज्य सरकारों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त मंजूर करनी पड़ती है। केन्द्रीय वित्त मंत्री को इस बक्त राज्य सरकारों के वित्त को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु केन्द्रीय सरकार को मंहगाई भत्ता जारी करने से पहले उन साधनों को प्राप्त करना चाहिए जिससे राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की राशि मंजूर कर सकें।

मैं समझता हूं कि क्रियान्वित की जा रही 'माडवेट' योजना राज्य के करों के अंश को कम करेगी। पहले ही राज्यों को विदेशी मुद्रा की आय में कोई भाग प्राप्त नहीं होता उदाहरणार्थ तमिलनाडू चाय, काफी, इलायची, काजू और चमड़ा तथा चर्म निर्मित वस्तुओं के निर्यात द्वारा केन्द्र को कई सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देता है। मेरा आरकोट जिला चमड़े और चर्म निर्मित वस्तुओं के निर्यात में सबसे आगे है। प्रौद्योगिकीय विकास के आवश्यक संघटकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आय का कोई अंश तमिलनाडू को नहीं दिया जाता। राज्य सरकारें लोगों के तत्काल लाभ के लिए कई कल्याण योजनायें क्रियान्वित कर रही हैं। तमिलनाडू सरकार निर्धन व्यक्तियों को धोती और साड़ी निशुल्क देती है। विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं। चावल ऊंची कीमत पर खरीदा जाता है और तदन्तर उचित दर की दुकानों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बेचा जाता है। स्वाभाविक है कि राज्य के राज्यकोष पर बहुत भार पड़ता है। इसके बावजूद तमिलनाडू की सरकार ने इस वर्ष बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। तमिलनाडू सरकार परिवार नियोजन सम्बन्धी योजनाओं को बहुत कारगर ढंग से चला रही है। 20 सूत्री-कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तमिलनाड़ का विशिष्ट स्थान है। तमिलनाडू की सरकार ने 200 करोड़ रुपये के ग्रामीण ऋणों को समाप्त कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ऐसा उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्यों के लिए आवश्यक धनराशि ऐसे अन्य राज्यों को आबंटित धनराशि में से निकाल कर दी जाएगी जो इन योजनाओं का जोरदार ढंग से कार्यान्वियन नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि केन्द्र को तमिलनाडू को जिसने अच्छा कार्य किया है, विशेष सहायता दी जानी चाहिए, देश में बार-बार बाढ़ और सूखा पड़ रहा है। उत्तर में बाढ़ खाद लाती है और दक्षिण में यह जमीन को सूखा कर देती है। राज्यों को प्रत्येक वर्ष इन प्राकृतिक विपदाओं का सामना

करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय राजस्व का कम से कम दो प्रतिशत अथवा 3 प्रतिशत भाग राज्यों को बाढ़ और सूखे में सहायता देने के लिए दिया जाना चाहिए। अन्य विक्षोभ-जनक लक्ष्य यह है कि बाढ़ राहत सहायता को तदर्थ अनुदान समझा जाता है और सूखा राहत को अग्रिम योजना सहायता के रूप में माना जाता है। इससे राज्य सरकारों के योजना सम्बन्धी प्रयास असफल हो गये हैं। मेरा सुझाव है कि सूखे और बाढ़ की समस्या का सामना करने के लिए राज्यों को दी जानी वाली सहायता को अनुदान के रूप में माना जाये। तभी कहीं राज्यों के वित्त नियन्त्रण में आ सकेंगे।

कोयला और इस्पात उत्तर से दक्षिण राज्यों को जाता है। क्योंकि परिवहन के कारण कोयले और इस्पात की दक्षिण में कीमतें बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण में इस्पात की कीमत उत्तर की अपेक्षा प्रतिटन 2000 रुपये से ज्यादा अधिक है। भाड़ा समानीकरण योजना लागू होने के बावजूद ऐसी स्थिति है। मैं समझता हूं कि इस भाड़ा समानीकरण योजना को समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यदि यह कर दी गई, तो स्वाभाविक रूप से दक्षिण में कोई उद्योगीकरण नहीं होगा। मैं मांग करात हूँ कि भाड़ा समानीकरण योजना को देश केएक भाग स्वरूप दक्षिण के जीवन के हित में समाप्त न किया जाए।

कोयला विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का कोयला कोयला खानों में जल जाता है। मेरा सुझाव है कि इस राष्ट्रीय अपव्यय को रोकने के लिए कोई रास्ता अवश्य ही खोजा जाना चाहिए। इसी प्रकार विजयनगरम इस्पात संयन्त्र को शीघ्र निर्धारित किया जाना चाहिए। तभी दक्षिणी राज्य इस्पात की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त कर सकेंगे। यहां मैं सेलम इस्पात संयंत्र का भी उल्लेख करूंगा। लगभग 100 वर्ष पहले ब्रिटिश राज्य के दिनों में यह पाया गया था कि सेलम क्षेत्र में पाया जाने वाला लौह अयस्क उत्तम किस्म का है। वस्तुत: यह बताया गया था कि इंगलैंड में उस समय सेलम के लौह अयस्क से बना एक पुल अब भी बिना जंक खाये मजबूती से खड़ा है। सेलम में एक पूर्ण खान की बजाय अब हमारे पास केवल एक इस्पात संयन्त्र है जो कि सिर्फ एक रीरोलिंग (पुनर्वेल्लन) मिल है। इसके बावजूद सेलम इस्पात कारखाना लाभ कमा रहा है। संयंत्र ने 40 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक विस्तार योजना भेजी है। मैं चाहता हूँ कि इस परियोजना को अविलम्ब स्वीकृति दी जाये।

मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को सेतुसमुन्द्रम परियोजना की अनुबन्धता के बारे में एक पत्र लिखा है। महोदय दक्षिणी नौसैनिक कमान के मुख्य अधिकारी ने निश्चित रूप से बताया है कि सेतुसमुन्द्रम परियोजना बहुत सामरिक महत्व की है। यदि तीसरा विश्वयुद्ध अवश्यसंभावी हो जाता है तो यह भारतीय महासागर से शुरू होगा। उस समय हमारे दक्षिणी तट की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय खतरों के प्रति नाजुक होगी। शांति के समय भी बम्बई से कलकत्ता अथवा कलकत्ता से बरस्ता श्री लंका बम्बई आने जाने पर भी भारी मात्रा में पेट्रोल की खपत की जाती है क्योंकि हमारे व्यापारिक जहाजों और नौसैनिक जहाजों के आने जाने के लिए कोई सीधा समुद्री मार्ग नहीं है। इसलिए मैं यह मांग करता हूँ कि सेतुसमुद्रम परियोजना को रक्षा योजना अथवा सामरिक महत्व की योजना के रूप से क्रियान्वित किया जाए।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी 30 वर्ष पुरानी है। इस समय 850 कोचों का उत्पादन यह प्रतिवर्ष करती है और इन्टेग्रल कोच फैक्टरी ने रेल मंत्रालय से 1000 कोच निर्माण करने की स्वीकृति मांगी है। इस प्रस्ताव को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। इसी बीच 1000 कोचों के विनिर्माण की एक कोच फैक्टरी पंजाब के लिए स्वीकृति की गयी है। मुझे पंजाब के लिए परियोजना की स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं चाहता हूं कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी के विस्तार की भी स्वीकृति दी जाये।

महोदय, मद्रास महानगर परिवहन की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है। शहर की आबादी 60 लाख है। शहर के लिए त्वरित जन परिवहन प्रणाली की समस्या अधर में लटकी हुई है। विश्व बैंक ने तमिमनाडु में सड़कों के सुधार के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है। तमिलनाडु सरकार राज्य में सड़कों में सुधार करने के लिए शानदार काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार मद्रास के लिए त्वरित जन परिवहन प्रणाली के लिए स्वीकृति दे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा तेलगू गंगा योजना के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए मुझे दुःख हो रहा है। अब यह योजना परिहार्य कारणों से रुकी पड़ी है। कर्नाटक कहता है कि फालतू पानी इस नहर से बहने दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश का कहना है कि पानी का पहले रायालसीमा क्षेत्र में कृषि के लिए उपयोग किया जाएगा। किन्तु मद्रास के लोग इस योजमा के अन्तर्गत बड़ी आशा भरी नजरों से पेय जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और तेलगू गंगा परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिये।

उत्तरी राज्यों में 9 अथवा 10 वायुदूत सेवायें हैं, दक्षिण में एक भी नहीं। मैं वेल्लूर, सेलम, तन्जाबुर, मदुरै, कन्याकुमारी और महाबलीपुरम को जोड़ने के लिए एक वायुदूत सेवा शुरू की जानी चाहिए। वेल्लूर जहां क्रिश्चियन मेडिकल अस्पताल है जिसमें पूरे देश से रोगी आते हैं यहां तक कि विदेशों से भी आते हैं, में एक हवाई अड्डा खोलने की मांग बहुत समय से की जा रही है। जब प्रधानमंत्री ने वेल्लूर का दौरा किया तो उन्हें कहीं और उतरना पड़ा। बेल्लूर में हेलीपैड तक नहीं है। मेरी मांग है कि बेल्लूर को भी भारत के विमान मानचित्र पर लाया जाये। बेल्लूर के लिए एक विमान सेवा शीघ्र शुरू की जाए। मद्रास बंगलौर की इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान सेवा बेल्लोर में रुक सकती है और इन दोनों शहरों के यात्रियों को ले सकते हैं। करपाड़ी में रेल ऊपरी पुल के न होने के कारण बार-बार भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। कारपाडी जंक्शन में एक रेल ऊपरी पुल बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि होगेनाकल जल विद्युत परियोजना का निष्पादन किया जाए जो 7 से 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली तैयार कर सकती है जबकि ताप बिजली में बिजली की दर 40 से 50 पैसे प्रति यूनिट है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मतभेदों को केन्द्र के तत्वाधान में हल किया जाना चाहिए। हमारे पास देश के 332 जिलों में 189 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। हमारे देश में 460 जिले हैं। औसतन दो जिलों के लिए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तमिलनाडु में, केवल दो क्षेत्रीय बैंक हैं। मैं सुझाव देता हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दक्षिण आरकोट और उत्तरी आरकोट जिलों में स्थापित किये जाने चाहिए। महोदय, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र पाटिल कह रहे थे कि सरकारी क्षेत्र के

उपक्रमों में 40000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से केवल 500 करोड़ रुपये की प्रतिलाभ हुई है। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र 500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करता है तो वह 100 से 200 करोड़ रु० का प्रतिलाभ सुनिश्चित करता है। सरकारी क्षेत्र के यूनिटों के कार्यचालन में जो भी कमी हो और खराबी हो उन सबको समाप्त किया जाना चाहिए ताकि वे लाभ कमा सकें। हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों ने 1984 में 82 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। प्रत्येक बैंक की प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। 1·2800 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के लिए लाभ केवल 82 करोड़ रुपये है। इन बैंकों के सभी व्यर्थ व्यय और अनावश्यक प्रशासनिक व्यय में भारी कमी की जानी चाहिए। ताकि वे अधिक धन कमा सकें।

4·00 म० प०

अब केन्द्र देश के प्रत्येक जिले में माडल (आदर्श) स्कूल खोलने का प्रस्ताव कर रही है। राज्य सूची से शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में ला दिया गया है। अब प्रत्येक जिले में एक माडल स्कूल स्थापित करके वे तमिलनाडु में हिन्दी थोपेंगे। मैं इस अवसर पर यह मांग करता हूं कि तमिलनाडु में प्रस्तावित माडल स्कूलों की भाषा तमिल और अंग्रेजी होनी चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं मांग करता हूं विद्युत-हलों (पावर-रिबरों) को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी जानी चाहिएक्योंकि यह देश के किसानों के लिए आवश्यक व उपयोगी उपस्कर है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, फाइनेंस बिल के ऊपर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। उन बातों को यहां फिर से दोहराने से कोई लाभ नहीं है। मैं केवल दो-तीन महत्वपूर्ण बातों पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है, बहुत ही प्रैक्टिकल एप्रोच लिया है और जहां कहीं से उन्हें अच्छी बातें मिली, अच्छे आइडियाज मिले, उनको अपने जाने में उन्होंने किसी तरह हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैं तो कहता हूं कि आजादी के बाद, पहली बार ऐसे वित्तमंत्री हुए हैं जिन्होने सारे तबकों के लोगों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है। सब लोगों की उनके विषय में धारणा बन चुकी है कि उनका दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है। जहां कहीं अनुभव से उनकी समझ में कोई बात आती है कि इससे स्माल स्केल इण्डस्ट्री का नुकसान होगा, उपभोक्ताओं का नुकसान होगा, फिक्स्ड इन्कम ग्रुप का नुकसान होगा, सैलरीड प्यूपिल का नुकसान होगा तो उन्होंने उसको ठीक करने का प्रयास किया है। यदि उन्होंने किसी गलत चीज को ठीक करने का प्रयास किया है तो उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हमें उनकी समालोचना नहीं करनी चाहिए।

मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इन्होंने पावर्टी एलिमिनेशन कार्यक्रम में 65 परसेंट खर्च करने का प्रयास किया है। पहली बार समाज के ऐसे तबके के लोगों को फायदा होगा जिसके

बारे में कभी सोचा नहीं गया था। रिक्शा चलाने वालों के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। और मैं ऐसी जगह से आता हूं जहां के अधिकतर लोग, दिल्ली, चण्डीगढ़, कलकत्ता या देश के दूसरे बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं और ऐसे लोग या तो बिहार के हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं।

उनकी क्या दुर्दशा है, कोई उनको देखता है, कितना उनका एक्सप्लायटेशन है, तो जो आज एक रिक्शेवाला है, उसको इस प्रोग्राम के अन्दर राहत मिली है। एक नाई को, जो छोटी सी दुकान करता है, उसकी क्या आमदनी है, उस नाई को भी आशा की किरण दिखाई पड़ती है और वह सोचता है कि मेरे लिए भी कुछ सोचा गया है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए, चाहे वे शेडयूल्ड कास्ट्स के हों, चाहे वे शेडयूल्ड ट्राइब्स के हों, जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनको रहने की जगह मिलेगी, या मकान मिलेगा, उनके लिए भी पहली बार इंदिरा गांधी प्रोजैक्ट के अन्तर्गत मकान दिये जायेगें। तो मैं कहता हूं कि जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, उसके अनुसार समाज के कमजोर वर्ग के लिए, पूअरेस्ट टू दि पूअर के लिए सोचा गया है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। परन्तु एक बात मैं कहूंगा और माननीय वित्तमंत्री जी से काफी अनुनय विनय के साथ अनुरोध करूंगा कि आपकी पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई है, आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ काला धन निकालने का प्रयास किया है और मुझे अभी भी याद है, इसी सदन में आपने एक दफा कहा था कि यदि लोग मेरी प्रार्थना नहीं मानेंगे, तो मैं डण्डा उठाऊंगा, मैंने कहा था कि आप डण्डा नहीं उठा पायेंगे, तो आपने जवाब दिया था कि मैं डण्डा उठाऊंगा। आपने डण्डा उठाया और यह करके दिखा दिया कि सरकार जो कहती है वही करती है।

मैं एक और बात कहूंगा मान्यवर, काला धन वहीं नहीं है, जहां आप देखते हैं, बल्कि काला धन वहां बहुत अधिक है, जहां आप नहीं देख पाते हैं। आज इस देश में पब्लिक सैक्टर फेल हो गया है या इस पब्लिक सैक्टर की जो दुर्दशा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इसका पैसा पब्लिक सैक्टर के आफिसर्स के पास काले धन के रूप में गया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इन पब्लिक सैक्टर के एक्जीक्यूटिव के घर पर रेड कराइए, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या बात है कि आज एक-एक पब्लिक सैक्टर का आफिसर लखपति हो जाता है……

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : अरे राजहंस जी, "लखपति" नहीं, "करोड़पति" बोलिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जी हां, "करोड़पति" कह लीजिए। हम उनको डिफेन्ड क्यों करें, वे देश को खा रहे हैं। पब्लिक सैक्टर के हमारे सारे कंसैप्ट को बर्बाद कर रहे हैं। हम उनको क्यों डिफेंड करें। आपने बहुत बात कर दी कि इन्कम टैक्स वालों के यहां भी रेड करा दिया, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपके यहां भी रेड कराइए।

डा० गौरीशंकर राजहंस : जी, हां। कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं।

"कबीरा खड़ा बजार में लिए लंगोटी हाथ,
जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ।"

तो मैं कहता हूं कि क्या कारण है कि फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया में पांच साल के अन्दर छः सौ करोड़ रुपया आपका शार्टेज में चला गया ? ये छोटे छोटे चूहे नहीं खाते हैं, बल्कि बड़े-बड़े चूहे खाते हैं, तो इन बड़े चूहों को पकड़ने की बात है। मैं केवल फूड कार्पोरेशन के बारे में ही नहीं कह रहा हूं। यह तो कई कार्पोरेशनों की बात है। मैं इस हाउस में नहीं बता सकता हूं मन्त्री जी को अकेले में बता दूंगा······(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : बताईए, सबके सामने बताइए।

श्री मूलचन्द डागा : आप जरूर बताइए, आपको इनाम मिलेगा।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जो आफिसर्स इन पब्लिक सैक्टर का पैसा खा रहे हैं, आप उनको ठीक करिए, आप उनसे पैसा निकालने की कोशिश कीजिए। इससे सारे देश की आंखें खुल जाएंगी।

श्री नारायण चौबे : आप सच बोल रहे हैं, बहुत करैक्ट बात है।

4.09 म० प०

[**श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए**]

डा० गौरीशंकर राजहंस : मान्यवर, यह पैसा भी देश में नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे विदेश जा रहा है। यह आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर मर्ज की दवाई आई० ए० एस० आफिसर्स नहीं है। इस देश में कोई काम हो, कोई भी कार्पोरेशन या बॉडी बने, आई० ए० एस० को फौरन मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। आई० ए० एस० क्या है ? आई० ए० एस० खुदा है ? आई० ए० एस० कुछ भी नहीं है।

एक तो काम बनता नहीं है फिर दूसरा बढ़ती करप्शन उसकी भागीदार हो जाती है। मैं यह नहीं कहता कि सारे आई० ए० एस० करप्ट हैं। इस देश को आगे बढ़ाना है तो इस बात को भूल जाइए कि सारे मर्ज की दवा आई० ए० एस० है। आप टैक्नोक्रेट्स को आगे बढ़ाइए।

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा को समाप्त करना चाहते हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा को समाप्त करना नहीं चाहता। मेरा निवेदन तो यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा सभी बुराइयों के लिए रामबाण नहीं है।

[**हिन्दी**]

मैं कहता हूं कि पब्लिक कारपोरेशन में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर आप टैक्नोक्रेट्स को बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट को उनमें नियुक्त करिए। थोड़े दिन के बाद ही आपको फर्क

मालूम होगा। स्टील एथारिटी आफ इंडिया में टैक्नीक्रेट्स को नियुक्त किया तो आपको भी कितना बड़ा फर्क मालूम हुआ।

आज हर स्टेट गवर्नमेंट में दुनियां भर के पब्लिक कारपोरेशन बने हुए हैं। यह पब्लिक कारपोरेशन पैरासाइट हैं। स्टेट्स आपको ब्लेकमेल करते हैं। वह कहते हैं कि आप ग्रान्ट नहीं दे रहे हैं, ओवर-ड्राफ्ट भी कम कर दिया है। ऐसा कहने के बाद आप उन्हें ओवर-ड्राफ्ट भी देते हैं। उस ओवर-ड्राफ्ट को लेकर, उस पैसे को लेकर, उस ग्रान्ट को लेकर हर स्टेट चाहे कांग्रेस स्टेट हो, चाहे अपोजिशन स्टेट हो, पब्लिक कारपोरेशन में खर्च करती है। पब्लिक कारपोरेशन के 100-200 आफिस बना दिए, कई अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, उनका अपना मकान हो गया और अपनी गाड़ी हो गई। वह सारा पैसा जो उन पर खर्च किया जाता है, वह सब गरीबों का होता है।

आपको इस सारे पब्लिक सेक्टर के कंसेप्ट को बदलना होगा, ब्यूरोक्रेट को एकाउन्टेबल बनाना होगा। उनको कहना होगा कि आपका काम देश की भलाई करना है, आपका काम पब्लिक वेलफेयर है, आपका काम आराम से रहने के लिए नहीं है।

आप स्टेट के एक-एक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर के पास चले जाइए आपको देखने को मिल जाएगा कि उसके पास 50-50 अर्दली हैं। मिनिस्टर के पास उतने अर्दली नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके पास देखने को मिल जाएंगे। यह 50 अर्दली किस पर पैरासाइट हैं ? आज एक आई० पी० एस० अफसर के यहां सिपाही भरा रहता है। और उस राज्य में चोरी डकैती क्राइम बढ़ता रहता है। कोई देखने वाला नहीं है। हम यहां पर लाख चिल्लाएं, उस चिल्लाने का कोई फायदा होता है क्या ? हमारी बातों का कुछ थोड़ा सा असर यदि हो और देश की नीति को व्यावहारिक बनाया जाए तो बहुत कुछ कम किया जा सकता है।

आपने बहुत ठीक किया, आपने जनवाणी में भी कहा, इस हाउस में भी कहा और उस हाउस में भी कहा, आपने कहा कि हाउसवाइव्ज में आप अनपापुलर हो गये हैं। आपने बहुत सी बातें कहीं। लेकिन देश में जब से पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम आपने बढ़ाया, उससे लोगों में बड़ी तबाही है। अब इन्टरनेशनल प्राइस पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम हो रहा। मैं कहूंगा कि इस बिन्दु को फिर से सोचिए। ठीक है पब्लिक अपील पर आपने इसका दाम थोड़ा सा कम किया। लेकिन फिर भी इसका इतना स्पाइरल एफेक्ट हुआ है कि कहा नहीं जा सकता। आप कहीं टैक्सी से जाइए, आप को टैक्सी वाला ले जाएगा। 20 रुपये तो टैक्सी का फेयर आएगा और वह कहेगा पचास प्रतिशत सरचार्ज लाइए। आप उस के साथ क्या बोलिएगा ? क्या बहस कीजिएगा ? वह मनमानी लेता है। वैसे ही स्कूटर वाला मनमानी लेता है।

गैस के सिलिंडर, लोगों को मिल नहीं पाते हैं। कहीं भी आप जाइए, एक ही चीज वह कहेगा कि चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं इसलिए सारी चीजें महंगी हो गईं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मैं बाल कटाने के लिए एक महीना पहले किसी सैलून में गया था। पहले कटिंग का रेट 4 रुपये था। अब उसने रेट 8 रुपये कर दिया। मैंने कहा कि 8 रुपये क्यों कर दिया

तो उसने कहा कि पैट्रोल का दाम बढ़ गया। मैंने कहा कि तुम्हारी बाल काटने की मशीन में पैट्रोल कहां से आ गया ? मैं तो सुनकर हैरान हो गया। मैंने सोचा कि शायद पैट्रोल से चलती होगी। मैंने कहा कि मुझे समझाओ कैसे पैट्रोल का दाम बढ़ जाने से तुम्हारा रेट बढ़ गया ? उसने कहा कि हमारे यहां काम करने वाले लोग जो बस से आते हैं वह अब ज्यादा पैसा मांगते हैं। इसलिए हमने हेयर कटिंग का रेट ज्यादा कर दिया।

मेरा कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेकिन उस का बहाना लेकर वह कई गुना बढ़ा देते हैं। आपने फिल्म में देखा होगा कि हीरो से किसी का कोई झगड़ा हो गया। तो लगता है कि विलेन ने गोली मार दी। विलेन काहे को गोली मारेगा ? तीसरा आदमी गोली मार देता है।...**(व्यवधान)**...मैं यह कहूँगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग छेद कर रहे हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्राइस कम करने का प्रयास यदि सम्भव हो तो कीजिए। सरकार ने पहले भी किया है। इंदिरा जी की सरकार ने कई बार ऐसे आइटम्स के दाम कम किए हैं जिनकी अवेलिविलिटी बढ़ गई और जिनका इन्टरनेशनल प्राइस कम हो गया। आप वाणिज्य मंत्री भी रहे हैं। आपकी कंसल्टेटिव कमेटी में भी मैं रहा हूँ। अपने देश में बैलेंस और पेमेंट की पोजीशन बहुत खराब है। आप की क्लेक्टिव रेसपांसिविलिटी है।

मैं कहूंगा कि इन्डिस्क्रिमिनेट इम्पोर्ट हो रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है। जरा उसका पता लगाइए, एक ज्वाइंट कमेटी बनाइये दोनों पाउसेज के एम पीज की प्रधान मंत्री जी से बात करके और इस इंडिस्क्रिमनेट इम्पोर्ट को कम कीजिये। उससे आपका फारेन एक्सचेंज बच जाएगा। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो आपका फारेन एक्सचेंज लगेगा उसके लिए आपको दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। मेरी इस प्रार्थना पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।

दो एक बात और कहूँगा कि बैकवर्ड एरिया चाहे कहीं का हो, बिहार का हो, यू. पी. का हो, आप तो स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपने कभी सोचा है, कभी अकेले में सोचिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग क्यों गये मारीशश में, ब्रिटिश गायना में, फिजी में और आज भी लाचार होकर क्यों आते हैं दिल्ली में ? क्यों कि उनकी हालत बहुत खराब है। वह इन्सान की जिन्दगी नहीं बिताते हैं। तो बैकवर्ड एरिया को जब तक डेवलेप नहीं करेंगे, रीजनल इम्बैलेंस को जब तक खत्म नहीं करेंगे, चाहे वह राजस्थान का हो, चाहे वह कोई भी स्टेट हो, तब तक कोई फायदा नहीं होगा।

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है। थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए ताकि पूअरेस्ट आफ दि पूअर को फायदा हो सके।

[अनुवाद]

***श्री अनादिचरण दास** (जाजपुर) : मैं आज उड़ीया में बोल रहा हूँ। कृपया अपने इयर-फोनों का उपयोग करें।

*मूलतः उड़िया में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक पर बोलते हुए मैं सभा के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहूँगा। हमारा देश लोकतांत्रिक-समाजवादी देश है। किन्तु मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है ? क्या यह समाजवाद है या पूंजीवाद है अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाज की वर्तमान प्रणाली में हम लोगों को चोरी करने दे रहे हैं और उसी समय हम पुलिस को चोर पकड़ने के लिए कह रहे हैं। हम स्वच्छ और भ्रष्टाचार रहित समाज की बात कर रहे हैं। किन्तु दूसरी ओर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कुछ कर्मचारी नकली और गलत बिल प्रस्तुत करके भारी धन राशि प्राप्त कर रहे हैं।

मैं एक अन्य उदाहरण देना चाहूँगा। हमारी अपनी आयात नीति है। सरकारी विभाग आयात सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न मदों के आयात सरकारी विभागों अथवा एजेन्सियों द्वारा ही किये जा रहे हैं। बेशक आप गैर सरकारी पार्टियों को कुछ मदों का आयात करने दे रहे हैं और इन मदों पर उत्पादन शुल्क लगा कर कुछ राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें किसी ऐसी मशीनरी की जरूरत है जो वे अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। किन्तु इसके लिए एक नीति होनी चाहिए। उन्हें उन मदों को आयात करने देना चाहिए। जिनके लिए उन्हें पहले अनुमति मिली हुई थी। किन्तु जैसा कि हम देखते हैं इन नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता। यदि अन्य देशों से आने वाले कुछ व्यक्ति आयातित माल/तस्करी का सामान अपने साथ लाते हैं, तो इन मदों का देश में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। इन मदों को हवाई अड्डे पर ही नष्ट कर देना चाहिए। पहले तो इन वस्तुओं को या तो जब्त कर दिया जाता है और बाद में उन्हीं वस्तुओं को तस्करी द्वारा बाजार में लाया जाता है। यदि हम बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास अथवा अन्य किसी महानगर में जायें, तो हम पायेंगे कि तस्करी की चीजें खुले आम बाजार में बिक रही हैं मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इन चीजों को बाजार में आने की अनुमति क्यों देते हैं ? इसीलिए मैंने कहा है कि हम चोरों को चोरी करने के लिए कहते हैं और पुलिस वालों को चोरों को पकड़ने के लिए कहते हैं। मैं सरकार को सुझाव देता हूँ कि वह हवाई अड्डे पर ही तस्करी का सामान नष्ट कर दे। वर्तमान व्यवस्था में तस्करी बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमारी वर्तमान प्रणाली जिम्मेदार है। यह बेहतर होगा कि हमारे समाज की समाजवादी प्रणाली हो या पूंजीवादी, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रत्येक चोर जटिल होता जा रहा है। हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था प्रणाली का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर जगह अनिश्चितता बनी हुई है। देश में चोरियों, डकैतियों और अन्य अपराधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

मैं समाज से अनिश्चितता दूर करने हेतु कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति की घोषणा करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, राजनीतिक कार्यकर्त्ता, दल का नेता, मंत्री, संसद सदस्य, पंचायत स्तर, खण्ड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर का कर्मचारी हो, उसे अपनी सम्पत्ति घोषित करनी चाहिए। उसकी सम्पत्ति के बारे में हर किसी को जानकारी दी जानी चाहिए। सरकारी तंत्र को किसी व्यक्ति के पद की परवाह किए बिना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक जाँच करनी चाहिए।

इससे भ्रष्टाचार में कुछ हद तक कमी होगी। शोषण समाप्त होगा। हमारा लक्ष्य समाज के मौजूदा ढांचे को बदलना है। 21 वीं सदी के आरम्भ तक गरीबी दूर हो जाएगी। यह हमारे प्रधान मन्त्री का सपना है। वित्त मन्त्री की भी यही धारणा है। जब तक हम भ्रष्टाचार दूर नहीं करते, हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, अत: हमें उन सब खामियों को दूर करने के लिए कुछ सख्त उपाय करने होंगे जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अन्यथा जिन कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं उन्हें इनका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को लागू करने में हमारी असफलता की स्थिति में गरीब लोग और गरीब हो जायेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अमीर हो जायेंगे। इस विषय पर बोलते हुए में बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कुछ कर्मचारियों का उदाहरण देना चाहूँगा। वे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। विशेष रूप से जनता को बैंक ऋण देने वाले बैंक कर्मचारियों ने शहरों में मकान बना लिए हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी कुछ क्षेत्रों में मकान बना रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये मकान बनाने के लिए पैसा कहां से प्राप्त करते हैं? वे खंड विकास अधिकारी, बड़े बैंक अधिकारी और इंजीनियर हैं। आप इन्हें ये मकान क्यों बनाने देते हैं? हमें एक परिवार के लिए एक मकान योजना शुरू करनी चाहिए। किसी को भी एक से अधिक मकान बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में कर्मचारी हैं। इन विभागों के कुछ कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हमेशा जरूरतमंद रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शादी में दहेज के लिए धन की जरूरत होती है। ऐसे जरूरतमंद कर्मचारी बड़ी आसानी से विभिन्न वाणिज्यिक और लाभदायी कार्यों में संलग्न बेईमान लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। वे इन कर्मचारियों को घूस देते हैं। इसके फलस्वरूप कई अवांछित काम होते हैं। जब तक मकानों के निर्माण पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। ऐसे लोग गलत ढंग से पैसा कमाएंगे और विभिन्न शहरों में मकान बनाते रहेंगे क्योंकि ये उनकी आय के स्थाई स्रोत रहेंगे। आइए, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा करें। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की हालत बहुत खराब है। हमारा उद्देश्य ग्रामीण जनता की हालत सुधारना है। हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। परन्तु इन कार्यक्रमों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। परन्तु कुछ लोगों के मामले में यह बात ठीक नहीं है। कुछ परिवारों में एक से अधिक व्यक्ति को रोजगार मिल गया है जबकि कई ग्रामीण परिवारों में एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। परिवारों के रोजगार प्राप्त सदस्य शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने में सफल हैं। वे कृषि योग्य भूमि की खरीद करने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर गांवों में कई गरीब बेरोजगार हैं। वे सम्पन्न लोगों के घरों में काम करते हैं जहां इन्हें समुचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है और वे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं। वे संपन्न लोगों से जो ऋण लेते हैं उनकी अदायगी नहीं कर पाते हैं। अत: वे उनके खेतों, घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं। हमें इन लोगों के बारे में विचार करना होगा। महोदय हम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को ऋण दे रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं। मैं जानता हूं कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस प्रकार लागू हो रहे हैं। खंड विकास अधिकारी, बैंक कर्मचारी और बिचौलिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का शोषण कर रहे हैं। हम यह दावा कर रहे हैं

कि हमने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और गरीबी हटाने सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। पर यह प्राप्ति केवल कागजों पर है। वास्तव में यह लाभ उन लोगों को नहीं मिला है जिन्हें मिलना चाहिए। क्या आप मुझे ऐसे किसी एक खंड का नाम गिना सकते हैं जहां लाभार्थियों के रूप में 10 व्यक्ति ऐसे निकलें जिन्हें वास्तव में लाभ हुआ है? क्या उनकी हालत सुधरी है? मान लीजिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी लक्ष्य वर्ग के किसी गरीब व्यक्ति को 1000 रु० अथवा 1500 रु० अथवा 2000 रु० ऋण प्राप्त हुआ। वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था क्योंकि उसने अपने दैनिक खर्च को पूरा करने अथवा अपने परिवार के अन्य खर्चों जैसे अपनी पुत्री के विवाह में अथवा अपने पिता के अन्तिम संस्कार में हुए खर्च को वहन करने के लिए लोगों से कर्ज लिया था। अब जबकि उसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ऋण प्राप्त हुआ तो उन लोगों ने उससे अपना कर्ज अदा करने को कहा। ऐसी परिस्थितियों में वह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे प्राप्त सारी धनराशि अपना पिछला कर्ज चुकाने में खर्च कर देता है। अत: वह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन प्राप्त ऋण का अभीष्ट प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सका। ऐसे लाभार्थी की हालत कैसे सुधर सकती है। अत: वह जितना पहले गरीब था उतना ही गरीब रह जाता है। जो लोग इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बकरियां, भेड़ें अथवा गायें प्राप्त करते हैं वे भी इन्हें बिचौलियों को बेच देते हैं। अत: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम असफल हो गए हैं। इसलिए यदि हम अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें गरीबी हटाने सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करने की क्रियाविधि में सुधार करना होगा यदि हम इसमें असफल रहते हैं तो जिन वर्गों को इसका लाभ मिलना चाहिए उन्हें वह प्राप्त नहीं होगा।

महोदय, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्य-क्रम पर विचार करें। इस योजना के अधीन लाभार्थी बहुत गरीब हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लाभार्थियों की दैनिक मजदूरी अलग-अलग स्थानों पर 8 रु० से लेकर 15 रु० तक है।

यह खेद की बात है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी लाभार्थियों से आयकर देने को कहा जाता है। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा में इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से आयकर कटौती की जा रही है। आपने ग्राम समितियां क्यों गठित की हैं? ग्राम समितियां ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए ठेकेदार क्यों रखती हैं और ठेकेदारों से आयकर की कटौती क्यों की जा रही है जबकि वे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लाभार्थियों से आयकर की कटौती कर रहे हैं। यह बड़ी गलत बात है। इसी तरह, पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लाभार्थियों से आयकर की कटौती की जाती थी। मैंने इसका विरोध किया था और यह मामला इस सदन में उठाया था। मैंने राज्य विधान सभा को भी इस सम्बन्ध में लिखा था। अंतत: डेढ़ साल के बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लाभार्थियों को आयकर की कटौती से बचाने में कामयाब हुआ। महोदय, ये सब कार्यक्रम मजदूरी संघटक कार्यक्रम हैं और ये गरीबों के लिए हैं। अत: हमें इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सभी किस्म की अनियमितताओं को समाप्त करना होगा। यह खेदजनक है कि हम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लाभार्थियों का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। हमने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के लिए 100 श्रम दिवस की

व्यवस्था करने का फैसला किया है। क्या हम भारत में कहीं भी किसी लाभार्थी को 100 दिवसों तक काम दिला सके हैं ? महोदय, यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम की शुरूआत करने का सारा श्रेय हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम के लिए भारी धनराशि आबंटित करती है। परन्तु दुर्भाग्यवश, यह कार्यक्रम प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। संसद वित्त विधेयक पारित करने जा रही है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। इस कार्यक्रम के लिए भारी राशि प्रदान की गई।

श्री नारायण चौबे : यह धनराशि किसे दी गई ?

श्री अमाविचरण दास : इसे देशवासियों को दिया गया है। इसे गरीबों और बेरोजगार दैनिक मजदूरों को दिया गया परन्तु यह कार्यक्रम समुचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, यहां तक कि उन राज्यों में जहां भारतीय साम्यवादी दल, साम्यवादी, मार्क्सवादी संयुक्त दल सत्ता में है, इसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। मैं यह जानता हूँ। कोई भी राज्य इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को 100 दिन का रोजगार प्रदान नहीं कर सका है। हमें इस कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक लागू करना चाहिए। वे गरीब जिन्हें किसी अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत काम नहीं मिलता है, इस कार्यक्रम में उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठेकेदारों को इस कार्यक्रम को लागू करने का काम नहीं सौंपा जाना चाहिए। क्योंकि वे जरूरतमंद लोगों को काम नहीं देते। वे लाभार्थियों का भी शोषण करते हैं। हमें इस कार्यक्रम के लाभार्थियों की हालत सुधारनी है ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षित बना सकें। यदि यह काम किया जाए तो उन्हें समाज में समुचित स्थान मिल सकेगा। हमें यह देखना है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लाभार्थियों की क्रय-शक्ति बढ़ायी जाए।

आयकर के बारे में कुछ शब्द कहूँगा। जो लोग छूट-सीमा से ऊपर हैं उन्हें आयकर देना होता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गलत ढंग से धन न कमाए। सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा कुछ लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। मैं इस प्रयोजन के लिए सरकार से 'परिवार' शब्द की परिभाषा निश्चित करने का आग्रह करता हूँ, किसी भी परिवार को परिवार के अन्तर्गत निर्धारित राशि से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपने एक बच्चे के लिए 5000 रु० और पत्नी के लिए 50,000 रु० की धनराशि, उपहार के तौर पर निश्चित की है। आप इस उपहार की सीमा को बढ़ा सकते हैं। परन्तु परिवार में एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को काम नही दिलाया जाना चाहिए। पिछले वर्ष एक प्रश्न के उत्तर से यह पता चला था कि एक परिवार के सदस्य को ट्रकों के 6 राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए थे।

श्री नारायण चौबे : एक परिवार को ?

श्री अमाविचरण दास ; जी हां। एक परिवार को। ये 6 राष्ट्रीय परमिट 6 अलग-अलग

परिवारों के 6 व्यक्तियों में दिए जाने चाहिए थे और इस प्रकार 6 परिवारों को इसका लाभ मिलता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा है मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"हम, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होकर हर हालत में लोकतन्त्र को बहाल रखना है और समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना करनी है।"

कांग्रेस सरकार ने देश में भूमि सुधार के उपाय किए हैं। हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। मुझे यकीन है कि यही कांग्रेस पार्टी शोषण को समाप्त करेगी। यह कार्य अन्य कोई दल नहीं कर सकता है। हम सबको यह बात ध्यान में रखनी है कि देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। वे अपने बच्चों को सड़क के किनारे छोड़कर कठोर शारीरिक परिश्रम करते हैं। हमें उनकी दशा सुधारनी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो भावी पीढ़ी हमें दोष देगी। वे यह कहेंगे कि हम आम आदमी सबसे गरीब आदमी की हालत सुधारने में असफल रहे। वे हमें भारतीयों के शुभचिंतक नहीं बल्कि चोर अथवा डाकू कहेंगे।

देश के विभिन्न भागों में आजकल क्या कुछ हो रहा है ? उड़ीसा के कालाहांडी जिले की गरीब जनता की हालत कैसी है ? गरीब आदमी को समुचित भोजन, आश्रय नहीं मिल रहा है। वे अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हमने उनके लिए क्या किया है। मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों और दलितों की हालत सुधारने के लिए सभी सम्भव प्रयास करेगी। यदि हम सही दिशा में कदम उठाएं तो उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो 21वीं शताब्दी में देश में कोई गरीबी और बेरोजगारी नहीं रहेगी। मैं भाषण देने के लिए समय देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का जो यह अवसर दिया गया है उसके लिए मैं अपनी डी० एम० के० पार्टी की ओर से आपका आभारी हूं। प्रारम्भ में, अनेक बजटों के बावजूद, हम रुपए के अवमूल्यन को नहीं रोक सके हैं। इसका मूल्य अभी भी प्रति रुपए 11 पैसे है। सिर्फ यही नहीं, यह सरकार दावा करती है कि वह आम आदमी के लिए आर्थिक उपाय कर रही है। किन्तु यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण एकाधिकार घरानों की आस्तियों में वृद्धि हो गई है। मैं आंकड़े दे सकता हूं।

करोड़ रुपए में

	रुपए		रुपए
टाटा	641	अब	2430
बिरला	589	अब	2,0004
सिंहानिया	121	अब	620
मफतलाल	183	अब	610
साराभाई	84	अब	374

संविधान में संघ सूची की प्रविष्टि 52 के अन्तर्गत अपनी शक्ति के द्वारा भारत सरकार प्राय: सभी उद्योगों को अपने नियन्त्रण में लाने के लिए समय-समय पर घोषणाएं करती रही है। अब केन्द्रीय स्तर पर डिटर्जेन्ट, साबुन और रैजर ब्लेड जैसे गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए भी-लाइसेंस लेना आवश्यक है। मूल संवैधानिक योजना, जिसके अन्तर्गत केवल महत्त्वपूर्ण उद्योगों को जनहित और अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ उद्योगों को ही संघ सूची में लाया जा सकता था इस प्रक्रिया के द्वारा बदल दी गई है। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, राज्यों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

में यह बात और अधिक जोर देकर कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल निवेश जो वर्ष 1970-71 में सम्पूर्ण भारत में किए गए निवेश का 8 प्रतिशत था, वर्ष 1982-83 तक घटकर 4·16 प्रतिशत रह गया है सातवीं योजना अवधि में, उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिये निर्धारित किए जाने वाले कुल 1800 करोड़ रुपए में से तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 100 करोड रुपए से भी कम निवेश किया जाएगा।

राज्यों में विदेशी ऋण जारी किए जाने की प्रणाली सामान्यत: राज्य सरकार के लिए लाभप्रद नहीं है। इस समय केन्द्रीय सरकार विदेशी सहायता का औसतन लगभग 30 प्रतिशत भाग रोक कर रखती है जो कि विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है और बाकी 70 प्रतिशत राशि राज्यों को दी जाती है। अनुदान के रूप में प्राप्त विदेशी सहायता राज्यों को ऋणों के रूप में दी जाती है। यदि में यह कहूं कि सरकार को यह वित्तीय चोरी बंद कर देनी चाहिए तो इससे आप निस्संदेह मुझसे सहमत होंगे। में चाहता हूं कि विदेशों से प्राप्त सहायता राशि राज्यों को पूरी की पूरी दी जाए और यह समान शर्तों पर दी जानी चाहिए।

योजना कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए उपलब्ध संसाधन प्राय: मुद्रास्फीति के कारण कीमतें बढ़ जाने से समाप्त हो जाता है। आदानों की कीमतों में प्रतिवर्ष 5 से 6 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाने से राज्य के पूर्वानुमानित योजना परिव्यय में पांच वर्ष की अवधि के बाद 28 प्रतिशत की भारी कमी हो जाएगी। इसलिए योजना सम्बन्धी प्रयासों की सफलता के लिए मूल्य स्थिरता आवश्यक है।

जहां तक प्रमुख राज्यों का सम्बन्ध है, उनके लिए योजना सहायता जो पांचवीं योजना में 41·5% थी। वह छठी योजना में घटकर 31·6% रह गई है। सातवीं योजना के दौरान यह और घटकर कुल अनुमोदित परिव्यय का 23 प्रतिशत रह जाएगी।

क्योंकि राज्य की वित्तीय राशियों का अनधिकारपूर्वक ग्रहण किया जाना जारी है, इसलिए राज्यों द्वारा राजनीतिक और वित्तीय स्वायत्तता की मांग की गई है। में यह कहना चाहता हूं कि यदि राज्य कमजोर रहेंगे तो केन्द्र मजबूत नहीं हो सकता। अत: केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय आबंटनों के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

अब सरकारी क्षेत्र को लीजिये, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड जिसे आई०

डी० पी० एल० कहा जाता है, के बन्द हो जाने का खतरा हो गया है। इसकी जानकारी इसके चेयरमेन द्वारा दिए गए वक्तव्य से मिली है। आई० डी० पी० एल० केवल कम कीमत की औषधियों का निर्माण कर रहा है। सरकारी अस्पताल इसकी पूरी क्षमता के उपयोग करने का आर्डर नहीं दे रहे हैं। आई० डी० पी० एल० की शाखाओं में प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों का उत्पादन किया जाता है। यदि उन्हें पहले से आर्डर दे दिए जायें तो वे लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य तक की औषधियों का उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं। वे सरकारी अस्पतालों को अपने उत्पाद गैर-सरकारी निर्माताओं की तुलना में काफी कम मूल्य पर बेचती हैं। अपेक्षाकृत आई० डी० पी० एल० के मद्रास स्थित संयन्त्र ने वर्ष 1984-85 में 48.02 प्रतिशत उत्पादन किया है। किन्तु इसका उत्पादन जनवरी 1985-86 में 70·12%, फरवरी 1984-85 में 51·43%, फरवरी 1985-86 में 80·64%, मार्च, 1984-85 में 45·83% तथा वर्ष 1985-86 में 11% रहा है। अतः उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार को मद्रास स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को बंद नहीं करना चाहिए। जब हम यह मांग करते हैं कि तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार की नई परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, तो पहले से कार्यरत संयंत्र को बन्द करना अत्यधिक हास्यास्पद होगा।

तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित सरकारी क्षेत्र के एक अन्य एकक, मद्रास ऐटोमिक पावर प्लान्ट को लीजिए। कलपक्कम स्थित मद्रास ऐटोमिक पावर प्लान्ट ने भारत की ख्याति को विश्व भर में चोटी पर पहुंचा दिया था। इस संयंत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इसके कर्मचारियों को बधाई दी जानी चाहिए। उन्हें समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि मद्रास ऐटोमिक पावर स्टेशन आगे और सफलता प्राप्त कर सके। किन्तु अब हालात ऐसे हैं कि केन्द्र सरकार उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे रही है, किन्तु कमसे कम उन्हें हतोत्साहित तो न करें। अपनी बेमिसाल उपलब्धि के बावजूद, मद्रास ऐटोमिक पावर स्टेशन के 300 कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति अपनी 20 वर्षों की समर्पित और निष्ठापूर्वक की गई सेवा के पश्चात उनके उत्तरी राज्यों में शीघ्र स्थानान्तरण की संभावना के कारण खतरे में है। अभागे कर्मचारियों में से अधिकांश की आयु 45 से 50 वर्ष के करीब है; कुछ ने परियोजना के लिए भूमि दे दी है; कुछ के बच्चे बड़े हो गये हैं, जो अधिकांशतः तमिल स्कूलों, कालेजों और पालिटेक्निकों में पढ़ते हैं, कुछ की पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं, कुछ के माता-पिता बीमार रहते हैं; और इन लोगों को भाषा तथा सामाजिक ढांचे की कठिनाई सहित सभी प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

मद्रास एटोमिक पावर स्टेशन के उपकरण स्वदेशी हैं और उनके सुरक्षित परिचालन के लिए अधिक देखरेख की जरूरत होती है। इस समय भारत में अन्य ऐटोमिक स्टेशनों की तुलना में कलपक्कम स्थित एकक में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। मद्रास ऐटोमिक पावर स्टेशन के क्लोरीनेशन प्लांट तथा कंडेन्सेट पालिशिंग प्लांट जैसे और भी एकक हैं। लवणीय वातावरण, जंग, उपकरणों की अधिक टूट-फूट होने आदि के कारण उनमें अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध यह है कि मद्रास ऐटोमिक पावर स्टेशन में अनुभवी कामगारों को रोकने के साथ-साथ नए कामगारों की नियुक्ति करके उसे सुदृढ़ बनाया जाए ताकि उसमें पर्याप्त सुधार हो सके।

तमिलनाडु की जनता की ओर से काफी पहले से यह मांग की जाती रही है कि सलेम इस्पात बेलन संयंत्र को इस्पात संयंत्र के रूप में परिवर्तित किया जाये। अपने कालेज के दिनों में, 30 वर्ष पहले मैं अपने कालेज में और साथ ही पार्टी मंचों पर भी अपने भाषणों में यह कहा करता था कि सलेम में एक इस्पात संयंत्र होना चाहिए। किन्तु अब यह केवल एक मात्र इस्पात बेलन संयंत्र है। सभी राजनीतिक दलों से संबंधित तमिलनाडु के लोगों द्वारा उठाई गई आवाज बहरे कानों में चली गई है। यह लम्बे समय से चला आ रहा अनुरोध है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसे बदल कर इस्पात संयंत्र कर देना चाहिए।

इसी तरह, सेतुसमुद्रम परियोजना ने भी कार्य शुरू नहीं किया है।

ये सभी मांगें काफी वर्षों से तमिलनाडु के लोगों की ओर से की गई हैं, विशेषकर हमारी डी० एम० के० पार्टी, 1949 में अपने कार्यारम्भ से सलेम में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के साथ-साथ सेतुसमुद्रम् परियोजना के लिए भी, मांग करती आई है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इन मांगों पर विचार करें।

पेरम्बूर स्थित इंटेगरल कोच फैक्ट्री जिसका कुछ भाग मेरे उत्तर मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इस वर्ष से 850 रेल-डिब्बों का निर्माण करने की योजना बना रही है। काफी लम्बे समय से इस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 750 रेल-डिब्बों का निर्माण किया जा रहा था। केन्द्रीए सरकार से मेरा अनुरोध है कि बह इसे ऐसा प्रोत्साहन दे ताकि वह 1000 रेल-डिब्बों का उत्पादन कर सके। ऐसा होने से अनेक व्यक्तियों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, और जो व्यक्ति अस्थायी हैं वे स्थाई किये जा सकते हैं, और तमिलनाडु भी उद्योग के क्षेत्र में प्रगति कर सकेगा।

शिक्षा को लीजिए, शिक्षा राज्य सूची में होनी चाहिए। अब सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भावविह्वल होकर यह कहा था कि भारत एक उप-महाद्वीप है और यहां भिन्नता में एकता विद्यमान है। किन्तु सरकार केवल समानता चाहती है न कि एकता। सरकार एक राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम बनाने का विचार कर रही है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा कुछ भी नहीं है जैसा कि हम दूरदर्शन में देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम तथा माडल स्कूलों के माध्यम से हिन्दी लादने का यह एक अन्य तरीका है। ऐसा करके सरकार गैर हिन्दी भाषी राज्यों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने की कोशिश कर रही है। सरकार को इससे बचना चाहिए।

यद्यपि कांग्रेस पार्टी पिछले 39 वर्षों से सत्ता में रही है, फिर भी कुल क्या परिणाम रहा है, जन सामान्य का क्या भाग्य रहा है? उसे कोई लाभ नहीं हुआ है। तथाकथित लाभ जन-सामान्य तक बिल्कुल नहीं पहुंचा है; उन्हें बिचोलियों ने प्राप्त किया है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक, 1986 का जिस पर आज सुबह से चर्चा की जा रही है समर्थन करता हूं।

वित्त विधेयक को प्रस्तुत करते समय भी वित्त मंत्री द्वारा अनेक रियायतों की घोषणा की गई थी।

इस गरिमामय सदन के माननीय सदस्यों की इच्छाओं और उनके सुझावों तथा जनता की आवाजों और प्रेस द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आपने मॉडवेट योजना के लिए और कृषिजन्य कुछ उपयोगी वस्तुओं जैसे तिलहनों और परिस्कृत तेल के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क में कुछ रियायतों की घोषणा की है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को और उनके अधिकारियों के दल को जनता की इस सामान्य मांग पर ध्यान देने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय और उनके अधिकारियों के दल को कालाबाजारियों के विरुद्ध कठोर तरीके अपनाने, तस्करी को रोकने के लिए कालेधन को बाहर निकालने और सोना, विदेशी मुद्रा तथा नशीली दवायें जब्त करने के लिए भी जो कि इधर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था, बधाई देता हूं।

महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश की कृषि की सफलता अथवा विफलता पर आश्रित है। हमारे देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत का अंशदान कृषि और इसके सहायक क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे 20-सूत्री कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में कृषकों को अनेक प्रोत्साहन तथा राज-सहायता दे रही है।

महोदय, वाणिज्यक बैंकों से जो कर्ज दिया जाता है वह किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरणार्थ वाणिज्यिक बैंकों की अग्रिम-राशि का केवल 16 प्रतिशत कृषि को वित्त प्रदान करने के लिए अलग से रखा गया है जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कर्जे भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या के लिए वाणिज्यिक बैंकों ने केवल 15 प्रतिशत ऋणों की व्यवस्था की है जबकि 80 प्रतिशत से भी अधिक ऋणों का उपयोग शेष 15 प्रतिशत की शहरी जनसंख्या द्वारा किया जाता है। क्या यह अन्याय नहीं है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण 15% से बढ़ाकर 30 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाए ताकि वैज्ञानिक ढंग से गांवों का विकास किया जा सके।

महोदय, हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को लें, जहां किसानों की 80 प्रतिशत आवश्यकताओं को संस्थागत वित्त द्वारा पूरा किया जाता है। हमारे देश में किसानों की आवश्यकताओं का केवल 15 प्रतिशत संस्थागत वित्त द्वारा पूरा किया जाता है। किसानों को सुविधायें प्रदान करने के लिए ऋण देने के नियमों में, विशेष रूप से पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में, परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। यहां के लिए जो नियम आपने बनाए हैं, वे उनके स्थानों का विशिष्ट स्वरूप, उनकी जनसंख्या का छितरा स्वरूप होने के कारण उपयुक्त नहीं हैं। यह उन क्षेत्रों के अनुरूप बिलकुल नहीं है। मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों का एक दल ऋण देने

तथा कृषि-सम्बन्धी वित्त प्रदान करने से सम्बन्धित नियमों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कुछ सुदूर पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में भेजा जाए। केवल यही नहीं, उन्हें उन दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किए गए कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता, यात्रा-भत्ता प्रतिपूर्वक भत्ता आदि से सम्बन्धित नियमों में संशोधन भी करने चाहिए। इन दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किए गए भारत सरकार के कर्मचारियों को अधिक भत्ते देने के बारे में प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है। प्रशासनिक विभाग हमेशा कर्मचारियों के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, किन्तु वित्त विभाग हमेशा इसे अस्वीकार कर देता है। आपको इसकी काफी गंभीरता से जांच करनी होगी। मैंने इस मामले को कई बार उठाया है। इसका परिणाम यह होता है कि वे कर्मचारी उन क्षेत्रों में नहीं ठहर पाते हैं। वे वहां जाकर पदभार ग्रहण कर लेते हैं और कुछ सप्ताह बिताने के बाद किसी न किसी बहाने वहां से चले जाते हैं, वे चिकित्सा प्रमाण-पत्र की व्यवस्था कर लेते हैं और चले जाते हैं। इसके फलस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं पहले की तरह बनी हुई हैं। आप कृपया इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इन दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किए गए कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन देने के बारे में विचार करें।

यद्यपि इसका कृषि के साथ कुछ लेना देना नहीं है फिर भी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। लेह में हमारा एक आकाशवणी केन्द्र है। केन्द्र के निदेशक ने पिछले लगभग दो वर्षों से वहां का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है केन्द्र के सहायक निदेशक ने कुछ हफ्तों के लिए कार्यभार संभाला था, वह भी चला गया। केन्द्र के अभियन्ता ने भी पिछले दो या अधिक वर्षों से कार्यभार नहीं संभाला है। समाचार सम्पादक को भी वहां होना चाहिए। उसने कार्यभार संभाल लिया है किन्तु बाद में उसने अपने को दिल्ली में महानिदेशक के साथ सम्बद्ध कर लिया और परिणाम यह हुआ है कि उस केन्द्र को कुछेक स्थानीय गैर-तकनीकी कनिष्ठ कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया है। आकाशवाणी से कभी प्रसारण हो पाता है तो कभी नहीं हो पाता है। संचालक को जेनरेटरों तथा विभिन्न अन्य मशीनों की गहन तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये वे समस्यायें हैं जिनका उल्लेख मैं केवल आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूं।

इन लोगों को शिमला, श्रीनगर या कुछ अन्य स्टेशनों पर तैनात किए जाने पर अधिक वेतन या भत्ते मिलते हैं जबकि लेह में तैनात किए जाने पर उन्हें शिमला और श्रीनगर में जो मिलता है, उससे भी कम मिलता है और इसी का परिणाम है कि कोई भी वहां जाने के लिए इच्छुक नहीं है। इसी प्रकार का अनुभव वहां के बैंकों तथा अन्य अनेक विभागों के साथ भी है। ऐसा केवल लद्दाख के मामले में ही नहीं है, आप नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, वास्तव में हमारे देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों, और अंडमान और निकोबार को भी ले सकते हैं। कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और आपको कुछ प्रोत्साहन तथा राहत देने के बारे में सोचना चाहिए ताकि लोगों को उससे लाभ मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, ऐसा बहुत कम मौका आता है जब ऐसे

शांत वातावरण में कुछ बातें कहने का अवसर मिलता है। सवाल यह है कि इस हिन्दुस्तान में कुछ कितने असेंसी हैं। हिन्दुस्तान की कुल 75 करोड़ आबादी है। 1982 में 45,44,425 और 1983 में 46,60,750 और 1984 में 47,97,260 और 1986 में 49,37,650 असेंसी देने वाले थे मेरी समझ में नहीं आया कि इतने करोड़ों आदमियों में से इतने कम असैंसी देने वाले क्यों हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में इंकम टैक्स से 80 परसेंट आमदनी होती है और हमारे देश में केवल 16 परसेंट इससे आमदनी होती है।

आज वकीलों के पास कितना धन है यह कभी आपने जाना ? वह तो लिखते हैं कि हमने केवल महीने में 500 रुपये ही प्राप्त किये। जब कि हकीकत में उनको इससे कहीं ज्यादा आमदनी है। बड़े-बड़े चांट बेचने वाले, अच्छे-अच्छे टेलर और अच्छे-अच्छे मैकेनिक काफी अधिक पैसा कमाते हैं। इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जो आदमी टैक्स देता है वह हिन्दुस्तान का एक वफादार नागरिक है। आपके यहां 70 करोड़ आदमियों में से केवल 50 लाख आदसी भी असैसी नहीं हैं। जब हम शादी विवाह आदि अवसरों में लोगों के ठाठ-बाट देखते हैं। तो बहुत हैरान होते हैं। आपके अधिकारीगण कहते हैं कि जो हमारी तनख्वाह है उस पर हमारा हक है ही, लेकिन उसके साथ-साथ ऊपर जो भी आमदनी होती है, उस पर हमारा हक ज्यादा है। आज एक फूड इंस्पेक्टर एक महीने में पांच हजार रुपया कमाता है। वह जगह-जगह चंदा बटोरता है। दुकानों में जाकर पैसा इकट्ठा करता है।

फूड एडल्टरेशन ऐक्ट के अन्दर आज फूड कारपारेशन आफ इण्डिया और पब्लिक अंडरटेकिंग्स का कभी चालान नहीं होता। वह सड़ा हुआ माल बेचते हैं लेकिने फिर भी उस रेक्ट के तहत उनका चालान नहीं होता है। आई० डी० पी० एल० पोम्यूशन ऐक्ट जो बना हुआ है, वह भी उनके लिए लागू नहीं है। यह इंसपेक्टर का जो राज है, मैं कभी-कभी सोचता हूं उपभोक्ता के पास कितने पैसे में माल पहुंचता है ? जब वह माल निकलता है फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से, कहीं नैफेड, कहीं कोआपरेटिव सोसाइटी वाले खा जाते हैं, फिर माल जाता है सुफर बाजार में, फिर इन्फीरियर बाजार में और कहां से कहां जाता है ? फिर कृषि मंडी टैक्स लगता है। उस के बाद वह गांव में ले जाने वाला जो ट्रांसपोर्टर है वह लेता है। कभी सरकार ने यह उत्तर नहीं दिया कि जो गेहूं हमारे यहां से निकलता है वह इतने पैसे में कन्ज्यूमर के पास पहुंच जाएगा। एक लिटर मिट्टी का तेल कितने पैसे में पहुंचेगा ? यह किसी ने नहीं सोचा। मिलता क्या है कैरोसिन बेचने वाले को ? एक खाली डिब्बा। क्या खाली डिब्बे से वह व्यापार करेगा या शक्कर की खाली बोरी से व्यापार करेगा ? यह आप बताइये मेहरबानी करके कि उपभोक्ता को किस भाव पर मिलता है ? कोई अगर लेने जाता है तो कहेंगे कि परमिट लाओ। अब वह परमिट लेने जाता है तो तहसीलदार कहेगा कि लाओ भाई, फीस दस रुपये। फिर आगे चलो। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन वाला कहेगा कि पांच रुपये लाओ। और आगे चलो, एल० डी० सी० साहब बैठे हैं, वह कहेंगे लाओ दो रुपये। लोग परेशान हैं। हम यहां कहते हैं बिल्कुल सब ठीक है। यह तो बिल्कुल इंसपेक्टर्स राज है। यहां बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो बातें जीवन से छूती नहीं हैं वह बातें करते हैं तो डैफिसिट

तो आप का बजट रहेगा क्योंकि आपका नान-प्लान एक्सपेंडीचर और वेस्टफुल एक्सपेंडीचर इतना ज्यादा है।

अब तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात एक कह दी कि मैं एक पेपर लेकर आ रहा हूं -आस्टरिटी पेपर। वह जल्दी आ जाएगा ? सोच समझ कर लाइयेगा, नहीं तो सारे अफसर और बड़े-बड़े एम० पी० जो फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं उनकी आदत और उनके दिमाग में थोड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। आप बिल लाएं तो मौके पर लायें। अभी शिमला जाने के दिन आयेंगे। लोग गर्मी में घूमने के लिए शिमला जायेंगे। तो जल्दी आप ले आइए। उसके पहले आप आस्टरिटी लागू कर दीजिए, नहीं तो आस्टरिटी का नाम तो ऐसा है जैसे कहने को तो कुरान की आयतें शैतान भी पढ़ता है। हर आदमी कहता है कि सीधा सादा रहना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि होटलों में कितने खाने-पीने के प्रोग्राम होते हैं ? अगर देखा जाए तो रोज अशोका होटल में, अकबर होटल में या ताज होटल में गवर्नमेंट के खर्च पर कितने बड़े-बड़े खाने होते हैं। अगर आप देखें और इनका कोई बजट बनाएं तो आपको पता लगेगा।······(व्यवधान)···क्या घंटी बज गई ? तो फिर खाना खत्म हो गया ······

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) : खाने की अब बातें करेंगे तो घंटी बज जाएगी।

श्री मूल चन्द डागा : तो मैं यह कह रहा था कि इनकम टैक्स के जो पेयी हैं वह क्यों कम हैं ? डेवलप्ड कंट्रीज के अन्दर 80 प्रतिशत लोग इनकम टैक्स देने में अपना गौरव समझते हैं। वह अपने देश के लिए देते हैं और यहां पर केवल 16 प्रतिशत हमारा इनकम टैक्स है। और एक्साइज ड्यूटी कितनी है ?एक हजार रुपये की अगर चीजें खरीदते हैं तो साढ़े छ: सौ रुपए उसमें एक्साइज ड्यूटी के देते हैं। चाहे तेल खरीदें, चाहे साबुन की टिकिया खरीदें, दो रुपये की साबुन की टिकिया और दो रुपया एक्साइज ड्यूटी। एक हजार रुपए के माल में साढ़े तीन सौ रुपए का माल मिलता है। साबुन की टिकिया नहीं लेंगे तो कोई और चीज लेंगे। लेकिन एक्साइज ड्यूटी से कितना हमारा इन्डायरेक्ट टैक्स आता है, इसको देखिए। यह बहुत बड़ा सवाल है कि यह एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ गई है।

शुरू से बात करते आए हैं हम लोग कि हम सीलिंग लगायेंगे। लेंड सीलिंग एक्ट लागू हो गया या केवल किसानों में है ? अर्बन सीलिंग ऐक्ट पारित हुआ। एक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं 60 हजार की जमीन पर लगाऊंगा, दूसरे ने कहा कि 40 हजार पर लगाऊंगा। वह अरबन सीलिंग ऐक्ट है कहां ? उसकी हालत क्या है ? किस कोने में डाल दिया है ? आखिर यह सवाल क्यों पैदा होते हैं ? आपने जो पहला सेन्टेंस ही राजीव जी का कोट किया है वह यह है कि हम सामाजिक आधार पर ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें मनुष्य और मनुष्य में फर्क, विषमता कम हो। आज विषमता बढ़ रही है या घट रही है, यह सोचने की बात है।

मैंने एक बात पहले भी पूछी है और आज भी पूछना चाहता हूं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो मेन-पावर है उसका क्या यूटिलाइजेशन है। आप कहते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन्स की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन कभी आपने इस बात का भी हिसाब लगाया है

हमारे मैन-पावर का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है ? एक बाबू अगर चार घंटे में तीन लाइन भी लिख दे तो समझ लीजिए उसने बड़ा काम कर दिया। वे 8 घंटे में 8 लाइन ही लिखते हैं। यह हालत हमारे आफिसेज की है। भगवान जाने आज वहां कितने सेक्रेटरीज हैं, कितने ज्वाइन्ट सेक्रेटरीज और कितने डिप्टी सेक्रेटरीज हैं। (व्यवधान) मेरा सवाल है क्या कभी आपने इस मेन-पावर के बारे में भी सोचा है ?

5.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरी तरफ हालत यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारी राष्ट्रीय आय कम है। आप चाहे पाकिस्तान को ले लीजिए या श्रीलंका को ले लीजिए। यह आपका ही उत्तर है, मेरा नहीं है। आपने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1983-84 में हमारा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद 2365 रुपया था जबकि पाकिस्तान में 4794 रुपया और श्रीलंका में 4057 रुपया था। फिर आपने पांच परसेंट ग्रोथ की बात लगा रखी है, क्या हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं ? क्या हाथ की पांच उंगलियां हैं इसलिए पांच परसेंट की बात आपने रखी है ? आप ताइवान या दूसरे देश को लीजिए। आपके पास उत्तर है, अगर मैं ताइवान की बात करूंगा तो आप उसका उत्तर दे देंगे लेकिन क्या आप इस बात को भी सोचेंगे कि हमारी राष्ट्रीय आय क्यों नहीं बढ़ती है ? इसका कारण एक तो यह है कि आपकी जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं उनका रिटर्न सिर्फ दो परसेंट ही है 1971 में जब श्री कुमारमंगलम के समय में राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके बाद से 6 बार कोयले के दाम बढ़ चुके हैं और सातवीं बार भी कीमत बढ़ाने की बात सोची गई। सेक्रेटरीज ने मंत्री जी को धोखा दे दिया। मंत्री जी ने कह दिया कि 14 करोड़ का लाभ है लेकिन दूसरे दिन बताया कि 74 करोड़ का घाटा है। साठे जी कहने लगे कि मुझे तो उन्होंने धोखा दे दिया, वहां पर तो घाटा है। कोल इंडिया लिमिटेड में घाटा हो रहा है। (व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं उनका रिटर्न बहुत कम है और वहां पर एकाउन्टेबिलिटी है नहीं, किसी को आप हटा सकते नहीं। वहां पर दो-तीन साल रहने के बाद लोग बाहर निकल जाते हैं। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं।

आपका पावर्टी एलिमिनेशन का जो प्रोग्राम है वह बहुत अच्छा है, उसमें रुपया भी आपने बहुत बढ़ाया है लेकिन उसकी हालत क्या है ? क्या कभी आपने सोचा है कि ऐन्टी पावर्टी प्रोग्राम का क्या रिजल्ट रहा है।

[अनुवाद]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में गिरावट 40 प्रतिशत के करीब है। इसमें 30·67 लाख परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य था जबकि वास्तव में 18·24 लाख परिवारों को ही शामिल किया गया। इस प्रकार अप्रैल-जनवरी, 1986 के लक्ष्य का केवल 60% ही प्राप्त किया जा सका।

एक विस्तृत विश्लेषण से पता चला है कि नौ राज्य लक्ष्य का 50 प्रतिशत से भी कम प्राप्त कर पाये हैं। केरल ने लक्ष्य का 16 प्रतिशत, त्रिपुरा ने 36 प्रतिशत, उड़ीसा ने 37 प्रतिशत और असम ने 39 प्रतिशत ही पूरा किया है। केवल हिमाचल प्रदेश ने 101 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की है।

भूमिहीनों के बीच फालतू भूमि के वितरण के लक्ष्य में 34 प्रतिशत की कमी आई है। 94,300 एकड़ फालतू भूमि के वितरण के लक्ष्य की तुलना में केवल 72,032 एकड़ भूमि वास्तव में वितरित की है।

[हिन्दी]

ये आपके टार्गेट्स एचिव हुए हैं। कभी आपने सोचा कि यह रुपया जाता कहां है। आप कहते हैं कि इसका लीकेज होता है। वह लीकेज कैसे होता है, मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब चाहेंगे कि मैं जल्दी समाप्त कर दूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करें।

श्री मूल चन्द डागा : आपने सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना है। महोदय, यह तरस खाने वाली बात है क्योंकि आखिरकार यह सरकार को ही संरक्षण देना है, क्योंकि आखिरकार आपने ही उनके हितों की देखभाल करनी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :······केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि हमारे डागा जी भी।

श्री मूल चन्द डागा : 'बिजनेस वर्ल्ड' के 17-30 मार्च, 1986 के अंक के पृष्ठ 14 पर इस प्रकार कहा गया है :

> "यही वह शहरी मध्यम वर्ग है जो खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के लिए विधेयक को आधार दे रहा है जो शिक्षा और ग्रामीण विकास पर बढ़ाये गए इस परिव्यय के कारण कुछ कम हुआ है। मैं समझता हूं कि इस बारे में हमें कोई भ्रम नही होना चाहिए।"
>
> श्री मुंडले के अनुसार, "इस तथ्य से यही निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अनेक छिद्र हैं और यह कि इन छिद्रों से मुख्य रूप से लाभ उठाने वाले राज्य-मशीनरी के वेतनभोगी अधिकारी हैं।"

[हिन्दी]

यह बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप गांव में जाएंगे, तो 20 प्वाइण्ट प्रोग्राम, आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० पी० चल रहे हैं। बेहतर यह है कि आप बड़ा प्रोग्राम लीजिए। इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स

बनाइए। छोटी स्कीम्स बनाकर आप ब्योरोक्रेट्स के हाथ में दे देते हैं। आई० आर० डी० पी० में कितना मिला, ये फीगर्स मैंने आपके सामने पढ़ कर सुनाए। इसलिए इस बारे में आपको सोचना चाहिए।

अब बोनस की बात आप ले लीजिए। इस बोनस के अन्दर क्या होता है कि अगर घाटा जाएगा, तो भी बोनस देना पड़ेगा। यह कौन सा तरीका है। सरकारी आदमियों की वोट लेने के लिए हमारे विरोधी दल के लोग जोर से आवाज उठायेंगे ताकि सरकारी आदमी खुश हो जाएं और उनको वोट मिल जाएं। वे यह नहीं देखते हैं कि जो खेतिहर मजदूर भूखा रह रहा है लेकिन वे सरकारी लोगों के लिए आवाज उठाते हैं ताकि अखबारों और टी० वी० में नाम आ जाए। जो पढ़ने वाले नहीं हैं, उनकी तरफ नहीं देखना है। जो आर्गनाइज्ड लेवर है, उसके बारे में ही सब कुछ कहा जाता है और जो गरीब है, जो गांवों में रहता है, जो भूखा रहता है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। 300 करोड़ रुपया महंगाई भत्ते का दे दिया जाता है। यह महंगाई भत्ता उन गरीबों को नहीं मिलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहले आपने एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज बढ़ा दी थी और उसके बाद उनको थोड़ा कम करने का एलान कर दिया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो वेस्ट-फुल एक्सपेंडीचर है और जो नान-प्लान एक्सपेंडीचर है, इस को आप कम करिए और यह जो आदमियों का जंगल सा लग गया है, इसको आप कम करियें। ये जो बहुत ज्यादा आदमी काम करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता है। उनको आप कम कीजिए। तभी आप देश के अन्दर पैसा बचा सकेंगे और जब इस तरह से पैसा बच जाएगा, तो आपको डेफीसिट बजट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर डेफिसिट बजट हुआ तो आपको महंगाई भत्ते का तीन सौ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को देना होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। औरत और आदमी की, पति और पत्नी की आय को शामिल किया जाए और सम्मिलित आय पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। यह न हो कि औरत भी कमाती हो और मर्द भी कमाता हो लेकिन इनकम टैक्स एक की ही आमदनी पर लगे। आदमी और औरत दोनों की इनकम को एक माना जाना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य): जहां तक इस देश के आर्थिक विकास का संबंध है, पिछले डेढ़ वर्षों में नए प्रधानमंत्री ने और नई सरकार ने सारे चिन्तन को बदल कर रख दिया है। सारा झुकाव इस ओर है कि अधिक कारखाने, अधिक उद्योग होने चाहिए, करों में अधिक रियायतें दी जानी चाहिए और कृषि सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ाई जानी चाहिए। इन सभी नई प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण पर चर्चा करते समय सरकार यह सोचती है कि गरीबी उसी अनुपात में खत्म हो रही है जिस अनुपात में विकास हो रहा है। किन्तु मैं नहीं समझता कि यह विचारधारा सच भी होगी, चाहे हमारे वित्त मन्त्री कोई भी हों और वे इन बातों को लागू करने में कितने ही ईमानदार क्यों न हों, क्योंकि इन चीजों की दशा बहुत ही पिछड़ी है और यह अल्प-विकसित है तथा कोई भी नहीं जानता है कि क्या हो रहा है। इस देश में बहुसंख्यक लोग गरीब

हैं और जहां प्रणाली दफ्तरशाही की है। जहां तक सारी मशीनरी का सम्बन्ध है, अभी मेरे मित्र ने कहा कि सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब तक कि हम गरीब लोगों के हितों की रक्षा नहीं करते, जब तक हम उस विकास के बारे में नहीं सोचते जो बढ़ती बेरोजगारी के अनुपात में होना चाहिए, तब तक मैं नहीं समझता कि इस सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था और इस सम्पूर्ण योजना से कोई लाभ मिल पायेगा।

मैं इस सदन में दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। हमने श्रम, उद्योग और वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं की है क्योंकि कल उन्हें बिना किसी चर्चा के स्वीकृत कर लिया गया। इस सदन में हमने उद्योगों की रुग्णता के बारे में बाब-बार ध्यान दिलाया है क्योंकि विकास का यह भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

कहा जाता है कि रुग्णता के कारण लगभग 4,000 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गए हैं, लगभग 9 प्रतिशत बैंक का रुपया रुका पड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी वसूली हो पाएगी। सरकार की सारी योजना इस रुग्णता के बारे में कुछ नहीं करने जा रही। बड़े घरानों जैसे टाटा और बिड़ला प्रत्येक ने लगभग 3300 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति जमा कर ली हैं और शीर्ष 100 घरानों के पास लगभग 28000 करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति है। यह परिसम्पत्ति 1986-87 की विकास-योजना से भी अधिक है। एक ओर तो बड़े घराने निश्चित रूप से अपनी परिसम्पत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, पिछले 5 वर्षों के दौरान उनकी परिसम्पत्ति दुगुनी हो गयी है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दूसरी ओर, वही लोग उद्योगों को रुग्ण करते जा रहे हैं। मन्त्री महोदय पिछले बजट के दौरान रुग्ण उद्योग (निवारण) विधेयक के बारे में विचार विमर्श करते समय बिल्कुल ईमानदार रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या हुआ है जबकि 5 महीने बीत चुके हैं। रुग्ण उद्योगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

टाटा की सबसे पुरानी मिल नागपुर में उनकी पहली मिल बन्द कर दी गयी है और फिर भी उनकी परिसम्पत्ति बढ़ गई है। यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? वही लोग, वही बड़े घराने सरकारी रियायतों, आयात शुल्क रियायतों और उद्योग में हर प्रकार की छूट का लाभ उठाते हैं। मैं इनमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। ये ही औद्योगिक घराने उद्योगों को रुग्ण बना रहे हैं, कामगारों को बेरोजगार कर रहे हैं, करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बैंक धन के साथ छल कर रहे हैं। क्या आप इस पिछड़े देश में इस प्रकार की बातों को सहन करने जा रहे हैं? यह मेरा सुस्पष्ट प्रश्न है।

इस सदन में, मैंने अनेक उद्योगों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछेक हैं—साराभाई इण्डस्ट्रीज, केलिफो केमिकल्स, दमनरें केमिकल्स। मेरे पास ऐसे 50-60 बड़े उद्योगों के नाम हैं जिन्होंने पहले ही सभी सरकारी संसाधनों का उपयोग कर लिया है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब आप एक उद्योग लगाते हैं तो आधारभूत लागत का 80 से 90 प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाता है क्योंकि बेरोजगारी है। सरकार इस दिशा में विचार कर रही है और वह सभी रियायतें दे रही है। वह इन

सभी चीजों का लाभ उठा रहे हैं। और जब कोई उद्योग लाभ नहीं कमाता तो उसे बन्द कर दिया जाता है। टाटा अपने यूनिट क्यों बन्द कर रहे हैं? बिड़ला अपने यूनिट क्यों बन्द कर रहे हैं? सिंघानिया ग्रुप अपनी यूनिटों को क्यों बन्द कर रहा है? कल ही ज्ञानी जैलसिंह ने सिंघानिया समूह को बधाई दी। मैं नहीं जाता कि किस लिए। उन्होंने कहा कि वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं। इन बड़े गृहों ने किस-किस प्रकार के घोटाले किए हैं। यदि मंत्री महोदय जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बम्बई और कलकत्ता की फर्मों के बारे में बता सकता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लोग अर्थव्यवस्था नियन्त्रित कर रहे हैं। सरकार इस देश का शासन नहीं चला रही है। यह लोग पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं और इन्होंने सरकार को विवश बना दिया है। मैं जानता हूं कि यह सरकार की कमजोरी है क्योंकि सरकारी क्षेत्र या सरकार उद्योग नहीं चला सकती। जब तक कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जाते और जब तक कुछ प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते, चाहे इससे आर्थिक विकास की गति कुछ धीमी क्यों न पड़ जाए, किन्तु जब तक इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि रोजगार क्षमता में, दिए गए ऋण के अनुपात में वृद्धि हो, इसका कोई लाभ नहीं होगा। हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि 1985-86 के दौरान 1800 छापे मारे गए। इनमें से महत्त्वपूर्ण ओरके मिल्स, किर्लोस्कर और वोल्टास हैं जिनके यहां छापे मारे गए। यह महाराष्ट्र में है। मुझे इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? ओरके मिल्स का मामला जुलाई, 1985 में अदालत में पेश किया गया और बिंदरा के मामले में जिस मुख्य प्रवर्त्तन अधिकारी ने मामले की जांच की, जिसने 130 पृष्ठ की स्टेटमेंट ली और मामला दयार किया 6 महीने से शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे डर है कि वह सरकारी दबाव से ऐसा कर रहे हैं न कि अपने आप। आखिरकार सरकार ने मुकद्दमे को वापस लेने का निर्णय किया, किन्तु देश भर में इसका काफी प्रचार किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ओरके के बारे में दो मामले हैं। एक मामला कुछ वर्ष पुराना है और छापा मारा गया था। कुछ वर्ष पूर्व ओरके पर छापा मारा गया था। आप जिस बिन्दरा मामले का जिक्र कर रहे हैं, उस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था। किन्तु हाल ही में पिछले वर्ष छापे मारे गए और वह मामला चल रहा है। वह मामला अभी स्तांरित नहीं हुआ है। कई बार दोनों मामलों में भ्रांति हो जाती है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जिस मामले का उल्लेख कर रहे हैं वह श्री बिन्दरा से सम्बन्धित है और दो वर्ष पूर्व छापे मारे गए थे। वास्तव में, मुझे मालूम नहीं है कि कुछ वर्ष पूर्व न्यायालय में कोई फैसला हुआ था या नहीं। किन्तु पिछले वर्ष जो जांच हुई थी और छापे मारे गये थे, वह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। उसका फैसला अभी नहीं हुआ है।

डा० दत्ता सामंत : यदि यह 1985 का मामला है तो ठीक है। वही मामला चल रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, वही चल रहा है।

डा० दत्ता सामंत : यही तो भ्रान्ति है वह हमेशा ही चलता रहता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह भ्रान्ति तो है। इसीलिए मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं।

डा० दत्ता सामन्त : वोल्टास का मामला चल रहा है। कई बार स्थगन आदेश हो चुके हैं। किर्लोस्कर के मामले जैसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। मैं किसी को जेल में बन्द करवाने में केवल इसलिए ही खुश नहीं हूं कि वह नियोक्ता या उद्योगपति है किन्तु यह उचित समय है कि इस देश के आर्थिक अपराधों से सख्ती से निपटा जाए। काले धन के जमा होने का यह प्रमुख कारण है चाहे इस बात को हमारे वित्त मंत्री कितने ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें।

मेरा दूसरा प्रश्न इस देश में व्याप्त बेरोजगारी से संबंधित है। इस समय बेरोजगारों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। रोजगार रजिस्टरों में यह लगभग 3 करोड़ दर्ज है। बजट पर हुई विभिन्न चर्चाओं से हमें पता चला है कि वस्तुओं के आयात के लिए लघु क्षेत्र और बड़े क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। किन्तु मुझे इस सदन में यह कभी सुनने में नहीं आया कि इन सभी विकास कार्यों से कतिपय अनुपात में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसमें वह नहीं है। बम्बई या अन्य किसी भी स्थान पर जहां उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं सरकार उनको ऋण देकर सहायता कर रही है। किन्तु मैंने देखा है कि इन सभी उद्योगों के विकास के साथ रोजगार क्षमता घटकर दसवां हिस्सा रह गई है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। मैं नहीं जानता कि वित्त मन्त्री बेरोजगारी की समस्या को किस प्रकार हल करने जा रहे हैं। किन्तु अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ बताया जा रहा है और बेरोजगारी की संख्या में एक करोड़ की वृद्धि हुई है। बेरोजगारी बढ़ा रही है। मैं समझता हूं कि इससे देश में बेरोजगार लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे। रोजगार क्षमता आर्थिक विकास के अनुपात में नहीं बढ़ रही है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नियोक्ता को सहायता देने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि रोजगार क्षमता दी गयी सहायता के अनुपात में हो। यह ध्यान देने के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए कि रोजगार क्षमता में कुछ स्तर तक अवश्य वृद्धि होनी चाहिए। हमारे वित्त मंत्री इन लोगों को जो रियायतें दे रहे हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। दी जाने वाली सहायता के साथ अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए किन्तु इससे बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी और यही हमारे देश की प्रमुख समस्या है। इस सदन में बहुत बार कहा गया है कि 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंत्री महोदय ने यह कहा है। किन्तु इस आर्थिक सहायता का ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं कि गेहूं और चावल पर लगभग 1600 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन यह आर्थिक सहायता वास्तव में निर्धन लोगों तक पहुंच रही है ? यह एक प्रमुख समस्या है। मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष कुल 2 करोड़ टन गेहूं और चावल की खरीद की गई थी अब यह 3 करोड़ टन की जाएगी। यह लक्ष्य रखा गया है। यह खरीद किस दर पर की जाएगी। गेहूं और चावल के लिए यह 1·52 रु० या 1·57 रुपए है। सरकार इस दर पर खरीद कर रही है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य है। यह अपने आप में सरकार से भी बड़ा है। इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। खरीद और रख-रखाव प्रभार लगभग 67 प्रतिशत बैठते हैं। इस प्रकार यदि इसे 1·57 रुपए प्रतिकिलो में जोड़ा तो यह 2·65 रुपए आता है। यह वास्तव में

हैरानी की बात है। यह सारा पैसा कहां जा रहा है। एक ओर तो किसानों को पूरी दरें नहीं मिल रही हैं। 1.52 रुपए या 1.57 रुपये कोई उचित दर नहीं है। 1 रुपया प्रतिकिलो खर्च हो जाता है। और सरकार यह कहती है कि वह 40 या 50 पैसे प्रति किलो की आर्थिक सहायता देकर इसे गरीबों को बेच रही है। अब क्या यह रकम 1600 करोड़ रुपए बैठती है ? इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सभी बातों की विस्तृत जांच होनी चाहिए। 1600 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम है और यह गरीबों को नहीं मिल रही है। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

इसके अलावा बम्बई में मैंने पता किया गेहूं का मूल्य 3 रुपए या 3.50 रुपए प्रति किलो है। मुझे यह मालूम नहीं कि किसानों को 1.52 रुपए दिए जाते हैं। पंजाब के किसानों का अधिकतम योगदान है। देश में 3 या 3.50 रुपए का भाव है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में यह 4 या 5 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। इस प्रकार से आपके भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, किसानों का शोषण किया जाता है और इससे इन सभी योजनाओं से केवल बड़े जमाखोरों और व्यापारियों को फायदा होता है। यह सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े हैं।

एक बात और। आर्थिक सहायता दी जाती। टेरी-कॉटन के लिए आर्थिक सहायता क्यों दी जाती है जबकि यह बड़े कपड़ा उद्योगपति वास्तव में देश को लूट रहे हैं ? आपको मालूम है कि उन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई है ? 1500 करोड़ रुपए। रुग्ण यूनिटों को दिए गए 4000 करोड़ रुपए में से इस देश के बड़े कपड़ा उद्योगपतियों को 1500 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार ने कपड़ा नीति के दौरान 25 रुपए प्रति किलो की दर से आयात शुल्क में रियायत दी है। और उस समय इस सदन में मैंने यह मामला उठाया था। मन्त्री महोदय ने मुझसे पूछा था कि "क्या आप नहीं चाहते कि हमारे गरीब लोगों को सस्ती दर पर टेरी कॉटन का कपड़ा मिले ?" मैंने कहा था 'कि वह यह लाभ गरीब उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाएगे और वही बात हुई। मन्त्री महोदय श्री खुर्शीद आलम खां बिड़ला सैन्चुरी मिल्स के लोगों को हार पहनाने बम्बई गए। मुझे मालूम नहीं कि लोग इन बड़े उद्योगपतियों को बधाई देने क्यों जाते हैं और यह कहते हैं हमने आपको यह रियायतें दी हैं क्योंकि हम यह सोचते हैं कि आप इन्हें गरीबों तक पहुंचायेंगे। यह रियायतें गरीबों तक नहीं पहुंची हैं। 130 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस बजट में मैंने इसे वापस ले लिया है। मैंने उद्योग को यह बता दिया है कि यदि यह रियायतें आगे नहीं दी गई तो सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे।

डा० दत्ता सामन्त : किन्तु उनके पास पैसा है। एक अन्य बात। इन्ही बड़े उद्योगपतियों ने 50,000 मजदूरों को बाहर निकाल दिया। सेंचुरी मिल्स, स्टैन्डर्ड मिल, मफतलाल मिल्स इन सभी के मुनाफे पिछले । से 2 साल के बीच तीन गुणा हो गए हैं किंतु वह मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। 5000 मजदूरों को निकाल दिया गया है। वह ठेके पर मजदूर रख रहे हैं। वहां पर इण्टक

यूनियन है। निसंदेह मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसके अतिरिक्त वे ठेकेदार बन रहे हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : यह झूठा आरोप है इंटक यूनियनें मजदूरों के हक में लड़ रही है।

डा० दत्ता सामन्त : इसलिए, मुझे खुशी है कि अब आपने यह रियायत वापस ले ली है। सरकार बम्बई में लोगों को भूमि बेचने की अनुमति दे रही है। इस प्रकार के विषयों पर बात करने में वित्त मंत्री हमेशा दी ईमानदार रहे हैं। किन्तु जो लाभ आप देते हैं वह गरीबों तक नहीं पहुंचते।

श्री डागा ने कहा कि हम यहां जो भी चर्चा करते हैं वह सम्पूर्ण देश के लिए होती है? क्या हम वास्तव में यह महसूस करते हैं कि निर्धन लोगों की हालत में सुधार हुआ है? निश्चित रूप में नहीं। कल मैं एक विवाह पर गया। दिल्ली या बम्बई में एक बड़े होटल में एक पार्टी का बिल 3 लाख रुपए आता है। बम्बई में किसी बड़े होटल में एक कमरा 1100 रुपए प्रतिदिन का पड़ता है। मुझे उन कतिपय वर्ग के लोगों की क्षमता पर आश्चर्य होता है जो इस पर करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं। उन बड़े होटलों में मैंने कुछ विवाह होते देखे हैं, लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। दूसरी ओर यदि आप बम्बई जैसे शहर में जायें तो आप देखेंगे वहां गरीब लोग सड़क की पटरियों पर सोते हैं। इसलिए इस तरह की अर्थव्यवस्था इस देश की आर्थिक समस्याओं और गरीबी हटाने के लिए निश्चित रूप से अनुकूल नहीं है, जिसके बारे में मुझे वास्तव में अधिक चिंता है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे देश में जो विश्व में महानतम लोकतन्त्रात्मक देशों में एक है, वित्त मंत्री का कार्य आसान नहीं है, वस्तुत: उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र के विभिन्न हितों का संतुलन बनाये रखना होता है, जो कि जाति, धर्म, क्षेत्रीय असंतुलन और अन्य कारणों से अभिभूत है। इसलिए, जब कभी इस देश के वित्त मंत्री द्वारा कोई वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करके और अपने आपको तद्नुसार व्यक्त करना होता है।

हम विभिन्न स्रोतों से राजस्व बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि इस देश के समूल विकास के प्रयोजन हेतु राजस्व की जरूरत है, मेरे दृष्टिकोण से राजस्व का एक बड़ा स्रोत मितव्ययिता संबंधी उपाय हैं और यदि हम इस स्थिति में मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय नहीं अपनाते हैं तो वे बढ़ते जायेंगे और एक ऐसा समय आयेगा जब हम उस तरीके से मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय नहीं अपना पायेंगे, जिस तरीके से हम उन्हें अपनाना चाहते हैं।

मूलत: सरकारी क्षेत्र में यथासंभव कई क्षेत्रों में निगम बनाने की प्रवृत्ति है जबकि मंत्रालय में एक विभाग अथवा अनुभाग उसी काम को कर सकता है। हम निगम बनाना चाहते हैं। इस समय सारे देश में सैंकड़ों निगम स्थापित हैं-वे क्या कार्य कर रहे हैं, यह जानना बहुत मुश्किल है।

दो अथवा तीन वर्ष पहले सरकार ने पहले स्थापित उन अनेक निगमों को बन्द करने के बारे में कुछ प्रस्तावों की घोषणा की थी। किन्तु कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर और अधिक निगम स्थापित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा कुछ उपायों का अध्ययन करने हेतु समितियां नियुक्त की जाती हैं जबकि वही जानकारी मंत्रालय में संबंधित विभाग अथवा अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न कार्यों के अध्ययन के लिए विभिन्न ममितियां नियुक्त की जाती हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं हैं। इस दिशा में मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय किए जा सकते हैं। छोटे-छोटे मामलों के अध्ययन के प्रयोजन हेतु भी वित्तीय अथवा अन्य मामलों के सम्बन्ध में कई बार जांच समितियां और आयोग नियुक्त किए जाते हैं। कुछ वर्ष पहले इस प्रश्न की जांच करते हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी कि वित्तीय वर्ष में परिवर्तन किया जाना चाहिए अथवा नहीं। इस समिति ने एक बड़ी रिपोर्ट दी थी। ये ऐसे मामले समितियों अथवा आयोगों की नियुक्ति किए बिना ही मंत्रालयों अथवा विभागों में निपटाये जा सकते हैं।

दूसरा पहलू यह है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य मन्त्रियों, आपातकालीन मामलों को छोड़कर, को राज्यों और अन्य स्थानों का दौरा करने हेतु विमान का उपयोग नहीं करना चाहिए।

जैसाकि एक माननीय सदस्य, श्री डागा ने सुझाव दिया है कि पांच तारा होटलों में सरकारी एजेन्सियों द्वारा बड़ी-बड़ी दावत दिया जाना रोका जा सकता है।

मैं समझता हूं, इन तीन या चार मदों से हम करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। अतः मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय करना ही राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है जिसे हम कर सकते हैं।

दूसरी बात सामाजिक पहलू के सम्बन्ध में है। हमें इस देश के लोगों की पारिवारिक पृष्ठ भूमि देखनी होगी। चाहे छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार, लोग अन्धविश्वासों में विश्वास रखते हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में शिक्षित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक निम्न श्रेणी लिपिक जिसकी मासिक आय लगभग 1000 रुपए है, वह पूजा पर 500 रुपए अथवा 1000 रुपए खर्च करने में नहीं चूकता। हमें ऐसे लोगों को बता देना चाहिए कि वे अपना धर्म मानने में स्वतन्त्र हैं, वे भगवान की पूजा कर सकते हैं और भगवान उन पर प्रसन्न होंगे, लेकिन भगवान उनसे यह आशा नहीं करता कि वे भगवान की पूजा पर इतना धन खर्च करें।

लेकिन वे खर्च करेंगे और एक मुर्गी या बकरे की बलि देते हैं। फलस्वरूप वे अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। अतः आपको वित्त मन्त्री होने के नाते इस देश में व्याप्त अंध-विश्वास के इस सामाजिक पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक विवाहों का सम्बन्ध है इनमें कुछ खर्चों को छुपाया जा सकता है आपको विवाहों के खर्चों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए एक कानून लाना पड़ेगा। हमको इस पहलू के सम्बन्ध में एक कानून लाना पड़ेगा। अन्ततः एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना पड़ेगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने लिए इस मुद्दे पर जोर दिया था।

दूसरा मुद्दा यह है कि हम यह कह सकते हैं "कि लोगों को बातों की जानकारी होनी चाहिए। मेरा मुद्दा यह है कि उन्हें वित्त सम्बन्धी मौलिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। गांव के एक औसत व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। सरकार की सीमायें क्या हैं ?" रुपया कैसे प्राप्त किया जाता है ? खाद्य का उत्पादन क्या है ? यदि कर लगाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं ? इन साधारण बातों के बारे में ग्रामीण जनता को बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की गयी थी। आपने कहा था कि इस वृद्धि से पैट्रोल की खपत में कमी होगी। यद्यपि यह एक मामला वाद-विवाद का विषय है फिद भी इसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से पैट्रोल की खपत कैसे कम की जा सकती है। मान लीजिए जनता की मांग एक्स के बराबर है और यहां इसकी खपत है। अब इसका यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि यदि हम मूल्य में वृद्धि करते हैं तो इसकी खपत घटकर अमुक स्तर तक पहुंच जायेगी। इसलिए मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अब इसको जनसाधारण को कौन समझाये। सभी सांसदों और विधायकों को यह कार्य करना चाहिए। जब हम गांवों में जाते हैं तो हमें इन मूल बातों को उन्हें बताना चाहिए। हमें वित्तीय मामलों के बारे में बताना चाहिए। न कींस की परिभाषा के बारे में बताना चाहिए।

महोदय, जहां तक सीमा शुल्क और अन्य मामलों का संबंध है आपने एक अच्छा कार्य किया है। आपने पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया है किंतु अन्तत: यदि इन अभियोग के मामलों की कमियों की ठीक प्रकार से जांच नहीं की जाती है तो बहुत से लोग बच जायेंगे। यहां तक कि जब किसी जांच करने वाली एजेन्सी द्वारा कोई छोटा पंचनामा भी ठीक प्रकार से दर्ज नहीं किया जाता है और आपने सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन लगभग 200 मामले दर्ज किये होंगे और 2-3 वर्षों की मुकद्दमेंबाजी के पश्चात् की जब निर्णय लिए जाते हैं तो उनमें से अधिकांश मामले समाप्त हो जाते हैं क्योंकि ये मामले तकनीकी कारणों से गलत सिद्ध हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्थिति में ही बहुत से मामले रुक जाते हैं क्योंकि जांच एजेन्सी द्वारा कुछ तकनीकी गलतियां की गई थीं।

श्रीमन, मैं गोवा से चुनकर आया हूं। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है। उनके वित्तीय मामलों को केन्द्रीय सरकार देखभाल करती है और हमारे पास मौलिक रूप से अधिक शक्तियां नहीं हैं। मंत्री परिषद् द्वारा दी गई सलाह को राज्यपाल मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई प्रशासक अच्छा होता है तो सभी बातें ठीक प्रकार से चलती हैं। हमारे ऊपर संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम लागू होता है। यह कानून संविधान के तहत बनाया गया है। अत: जो कोई प्रस्ताव किया जाता है तो राज्यपाल उसे कानून के अनुसार अस्वीकृत कर सकता है और उसे केन्द्रीय सरकार के पास विचार करने के लिए भेज सकता है। कानून यह कहता है :

> "किसी विषय पर प्रशासक द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये मामलों में राज्यपाल की राय प्रधान होगी।"

इसका अभिप्राय यह है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र में चुने गये मंत्री एक निष्क्रिय निकाय के रूप में हैं। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें धन अन्तर्ग्रस्त है। हमारे संघ

राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित हजारों फाइलें वर्षों से केन्द्रीय सरकार के पास लंवित पड़ी हैं। यदि संघ राज्य क्षेत्रों को और शक्तियां दी जाती हैं तो इस स्थिति से बचा जा सकता है।

अन्त में मैं केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भर्ती पर प्रतिबंध के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। इस समय भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मैं कोई अर्थ शास्त्री नहीं हूं। मैं यह नहीं जानता कि आपको इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने से कितना लाभ होता है। इससे कुछ लाभ हो सकता है।

इस समय संघ राज्य क्षेत्र में सभी पद केन्द्रीय सरकार के हैं और केन्द्रीय सरकार में सभी पदों की भर्ती पर रोक लगी है। जहां तक महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों का सम्बन्ध है, उनमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पद हैं। उनमें केन्द्रीय सरकार के पदों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में हमारे ऊपर पूर्णतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्योंकि वहां सभी पद केन्द्रीय सरकार के हैं। हम किसी स्कूल के लिए कोई अध्यापक नियुक्त नहीं कर सकते हैं और गांवों के लिए कोई डाक्टर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति पिछले तीन वर्षों से बनी हुई है। यदि हम वित्त मंत्रालय से अनुरोध करते हैं। तो हमें यह कहा जाता है कि छूट देने के लिए अनुरोध करना चाहिए और उसका एक औचित्य भी दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि भर्ती से रोक हटाने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि इसका विभागों के कुशल कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष जी, फायनेंस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय मंत्री जी यहां पर हैं। सबसे पहले मैं, उनको जब चुनाव हुआ था उस समय जनता के साथ जो वायदे किए गए थे उनकी याद दिलाना चाहता हूं जो कि मेरा पहला कर्त्तव्य है। हमने अपने मैनीफेस्टो में जनता के साथ वायदा किया था कि हम सेल्स टैक्स हटा देंगे और हमने एक वायदा यह भी किया था कि हम ऑक्ट्राय पूरी खत्म कर देंगे। अब जब हम अपने इलाके में जाते हैं, तो लोग हमको पूछते हैं, देश के प्रदान मंत्री राजीव जी हैं, उनकी बात पर तो सभी विश्वास करते हैं, उन्होंने जो-जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है, परन्तु दो चीजें हैं, इनको क्यों भूल गए, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं आपको इतना कहता हूं कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज और कार्पोरेशन्स हैं जिनमें ऑक्ट्राय वसूल करते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार के कारण 50 परसेंट से ज्यादा कर मिलता नहीं है और उस पैसे का उपयोग नहीं होता है और उसी के साथ में जो सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स होते हैं उनका भी नुकसान होता है। इसलिए उस बेसिस पर आपकी कुछ केलकुलेशन हो, तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि जहां पर डायरेक्ट प्रोडक्सन होता है, वहां पर अगर आप टैक्स लगाते हैं, तो उससे निश्चय ही आपको बहुत कुछ पैसा मिल सकता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह आपके ही डिपार्टमेंट के बारे में है। इंकम टैक्स का जहां तक सवाल है, मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि जब आप असेंसी से रिटर्न भरवाते हैं,

तो जो फार्म आप उसको 7-8-10 पेज का देते हैं, वह बहुत कॉम्पिलिकेटेड होता है और उसमें 80 परसेंट तो एन० ए० है जिस को देखकर एक साधारण असैसी तो घबरा ही जाता है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक सिंगल पेज का जिसमें 8-10 कॉलम हों जिनमें, नाम, पता वगैरह और यह हो कि तुम्हारी इन्कम कितनी है, होना चाहिए। आप जो पन्द्रह पेज का फार्म देते हैं उसमें बैलेंस शीट, प्रॉविडेंट फन्ड; लॉस एण्ड अकाउन्ट, कुछ तो आप मांगते ही हैं। परन्तु यदि फार्म सिम्पल हो, तो साधारण असैसी है, वह भरकर दे सकता है। किन्तु अभी जो आपका फार्म है, वह ऐसा है कि उसको पढ़ा-लिखा आदमी, सैलरीड पर्सन भी नहीं भर पाते हैं और वकील के पास जाना पड़ता है जो सौ-दो सो रुपए ले लेता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप दूर करिए। अगर आप इसको दूर नहीं कर सकते हैं और आपकी कोई इसमें डिफीकल्टी है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास असैसी कई तरह के हैं, उनके लिए आप अलग-अलग फार्म बना दें, जैसे इंडीविजुअल, जाइंट फैमिली और फर्म इत्यादि के, लेकिन एक-एक पेज का बनायें तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई इंडीविजुअल असैसी है, अगर एक कागज का फार्म होगा, तो वह उसको भरकर तुरन्त दे देगा। इससे आप एक असैसी को बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते हैं।

तीसरी चीज, जिसकी तरफ अब में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि जो सेंट्रल सेल्स टैक्स आपने लगा रखा है, उसमें आपने एक बहुत बड़ा लूपहोल बीच में छोड़कर के रखा हुआ है। क्योंकि जितने भी बड़े-बड़ उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े कारखानेदार हैं वे ब्रांच ट्रांसफर और कंसाइनमेंट सेल के नाम पर बड़ा कारोबार करते हैं और सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम से आपको कुछ भी नहीं मिलता है। स्टेट का और आपका शेयर क्या होगा, मैं उसमें नहीं जाता हूं, परन्तु 90 परसेंट सेंट्रल सेल्स टैक्स आपको नहीं मिलता है क्योंकि ब्रांच ट्रांसफर और कंसाइनमेंट सेल का एक लकूना इसमें रह गया है। हम तो उम्मीद करते थे कि शायद इस बजट में यह लकूना दूर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। यदि यह दूर हो जाता है, तो इससे आपको करोड़ों रुपयों की इन्कम हो सकती है। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

चौथी बात मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि फर्म टैक्स का जहां तक सवाल है, इंडीविजुअल के ऊपर आपने टैक्स घटा दिया है, परन्तु जो फर्म टैक्स लगाया है, उसमें इंसेंटिव खत्म हो गया है, बल्कि उल्टा हो गया है और जो ऑनेस्ट असैसी है व इस चिंता में पड़ा हुआ है कि उसे क्या करना चाहिए। इस फर्म को डिजॉल्व कर के चार में बांटना चाहिए, या क्या करना चाहिए ? इस पर भी आप विचार करें। जो इंडिविजुअल का असैसी हाईस्ट स्लैब है उससे ज्यादा पैसा नहीं देना पड़े यह हमारी जवाबदेही होती है। जो फर्म पुरानी है, वह अपना कांस्टीट्यूशन भी बदलेगी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

...(व्यवधान)...

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं आपको उदाहरण देता हूं यदि चार पार्टनर एक ही फर्म में हैं तो फर्म टैक्स लगने के बाद जो पैसा बचेगा, वह एक दूसरी चीज है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह दूसरी चीज जरूर है, लेकिन फर्म पर जो टैक्स लगेगा वह पर्सनल टैक्स का मार्जिनल रेट 50 परसेंट है और फर्म का टैक्स 50 परसेंट से कम है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जहां चार आदमी यूनाइट होते हैं तो उनका प्राफीट डिवाइड होगा, उनके टैक्स का रेशो भी कम आएगा लेकिन अभी यह पोजिशन आ गई है कि जो हायर टैक्स और फर्म टैक्स देने के बाद, इंडिविजुअल एक-एक लाख के चार इंडिविजुअल असैसी रिटंन और चार लाख का एक फर्म टैक्स भरते हैं तो इंडिविजुअल पर ज्यादा टैक्स लगता है। इस चीज को आप चैक कर लें। यह मैं आपके नालेज के लिए बता रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह हमको मालूम है। पहले फर्म पर लगेगा, फिर इंडिविजुअल पर लगेगा, यह तो लगता ही है, लेकिन आपने जो बात कही है कि फर्म का मार्जिनल टैक्स पर्सनल टैक्स से हायर है, इसको आप करेक्ट करिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : नहीं-नहीं मैं नहीं कह रहा हूं इंडिविजुअल आफ्टर दी डिविजन आफ दी टैक्स है। वह इनडिविजुअल को हायर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वह कोई फर्म बनायेगा नहीं। जो इकानमी का कंसैप्ट है कि ज्यादा से ज्यादा प्राफीट आफ डिविजन होना चाहिए यह उन कंसैप्ट के खिलाफ है। आप इस पर विचार करें।

मैं नागपुर शहर के दो उदाहरण बताना चाहता हूं। एक आदमी के यहां रेड हुआ तो उसके यहां से 11 लाख रुपये का माल मिला। वह करप्शन करके पैसा पैनलटी आदि का सब बचाकर और डिकलेयर करके बच गया। दूसरा असैसी जिसने तीन साल पहले अपनी इनकम का एस्टीमेट भरा जो कि 6 लाख का एस्टीमेट था। उसके बाद उसने इनकम भरा। 80 परसेंट की सैलाब की इनकम पर उसने 11 लाख रुपये का रिटंन भरा। आपके अफसर ने उस पर मिनल इंटरेस्ट लगाया उसको लगाने के बाद वह चुप नहीं रहा, उसके बाद पेनलटी का शोकाज का नोटिस देकर उस पर हैवी पेनलटी लगा दी। आप बताइए उसका दिल क्या कहता होगा। एक तरफ वह ईमानदार असैसी है जिसने 6 लाख रुपये का एस्टीमेट दिया तो उसका इनकम बुक्स में बढ़ गया तो भी वह ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है तो आप उस पर पेनलटी लगा देते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप यह केस मुझे दीजिए, मैं इसे दिखवाऊंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : नेशनल प्रेस में आपकी ऑनेस्टी और इन्टिग्रेटी के बारे में किसी को डाउट नहीं है, लेकिन आपके अफसर आपके जैसे नहीं हैं। उनको टाइट करने की आवश्यकता है। वहां आज भी करप्शन है। उन पर ज्यादा दबाव डालना होगा जिससे भ्रष्टाचार न हो। आप इस पर अवश्य ध्यान दें।

अब मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी नागपुर के बारे में कहना चाहता हूं। वह एक शहरी इलाका है, लेकिन वह समस्याओं से भरा है। वहां झोंपड़-पट्टी में 50 परसेंट लोग रहते हैं, लेकिन वहां के विकास के लिए कुछ नहीं हो सका है। जब तक केन्द्र सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं आवेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। आप खाली स्लम्स के लिए पैसा देते हैं, लेकिन उस पैसे का भी दुरुपयोग होता है। पर हैड ढाई सौ रुपया पांच मेम्बर की फैमिली के ऊपर साढ़े 12

सौ रुपये खर्च करते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। आप कुछ इस तरह की योजनायें बनायें जिससे उन्हें साफ-सुथरे मकान मिलें चाहे एक कमरे का मकान बनाकर दें। ऐसा करने से ही गरीब झोंपड़ पट्टी वालों की हालत सुधरेगी। वह बाहर आने को भी तैयार हैं।

जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, वह बहुत सिक होने लगी हैं। इसके लिए इन्डस्ट्री में लाइसेंसिंग को लिबरलाइज करना होगा। अभी भी कई सेक्टर ऐसे हैं कि जहां लाइसेंस पद्धति की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां जितने भी सेक्रेटेरिएट हैं, उसमें एक नई क्लास हमारे दिल्ली में पैदा हो गई हैं। उनको लायजन आफिसर कहते हैं। वह अपना ब्रीफकेस हाथ में लटका कर घूमते हैं। उनके माध्यम से बहुत भ्रष्टाचार होता है। इनको तभी खत्म किया जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा से ज्यादा लाइसेंसिंग हर चीज से खत्म करें।

आयल प्रोसेस करते हैं। रिफाइन्ड आयल प्रोसेस करते हैं। वहां तक लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। परन्तु जो वनस्पति यूनिट है उसमें और कुछ नहीं होता, वह भी रिफाइन्ड आयल ही है। वह वैसे ही है जैसे रिफाइन्ड आयल। उसमें कुछ नहीं थोड़ी गैस पास कर देते हैं। उसमें आप ने अभी तक लाइसेंसिंग कर रखी है। कोई आवश्यकता नहीं है उस में लाइसेंसिंग करने की। उसको लाइसेंसिंग से फ्री किया जा सकता है। आखिरकार वह हाइड्रोजेनेट आयल ही है तो उसके लिए लाइसेंसिंग रखने की जरूरत नहीं है।

सिक यूनिट्स के बारे में मैं थोड़ा सा जरूर कहना चाहता हूं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता दत्ता सामन्त जी ने कहा और मैं भी हाउस में रेज कर चुका हूं, ये टाटा और बिरला जो यूनिट सिक करते जा रहे हैं और जिसके लिए आप ने एक बात कह रखी है कि सिक इन्डस्ट्रियल यूनिट्स का बोर्ड आप बनायेंगे, वह बोर्ड बनाने में क्यों देर हो रही है? एक-एक दिन की देरी जो हो रही है उसका वे लोग फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी वह बोर्ड बनायें, वह बोर्ड अपना काम चालू करे जिससे कुछ फायदा हो। इतना ही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से एक निर्वाचित सदस्य के रूप में वित्त मन्त्री महोदय को उत्तर-पूर्वी परिषद् के बजट में छठी योजना में रखे गये 340 करोड़ रुपये की तुलना में 7 वीं योजना में 675 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए बधाई देता हूं।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति निवेश छठी योजना में 1493 रुपये के स्थान पर 2750 रुपये किया जाएगा, और इसके अलावा यदि आप इसकी तुलना अखिल भारतीय स्तर पर करें, तो हम पायेंगे कि यह केवल 891 रुपए है। यह भारत सरकार का वास्तव में एक अच्छा संकेत है विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब कि सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को पृथकतावादी गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है और जबकि हम वास्तव में एक बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं।

साथ ही, मैं हाल में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अर्थात् गुवाहटी को अधिकारियों के एक दल को भेजने के लिए भी बधाई देता हूं जहां उन्होंने शुरू किए गए अथवा शुरू किए जाने वाले विभिन्न विकास-कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया था।

मैं सविनय इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को जो धन दिया जाता है, उसका बहुत बड़ा भाग बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि सरकार और क्रियान्वयन करने वाली संस्तथाओं, दोनों में भ्रष्टाचार व्याप्त है जो कि सरकारी निकाय हैं।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पिछड़ेपन की जांच करने और विशिष्ट योजनाओं का सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मन्त्रियों की एक समिति का गठन किया गया है। किन्तु ऐसा करते समय सरकार को इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए कि पिछले अनेक वर्षों में जो धन दिया गया है, उसका उपयोग कर लिया गया है और उसका किस तरीके से उपयोग किया गया है, उसमें क्या खामियां हैं, और क्या वहां स्थापना-सुविधायें हैं। यदि नहीं, तो धन देने से पूर्व उन्हें सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

मैं यह बात उस क्षेत्र के एक प्रतिनिधि के नाते कह रहा हूं। जब हम जनता के पास जाते हैं, तो हमें हमेशा शिकायतें सुनने को मिलती हैं, किन्तु इसके साथ ही जब हम संसद में तथ्यों और आंकड़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए बहुत सारा धन दिया जा रहा है। फिर आम जनता से यह शिकायत सुनने को क्यों मिलती है ? कहीं न कहीं कोई खामियां जरूर हैं।

प्रो० एन० जी०रंगा : वहां राजनीति भरी हुई है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं एक अन्य बात के लिए भी माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। वह बात यह है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र स्थिति केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कुछ विशेष भत्ते की मंजूरी दी गई है। यह कदम सही दिशा में उठाया गया है। किन्तु, इसके साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के वे व्यक्ति भी, जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालय में कार्य कर रहे हैं हमारे पास इस बात के लिए आवेदन करते हैं और कहते हैं कि चूंकि वे भी उन्हीं परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में देश के अन्य भागों से आये हुए व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस संबंध में यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या उन्हें बाहर से आए व्यक्तियों के समकक्ष माना जा सकता है, अथवा कम से कम क्या उन्हें देश के अन्य भागों में जो कुछ दिया जा रहा है उसकी तुलना में कुछ विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब क्या किया जा रहा है ?

श्री संतोष मोहन देव : अब उन्हें क्या मिल रहा है ? इसलिए मेरा माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे इस विशेष पहलू की कृपया जांच करें।

मैं उस घाटी से आया हूं जो कछार और करीमगंज दो जिलों से बना है। पिछले छ: साल से हमने कोई आन्दोलन नहीं किया था। हम राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हैं। वहां एक नई

सरकार बनी है। यह एक लोकप्रिय निर्वाचित सरकार है। मुझे उस सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है। मैं उन्हें अपनी सारी शुभकामनायें देता हूं, किन्तु, दुर्भाग्यवश, इस समय ऐसी प्रवृत्ति है कि हमारे क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और आदिवासी योजनायें क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं। मैं यह अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। यह पिछले चार महीने से बिल्कुल बन्द पड़ा है। मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। मेरा अनुरोध है कि यह देखने के लिए जांच-पड़ताल की जानी चाहिए कि ग्रामीण लोगों के लिए किए जाने वाले ये उपाय तत्काल शुरू किए जायें।

हमारे क्षेत्र की एक अन्य मांग है जिसके बारे में मैंने माननीय मन्त्री महोदय को लिखा है। वास्तव में, मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था। फिर उन्होंने इसे वित्त मन्त्री को भेजा और उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है किन्तु यह उत्तर जैसा कि प्राय: दिया जाता है, स्वीकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक है।

जहां तक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का सम्बन्ध है, मेरा मंत्रालयीय समिति से यह अनुरोध है कि वह इस पर पुन: विचार करें, क्योंकि हाल ही में हमने, संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्य ने, प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उनसे हमारी घाटी के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का अनुरोध किया गया है क्योंकि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जो कि कछार के लोगों की मांग है, मुख्यत: इसलिए आवश्यक है क्योंकि घाटी में रहने वाले हमारे लड़के डिब्रूगड़ और गोवाहाटी विश्वविद्यलयों में अपना अध्ययान जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में छात्रों की अधिकतम संख्या पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वहां का राजनीतिक वातावरण दुर्भाग्य से हमारे अनुकूल नहीं है। अत: आप असम के लिए पहले ही एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि इसकी स्थापना तेजपुर में अथवा किसी और जगह पर की जाएगी। चूंकि आपने इस क्षेत्र में अपने वित्तीय परिव्यय के सम्बन्ध में अनेक आपत्तियां की हैं, इसलिए मेरा आपसे अत्यन्त नम्र निवेदन है कि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में थोड़ी सी उदारता बरतें और इसके लिए विशेष निधि की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : धन्यवाद। मैं वित्त मन्त्री महोदय से क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के बारे में अनुरोध करता हूं जिसे गुवाहाटी में स्थापित किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि विगत समय में यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधक को कार्यालय सिल्चर में खोला गया था। किन्तु, चूंकि आपने वित्त मंत्रालय में बहुत प्रगामी कदम उठाए हैं, इसलिए आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले गुवाहाटी में ही पांच क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय स्थित हैं। इसका क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। 'क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय' शब्द का सही अथ यह है कि ये विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति होंगे। एक कार्यालय सिल्चर में हो, दूसरा जोरहाट में, एक

तेजपुर में, एक डिब्रूगढ़ में और एक किसी अन्य क्षेत्र में हो। विगत समय में, वित्त मंत्रालय की ओर से जब भी कोई प्रस्ताव किया जाता था, तो अधिकारीगण यह कहा करते थे कि राजनीतिक स्थिति और आन्दोलन के कारण हम असम के अन्य भागों में कार्यालय स्थापित नहीं कर सके। अब वहां यह स्थिति नहीं है अतः मैं आपसे अपील करता हूं कि इस अनुरोध पर विचार किया जए जब भी हम संसद में बोलते हैं, तो मन्त्री महोदय सत्तारूढ़ दल को नजर अंदाज करके विपक्ष को जबाव देते है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप इस वाद-विवाद का उत्तर दें, तो मैं क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के सम्बन्ध में आपसे कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह यहां पर एक नई उपलब्धि है।

श्री संतोष महोन देव : जी नहीं, यह बात पहले से ही है। आप लोग अभी भी सन्तुष्ट नहीं हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

9·00 म० प०

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप अपने आपको सन्तुष्ट करें।

श्री संतोष महोन देव : यूनाइटेड बेंक आफ इन्डिया के सम्बन्ध में जो कि असम के चाय उद्योग के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग का भी हिसाब-किताब रहता है—मैं नहीं समझता कि यह बात कहां तक सच है; हो सकता है मेरी बात गलत हो—चाय उद्योग द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं इस बात की सच्चाई को नहीं जानता हूं। किन्तु मैं आपसे केवल यह अनुरोध करूंगा कि वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए आप जांच करें। राष्ट्र को होने वाली कुल विदेशी मुद्रा की आय का लगभग आधा भाग चाय के उद्योग के जरिए प्राप्त होता है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय उद्योग हमारा मुख्य उद्योग है। अतः यूनाइटेड बेंक आफ इन्डिया के विरुद्ध यह एक गंभीर शिकायत है। मैं यहां पर किसी अधिकारी के नाम का उल्लेख करना नहीं चाहता। किन्तु मुझे आप पर पूरा विश्वास है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उद्योग की इस शिकायत के सम्बन्ध में जांच की जाए। मुझे बिल्कुल यकीक है कि यदि आप इसकी जांच करेंगे तो इसमें सुधार करेंगे।

मैं इस वित्त विधेयक का पुनः समर्थन करता हूं। जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय जब उत्तर देंगे तो इस संबंध में कुछ जरूर बतायेंगे।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1986/5 बैशाख, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : स्टील स्लेट मैंयुफैक्चरिंग कं० (प्रैस डिपार्टमेंट) दिल्ली